खण्ड-352, अंक-6
मंगलवार, 31 भाद्रपद, शक संवत् 1903
(22 सितम्बर, 1981 ई0)

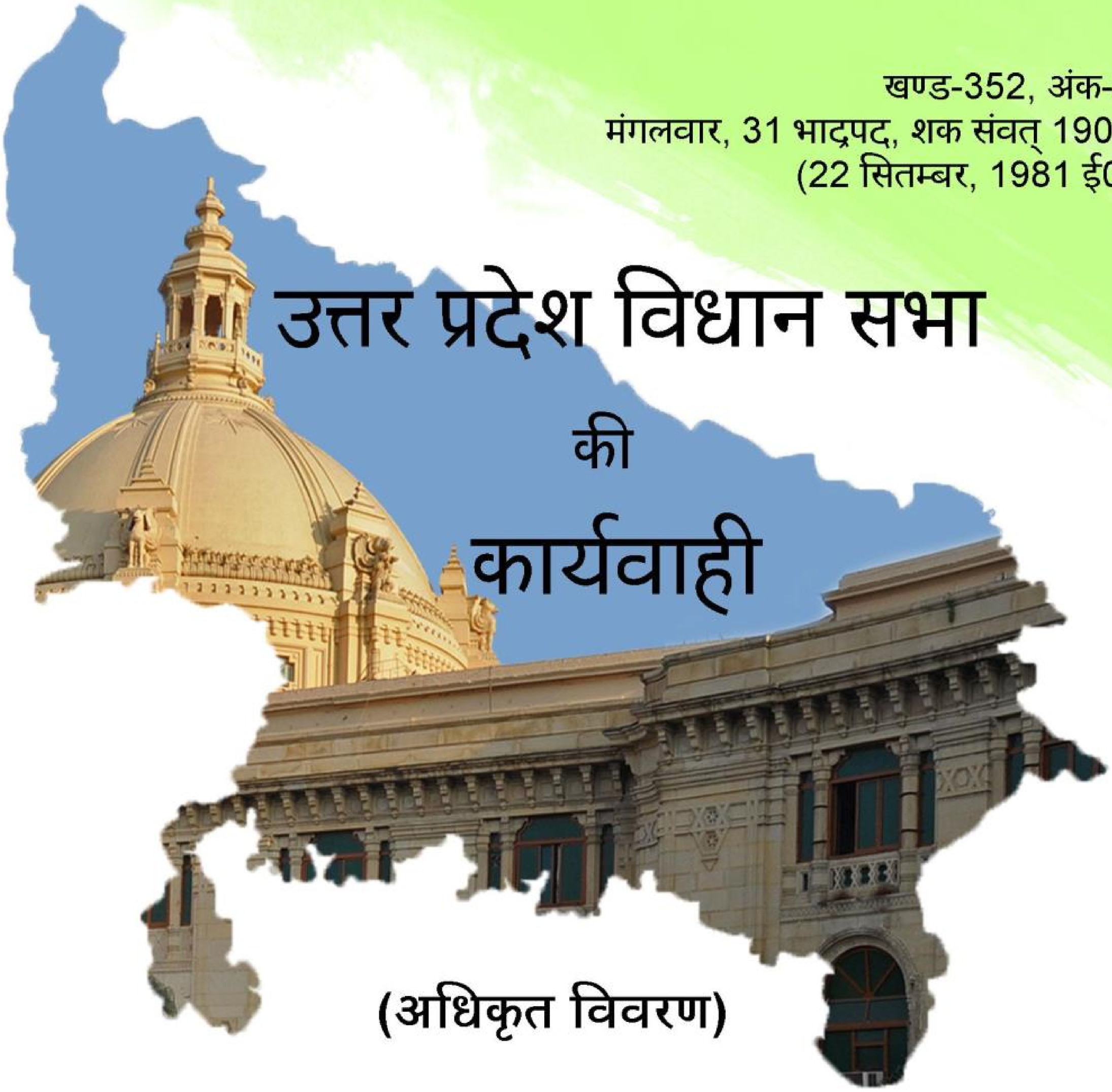

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 352 में 6 अंक है
उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश (भारत)
1983

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 25 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ संख्या
उपस्थित सदस्य ..	..1049–1053
प्रश्नोत्तर ..	..1055–1142
हैन्डलूम कार्पोरेशन में भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	1142
ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन के मकान से श्री आर0 एन0 गुप्ता, एडवोकेट के निकाले जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	1142–1143
बांदा जिले की कर्वी तहसील के अन्तर्गत कतिपय ग्रामों की चकबन्दी कराये जाने के विरोध में किसानों द्वारा चलाये जा रहे आन्दोलन के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	1143
कौंच, जिला जालौन के पशु चिकित्सक डाक्टर महेन्द्र कुमार त्यागी द्वारा अवैध पशुवध कराये जाने से जनता में असंतोष के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	1144
रामपुर जिले में बिजली आपूर्ति में कमी से जनता में असन्तोष के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	1144
जनपद मैनपुरी के थाना बेवर के एस0 आई0 श्री राम सहायक अग्निहोत्री व दीवान श्री प्रेम चन्द्र दुबे द्वारा श्री उम्मेद अली की आंखे फोड़ने तथा श्री गौस अली की पिटाई के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	1144–1145
बस्ती जनपद के विकास खंड खेसरहा तथा सांथा के कतिपय ग्रामों में बाढ़ से क्षति तथा राहत की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	1145
रुहेलखंड मंडल में भीषण सूखे के बावजूद विद्युत् आपूर्ति न किये जाने से जनता में असंतोष के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	1146
चन्द्र शेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर के छात्रावास में हरिजन विद्यार्थियों पर सवर्ण विद्यार्थियों द्वारा हमला तथा पुलिस निष्क्रियता के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	1146–1147
आगरा में हुई घटनाओं तथा गोली कान्ड की घटनाओं पर नियुक्त एकल सदस्यीय जांच आयोग द्वारा आख्या रिपोर्ट (सदन के पटल पर रखी गयी) ..	1147
उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (नेता विरोधी दल को सुविधाएं) नियमावली, 1981 (सदन के पटल पर रखी गयी) ..	1147
उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1981 (सदन के पटल पर रखा गया) ..	1147

विषय	पृष्ठ संख्या
उत्तर प्रदेश स्टाम्प रजिस्ट्रीकरण विधि (संशोधन) विधेयक, 1981 (विधान परिषद् से वापस प्राप्त होने की सूचना) ..	1148
उत्तर प्रदेश विनियोग (1981–82 का अनुपूरक) विधेयक, 1981 (विधान परिषद् से वापस प्राप्त होने की सूचना) ..	1148
कतिपय सदस्यों की गिरफ्तारी एवं रिहाई के सम्बन्ध में सूचनाएं (जारी) ..	1148–1150
सदस्यों की गिरफ्तारी की सूचनाएं विहित प्राधिकारी द्वारा विहित प्रपत्र में न भेजे जाने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न व विशेषाधिकार की अवहेलना ..	1150–1152
उत्तर प्रदेश अष्टम विधान सभा की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम समिति (1981–82) का द्वितीय प्रतिवेदन (प्रस्तुत किया गया) ..	1152
उत्तर प्रदेश अष्टम विधान सभा की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम समिति (1981–82) का तृतीय प्रतिवेदन (प्रस्तुत किया गया) ..	1152
उत्तर प्रदेश अष्टम विधान सभा की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम समिति (1981–82) का चतुर्थ प्रतिवेदन (प्रस्तुत किया गया) ..	1153
उत्तर प्रदेश विधान सभा की लोक लेखा समिति (1981–82) का प्रतिवेदन (प्रस्तुत किया गया) ..	1153
कल दिनांक 21 सितम्बर, 1981 को सदन से निलम्बित किये गये सदस्यों का निलम्बन समाप्त करने सम्बन्धी प्रस्ताव लाये जाने की मांग ..	1153–1162
श्री लटूरी सिंह सदस्य, विधान सभा के सम्बन्ध में सदन में कही गयी बातों का उनके द्वारा स्पष्टीकरण ..	1162–1168
लोकदल के विधायक श्री मोहन सिंह के विरुद्ध उठाये गये विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर श्री अध्यक्ष का निर्णय ..	1169
संसद सदस्य, श्री राजीव गांधी के विरुद्ध उठाये गये विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर श्री अध्यक्ष का निर्णय ..	1169–1170
कार्य–मंत्रणा समिति द्वारा समय निर्धारण का प्रस्ताव (स्वीकृत) ..	1170–1175
डेमौक्रेटिक सोशलिस्ट पार्टी के पदाधिकारियों तथा सदस्यों की सूची व मान्यता के सम्बन्ध में सूचना ..	1175–1176
श्री परमाई लाल सदस्य विधान सभा द्वारा दल परिवर्तन की सूचना ..	1176

विषय	पृष्ठ संख्या
कतिपय सदस्यों द्वारा मंत्रि मन्डल के विरुद्ध दिये गये अविश्वास के प्रस्ताव को स्थगित किये जाने का अनुरोध ..	1177
कल सदन की बैठक 6 बजे के बाद चलाये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न ..	1177–1178
पिछले सत्र में नियम 301 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाओं तथा कृत कार्यवाही के संशोधित विवरण को सदन में रखे जाने तथा जाजमऊ बस दुर्घटना पर वक्तव्य की मांग ..	1178–1180
दिनांक 12 मार्च, 1981 को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या 6 के अनुपूरक प्रश्न के उत्तर के सम्बन्ध में शोधन वक्तव्य ..	1180–1181
टाउन एरिया,टांडा, थाना टांडा, जिला रामपुर में गोली चलाये जाने से एक व्यक्ति की मृत्यु के सम्बन्ध में वक्तव्य ..	1181–1182
नेशनल हेराल्ड ग्रुप, लखनऊ में हुई तालाबन्दी को औद्योगिक न्यायाधिकरण (द्वितीय) उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा गैर कानूनी घोषित किये जाने वाले निर्णय को लागू न किये जाने से व्याप्त असन्तोष के सम्बन्ध में वक्तव्य ..	1182–1184
विशेषाधिकार समिति में लम्बित कतिपय मामलों का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु कार्यकाल में वृद्धि का प्रस्ताव (स्वीकृत) ..	1185–1186
कार्य–स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं ..	1186
श्री अकबर अहमद द्वारा अभिसूचित विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न लिय जाने की मांग ..	1186–1187
प्रदेश में बाढ़ से उत्पन्न स्थिति का सामना करने हेतु किये जा रहे राहत कार्य में शिथिलता के सम्बन्ध में चर्चा ..	1187–1214
विधान सभा सदस्य श्री राधेश्याम पटेल की पिटाई से सम्बन्धित इलाहाबाद की घटना पर वक्तव्य ..	1214–1228
उत्तर प्रदेश में कानून और व्यवस्था में उत्तरोत्तर गिरावट के महत्वपूर्ण प्रश्न पर विचार करने का प्रस्ताव (अस्वीकृत) ..	1228–1275
अनुपूरक कार्य सूची को मद संख्या 19 (क) व (ख) पर चर्चा कराये जाने का विरोध	1275–1276
कतिपय सदस्यों की गिरफ्तारी तथा रिहाई के सम्बन्ध में सूचनाएं ..	1276–1277
नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं ..	1277
दिनांक 21 सितम्बर, 1981 को निलम्बित कतिपय सदस्यों के निलम्बन का असमाप्त भाग निरस्त किये जाने का प्रस्ताव (स्वीकृत) ..	1277–1278
सदन के अनिश्चित काल के स्थगन का प्रस्ताव (स्वीकृत) ..	1278
नस्थियां	1279–1286

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

मंगलवार, दिनांक 22 सितम्बर, 1981

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में 11 जे दिन में अध्यक्ष, श्री श्रीपति मिश्र की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य--361

अकबर अहमद, श्री (नैनीताल)
अकबर हुसैन, श्री (मुरादाबाद)
अकबाल हुसैन, श्री (गोंडा)
अजहर ईमाम, श्री (मिर्जापुर)
अजीजुर्रहमान, श्री (बिजनौर)
अजीत कुमार सिंह, श्री (कानपुर)
अजीत सिंह सेठी, श्री (मेरठ)
अनवार खां, श्री (अलीगढ़)
अनवार मुहम्मद खां, श्री (फर्रुखाबाद)
अबुल कलाम, श्री (आजमगढ़)
अब्दुल रहमान खां नश्तर, श्री (कानपुर)
अमरनाथ सिंह, श्री (उर्फ अनिल सिंह), (फतेहपुर)
अमर सिंह, श्री (सहारनपुर)
अमीरुद्दीन, श्री (बिजनौर)
अम्बा प्रसाद वर्मा, श्री (बरेली)
अम्बिका सिंह, श्री (बस्ती)
अम्मार रिजवी, श्री (सीतापुर)
अलमेलु अम्माल, कुमारी (बस्ती)
अशफाक अहमद अन्सारी, श्री (बरेली)
अशोक कुमार वाजपेयी, श्री (इलाहाबाद)
आजाद कुमार कर्दम, श्री (आगरा)
इन्द्रजीत, श्री (फतेहपुर)
ईश्वर दयाल त्यागी, श्री (गाजियाबाद)
ईश्वर शरण विद्यार्थी, श्री (इलाहाबाद)
उदयवीर सिंह, श्री (शाहजहांपुर)
उपेन्द्र बहादुर सिंह, श्री (उर्फ सुल्तन भइया) (खीरी)
उमेश्वर प्रताप सिंह, श्री (गोंडा)
उर्मिला अग्निहोत्री, कुमारी (एटा)
ऊदल, श्री (वाराणसी)
ए० सी० ग्राइस, श्री (नाम निर्देशित आंग्ल भारतीय)
ओम प्रकाश जिन्दल, श्री (आगरा)
ओम प्रकाश रिछारिया, श्री (ललितपुर)
कन्हैया लाल, श्री (मथुरा)
कन्हैया लाल महेन्द्रू, श्री (लखनऊ)
कमला दरियाबादी, श्रीमती (कानपुर)
कमला देवी, श्रीमती (हरदोई)
कमला प्रसाद सिंह, श्री (जौनपुर)
कल्याण सिंह, श्री (बरेली)
कल्लू राम, श्री (मिर्जापुर)
काशीनाथ मिश्र, श्री (बलिया)
किशोरी शुक्ला, श्रीमती (गोरखपुर)
कुंवर बहादुर मिश्र, श्री (हमीरपुर)
कुंवर सिंह नेगी, श्री (चमोली)
कुदसिया बेगम, श्रीमती (हरदोई)
कृष्ण कुमार शुक्ल, श्री (रायबरेली)
कृष्ण मगन सिंह, श्री (बाराबंकी)
कृष्णवीर सिंह, श्री (बदायूं)
कृष्णवीर सिंह कौशल, डाक्टर (आगरा)
केदार सिंह, श्री (आजमगढ़)
केदारनाथ सिंह, श्री (गोरखपुर)
केशरी प्रसाद, श्री (जौनपुर)
केशोराम, श्री (बदायूं)
कैलाश चन्द्र, श्री (एटा)
कैलाश टन्डन, श्री (वाराणसी)
कैलाश प्रसाद, श्री (गोरखपुर)
खरपत, श्री (वाराणसी)
खान गुफरान जाहिदी, श्री (फतेहपुर)
खुदादीन अन्सारी, श्री (देवरिया)
खुर्शीद अहमद अन्सारी, श्री (मुरादाबाद)
खुर्शीद अहमद, श्री (बहराइच)
गंगा सागर शंखवार, श्री (कानपुर)
गजेन्द्र सिंह, श्री (इटावा)
गजेन्द्र सिंह, श्री बाराबंकी)
गया सिंह, श्री (उन्नाव)
गुलाब सिंह, श्री (देहरादून)
गुलाब सेहरा, श्री आगरा)
गुलाम नबी, श्री (आगरा)

गेंदा देवी, श्रीमती (बस्ती)
गोपीनाथ दीक्षित, श्री (उन्नाव)
गोवर्द्धन तिवारी, श्री (अल्मोड़ा)
गौरी देवी, श्रीमती (गोरखपुर)
गौरी शंकर एडवोकेट, श्री (इटावा)
गौरी शंकर भैया, श्री (बलिया)
चन्द्र प्रकाश शर्मा, श्री (बांदा)
चन्द्र मोहन सिंह नेगी, श्री (पौड़ी गढ़वाल)
चन्द्र शेखर त्रिवेदी, श्री (लखनऊ)
चन्द्र सिंह, श्री (मेरठ)
चरनजीत सिंह, श्री (पीलीभीत)
चारु चन्द्र ओझा, श्री (पिथौरागढ़)
चेतराम गंगवार, श्री (बरेली)
छेदा लाल चौधरी, श्री (खीरी)
छेदी लाल, श्री (गोंडा)
जंग बहादुर, श्री (जौनपुर)
जगदीश नरायन, श्री (फतेहपुर)
जगदीश प्रसाद, श्री (इलाहाबाद)
जगदीश सिंह यादव, श्री (मैनपुरी)
जगदीश सिंह, श्री (शाहजहांपुर)
जटाशंकर सिंह, श्री (बहराइच)
जफर अली नकवी, श्री (खीरी)
जसवन्त सिंह विष्ट, श्री (अल्मोड़ा)
जावेद अली, श्री (मथुरा)
जितेन्द्रपाल सिंह, श्री (मुरादाबाद)
जियाराम शुक्ल, 'विकल साकेती', श्री (फैजाबाद)
जीराज सिंह मौर्य, श्री (मुरादाबाद)
जैराज गौतम, श्री (सुल्तानपुर)
झग्गड़ सिंह, श्री (मेरठ)
झिलमिट राम, श्री (गाजीपुर)
तेज नरायन त्रिवेदी, (खीरी)
तदेश्वर, श्री (आजमगढ़)
तेज बहादुर सिंह, श्री (जौनपुर)
तेज बहादुर गंगवार, श्री (पीलीभीत)
त्रिवेनी, श्री (आजमगढ़)
धम्मन सिंह गहलौत, श्री (बिजनौर)
दयाल कृष्ण, श्री (मथुरा)
दलगंजन सिंह, श्री (जालौन)
दलजीत सिंह, श्री (रामपुर)
दल सिंगार, श्री (आजमगढ़)
दामोदर शर्मा, श्री (मेरठ)
दिवाकर विक्रम सिंह, श्री (बस्ती)
दीना नाथ, श्री (बस्ती)
दीपक कुमार, श्री (मुजफ्फरनगर)
दीप नरायन बन महन्थ, श्री (गोंडा)
दीपू उर्फ दीप नारायण, श्री (आजमगढ़)
दुर्गा प्रसाद मिश्र, श्री (देवरिया)
दूधनाथ राजभर, श्री (आजमगढ़)
देवी प्रसाद, श्री (बहराइच)
देवेन्द्र पाण्डेय, श्री (सुल्तानपुर)
देवेन्द्र बहादुर सिंह, श्री (कानपुर)
द्वारिका नाथ धवन, श्री (देहरादून)
धनेश्वरी देवी, श्रीमती (वाराणसी)
धरमपाल, श्री (बहराइच)
धर्मपाल, डाक्टर (अलीगढ़)
धर्मवीर सिंह, श्री (मेरठ)
धर्मवीर सिंह त्यागी, श्री (मुजफ्फरनगर)
ध्रुप राय, श्री (देवरिया)
नकली सिंह, श्री (मुजफ्फरनगर)
नत्थू लाल, श्री (हरदोई)
नन्द किशोर सिंह, श्री (देवरिया)
नन्द राम, श्री (बरेली)
नरेन्द्र सिंह, श्री (मेरठ)
नरेन्द्र सिंह भन्डारी, श्री (पौड़ी-गढ़वाल)
नरेन्द्र सिंह विष्ट, श्री (पिथौरागढ़)
नरेश चन्द्र अग्रवाल, श्री (हरदोई)
नाजिर अली, श्री (शाहजहांपुर)
नियाज हसन खां, श्री (प्रतापगढ़)
निर्मल कुमार, श्री (फैजाबाद)
नेत्रपाल सिंह, श्री (एटा)
नौनिहाल सिंह, चौधरी (इलाहाबाद)
पंचानन राय, श्री (आजमगढ़)
पन्ने लाल, श्री (गोरखपुर)
परमाई लाल, श्री (हरदोई)
परमात्मा प्रसाद सिंह, श्री (बस्ती)
प्रवीन कुमार शर्मा, श्री (बुलन्दशहर)
परागी लाल चौधरी, श्री (सीतापुर)
पहलवान, श्री (जौनपुर)
पुष्पा चौहान, श्रीमती (अलीगढ़)
पूरन चन्द्र, श्री (अलीगढ़)
प्रताप नारायण द्विवेदी, श्री (हमीरपुर)
प्रदीप कुमार यादव, श्री (बाराबंकी)
प्रभाकर नाथ द्विवेदी, श्री (प्रतापगढ़)
प्रभू नारायण सिंह, श्री (जौनपुर)
प्रमोद कुमार, श्री (प्रतापगढ़)
प्रियदर्शी जेतली, श्री (फैजाबाद)
प्रेमवती, श्रीमती (बदायूं)
प्रेमवती तिवारी, श्रीमती (लखनऊ)
फखरे आलम, श्री (बदायूं)
बंशीधर, श्री (रामपुर)
बंशीधर राज, श्री (खीरी)
बच्चा पाठक, श्री (बलिया)
बनवारी राम, श्री (वाराणसी)

बब्बन सिंह, श्री (बलिया)
बलबीर सिंह, श्री (फर्रुखाबाद)
बलबीर सिंह, श्री (रामपुर)
बल्देव सिंह आर्य, श्री (उत्तरकाशी)
बाबू राम, श्री (पीलीभीत)
बाबू लाल, श्री (गोंडा)
बाबू लाल, श्री (हमीरपुर)
बाबू सिंह, श्री (अलीगढ़)
बिहारी लाल, श्री (नैनीताल)
बिहारी लाल दोहरे, श्री (फर्रुखाबाद)
बृज किशोर मिश्र, डा० (देवरिया)
बेनी बाई, श्रीमती (झांसी)
बैजनाथ कुरील, श्री (लखनऊ)
बैजनाथ प्रसाद कुशवाहा, श्री (इलाहाबाद)
ब्रह्म दत्त, श्री (देहरादून)
भगवती सिंह विशारद, श्री (उन्नाव)
भागीरथ, श्री (झांसी)
भीखा लाल, श्री (उन्नाव)
भूधर नारायण मिश्रा, श्री (कानपुर)
भूपसिंह केन, श्री (गाजियाबाद)
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री (गोरखपुर)
भोला पाण्डेय, श्री (बलिया)
मंगलदेव, श्री (गोंडा)
मथुरा प्रसाद पाण्डेय, श्री (बस्ती)
मन्जूर अहमद, श्री (मेरठ)
मलिक मुहम्मद कमाल यूसुफ, श्री (बस्ती)
मलिक मोहम्मद जमीर अहमद, श्री (एटा)
मसरूर जाफरी, श्री (उर्फ शबरोज) (गोंडा)
महाबीर सिंह, श्री (सहारनपुर)
महाराज सिंह, श्री (आगरा)
महारानी दोहरे, श्रीमती (इटावा)
महेश चन्द्र, श्री (मेरठ)
महेश प्रसाद, श्री (देवरिया)
मान्डवी प्रसाद सिंह, श्री (वाराणसी)
माता प्रसाद पाण्डेय, श्री (बस्ती)
माधव प्रसाद, श्री (फैजाबाद)
मानपाल सिंह एडवोकेट, श्री (एटा)
मान बहादुर, श्री (गोंडा)
मारकण्डेय चन्द्र, श्री (गोरखपुर)
मित्रसेन, श्री (फैजाबाद)
मीर मजहर अली, श्री (बदायूं)
मुईद अहमद, श्री (सुल्तानपुर)
मुख्तार अनीस, श्री (सीतापुर)
मुन्शी लाल, श्री (मैनपुरी)
मुरलीधर मुनीम, श्री (गोंडा)
मेंहदी असगर, श्री (मुजफ्फरनगर)
मोहन लाल, श्री (हमीरपुर)
मोहम्मद अबरार अहमद, श्री (बदायूं)
मोहम्मद अमीन, श्री (इलाहाबाद)
मोहम्मद नबी, श्री (बस्ती)
मोहम्मद रफी सिद्दीकी, श्री (लखनऊ)
मोहम्मद बसीम, हाजी (रायबरेली)
मोहम्मद सफीउर्रहमान अंसारी, श्री (वाराणसी)
यशपाल सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
यशपाल सिंह, श्री (सहारनपुर)
यादवेन्द्र सिंह, श्री (उर्फ लल्लन जी) (गोरखपुर)
योगेन्द्र सिंह, कुंवर, (फर्रुखाबाद)
योगेश चन्द्र, श्री (वाराणसी)
रईसउद्दीन बारसी, श्री (मुरादाबाद)
रघुराज प्रसाद उपाध्याय, श्री (गोंडा)
रघुबीर सिंह यादव, श्री (मैनपुरी)
रणजीत सिंह जूदेव, श्री (झांसी)
रती राम, श्री (बिजनौर)
रमा कान्त मिश्रा, श्री (इलाहाबाद)
रमेश चन्द्र, श्री (रायबरेली)
राज किशोर राव, श्री (बहराइच)
राज कुमार राय, श्री (आजमगढ़)
राजपति देवी, श्रीमती (सुल्तानपुर)
राजपाल सिंह, श्री (मुरादाबाद)
राजमंगल पाण्डेय, श्री (देवरिया)
राजेन्द्र अग्निहोत्री, श्री (झांसी)
राजेन्द्र कुमार गुप्त, श्री (सीतापुर)
राजेन्द्र त्रिपाठी, श्री (इलाहाबाद)
राजेन्द्र सिंह, श्री (अलीगढ़)
राजेन्द्र सिंह यादव, श्री (फर्रुखाबाद)
राधे श्याम वर्मा, श्री (फर्रुखाबाद)
राम अवध प्रसाद, श्री (बस्ती)
राम आसरे पासवान, श्री (बस्ती)
राम आसरे वर्मा, श्री (हरदोई)
राम औतार दीक्षित, श्री (हरदोई)
राम करन, श्री (वाराणसी)
राम कुंवर सिंह, श्री (आजमगढ़)
राम कुमार भार्गव, श्री (सीतापुर)
राम कृष्ण उपाध्याय, डा० (जौनपुर)
राम कृष्ण माहेश्वरी, श्री (मुरादाबाद)
राम गोविन्द, श्री (बलिया)
राम चन्द्र, श्री (वाराणसी)
राम चरण सिंह, श्री (मिर्जापुर)
राम जनम सिंह, श्री (वाराणसी)

रामजी राम, श्री (फैजाबाद)
राम धनी, श्री (गाजीपुर)
राम नरायन, श्री (गाजीपुर)
राम नरायन पाठक, श्री (कानपुर)
रामपाल सिंह, श्री (मुरादाबाद)
राम प्यारे पाण्डेय, श्री (फतेहपुर)
राम प्रसाद श्री (जालौन)
राम प्रसाद, श्री (मुजफ्फरनगर)
राम भजन लाल, श्री (खीरी)
राम यश सिंह, श्री (सहारनपुर)
राम रतन सिंह, श्री (सीतापुर)
राम लाल, श्री (सीतापुर)
राम लाल वर्मा, श्री (हरदोई)
राम शिरोमणि, श्री (जौनपुर)
राम समुझावन, श्री (जौनपुर)
राम सिंह, श्री (सहारनपुर)
राम सिंह, श्री (सुल्तानपुर)
राम सिंह खन्ना, श्री (बरेली)
राम सिंह रावल, श्री (एटा)
राम सेवक, श्री (सुल्तानपुर)
राम स्वरूप वर्मा, श्री (कानपुर)
राम हर्ष मिश्र, श्री (बहराइच)
राम हर्ष राय, श्री (गाजीपुर)
रामेश्वर नाथ चौबे, श्री (बरेली)
रामेश्वर प्रसाद, श्री (बांदा)
रिजवानुर्रहमान किदवाई, श्री (बाराबंकी)
रियासत हुसैन, श्री (मुरादाबाद)
रुद्र प्रताप सिंह, श्री (देवरिया)
रूप राम, श्री (शाहजहांपुर)
रूल्हा सिंह, श्री सहारनपुर)
लटूरी सिंह, श्री (एटा)
लल्लू सिंह चौहान, श्री (मैनपुरी)
लाल प्रताप सिंह, श्री (प्रतापगढ़)
लालसा, श्री (आजमगढ़)
लोकपति, श्री (मिर्जापुर)
लोकमणि शर्मा, श्री (मथुरा)
वसुदेव सिंह, श्री (प्रतापगढ़)
विजय कुमार, श्री (लखनऊ)
विजय पाल सिंह, श्री (गाजियाबाद)
विजय प्रकाश, श्री (इलाहाबाद)
विजय शंकर सिंह, श्री (गाजीपुर)
विजय सिंह, श्री (मिर्जापुर)
विद्या भूषण, श्री (मुजफ्फरनगर)
विद्या सागर नौटियाल, श्री (टिहरीगढ़वाल)
विनोद कुमार तिवारी, डा०
विमला प्रसाद तिवारी, श्री (फर्रुखाबाद)
विमल राकेश, श्रीमती (सहारनपुर)
विलायती राम कत्याल, श्री (कानपुर)
विशन लाल, श्री (बिजनौर)
विश्राम दास, श्री (इलाहाबाद)
विश्वनाथ प्रताप सिंह, श्री (बांदा)
विष्णु दयाल वर्मा, श्री (मैनपुरी)
वीरेन्द्र कुमार चौधरी, श्री (सीतापुर)
वीरेन्द्र प्रताप शाही, श्री (गोरखपुर)
वृद्धि नारायन सिंह, श्री (वाराणसी)
शम्भूनाथ, श्री (आजमगढ़)
शरीयतुल्ला, श्री (मुरादाबाद)
शिरोमणि, श्री (बांदा)
शिव दर्शन, श्री (रायबरेली)
शिव नरेश, श्री (बांदा)
शिव नाथ सिंह कुशवाहा, कुंवर (कानपुर)
शिवपाल सिंह, श्री (उन्नाव)
शिव बालक, श्री (रायबरेली)
शिव मंगल सिंह, श्री (मैनपुरी)
शिवराज सिंह, श्री (अलीगढ़)
शिवानन्द नौटियाल, डाक्टर (पौड़ी गढ़वाल)
शेर बहादुर, श्री (फैजाबाद)
शौनाथ सिंह, श्री (बिजनौर)
श्याम लाल बाजपेयी, श्री (बाराबंकी)
श्याम सूरत उपाध्याय, श्री (इलाहाबाद)
श्रीकृष्ण गोयल, श्री (बदायूं)
श्रीनाथ सिंह, श्री (वाराणसी)
श्रीपति मिश्र, श्री (सुल्तानपुर)
संकठा प्रसाद शास्त्री, श्री (वाराणसी)
संजय सिंह, श्री (सुल्तानपुर)
सईदुल हसन, श्री (बुलन्दशहर)
सतीश अजमानी, श्री (खीरी)
सत्यपाल सिंह, श्री (शाहजहांपुर)
सत्येन्द्र चन्द्र गुड़िया, श्री (नैनीताल)
सन्तोष कुमारी, श्रीमती (बदायूं)
साहब सिंह, श्री (गाजीपुर)
सिकन्दर अली खां, श्री (शाहजहांपुर)
सुखबीर सिंह गहलौत, श्री (गाजियाबाद)
सुग्रीव सिंह, श्री (देवरिया)
सुजान सिंह बुन्देला, श्री (ललितपुर)
सुनीता चौहान, श्रीमती (रायबरेली)
सुनील शास्त्री, श्री (गोरखपुर)
सुन्दर सिंह, श्री (बहराइच)
सुमन लता दीक्षित, कुमारी (कानपुर)
सुरेन्द्र कपिल, श्री (सहारनपुर)

सुरेन्द्र कुमार, श्री (उर्फ मुन्नी) (गाजियाबाद)
सुरेन्द्र प्रताप नारायण, श्री (बस्ती)
सुरेन्द्र सिंह, श्री (गाजीपुर)
सुरेन्द्र सिंह चौहान, श्री (अलीगढ़)
सुरेश दत्त पालीवाल, श्री (जालौन)
सूबेदार सिंह, श्री (मैनपुरी)
सूर्यनाथ, उपाध्याय, श्री (जौनपुर)
सैयद जकीउद्दीन, श्री (मेरठ)
सोमाश प्रकाश, श्री (मुजफ्फर नगर)
स्वरूप कुमारी बख्शी, श्रीमती (लखनऊ)
स्वामी नेमपाल, श्री (बुलन्दशहर)
स्वामी प्रसाद सिंह, श्री (हमीरपुर)
हंसराज सिंह वर्मा, श्री (एटा)
हरदेव, श्री (बलिया)
हरनारायन सिंह, श्री (रायबरेली)
हरबंश प्रसाद पाण्डेय, श्री (बांदा)
हरिद्वार पाण्डेय, श्री (गोरखपुर)
हरि प्रसाद, श्री (उन्नाव)
हरी किशन श्रीवस्तव, श्री (कानपुर)
हरी शंकर, श्री (हरदोई)
हाफिज मोहम्मद सिद्दीक, श्री (मुरादाबाद)
हेमचन्द निमेष, श्री (मेरठ)

विधान सभा सचिवालय

उत्तर प्रदेश विधान सभा

प्रश्नोत्तर

मंगलवार, 22 सितम्बर, 1981

तारांकित प्रश्न

गाजियाबाद शहर में धारा 144 समाप्त न किये जाने का कारण

*1—श्री मित्रसेन—

क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि गाजियाबाद शहर में विगत 6 महीने से लगातार धारा 144 लागू है ? यदि हां, तो क्यों ? अब तक समाप्त न किए जाने का क्या कारण है ?

गृह राज्य मंत्री (श्री राजेन्द्र त्रिपाठी)—

प्राप्त सूचना के अनुसार गाजियाबाद शहर में पिछले 6 माह (दिनांक 11-11-80 से 10-4-81 तक) की अवधि में समय-समय पर धारा 144 दण्ड प्रक्रिया संहिता की विभिन्न निशेधाज्ञाएं आवश्यकता एवं परिस्थिति अनुसार शांति व्यवस्था एवं जनहित में लागू की गई। ये अवधि लगातार नहीं थीं। उक्त 6 माह की अवधि में निम्नांकित अनुसार धारा 144 दं0 प्र0 सं0 की निशेधाज्ञा लागू की गई :—

21-10-80 से 20-11-80

27-11-80 से 28-12-80

22-1-81 से 31-1-81

1-2-81 से 28-2-81

2-3-81 से 31-3-81

3-4-81 से 30-5-81

10-4-81 के बाद भी 30-5-81 तक निशेधाज्ञा समाप्त न कर सकने का कारण, हाई स्कूल व इण्टरमीडिएट की परीक्षाओं तथा श्रमिक क्षेत्रों में श्रमिक अशान्ति से उत्पन्न शांति भंग की सम्भावना थी।

श्री मित्रसेन—

मान्यवर, मैंने प्रश्न किया था कि क्या विगत 6 महीनों में गाजियाबाद में लगातार धारा 144 लगायी गयी थी। उत्तर में उन्होंने कहा कि लगातार तो नहीं लगायी गयी लेकिन 6 महीने के बजाय 7 महीने लगातार रही। तो मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो निशेधाज्ञा लगायी गयी वह केवल इन्टरमीडिएट की परीक्षाओं के कारण लगायी गयी या श्रमिक, जो आन्दोलित थे, उनके कारण से धारा 144 लगायी गयी थी ? यदि श्रमिकों के कारण लगी थी तो उसके क्या-क्या कारण थे ?

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी—

श्रमिक अपनी-अपनी मांगों को लेकर आन्दोलित हैं और कुछ विभिन्न दलों से सम्बद्ध ट्रेड यूनियन्स हैं, उनको आपस की स्पर्धा है, जिसके कारण कभी-कभी अशांति हो जाती है।

श्री रियासत हुसैन--

पहले प्रोहिबिटरी आर्डर दफा 144 बड़े ही रेयर केसेज में, तीज त्योहारों के अवसरों पर, प्रिकोशन लेने के लिए लगायी जाती थी लेकिन अब तो इसका इस्तेमाल जनता के डेमोक्रेटिक राइट्स को इस्तेमाल करने के विरोध में लगायी जाती है। तो क्या माननीय मंत्री जी इस पर विचार करके कोई ऐसा निर्णय लेंगे कि इसका मिसयूज न होने पावे ?

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी--

माननीय सदस्य की भावना को ध्यान में रखकर ही दफा 144 का प्रयोग किया जायेगा ।

श्री मुख्तार अनीस--

दफा 144 का जो इस्तेमाल बहुत ज्यादा होता है । उससे लोकतांत्रिक अधिकारों का कुठाराघात होता है । मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि जिन दिनों गाजियाबाद में दफा 144 लागू थी उसके दौरान कितने राजनीतिक नेताओं को सार्वजनिक सभाओं में बोलने की इजाजत दी गयी ?

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी--

मान्यवर, इसके लिए विस्तृत जानकारी प्राप्त करनी पड़ेगी ?

श्री भीखालाल--

क्या गाजियाबाद में इस समय भी दफा 144 लागू है ?

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी--

एक क्षेत्र में लागू है ।

श्री ऊदल--

माननीय मंत्री जी अभी उत्तर में बताया कि विभिन्न राजनीतिक दलों और ट्रेड यूनियनों की आपस की स्पर्धा की वजह से मुख्य तौर पर वहां दफा 144 लगानी पड़ी । मैं तो देखता हूं कि 30-10-80 से लगातार 2-4 दिनों को छोड़कर वहां पर धारा 144 लागू रही । तो मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो स्पर्धा हुई उसमें किन-किन तरीकों की वारदातें होती रहीं, क्या माननीय मंत्री जी के पास इसकी कोई सूचना है ?

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी--

इसकी विस्तृत सूचना मेरे पास है । जिस सन्दर्भ में माननीय सदस्य जानना चाहें, मैं बता सकता हूं ।

श्री मित्रसेन--

मैं जानना चाहता हूं कि वह कौन-कौन सी घटनायें घटी हैं जिनमें राजनैतिक नेताओं अथवा श्रमिक कर्मचारियों अथवा नेताओं की हत्यायें हुई हैं या उनको गिरफ्तार किया गया है ?

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी--

3 श्रमिक नेताओं की हत्यायें हुई हैं जिनमें 2 आई० एन० टी० यू० सी० से सम्बन्धित थे, एक और थे।

श्री पंचानन राय--

विभिन्न ट्रेड यूनियनों में प्रतिस्पर्धा या तनाव जो बढ़ रहा है उसको देखते हुये क्या सरकार इस पर विचार करेगी कि एक रोजगार में एक ही ट्रेड यूनियन हो ? ऐसा प्रयास करेंगे ?

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी--

यह माननीय सदस्य का सुझाव बहुत अच्छा है, इस पर यथासमय विचार किया जायेगा।

श्री राम स्वरूप वर्मा--

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि यह धारा 144 किसी सम्पत्ति की रक्षा अथवा शांति भंग के भय से लगायी जाती है, तो यह धारा 144 क्या पूरे गाजियाबाद में लगी थी या जहां-जहां रक्षा करने की जरूरत थी वहां ही लगी थी ?

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी--

गाजियाबाद शहर ही पूरा इन्डस्ट्रियल एरिया है। इसलिये पूरे में लगानी पड़ती है शान्ति स्थापित रखने के लिये।

श्री राम आसरे वर्मा--

विभिन्न ट्रेड यूनियन्स में सद्भावना का वातावरण बनाये रखने के लिये और दफा 144 न लगानी पड़े इसके लिये शासन की ओर से क्या कोई प्रयास किये गये हैं ?

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी--

प्रयास किये गये। माननीय श्रम मंत्री जी की अध्यक्षता में भी और जिलाधीश की अध्यक्षता में ट्रीपारटाइट कान्फ्रेन्स की गयी, लेकिन उसका परिणाम अभी तक अच्छा नहीं निकला।

श्री राज मंगल पाण्डेय--

माननीय मंत्री जी ने अभी एक प्रश्न से उत्तर में कहा कि सरकार एक ही ट्रेड यूनियन हो इस पर विचार कर सकती है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या मंत्री जी को अपनी और अपनी सरकार की हैसियत का ज्ञान है ? क्या कोई सरकार, बाई लेजिस्लेशन, एक ही यूनियन बनाने का निर्णय ले सकती है ?

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी--

मैं अपनी हैसियत को और माननीय वरिष्ठ सदस्य की हैसियत को समझता हूं और मैंने अपना वक्तव्य अपनी हैसियत के मुताबिक ही दिया है।

श्री राज मंगल पाण्डेय--

मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं। माननीय मंत्री जी की हैसियत कानून के ऊपर नहीं हो सकती। वह कानून के अन्दर ही हो सकती है, इस पर आप कृपया व्यवस्था दें।

श्री अध्यक्ष--

वह कानून के अन्दर ही होगी, यह सभी जानते हैं।

जिला उन्नाव के सामाजिक कार्यकर्त्ता, जटाशंकर, ग्राम नेवलगंज, थाना हसनगंज के विरुद्ध पंजीकृत मुकदमा

*2--श्री राम सागर (अनुपस्थित), श्री हर गोविन्द वर्मा (अनुपस्थित) तथा श्री राधेश्याम पटेल (अनुपस्थित)--

6 फरवरी, 1981 को विधायक, श्री राम सागर द्वारा सामाजिक कार्यकर्त्ता जटाशंकर, ग्राम नेवलगंज, थाना हसनगंज, जिला उन्नाव के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सदन में उठाए गए विषय के उत्तर में जो विगत दिनांक 6 मार्च, 1981 को अपने अ० शा० पत्र सं० 1232-ख/आ०-4-11-बी०-81/टी० सी० द्वारा यह बताया गया है कि श्री जटाशंकर को धारा 325/326 भारतीय दंड विधान के केस में एक वर्ष की कड़ी सजा मिली थी ? क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि उक्त मुकदमा किस थाने में अंकित हुआ और उसका विवरण क्या है तथा श्री जटाशंकर को सजा किस न्यायालय से किस तिथि को हुई है ?

गृह मंत्री (चौधरी नौनिहाल सिंह)--

नियम 301 के अन्तर्गत दी गई कथित नोटिस के उत्तर में मुख्य मंत्री द्वारा प्राप्त गलत सूचना के आधार पर यह सूचित किया गया था कि श्री जटाशंकर को एक वर्ष की कड़ी सजा मिली थी। बाद में पुनः विस्तृत छानबीन किए जाने पर यह पाया गया कि यह मुकदमा श्री जटाशंकर के विरुद्ध न होकर उनके भाई श्री देवी प्रसाद उर्फ मुन्नू के विरुद्ध पंजीकृत हुआ था और उसमें श्री देवी प्रसाद उर्फ मुन्नू को एक वर्ष की सजा हुई थी। इस सम्बन्ध में माननीय विधायक को मुख्य मंत्री के पत्र सं० 5976-ख/आठ-4-81, दिनांक 19 अगस्त, 1981 द्वारा सही स्थिति से अवगत करा दिया गया है। इस पूर्ण प्रकरण की जांच हेतु अ० प्र० वि०, उ० प्र०, लखनऊ को आदेश दे दिए गए हैं।

*3--श्री गोपी नाथ वर्मा--

[माननीय सदस्य के सदन की सेवा से निलम्बित किए जाने के कारण निरस्त।]

विभिन्न जिलों में रिक्रूट कान्सटेबिलों के वेतन में विभिन्नता

*4--श्री राम आसरे वर्मा--

क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि गत वर्ष प्रशिक्षण में आए कांस्टेबिलों को लखनऊ में फरवरी, 1980 में 165 रु० वेतन दिया गया जब कि अन्य सभी जिलों में ऐसे कांस्टेबिलों को 185 रु० का स्केल दिया गया है ? यदि हां, तो यह अन्तर किए जाने का क्या कारण है और दिए गए कम वेतन की पूर्ति किए जाने के बारे में शासन ने क्या निर्णय लिया है ?

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी--

शासनादेश संख्या 7704/आठ-2-1000(37)/73, दिनांक 1-2-74 के अनुसार रिक्रूट कांस्टेबिलों को 165 रु० प्रतिमाह वेतन स्वीकृत किया गया है। प्रश्नगत अवधि में लखनऊ में रिक्रूट कांस्टेबिलों को उपरोक्तानुसार 165 रु० की दर से वेतन दिया गया था। अतः पूर्ति किए जाने का प्रश्न नहीं होता।

श्री राम आसरे वर्मा--

मान्यवर, माननीय मंत्री जी से मेरा सवाल यह था कि लखनऊ में गत वर्ष प्रशिक्षण में कांस्टेबिलों को 165 रुपया दिया गया, जब कि दूसरे जिलों में 185 रुपये के हिसाब से दिया गया। मैं यह जानना चाहता हूं कि लखनऊ में 165 रुपया रिक्रूट का दिए जाने का क्या औचित्य है और दूसरे जिले में 185 रुपया दिए जाने का क्या औचित्य है ?

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी--

मान्यवर, नियमानुसार 165 रुपया वेतन देय था, 4-5 जगहों पर कुछ ऐसी गलतियां हो गई थीं कि जहां पर ज्यादा वेतन दिया गया, वह उनसे रिकवर कराया जा रहा है।

जिला फतेहपुर के उपनिरीक्षक के विरुद्ध भ्रष्टाचार सम्बन्धी जांच

*5--श्री श्याम नरायन तिवारी (अनुपस्थित)--

क्या गृह मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि थाना चांदपुर की चौकी अमौल, जिला फतेहपुर के उपनिरीक्षक (श्री एस० बी० सिंह) के विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण संगठन में कोई भ्रष्टाचार सम्बन्धी जांच हुई थी और क्या उक्त जांच में दरोगा को दोषी पाया गया था ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी नौनिहाल सिंह--

जी हां, जांच से थाना चांदपुर की चौकी अमौली, जिला फतेहपुर के उप-निरीक्षक, श्री एस० बी० सिंह को अंशतः दोषी पाया गया था फलस्वरूप उन्हें स्थानान्तरित किए जाने के आदेश हुए थे जो बाद में उक्त जांच के विरुद्ध प्राप्त परिवाद-पत्र में वर्णित स्थिति व अन्य प्रशासनिक कारणों के परिप्रेक्ष्य में निरस्त कर दिए गए तथा जांच अपराध अनुसंधान विभाग को सौंप दी गई। जांच पूर्ण हो जाने पर तदनुसार अग्रेतर कार्यवाही की जायेगी।

*6--श्री हरिवंश सहाय--

[आश्वासन समिति के विचारार्थ होने के कारण निरस्त।]

*7--श्रीमती प्रेमवती तिवारी--

[मन्त्रिपरिषद् में सम्मिलित हो जाने से निरस्त।]

जलालपुर में सई नदी पर पुल का निर्माण

*8--श्री प्रभू नारायण सिंह--

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री को ज्ञात है कि जौनपुर-वाराणसी मार्ग पर जलालपुर नामक स्थान पर सई नदी पर एक अति प्राचीन संकरा और नीचा पुल है, जो बरसात के दिनों में प्रायः पानी में डूब जाता है ? क्या यह भी सत्य है कि इस वर्ष की भीषण बाढ़ में इसी स्थान पर नाव दुर्घटना में पानी में डूब जाने से तीन व्यक्तियों की मृत्यु भी हो गई थी ? क्या सरकार जलालपुर में सई नदी पर पुल का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)--

जी हां ।

इस पुल के स्थान पर कोई दुर्घटना होने की सूचना नहीं है ।

जी नहीं ।

अभी ऐसी कोई योजना नहीं है ।

श्री प्रभु नारायण सिंह--

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में यह स्वीकार किया है कि यह अति प्राचीन, संकरा और नीचा पुल है जो बरसात के दिनों में प्रायः पानी से डूब जाता है, फिर भी मंत्री जी ने इसको बनवाने के लिए स्वीकार नहीं किया है और फिर भी यह इनकार किया है कि यहां पर दुर्घटना नहीं हुई । पिछले सत्र में भी मैंने यह सवाल किया था । मान्यवर, पिछले साल 3 आदमी यहां पर डूब कर मर गए। तो मान्यवर, जब यह पुल संकरा है और बरसात के दिनों में डूब जाता है, तो क्या माननीय मंत्री जी वहां के आवागमन की सुविधा के लिए वहां पर नया पुल बनवायेंगे ?

श्री अम्मार रिजवी--

मान्यवर, इसके सर्वे के आदेश दे दिए गए हैं और सर्वे के बाद ही यह बताया जा सकता है कि यह कब बनवाया जायगा । जो माननीय सदस्य ने बताया कि यह पुल संकरा है, यह सत्य है । मैं इस बात का प्रयास करूंगा कि इसको शीघ्र बनवाया जाय ।

श्री ऊबल--

मान्यवर, सन् 1980 में जो भयंकर बाढ़ आई हुई थी, जौनपुर पूरा शहर डूबा हुआ था, वहीं जौनपुर के पास एक सई नदी है, पिछले साल वहां पर एक दुर्घटना हुई थी, जिसमें 3 व्यक्ति मर गए थे और उसमें एक पूरी ट्रक चली गई थी । तो मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या पिछले साल जो बाढ़ आई थी, इसके पश्चिम तरफ एक दूसरा पुल बनवाने के लिए शासन द्वारा स्वीकार किया गया था ? क्या उस समय वह पुल नहीं बनवाया गया था ? क्या माननीय मंत्री जी यह भी बताने की कृपा करेंगे कि क्या पिछले साल उक्त पुल बनवाने के लिए सरकार ने स्वीकार किया था ? यदि हां, तो क्या माननीय मंत्री जी उससे सम्बन्धित पत्रावली एवं अभिलेख मंगा कर देखेंगे ? मान्यवर, उस स्थान पर तीन व्यक्ति मर गए थे । क्या उस पुल को शीघ्र बनवाने के आदेश देने की माननीय मंत्री जी कृपा करेंगे ?

श्री अम्मार रिजवी--

मान्यवर, 1980 में दो बार यह पुल बन्द था । 13-8-80 से कुछ दिनों तक तथा 26-8-80 से 30-9-80 तक यह पुल बन्द था । यह पुल 242 फीट 6 इंच है । यहां पर पानी 9 फीट और 252 फीट ऊंचा हो जाता है । मान्यवर, जो दुर्घटना की बात है, वह दुर्घटना पुल से दूर पर हुई थी, पुल पर नहीं । इन्हीं बातों को देखते हुए सरकार ने सर्वेक्षण के आदेश दिए थे । पूरी तरह से उसको देखा जा रहा है कि किस तरह से वहां के लोगों को इस कष्ट से छुटकारा दिलाया जा सकता है ।

बांदा कोतवाली के सामने जनसभा पर पुलिस द्वारा लाठी चार्ज और दोषी पुलिस कर्मियों के खिलाफ जांच

*9--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि दिनांक 15-1-81 को बांदा में कोतवाली के सामने एक सर्वदलीय जनसभा पर पुलिस द्वारा किये गये निर्मम लाठी चार्ज जिसमें पत्रकारों सहित लगभग 50 से अधिक व्यक्ति घायल हुए, का विवरण क्या है तथा इस बारे में दोषी पुलिस कर्मियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी--

प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक 15-1-81 को श्री नौशाद अली, सदस्य, लोकतांत्रिक समाजवादी मोर्चा द्वारा सायं 7 बजे थाना कोतवाली के समक्ष एक सर्वदलीय जन सभा का आह्वान किया गया था। सभा में श्री नौशाद अली तथा उनके साथियों के अतिरिक्त अन्य किसी भी राजनैतिक पार्टी का कोई सदस्य सम्मिलित नहीं हुआ। सभा में भाषण के दौरान श्री नौशाद अली मजहबी बातों को लेकर जोशीला भाषण देने लगे जिससे साम्प्रदायिक दुर्भावना फैलने की संभावना पैदा हो गई। इस प्रकार का भाषण न देने के लिये श्री नौशाद अली से अनुरोध किया गया किन्तु उन्होंने उस पर ध्यान नहीं दिया और अपना वक्तव्य और जोशीले ढंग से देने लगे। सिपाही द्वारा पुनः समझाने पर श्री नौशाद अली ने अपना विवेक खो दिया और सिपाही को आक्रमक ढंग से मारने लगे व उसकी वर्दी फाड़ दी। ऐसी स्थिति में पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और जन-सभा विसर्जित हो गई। श्री नौशाद अली के विरुद्ध इस सम्बन्ध में धारा 153/153-ए/332, भा0 द0 वि0 के अन्तर्गत आरोप-पत्र न्यायालय में भेजा जा चुका है।

जनसभा में पुलिस द्वारा लाठी चार्ज नहीं किया गया। गिरफ्तारी के दौरान श्री नौशाद अली को कुछ साधारण चोटें आई थीं, अन्य कोई व्यक्ति इस घटना में आहत नहीं हुआ। मामले में कोई पुलिस कर्मी दोषी नहीं पाया गया है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या माननीय मन्त्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जो अन्तिम वाक्य कहा है कि पुलिस कर्मी दोषी नहीं पाये गये तो इस सम्बन्ध में जांच किसके द्वारा कराई गई, जिसके आधार पर आपका कहना है कि पुलिस कर्मी दोषी नहीं पाये गये। दूसरी बात मैं यह जानना चाहता हूं। क्या इस बात की माननीय मंत्री जी को जानकारी है कि वह जन सभा हरिजन महिलाओं और समाज की कमजोर वर्ग की महिलाओं के साथ पुलिस द्वारा बलात्कार के विरोध में आयोजित की गई थी और वक्ताओं ने पुलिस की कटु आलोचना की थी ? इसकी जानकारी है ?

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी--

केवल एक वक्ता श्री नौशादअली जी रहे जिन्होंने पहले घोषणा की थी कि विभिन्न राजनीतिक दलों की सभा थी। लेकिन जब कोई राजनीतिक दल सम्मिलित नहीं हुये तो उन्होंने दूसरी भावना, धार्मिक भावना को उभाड़ने की कोशिश की।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मैंने यह पूछा कि हरिजन महिलाओं के साथ पुलिस कर्मी द्वारा बलात्कार के सम्बन्ध में भाषण हुये । यह कहें कि नहीं तो मैं सबूत दूं और दूसरा यह पूछा कि जांच किसके द्वारा करायी गयी ?

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी--

जांच वहां के पुलिस अधीक्षक के द्वारा कराई गई और उसमें जो आरोप प्रश्न में माननीय सदस्य ने पूछा, उसका उत्तर दिया है जो घटना थी उसमें दोष था या नहीं ।

श्री रियासत हुसैन--

जैसा माननीय मन्त्री जी ने कहा श्री नौशाद अली जोशीले भाषण कर रहे थे । इस तरीके के भाषण की रिपोर्ट एल0 आई0 यू0 द्वारा मालूम हुई होगी । जैसा गुप्त जी ने पूछा सभा में हरिजन महिलाओं के बलात्कार के सम्बन्ध में स्पीच हुयी थी या नहीं, इस पर एल0 आई0 यू0 की विस्तृत रिपोर्ट क्या है ?

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी--

पहले धार्मिक भावना को उभाड़ने का भाषण कर दिया तो दूसरा भाषण नहीं हुआ ।

श्री अध्यक्ष--

हरिजन महिलाओं के सम्बन्ध में कोई भाषण हुआ या नहीं इसका उत्तर दे दें ।

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी--

उसके सम्बन्ध में कोई भाषण नहीं हुआ ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, क्या मन्त्री जी इस बात की जांच करायेंगे कि जिन लोगों ने सभा की थी, सभा करने से पहले एस0 पी0 के रीडर के खिलाफ सिनेमा में हरिजन महिला के साथ दुर्व्यवहार करने का ज्ञापन दिया गया था । उन्होंने उस रीडर के खिलाफ शिकायत की थी ?

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी--

रीडर के खिलाफ जो शिकायत थी उसके खिलाफ कार्यवाही की गई और उसे निलम्बित किया गया ।

श्री रियासत हुसैन--

क्या यह सही है कि एस0 पी0 के रीडर के खिलाफ बलात्कार का ज्ञापन दिया गया था । क्या वह ज्ञापन है कि नहीं और उसकी जांच क्या हुई है ?

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी--

मान्यवर, एस0 पी0 को जो ज्ञापन दिया गया था वह इस प्रश्न से सम्बन्धित नहीं था, इसलिये वह यहां उपलब्ध नहीं है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, क्या इस सूचना को मंत्री जी सही मानकर कि यदि पुलिस के खिलाफ वह सज्जन भाषण दे रहे थे और वह उत्तेजक भाषण दे रहे थे तो उनके खिलाफ मुकदमा दायर करने की जरूरत थी, उनको रोकने का नियम नहीं है । इसलिये यह भी आ गया कि हरिजनों के खिलाफ अत्याचारों की जब शिकायत हो रही थीं तो पुलिस ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया । मान्यवर, यह भी क्या मंत्री जी को जानकारी है कि इस मामले में 18 मेडिकल कराये गये हैं जो जिला अस्पताल में किये गये हैं । तो इन बातों को ध्यान में रखकर क्या एस0 पी0 से भिन्न प्रदेश स्तर पर अपराध अनुसंधान शाखा के लोगों को वहां भेज कर फिर से इस मामले की मंत्री जी जांच करायेंगे ?

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी--

मान्यवर, इसकी कोई जानकारी नहीं है कि 18 आदमियों ने अस्पताल में मेडिकल कराया है । इसलिये दूसरी जांच की आवश्यकता नहीं है ।

अकबरपुर स्थित स्टेट स्पिनिंग मिल के प्रबन्धक द्वारा बगैर विज्ञापन की भर्ती

*10--श्री प्रियदर्शी जेतली--

क्या उद्योग मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि 9 अक्तूबर, 1980 का किसी विधायक का पत्र अकबरपुर स्थित स्टेट स्पिनिंग मिल के प्रबन्धक द्वारा श्रमिकों व अन्य पदों पर बगैर विज्ञापन के भर्ती करने तथा 14 अप्रैल, 1979 को उक्त मिल के गेट पर हुये गोली कान्ड से सम्बन्धित जानकारी हेतु प्राप्त हुआ था ? यदि हां, तो उसमें आज तक क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उद्योग मन्त्री (श्री नियाज हसन खां)--

जी हां ।

विधायक महोदय द्वारा संदर्भित पत्र में जो प्रश्न उठाये गये थे उस पर पहले ही विधान सभा एवं विधान परिषद् में सम्पूर्ण वक्तव्य दिया जा चुका था । सम्बन्धित कुछ प्रश्नों पर आयुक्त, फैजाबाद मन्डल द्वारा पुनः जांच की जा रही है जिसकी रिपोर्ट अभी प्रतीक्षित है ।

श्री प्रियदर्शी जेतली--

मान्यवर, यह प्रश्न जो मैंने किया है और जो पत्र का हवाला दिया है, उसका उत्तर विपरीत आ रहा है । मेरा प्रश्न है कि क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 9 अक्तूबर, 1980 का किसी विधायक का पत्र अकबरपुर स्थित स्टेट स्पिनिंग मिल के प्रबन्धक द्वारा श्रमिकों व अन्य पदों पर बगैर विज्ञापन के भर्ती करने तथा 14 अप्रैल, 1979 को उक्त मिल के गेट पर हुये गोली कांड से

सम्बन्धित जानकारी हेतु प्राप्त हुआ था ? यदि हां, तो उसमें जवाब यह है कि इस पर पहले ही विधान सभा में जवाब नियम 51 में हो चुका है । जो पत्र लिखा था वह आपके सामने में रख रहा हूं कि नियमानुसार उस मिल में घटना के बाद कोई भर्ती हुई हैं ? यदि हां, तो नियमावली प्रक्रिया जो बतायी गयी है विधान सभा में, उसके अनुसार भर्ती हुई हैं कि नहीं जवाब है कि बयान हो चुका हैं ।

श्री नियाज हसन खां--

अध्यक्ष महोदय, 9 अक्तूबर का पत्र मिला, उसके बाद 25 दिसम्बर को दूसरा पत्र भी मिला । दोनों पत्रों में करीब-करीब एक ही मामला था । यह जो वक्तव्य हुआ था, यह पिछली सरकार के मुख्य मंत्री और उद्योग मंत्री ने दिया था । वह वक्तव्य जब घटना हुई थी तो कमिश्नर को जांच के लिये सुपुर्द किया गया था । कमिश्नर की रिपोर्ट के आधार पर वक्तव्य दिया गया था कि जो भर्ती हुई थी वह नियमानुसार की गयी थीं इस सिलसिले में और सूचना चाहते हैं तो वह यह है कि विज्ञापन अखबार में दिया गया, सेवायोजना कार्यालय से नाम मंगाये गये उनका जो आब्जेक्शन आया है और उसके बाद जनमोर्चा म भी निकाला गया इस प्रकार नियमानुसार भर्ती की गयी है ।

श्री प्रियदर्शी जेतली--

मान्यवर, यह गम्भीर प्रश्न है । मेरा निश्चित आरोप है कि घटना के सम्बन्ध में माननीय राम नरेश ने जो सदन के पटल पर नियम 51 में बयान दिया है, वह जिलाधीश की रिपोर्ट पर आधारित है, चीफ इक्जक्यूटिव, स्टट स्पिनिंग मिल की रिपोर्ट पर आधारित है, जो कि गुमराह करने वाला है और गलत बयान यहां दिया गया था ।

श्री अध्यक्ष--

इसका उत्तर आ चुका है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्नों के बीच में व्यवस्था का प्रश्न नही होता ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, क्या इतनी पुरानी बात की आलोचना आज हो सकती है ।

(शोर)

श्री प्रियदर्शी जेतली--

मान्यवर, मेरा प्रश्न है कि 9 अक्तूबर को जो पत्र लिखा गया है उसके रिफरेंस में मैंने पूछा है कि क्या कार्यवाही की गयी है । जो माननीय राम नरेश जी ने वक्तव्य दिया है सदन में वह गलत बयान दिया है । मान्यवर, मैं पढ़ना चाहता हूं ।

"दि पुलिस डीप्यूटेड लोकली इन आर्डर टू स्केप इनजरीज ट्राइड टू हाइड देमसैल्व्स हियर एन्ड देयर .."

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, यह भाषण दे रहे हैं ।

एक सदस्य--

पिछली सरकार के काले कारनामे जरा सुन लीजिये ।

(शोर)

श्री नन्द किशोर सिंह--

मान्यवर, भाषण नहीं होगा ।

श्री प्रियदर्शी जेतली--

मान्यवर, यह गम्भीर प्रश्न है ।

(शोर)

श्री अध्यक्ष--

आपने प्रश्न पूछा था उसका उत्तर मंत्री जी ने दे दिया है ।

श्री प्रियदर्शी जेतली--

मान्यवर, ऐसा नहीं है । मान्यवर, मेरी बात सुन लीजिए । मैंने 9 अक्तूबर को जो पत्र लिखा है उसके संदर्भ में पूछा है लेकिन उसका उत्तर मंत्री जी ने नहीं दिया । मुझे सुन लें ।

श्री अध्यक्ष--

आप प्रश्न करें । मैं सुनूंगा नहीं । प्रश्न पूछें ।

श्री प्रियदर्शी जेतली--

मान्यवर, मैं उद्योग मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि 9 अक्तूबर को जो पत्र मैंने लिखा है क्या उसको सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्री नियाज हसन खां--

जी नहीं ।

श्री पंचानन राय--

मान्यवर, मुझे एक सवाल कर लेने दीजिए ।

श्री प्रियदर्शी जेतली--

अध्यक्ष महोदय, मुझे इजाजत दे दीजिए अपने पत्र को पढ़ने की । पत्र मेरे पास मौजूद है । इसको मैं सदन के पटल पर रखने की इजाजत चाहता हूं ।

(शोर)

बिहार विधान सभा

श्री अध्यक्ष--

आप बैठ जायं । मैं अगला प्रश्न ले रहा हूं ।

श्री पंचानन राय--

मान्यवर, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है ।

जनपद देवरिया के लार थाने में सेंध लगाकर चोरी की घटना की जांच

*11--श्री रुद्र प्रताप सिंह--

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि देवरिया जनपद के लार थाने के समीप लार नगर में दिनांक 13/14 दिसम्बर, 1980 की रात्रि में लगभग एक लाख रुपयों की नकद सोना, चांदी, जेवर, कपड़ा आदि सामान श्री नरेन्द्र देव स्वर्णकार के घर से छत के सहारे चोर लेकर चम्पत हो गए तथा उसी सप्ताह में एक दर्जन से अधिक घरों में चोर सेंध व छत से चढ़कर दो लाख रुपयों से अधिक का सामान ले गये ? यदि हां, तो पूरा विवरण क्या है ? अब तक कितने मुल्जिम किन-किन चोरियों में गिरफ्तार किए गए और कितना सामान बरामद हुआ और कितने में विवेचना जारी है ।

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी--

दिनांक 13/14 दिसम्बर, 1980 को श्री नरेन्द्र देव व उनके भाई श्री कौशल किशोर स्वर्णकार के मकान में चोरी हुई थी जिसकी प्रथम सूचना रिपोर्ट में 5 हजार रुपये नकद तथा जेवर चोरी जाने का तथ्य अंकित है । इस मामले में अभियोग संख्या 209 धारा 457/380, भा० द० वि० के अन्तर्गत थाना लार पर पंजीकृत किया गया माल व मुल्जिम का पता लगाने के लिए कड़े निर्देश स्थानीय पुलिस को दिए गए । विवेचना से कोई ठोस प्रमाण न मिलने के कारण माल व मुल्जिम का पता नहीं लग सका । अतः दिनांक 4-4-81 को अंतिम आख्या प्रस्तुत कर दी गई ।

दिनांक 7-12-80 से 14-12-80 तक उपरोक्त चोरी के अतिरिक्त छत से चढ़कर अथवा सेंध लगा कर चोरी की कोई अन्य घटना थाने पर अंकित नहीं है। दिनांक 14-12-80 से 21-12-80 के मध्य दिनांक 20-12-80 को श्री सूर्य नारायण पान्डे, नि० ग्राम धमौली में सेंध लगाकर गल्ला चुरा ले जाने की रिपोर्ट लिखायी जिसमें लगभग 1,000 रु० का गल्ला चोरी जाना दर्शाया गया है । इस घटना का अभियोग सं० 214 धारा 457/380, भा० द० वि० बनाम अज्ञात बइस्तबाह जवाहर, नि० धमौली कायम कर विवेचना की गई । विवेचना से माल मुल्जिम का सही पता नहीं चल सका । अतः अंतिम रिपोर्ट 31-12-80 को प्रेषित की गई ।

यह कि चोर उपरोक्त अवधि में एक दर्जन से अधिक घरों में सेंध लगाकर व छत से चढ़कर दो लाख रुपये से अधिक का सामान चुरा ले गए, सही नहीं पाया गया ।

श्री रुद्र प्रताप सिंह--

मान्यवर, आपकी आज्ञा से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि 14 दिसम्बर को श्री नरेन्द्र देव ने प्रथम सूचना दी थी, वह सूचना क्या है ?

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी--

एफ0 आई0 आर0 12 दिसम्बर को 10·12 बजे दर्ज कराई गयी और यह घटना का होना 2·10 बजे दिखाया गया है, बाकी आप कहें तो मैं उसको पढ़ दूं।

श्री रुद्र प्रताप सिंह--

हां, मान्यवर, पढ़ दीजिए ताकि स्थिति साफ हो जाए जैसा कि आपने कहा कि 5 हजार रु0 की लागत के जेवरात गए हैं, वह सही नहीं है और नकदी के बारे में कुछ कहा ही नहीं गया है।

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी--

शायद माननीय सदस्य को उत्तर सुनने में कुछ भ्रम हो गया है, उत्तर आपके पास मौजूद है, उसे आप पढ़ लें। मैंने कहा 5 हजार रु0 नकदी और जेवरात चोरी गये हैं।

श्री रुद्र प्रताप सिंह--

जेवरात कितने की मालियत के हैं और आपने अपने उत्तर में कहा कि कार्यवाही हेतु कड़े निर्देश दे दिए गए हैं। मान्यवर, कड़े निर्देश दिए जाने के बावजूद भी आपकी पुलिस मुल्जिमान का पता अब तक नहीं लगा सकी है। कृपया यह बताएं कि वह कड़े निर्देश देने व जांच करने वाले कौन-कौन अधिकारी हैं? और जेवरात की डिटेल कृपया बता दें ताकि मालियत का कुछ अन्दाजा लगाया जा सके।

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी--

मान्यवर, माननीय सदस्य ने यह जानना चाहा है कि जांच किस स्तर के अधिकारी द्वारा हुयी है, इस सम्बन्ध में सभी लोग जानते हैं कि जांच सब-इंस्पेक्टर व इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारियों से करायी जाती है। इसलिए इस केस में भी जांच सब-इंस्पेक्टर के रैंक से कराई गयी है। दूसरा प्रश्न माननीय सदस्य का है जेवरात की डिटेल जानने का। प्रथम रिपोर्ट में जो तथ्य अंकित हैं, उसके अनुसार दो करधनी सोने की, सिगड़ी, हार, कंगन तथा 5 अंगूठी सोने की है।

श्री रियासत हुसैन--

क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि एफ0 आई0 आर0 में किसी का नाम दिया गया है, शक में या और किसी रूप में? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुयी?

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी--

एफ0 आई0 आर0 में न तो किसी का नाम दर्ज कराया गया और न ही पूंछने पर किसी का नाम बताया गया।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय--

इस मामले की तफतीश किस अधिकारी द्वारा कराई गयी। इतनी लम्बी चोरी का मामला है तो इस मामले में डी0 वाई0 एस0 पी0 द्वारा जांच कार्यवाही न करवाकर बल्कि सबसे छोटे स्तर के अधिकारी सब-इंस्पेक्टर से करवाई गयी, ऐसा क्यों?

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी--

चोरी आदि के एसे मामलों की कार्यवाही सब-इंस्पेक्टर व इंस्पेक्टर रैंक से ही करवाई जाती है, इसलिए इस मामले में भी उसी स्तर के अधिकारी से करायी गयी।

राज्य की वैकुअम पैन वाली चीनी मिलों में मजदूरों के वेतन में वृद्धि

*12--श्री नन्द किशोर सिंह--

क्या श्रम मन्त्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश के चीनी मिलों में सहकारी कारपोरेशन तथा निजी फैक्टरियों में सीजनल एवं गैर सीजनल मजदूरों के वेतन-क्रम में कोई बढ़ोतरी की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रम राज्य मन्त्री (श्री राम नारायण पाठक)--

जी हां, दिनांक 1 जनवरी, 1981 से राज्य की वैकुअम पैन वाली सभी चीनी मिलों में सेवायोजित सभी कर्मकारों के वेतनमानों में निम्नतम तथा अधिकतम स्तरों पर 32 रु0 की वृद्धि कर दी गई है ?

प्रश्न नहीं उठता।

श्री नन्द किशोर सिंह--

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री जी से यह जानना चाहता हूं कि 1 जनवरी, 1981 से जो आपने दिया, तो क्या उसका पेमेन्ट हुआ ? यदि हां, तो कब से ?

श्री राम नारायण पाठक--

आदेश होने के साथ ही पेमेन्ट हो रहा है। अगर कहीं नहीं हुआ है तो आप बतायेंगे, हम उस पर कार्यवाही करेंगे।

बेसिक ट्रेनिंग कालेज, वाराणसी के बेसिक ट्रेन्ड टीचर्स का स्थानान्तरण

*213--श्री रियासत हुसैन--

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि पिछले दो सालों में राजकीय बेसिक ट्रेनिंग कालेज, वाराणसी के कितने बेसिक ट्रेन्ड लेक्चररों का स्थानान्तरण किया गया ? क्या यह सही है कि उनकी जगह नान-बेसिक लेक्चरर नियुक्त किये गये थे ? यदि हां, तो क्यों ? क्या यह भी सच है कि इन स्थानान्तरित लेक्चररों में से कुछ का बेसिक ट्रेन्ड होने की वजह से ट्रान्सफर रद्द कर दिया गया और कुछ का यही वजह रहते हुए भी नहीं ? यदि हां, तो क्यों।

शिक्षा मन्त्री (श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी)--

सूचना एकत्र की जा रही है।

श्री रियासत हुसैन--

मान्यवर, 30-4-81 का सवाल है, 4-5 महीने गुजर गये, अब हम क्या कहें दीदी से जो कह रही हैं कि सूचना एकत्रित हो रही है। आप ही इस पर निर्णय दीजिये।

श्री अध्यक्ष--

माननीया मन्त्री जी, सूचना एकत्रित करने में क्या दिक्कत है ? क्या ज्यादा समय लगेगा ।

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

मान्यवर, शीघ्र ही सूचना एकत्र कर दी जायगी ।

जनपद लखनऊ में कार्यरत एस0 डी0 आई0 का स्थानान्तरण

*14--श्री सन्त बख्श रावत (अनुपस्थित)--

क्या शिक्षा मन्त्री कृपया बतायेंगे कि लखनऊ जनपद में कितने एस0 डी0 आई0 ऐसे हैं जो लगातार 10 वर्षों से अधिक अवधि से कार्यरत हैं तथा उनके स्थानान्तरण न होने के क्या कारण हैं । क्या इनकी सूची देते हुए मन्त्री जी ऐसे एस0 डी0 आई0 को स्थानान्तरित करने की कृपा करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

कोई नही । प्रश्न नहीं उठता ।

बाराबंकी के तत्कालीन पुलिस अधीक्षक के पत्र में उठाये गये मुद्दों पर निर्णय

*15--श्री श्यामलाल बाजपेयी--

क्या गृह मन्त्री को पता है कि बाराबंकी के तत्कालीन पुलिस अधीक्षक (श्री बलराज भोला) ने तत्कालीन जिलाधिकारी (श्री प्रीतम सिंह) को 1-4-81 सं0 एस0 टी0 (डी0 एम0)-81 कोई पत्र लिखा था, जिसमें उन्होंने मुकदमा दर्ज कराने की धमकी दी थी ? क्या यह सत्य है कि प्रश्नकर्ता ने 13-4-81 को श्री भोला द्वारा लिखे पत्र की फोटो स्टेट कापी सहित एक पत्र प्रदेश के मुख्य सचिव को दिया था ? यदि हां, तो पत्र में उठाए गए मुद्दों पर शासन ने क्या निर्णय लिया ?

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी--

जनपद बाराबंकी के तत्कालीन पुलिस अधीक्षक, श्री बलराज भोला द्वारा तत्कालीन जिलाधिकारी, श्री प्रीतम सिंह को संदर्भित पत्र दिनांक 1-4-81 को लिखा गया था, जिसमें पुलिस क्लब की मरम्मत हेतु आरा मशीन पर काटने के लिए भेजी गयी लकड़ी को जिलाधिकारी द्वारा अपने कब्जे में ले लेने को अवैधानिक बताते हुए उनसे वस्तु स्थिति से उसी दिन अवगत करा देने का अनुरोध किया गया था । यह भी कहा गया था कि अन्यथा मजबूर होकर नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही करके उचित धाराओं के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत कराना पड़ेगा ।

जी हां । चूंकि दिनांक 3-4-81 को आयुक्त, फैजाबाद मण्डल ने तत्कालीन जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक, बाराबंकी को बुलाकर समझा दिया था, अतः शासन द्वारा इस मसले पर और कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं समझी गयी ।

श्री श्यामलाल बाजपेयी--

मान्यवर, माननीय मन्त्री जी के उत्तर के सन्दर्भ में आपके माध्यम से मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या उन्हें इस बात की जानकारी है कि बाराबंकी जनपद के कुछ सम्मानित सामाजिक कार्यकर्ताओं ने जिलाधीश महोदय को इस आशय का प्रार्थना-पत्र दिया था कि तत्कालीन पुलिस अधीक्षक श्री बलराज भोला ने सरकारी लकड़ी को चोरी से कटवा लिया है और आरा मशीन पर कटवा कर अपना निजी फर्नीचर बनवा रहे हैं। इस प्रार्थना-पत्र के आधार पर जिलाधीश ने उस लकड़ी का अधिग्रहण कर लिया, जिस पर नाराज होकर पुलिस अधीक्षक ने यह पत्र लिखा, जिसको माननीय मन्त्री जी स्वयं स्वीकार करते हैं। पुलिस अधीक्षक ने जिलाधिकारी को इसकी धमकी दी कि मैं आपके ऊपर मुकदमा दायर करा दूंगा। 13 तारीख को सूचना मुख्य सचिव को दी गयी। आयुक्त, फैजाबाद ने दोनों को बुलाकर समझा दिया। तो मैं यह जानना चाहता हूं कि यदि मामला चोरी का था, लकड़ी कटवाई गयी और जिलाधीश ने उसका अधिग्रहण किया, तो क्या सिर्फ समझाने से ही चोरी का मामला खत्म हो गया। दूसरी बात, सामान्य नागरिकों के ऊपर दफा 379 लगती है, तो फिर यह मामला केवल समझाने से कैसे खत्म हो गया? तीसरी बात, जो लकड़ी अधिग्रहण की गयी, वह कहां है, इसको बताने की कृपा माननीय मन्त्री जी करें?

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी--

मान्यवर, माननीय सदस्य श्री बाजपेयी जी ने 3 बिन्दु उठाये। तीनों बिन्दुओं पर बिन्दु और उत्तर मैं प्रस्तुत कर रहा हूं। पहला बिन्दु जो उन्होंने उठाया कि क्या यह चोरी का मामला था? इस सम्बन्ध में भ्रमवश वह लकड़ी किस डिपार्टमेन्ट के कब्जे की है, इसमें भ्रम था और डी0 आई0 जी0 के इन्सपेक्शन पर वहां के एस0 पी0 को यह निर्देश कि पुलिस क्लब के जो दरवाजे और खिड़की हैं, उसकी मरम्मत के लिये यह जा रही है। इस पर एस0 पी0 ने यह जानकर कि यह पुलिस डिपार्टमेन्ट की लकड़ी है, इसको आरा मशीन पर भेजा। जिलाधिकारी भी इस जानकारी में थे, जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा है कि किसी ने प्रतिवेदन जिलाधिकारी को दिया है। जिलाधिकारी ने इस जानकारी को इंगित किया है कि उनको जब मालूम हुआ कि यह जमीन नजूल की है, यह मालूम हुआ कि यह नजूल की सम्पत्ति है, तब उन्होंने उसकी कार्यवाही की थी। बाद में जब दोनों को मालूम हुआ कि सरकारी सम्पत्ति किस डिपार्टमेन्ट की है, तो फिर समझौता हो गया।

चोरी की बात जहां तक माननीय सदस्य ने कही, फैजाबाद कमिश्नर ने दफा 379 में रिपोर्ट की कि दूसरी तरफ कर देने का प्रश्न है। माननीय सदस्य जानते हैं कि चोरी की जो रिपोर्ट लिखायी जाती है वह सबके लिये एक ही होती है, चोरी की रिपोर्ट किसी ने नहीं दर्ज करायी है।

श्री राज मंगल पाण्डेय--

माननीय मंत्री जी के उत्तर से सन्दर्भित, मान्यवर, मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या पुलिस के किसी भी डी0 आई0 जी0 को वह अधिकार है कि पुलिस डिपार्टमेन्ट के किसी भी पेड़ को कटवा कर पुलिस की बिल्डिंग में इस्तेमाल करने के आदेश दे सके? दूसरे अगर यह बात बतायी जाती है कि उन्हे आदेश देने का अधिकार नहीं था तो क्या उनके खिलाफ कार्यवाही करने के लिये मन्त्री जी सदन को आश्वासन देंगे?

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी--

मान्यवर, इस प्रकरण की जांच हो रही ह, अभी उसकी सूचना प्राप्त नहीं हुई है ।

(हंसी तथा शेम-शेम की आवाजें)

श्री राज मंगल पाण्डेय--

मान्यवर, मैं आपसे व्यवस्था चाहता हूं कि माननीय मन्त्री जी ने अभी स्वीकार किया है कि डी0 आई0जी0 ने कहा था कि इस पेड़ को कटवा कर दरवाजे में लगवा दिया जाय ? प्रश्न यह उठता है कि क्या डी0आई0जी0 को यह अधिकार है कि वह पुलिस के कम्पाउण्ड में लगे किसी पेड़ को वह कटवाने का आदेश दे सकें ? यदि नहीं, तो उस डी0आई0जी0 के खिलाफ कोई कार्यवाही करने का सदन को आश्वासन देंगे ?

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी---

मान्यवर, डी0 आई0 जी0 के निर्देश की जानकारी की जा रही है, वहां के तत्कालीन एस0 पी0 ने पत्र लिखा था कि जानकारी की जा रही है कि डी0 आई0 जी0 ने निर्देश दिये हैं या नहीं ।

श्री राज मंगल पाण्डेय--

मान्यवर, मैं मन्त्री जी के विरुद्ध ब्रीच आफ प्रीविलेज की नोटिस दे रहा हूं, जो उन्होंने गलत बयान करके सदन को गुमराह किया है ।

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी--

मान्यवर, मेरी बात सुन लें । माननीय सदस्य बहुत पुराने सदस्य हैं । मान्यवर, . . .

श्री राज मंगल पाण्डेय--

मान्यवर, आपने मेरी ब्रीच आफ प्रीविलेज की नोटिस स्वीकार कर ली ?

श्री अध्यक्ष--

आपने अभी नोटिस दी कहां ? आप लिख कर दे दीजिये ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, नियमों में व्यवस्था है, नियम उठा कर देख लें । जो मामला सदन के संज्ञान में होगा उसके लिए नोटिस की कोई आवश्यकता नहीं है । सदन के समक्ष अगर किसी ने ब्रीच आफ प्रिविलेज किया है, उसके लिए नोटिस की आवश्यकता नहीं है, यह नियम सम्मत है ।

श्री श्याम लाल बाजपेयी--

आपके माध्यम से मैं मन्त्री जी से निवेदन करता हूं कि जो मन्त्री जी पढ़ रहे हैं वह सरकारी जबाब है । मैं बाराबंकी का विधायक हूं और आंखों देखा गवाह हूं । श्रीमन्, यदि डी0 आई0 जी0 ने लिखित या मौखिक आदेश दिये तो क्या उसकी प्रतिलिपि शासन के पास आयी है नम्बर एक और नम्बर दो क्या

वर्तमान व्यवस्था में किसी पुलिस अधीक्षक को यह अधिकार है कि वह जिलाधिकारी को लिखे कि मैं नियमानुसार वैधानिक आपके ऊपर मुकदमा दर्ज कराऊंगा ? वह कौन सी गम्भीरता थी, कौन प्राणों पर संकट पुलिस अधीक्षक पर आ गया था ? और नम्बर तीन--वह लकड़ी कहां गयी और अब तक वह किस रिकार्ड में दर्ज है ? इसका भी उत्तर दिलाने का कष्ट करें ।

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी--

लकड़ी किस के अधिकार में है इसकी पूरी जानकारी करा कर माननीय सदस्य को अवगत करा दिया जायेगा....

(शेम-शेम विपक्ष की ओर से)

दूसरा उन्होंने कहा कि डी0 आई0 जी0 ने लिखित या मौखिक का, यह सन्दर्भ पत्र के सम्बन्ध मे आया है । इसकी जांच की जा रही है । मैं मान्यवर, माननीय सदस्य और सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि जो भी दोषी पाया जायेगा, उसके खिलाफ कार्यवाही की जायेगी ।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल--

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि वह लकड़ी किस विभाग की थी और उसको कटवाने के लिए क्या पुलिस अधीक्षक ने परमिट प्राप्त किया था ? यदि नहीं, तो उनके खिलाफ क्या हरे पेड़ कटवाने का मुकदमा दर्ज है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी--

इस बिन्दु पर भी जांच हो रही है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि क्या मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि सब बिन्दुओं पर विचार के बाद एक बात सामने आ गयी है कि वह लकड़ी कहां है ? तो मान्यवर, मेरी सूचना को सही मान कर कि वह डी0 आई0 जी0 के बंगले पर है, क्या इसकी जांच करायेंगे और यदि हां, तो किस माध्यम से ?

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी--

मान्यवर, माननीय सदस्य को जानकारी हो सकती है कि किसके बंगले पर है, मेरी जानकारी में नहीं है । कमिश्नर से जानकारी करा लूंगा कि कहां और क्या-क्या उपयोग हुआ ।

श्री दल गंजन सिंह--

मंत्री जी के उत्तर के सन्दर्भ में, यह स्वीकार किया है कि यह नजूल की भूमि की लकड़ी थी और उसका प्रशासक है डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट । एस0 पी0 द्वारा लकड़ी का काटना मंत्री जी को स्वीकार है तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या कारण था कि एस0 पी0 के खिलाफ 379 का मुकदमा दर्ज नहीं है ?

श्री अध्यक्ष--

इसका तो उत्तर दे दिया है उन्होंने ।

जूनियर हाई स्कूल जरवल, जिला बहराइच के चपरासियों को चतुर्थ श्रेणी का वेतनमान देने पर विचार

*16--श्री सुन्दर सिंह--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1972 से कार्यरत जूनियर हाई स्कूल, जरवल, बहराइच के चपरासियों को चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का वेतनमान देने पर विचार करेंगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

जूनियर हाई स्कूल जरवल, जिला बहराइच में कोई चपरासी 1972 से नहीं है । दो चपरासियों की नियुक्ति 1 फरवरी, 1973 में सूचित की गयी है । यह नियुक्तियां नियमानुकूल नहीं हुईं, जिसके कारण उनके वेतन निर्धारण का प्रश्न अभी भी जिला स्तर पर विचाराधीन है ।

श्री सुन्दर सिंह--

अध्यक्ष महोदय, मैं माननीया मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि 1973 से जिन दो व्यक्तियों की नियुक्ति की गई है उनको अब तक कितना वेतन दिया जा रहा है और निर्धारित वेतनमान से कम वेतन उनको मिल रहा है तो अब तक 10 वर्ष तक इस विषय में क्या कार्यवाही की गई ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

मान्यवर, जब वेतनमान पुनरीक्षित हुए तो उस समय यह आदेश जारी हुए सरकार की ओर से कि पुनरीक्षित वेतनमान केवल उन्हीं पद धारकों को अनुमन्य होगा, जो बेसिक शिक्षा परिषद् के गठन के पूर्व कार्यरत थे । इन दोनों चपरासियों को, जिनके सम्बन्ध में यह बात कही गई इनकी नियुक्ति बेसिक शिक्षा परिषद् के गठन के पश्चात् हुई और यह नियमानुसार न करके, नियमों का उल्लंघन करके इनकी नियुक्ति की गई थी ।

श्री सुन्दर सिंह--

अध्यक्ष महोदय, मुझे जानकारी यह हुई कि 30 रु0 महीना आज तक उनको वेतन मिल रहा है, जब कि यह नियमों के अनुकूल नहीं है और यदि उनकी नियुक्ति नियमानुकूल नहीं की गई तो 10 वर्ष तक उन नियमों का उल्लंघन क्यों चलता रहा और उनको चतुर्थ श्रेणी का वेतनमान क्यों नहीं दिया जा रहा है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

मान्यवर, इन दोनों ने एवजी में काम शुरू किया यानी जैसे कि एक चपरासी यदि छुट्टी पर चला जाता है तो उसकी जगह उसके एवज में उसका लड़का काम करता है । इसी तरह से इन दोनों ने एवजी में काम शुरू किया, जिनका नियमानुसार अनुमोदन नहीं किया गया ।

जनपद मिर्जापुर के कोलना वाया रामपुर से केलहट मार्ग का निर्माण

*17—श्री राम चरण सिंह—(अनुपस्थित)

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कोलना वाया रामपुर से केलहट मार्ग विकास खंड नारायनपुर, जनपद मिर्जापुर को सार्वजनिक निर्माण विभाग, मिर्जापुर ने बनाने हेतु प्रस्ताव स्वीकार करके शासन को भेजा और इस सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता ने भी तारीख 5-7-80 को माननीय सार्वजनिक निर्माण मंत्री को लिखा है ? यदि हां, तो इस पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है। इसकी स्वीकृति कब दी गयी है ? यदि नहीं दी गई, तो कब दी जायेगी ?

श्री अम्मार रिजवी—

जी, हां।

कोलना से रामपुर वाया सरदार पटेल इन्टर कालेज तक 4 किलोमीटर लम्बाई स्वीकृत की गई। 4 किलोमीटर की स्वीकृति 26-5-81 को दी गई।

जनपद मुरादाबाद, गांव डूंगरपुर में बाबू के मकान पर डकैती में दोषमुक्त व्यक्ति की गिरफ्तारी

*18—श्री राम कृष्ण माहेश्वरी—

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 10-6-80 को गांव डूंगरपुर, थाना भगतपुर, जनपद मुरादाबाद के श्री बाबू के मकान पर पड़ी डकैती के अपराध में छोटे पुत्र बल्लू, निवासी ग्राम सरायखजूर, थाना छजलेट को पुलिस ने बन्दी बनाया था ? क्या यह सही है कि दिनांक 10-6-80 को यह व्यक्ति जिला कारागार में बन्दी था ? यदि हां, तो इस विषय में क्या आवश्यक कार्यवाही की जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी—

दिनांक 10/11-6-80 की रात को करीब 12-30 बजे ग्राम डूंगरपुर थाना भगतपुर, जनपद मुरादाबाद में श्री बाबू पुत्र भूरे बढ़ई के मकान पर डकैती पड़ी थी और इस अपराध के सम्बन्ध में छोटे उर्फ बल्लू पुत्र बुलाकी, निवासी सराय खजूर, थाना छजलेट को पुलिस ने बन्दी बनाया था। उक्त अभियुक्त दिनांक 10-6-80 को जिला कारागार में बन्द था और दिनांक 11-6-80 को कारागार से रिहा हुआ था। यह बात ज्ञात होने पर छोटे को दोष मुक्त कराने के लिए धारा 169 दं० प्र० सं० के अन्तर्गत पुलिस आख्या पर न्यायालय द्वारा दोष मक्त कर दिया गया।

श्री राम कृष्ण माहेश्वरी—

माननीय मंत्री जी ने बताया कि छोटे दिनांक 10/11-6-80 की रात को जेल में बन्द थे और उसी रात को डकैती पड़ी जिसमें पुलिस ने उस पर डकैती का अभियोग लगाया था जिस रात को वह जेल में बन्द था तो क्या मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि उसके ऊपर डकैती का आरोप लगाने का क्या कारण था और क्या आधार था जिस पर रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी ? यदि जांच करायेंगे, तो उस पुलिस अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही करने का विचार रखते हैं जिसने इस व्यक्ति को झूठे इल्जाम में फंसाया है ?

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी--

मान्यवर, माननीय सदस्य ने पूछा है कि कैसे पकड़ा गया, क्यों पकड़ा गया 23-9-80 को रामचन्द्र पुत्र ठकुरी, निवासी मढइया पी परबारान को एक्साइज ऐक्ट की दफा 60 के अन्तर्गत पकड़ा गया तो उन्होंने बयान दिया कि जो डकैती पड़ी थी उसमें यह भी थे और उस बयान के आधार पर उनको पकड़ा गया और एक्साइज ऐक्ट की दफा 60 के अन्तगत चालान कर दिया। जहां तक पुलिस अधिकार के लैप्स या कमी की बात है उसकी भी जांच करा कर कार्यवाही अवश्य की जायेगी।

सूबेदार सिंह--

जिन लोगों ने एक निर्दोष व्यक्ति को झूठे केस में फंसाया है उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी--

मान्यवर, जो जांच कर्ता अधिकारी एस0 ओ0 थे, उनके खिलाफ कार्यवाही करने के लिये डी0 आई0 जी0 से जांच करवायी जा रही है।

श्री रियासत हुसैन--

क्या माननीय मंत्री जी इस पर गम्भीरता से जांच करायेंगे एक ऐसे एस0 ओ0 के विरुद्ध जिसने केवल रुपया तलब करने पर न देने की वजह से उस आदमी को डकैती के केस में रुपये की लालच से फंसाया, जब कि उस तारीख में वह जेल में बन्द था ?

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी--

मैंने पहले ही निवेदन किया कि जांच करा रहे हैं और उस पर उचित कार्यवाही करेंगे ?

चौक कोतवाली, लखनऊ के इन्सपेक्टर के विरुद्ध भ्रष्टाचार के मामले की जांच

*19--श्री माता प्रसाद पाण्डेय--

क्या गृह मंत्री को यह जानकारी है कि विगत 6 अक्तूबर, 1980 को चौक कोतवाली, लखनऊ में इन्सपेक्टर (श्री लक्ष्मी शंकर शुक्ला) के पद पर तैनाती करवाने के लिये राजीव गांधी के नाम से फर्जी टेलीफोन करवाया था, जिस पर उसको निलम्बित कर दिया गया है ? क्या यह भी सही है कि उपरोक्त इंस्पेक्टर जब थानाध्यक्ष हसनगंज, जनपद उन्नाव थे पर दिनांक 16 अक्तूबर, 1979 को एक इस्तगासा भी मो0 अफरोज खां, निवासी अमीनाबाद, लखनऊ ने भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में तत्कालीन न्यायालय जुडिशियल मजिस्ट्रेट चतुर्थ उन्नाव में दायर किया था, जिसके पैरोकार जटाशंकर, पुत्र श्री नीलकंठ, ग्राम नवलगंज, थाना हसनगंज, जनपद उन्नाव थे, उक्त इस्तगासा अब भी चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, उन्नाव के यहां विचाराधीन है ? इसी रंजिश के बिना पर उपरोक्त थानाध्यक्ष व दो अन्य दरोगाओं ने पैरोकार को दिनांक 2-11-79 को तीन झूठी डकैतियों में बांध दिया था, जो दिनांक 20-12-79 को छूट गयी थी इसके साथ-साथ उपरोक्त पैरोकार की निगरानी भी खोल दी थी ? यदि हां, तो उपरोक्त गम्भीर भ्रष्टाचार के मामले की जांच क्या सी0 आई0 डी0 द्वारा सरकार करवायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी--

यह सही है कि इंस्पेक्टर लक्ष्मी शंकर शुक्ला की नियुक्ति के मामले में मुख्य मंत्री उ0 प्र0 के नाम से फर्जी टेलीफोन कराने के आरोप में पुलिस महा-निरीक्षक, उ0 प्र0 के आदेश दिनांक 11-9-80 द्वारा निलम्बित किया गया था। यह भी सही है वर्ष 1979 में श्री मो0 अफरोज खां, निवासी छोटा जाफर मस्जिद, थाना अमीनाबाद जनपद लखनऊ ने श्री लक्ष्मी शंकर शुक्ला, थानाध्यक्ष हसनगंज, जनपद उन्नाव के विरुद्ध एक इस्तगासा मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, उन्नाव के न्यायालय में दायर किया था जिसमें आरोप लगाया गया था कि श्री शुक्ला ने वादी को एम आर्म्स ऐक्ट के मुकदमें में फंसाया है। यह इस्तगासा दिनांक 23-5-81 को खारिज हो चुका है। इस बात की पुष्टि नहीं होती है कि श्री जटाशंकर इस इस्तगासे के पैरोकार थे।

श्री जटाशंकर, थाना हसनगंज, जनपद उन्नाव में पंजीकृत तीन डकैती के मुकदमों, अर्थात् मु0 अ0 सं0 110/79 धारा 394 भा0 दं0 वि0, मु0 अ0 सं0 344/79, धारा 396 भा0 दं0 वि0 तथा मु0 अ0 सं0 318/79, धारा 395/397 भा0 दं0 वि0 में अभियुक्त थे और गवाही द्वारा शिनाख्त न किये जाने के कारण धारा 169 दं0 प्र0 सं0 के अधीन रिहा हुए। यह निष्कर्ष सही नहीं प्रतीत होता कि श्री जटाशंकर इस मुकदमों में झूठे फंसाये गये थे।

श्री जटाशंकर की हिस्ट्री-शीट पुलिस रेगुलेशन के पैरा 240 के अधीन नियमानुसार खोली गई है, जो प्रचलित है।

श्री जटाशंकर से सम्बन्धित उपरोक्त मामलों का उल्लेख विधान सभा के प्रथम सत्र 1981 के दौरान श्री राम सागर जी, विधायक द्वारा नियम 301 के अधीन दी गई एक नोटिस में किया गया था, जिसके संदर्भ में अपराध अनुसंधान विभाग द्वारा जांच के आदेश दे दिये गये हैं।

श्री माता प्रसाद पान्डेय--

मान्यवर, आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि जब वह थानेदार इतना होशियार था कि अपनी नियुक्ति के लिए मुख्य मंत्री जी को टेलीफोन कर सकता है तो क्या यह सत्य नहीं है कि वह फर्जी डकैतियों में इनको फंसाये। इसमें मंत्री जी ने कहा है कि जटाशंकर की हिस्ट्री शीट खोल दी गई है। हिस्ट्री शीट खोलने का आधार तीन मुकदमें ही हैं या इसके पहले भी कोई रिपोर्ट इनके खिलाफ दर्ज है ?

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी--

मान्यवर, जटा शंकर के खिलाफ ये तीन अपराध थे। इनके अलावा उनकी अपराधी प्रवृत्ति देखकर हिस्ट्री शीट खोली थी।

श्री माता प्रसाद पांडेय--

कोई मुकदमा दर्ज था, कोई कम्प्लेन्ट थी कि वह अपराधी प्रवृत्ति के हैं ?

श्री अध्यक्ष--

माननीय मंत्री जी इस में आप देखेंगे कि अपराध संख्या 110/79, अपराध संख्या 344/79, अपराध संख्या 318/79 यह तीनों अपराध, अपराध संख्या 79 के हैं, इसलिए प्रश्न उठता है कि इसके पहले भी कोई अपराध था या नहीं ?

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी--

इसकी जानकारी उपलब्ध नहीं है ।

श्री भोखा लाल--

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि यह एक बहुत अहम प्रश्न है कि श्री जटा शंकर जी एक भले आदमी हैं पुलिस उनको डकैत बनवा रही है । आज ही इससे सम्बन्धित दो प्रश्न हैं । एक प्रश्न नं0 2 और दूसरा यह । इन सब मामलों की विवेचना जैसी कि मांग की गई है सी0 आई0 डी0 के जरिये करा दी जाय ताकि स्पष्ट हो जाय कि जटा शंकर भले आदमी हैं या पुलिस उनके साथ ज्यादती कर रही है ।

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी--

मान्यवर, श्री जटा शंकर की किन कारणों से हिस्ट्री शीट दर्ज हुई, उसका क्या इन्टेन्शन था, दरोगा का इनके प्रति क्या व्यवहार था, इन सब चीजों की जांच अपराध अनुसंधान विभाग द्वारा की जा रही है ।

*20--श्री किरन पाल सिंह--

[माननीय सदस्य के सदन की सेवा से निलम्बित किए जाने के कारण निरस्त ।]

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

राज्य कर्मचारियों को डी0 ए0 की देय किस्तों के बारे में शासन द्वारा निर्णय

**1--श्री जटा शंकर सिंह तथा श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि राज्य कर्मचारियों को डी0 ए0 की कितनी किस्तें देना बाकी हैं ? उन्हें किस्तें कब तक दे दी जायेंगी ?

वित्त मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त)--

राज्य सरकार अपने कर्मचारियों को मंहगाई भत्ते की किस्तें केन्द्रीय सरकार द्वारा अपने कर्मचारियों को स्वीकृत मंहगाई भत्ते की किस्तों के आधार पर देती रही है । इस प्रकार केन्द्रीय सरकार के सादृश्य पर राज्य कर्मचारियों को मंहगाई भत्ते की 23 किस्तें स्वीकृत की जा चुकी हैं । केन्द्रीय सरकार द्वारा अपने कर्मचारियों को दिनांक 1-2-81 से जो 24वीं किस्त मंहगाई भत्ते की स्वीकृत की गई है, वह किस्त राज्य कर्मचारियों को अभी स्वीकृत नहीं की गई है । राज्य कर्मचारियों को दिनांक 1-5-81 से अतिरिक्त अन्तरिम सहायता स्वीकृत की गई है, जिसका समायोजन वेतन आयोग की संस्तुतियों के आधार पर देय कुल परिलब्धियों में तथा दिनांक 1-12-80 की अतिरिक्त मंहगाई भत्ते की किस्त के बाद अनुमन्य अतिरिक्त मंहगाई भत्ते की किस्तों के फलस्वरूप देय धनराशि में किया जायेगा । अतः मंहगाई भत्ते की 24वीं किस्त के सम्बन्ध में, वेतन आयोग की संस्तुतियों पर शासन के निर्णय की घोषणा के बाद आवश्यक आदेश जारी किये जायेंगे ।

नोटः--तारांकित प्रश्न संख्या 19 के उपरान्त तारांकित प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया ।

श्री जटा शंकर सिंह--

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी के उत्तर के सन्दर्भ में यह जानना चाहता हूं कि 24वीं किस्त का डी0 ए0 से लिंक न करने के क्या कारण हैं, जब कि केन्द्रीय सरकार से उसको नकद भुगतान करने के आदेश हो चुके हैं, ?

श्री ब्रह्म दत्त--

मान्यवर, मैंने निवेदन किया कि 23वीं किस्त हम दे चुके हैं और दो अन्तरिम सहायता भी स्वीकार की गई है। 24वीं और 25वीं किस्त का समायोजन होना है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, इस बात को ध्यान में रखते हुए कि राज्य कर्मचारी और शासन के बीच में इस बात पर समझौता हुआ था कि क्योंकि वेतन आयोग की रिपोर्ट आने पर देर लग रही है महंगाई बढ़ रही है इसलिए अन्तरिम सहायता स्वीकार की जाय । यह मानकर राज्य सरकार ने दो बार अन्तरिम सहायता स्वीकार की । मान्यवर, 24वीं किस्त विचाराधीन है और 25वीं किश्त भी अप्रैल, 81 से देय हो गई है तथा केन्द्रीय सरकार के स्पष्ट आदेश हैं कि डी0 ए0 की किस्त नकद दे दी जाय तो उसको अब तक न देने का क्या कारण है ?

श्री ब्रह्म दत्त--

मान्यवर, केन्द्रीय सरकार का कोई निर्देश इस सम्बन्ध में नहीं है । लेकिन हमने यह स्पष्ट निर्णय लिया था कि जैसे ही केन्द्रीय सरकार देगी, वैसे हम भी देंगे । इसी बात को ध्यान में रखते हुये हमने दो बार अन्तरिम सहायता कर्मचारियों को दी और आगे यह निश्चय किया कि जो डी0 ए0 की किस्तें होंगी उनको वेतन आयोग की रिपोर्ट आने के बाद समयोजित किया जायेगा । वेतन आयोग की संस्तुतियों पर शीघ्र ही निर्णय हो जायेगा ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, अन्तरिम सहायता तो वेतन का अंश है । वेतन आयोग की संस्तुतियां लागू करते समय अगर किसी का वेतन कम हो जायेगा तो डी0 ए0 उसके साथ जुड़ा रहने पर वह कम हो जायेगा । अगर उसकी वेतन की वृद्धि हो जाती है तो उसी अनुपात में पेंशन, ग्रेच्युटी आदि पर फर्क पड़ेगा । इस तरह से आपको उसकी सैलरी कम करके कर्मचारियों का अहित क्यों कर रहे हैं ?

श्री ब्रह्म दत्त--

मान्यवर, कर्मचारियों का अहित नहीं हो रहा है, जितना ज्यादा से ज्यादा पैसा देय होगा वह अवश्य दिया जायेगा ।

श्री रियासत हुसैन--

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने बताया कि 23 इंस्टालमेन्ट जो सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट ने अपने इम्पलाइज को दिये हैं वहीं स्टेट गवर्नमेन्ट ने भी अपने कर्मचारियों को दिये हैं । इसके माने यह हुआ कि 24वीं किस्त आपने अपने कर्मचारियों को नहीं दी । इसके क्या कारण हैं . दूसरी बात यह है कि 24वीं किस्त अदा न करने के कारणों के सम्बन्ध में आपने कर्मचारियों के नेताओं से

बातचीत की थी और क्या उन्होंने इस विषय पर अपनी सहमति प्रकट की थी कि ऐसा कर दिया जाय ? क्या इस विषय में कर्मचारियों और शासन के बीच में कोई कन्फ्रंटेशन नहीं है ?

श्री सूबेदार सिंह--

मान्यवर, जब डी0 ए0 की बढ़ोत्तरी का प्रश्न आता है तो महंगाई बढ़ जाती है और बाजारों में भाव बढ़ जाते हैं और कर्मचारियों को उससे कोई विशेष लाभ नहीं होता है । इस बात को देखते हुये कि चीजों के दाम न बढ़े और मंहगाई भत्ता जो सरकार दे रही है वह ठीक से प्रभावी हो जायेगा, इस सम्बन्ध में सरकार कोई कार्यवाही कर रही है.

श्री ब्रह्म दत्त--

इस सम्बन्ध में कृषि और औद्योगिक उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार सचेष्ट है और सार्वजनिक वितरण प्रणाली जो बन्द कर दी गई थी, उसको फिर से चालू कर रही है ।

राज्य विद्युत् परिषद् तथा सर्वश्री हिन्डालकों के मध्य विद्युत् आपूर्ति सम्बन्धी समझौता

**2--श्री भीखा लाल--

क्या उर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बिड़ला के अल्मूनियम कारखाने हिन्डालकों, जिला मिर्जापुर को सस्ते दर पर बिजली दिये जाने का समझौता वर्ष 1980 में समाप्त हो गया है और अब राज्य विद्युत् परिषद् हिन्डालको के प्रबन्धकों से सस्ते दर पर बिजली देने का नया समझौता कर रहा है ? यदि हां, तो नये समझौते की शर्तें क्या हैं ?

ऊर्जा उपमंत्री (श्री सुनील शास्त्री)--

जी हां, राज्य विद्युत् परिषद् तथा सर्वश्री हिन्डालको के मध्य 85 एम0 डब्ल्यू की विद्युत् आपूर्ति के बारे में किया गया अनुबन्ध 30 जून, 1980 को समाप्त हो गया है । राज्य विद्युत् परिषद् तथा सर्वश्री हिन्डालको के बीच विद्युत् आपूर्ति की दरों, इलेक्ट्रीसिटी ड्यूटी के भुगतान आदि पर मतभेद होने के कारण अभी नया अनुबन्ध निष्पादित नहीं किया जा सका है । प्रश्न नहीं उठता ।

श्री भीखालाल--

माननीय मंत्री जी के उत्तर से स्पष्ट है कि नये अनुबंध की बातचीत चल रही है लेकिन उसमें दो बिन्दुओं पर मतभेद है कि विद्युत् दरें क्या हों और इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी की भुगतान शर्तें क्या हों ? मैं जानना चाहता हूं कि 1980 में जो अनुबन्ध समाप्त हो गया है उसमें और नयी अनुबन्ध की शर्तों में क्या फर्क है ? यानी नये अनुबन्ध में शासन ने जो शर्तें रखी हैं और हिन्डालको ने जो शर्तें रखी हैं उनमें मतभेद का मुद्दा क्या है ?

श्री सुनील शास्त्री--

मान्यवर, जो अनुबन्ध 30-6-80 को समाप्त हुआ उस समय जो हिन्डालको से हम चार्ज करते थे आखिरी दर 19.57 पैसा और दो प्रतिशत इलक्ट्रिसिटी ड्यूटी थी ।

श्री भीखालाल--

अब क्या शर्तें रखी हैं और वह क्या मांग रहे हैं ?

श्री सुनील शास्त्री--

मैंने पहले ही कहा कि यह विचाराधीन है । अभी इस पर हम लोगों की बातचीत चल रही है ।

श्री भीखा लाल--

हम फाइनल नहीं पूंछ रहे हैं । हम जानना चाहते हैं कि बिजली की दरों के सम्बन्ध में शासन का क्या प्रपोजल है और इलेक्ट्रीसिटी ड्यूटी का क्या प्रपोजल है और हिन्डालको का क्या प्रपोजल है ? हम, फाइनल क्या हो गया है यह नहीं पूछ रहे हैं ।

श्री सुनील शास्त्री--

मान्यवर, हम चाहते हैं कि हिंडालको की दरें वही हों जो हम भारी उद्योगों से ले रहे हैं, जब कि भारत सरकार ने हमें एक निर्धारित दर सजेस्ट की है ।

श्री राम स्वरूप वर्मा--

जब हिंडालको से विद्युत् परिषद् का समझौता समाप्त हो गया है तो अब किस रेट से बिजली दे रहे हैं ?

श्री सुनील शास्त्री--

1-7-80 से जो भारी उद्योगों से हम लेते हैं वही ले रहे हैं ।

श्री ऊदल--

मैं यह जानना चाहता हूं कि भारी उद्योगों की दर क्या है ? और क्या यह सही है कि बिना निर्णय हुए अब भी 60 मेगावाट बिजली हिंडालको को दी जा रही है .

मुख्य मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह)--

मान्यवर, इस सम्बन्ध में उपमंत्री जी ने पिछले जो रेट थे वह आपके समक्ष रखे । भारत सरकार ने 32.2 पैसा पर यूनिट सिफारिश की है और आपात्कालीन के लिए 48.28 पैसे की सिफारिश की है । इस पर हम लोगों ने जो आपात्कालीन रेट हैं कुछ स्पष्टीकरण केन्द्र सरकार से मांगे हैं । इस समय जो बिलिंग हम सामान्य रूप से करते हैं वही बिलिंग जून से उनसे कर रहे हैं । हम लोगों की चेष्टा यही है कि जो सामान्य रूप से अन्य उद्योगों से लिया जाता है वही हिंडालको से लिया जाय ।

जहां तक उनको विद्युत् देने की बात है इस समय जो सूखे की हालत है उसमें 55 से 25 मेगावाट किया है और 30 मेगावाट की कटौती जो उनको मिलती थी, उसमें की है ।

श्री धरमपाल--

माननीय मुख्य मंत्री जी के उत्तर के संदर्भ में मैं जानना चाहता हूं कि क्या हिंडालकों को जो बिजली दी जा रही है उसका भुगतान आंशिक रूप से किया जा रहा है तो क्या यही सुविधा आप अन्य उद्योगों को भी देंगे । वह पार्ट पेमेंट कर रहे हैं उनका एग्रीमेंट जून में एक्सपायर कर गया है तो यही सुविधा और उद्योगों को आप देंगे ?

श्री सुनील शास्त्री--

मैंने माननीय सदन को अभी बताया कि हमारा जो बिल है, उसे हर भारी उद्योगों के हिसाब से ही कर रहे हैं और जो भी एरियर्स उन पर आएगा, उसे हम वसूल करेंगे ।

श्री धरमपाल --

यह प्रश्न नहीं है, हम तो यह कह रहे हैं....

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह--

आप धीरे से कहें, पावर थोड़ा कम लगायें ।

श्री धरमपाल--

धीरे ही कह रहा हूं । माननीय मुख्य मंत्री जी और इसके पूर्व सम्बन्धित मंत्री भी बार-बार इस बात को कह चुके हैं कि हिंडालको के साथ एग्रीमेंट समाप्त हो चुका है और रिवाइज्ड एस्टीमेट अभी बना नहीं है और उसके मालिक मनमाना बिजली का पेमेन्ट कर रहे हैं, तो क्या उसी प्रकार की यह सुविधा सभी उद्योगों को दी जाएगी कि वह मनमाने रेट से करते रहें ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह--

मनमाने का प्रश्न नहीं है । इसमें एक शर्त है, जिसको मैं आपके सामने उद्धृत करना चाहता हूं, जिसमें केन्द्र सरकार का अनिवार्य रूप से उसके निमित्त उसका डायरेक्शन लेना आवश्यक हो जाता है । वह पीरियड आफ एग्रीमेंट के सम्बन्ध में इस प्रकार से है--

"दिस एग्रीमेन्ट शैल, सबजैक्ट टू ऐज हियरइन प्रोवाइडेड, शैल रिमेन इन फोर्स फार ए पीरियड आफ फाइव इयर्स फ्राम दि डेट आफ कमेन्समेंट आफ दि सप्लाई अन्डर दिस एग्रीमेंट एण्ड शैल बी रिन्यूड हियर आफ्टर सच टर्म्स एण्ड कंडिशन्स ऐज मे बी म्यूचुअली एग्रीड अपान ह्विच शैल बी इन कनफारमिटी विद दी डायरेक्शन्स आफ दि गवर्नमेन्ट आफ इंडिया आन दि सबजेक्ट ।"

श्री अध्यक्ष--

इसका हिन्दी में अनुवाद कर दीजिए ।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह--

यह है कि एग्रीमेंट पांच वर्ष के लिए लागू रहेगा, पांच वर्ष बाद इन शर्तों पर उसका फिर से नवीनीकरण किया जाएगा और शर्तें ऐसी होंगी जो कि केन्द्र सरकार के निर्देशन के अनुरूप होंगी । मैंने इसके भाव का यह अनुवाद किया है ।

[श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह--]

शाब्दिक और कानूनी भाव दूसरा होगा । चूंकि यह शर्तें खत्म हुई थीं और केन्द्र सरकार का निर्देश आया और इसलिए कि हम उससे ज्यादा लेना चाहते हैं, इसलिए फिर से केन्द्र सरकार से हमने उसका स्पष्टीकरण मांगा है । उसके आते ही हम लोग निर्णय ले लेंगे ।

श्री भीखालाल--

मेरे सप्लीमेंटरी प्रश्न के उत्तर में मंत्री जी ने यह बताया कि जो अनुबन्ध समाप्त हुआ है उस समय अन्तिम दर जो हिन्डालको से ली जाती थी वह 19.57 पैसा थी और 2 परसेंट ड्यूटी थी, तो मैं यह जानना चाहता हूं कि प्रारम्भिक दर क्या थी और समय-समय पर क्या बढ़ाया गया है ?

श्री सुनील शास्त्री--

मान्यवर, हिन्डालको ने 3-4-62 से हमसे बिजली लेना प्रारम्भ किया था, उस समय दर 1.997717 पैसा प्रति यूनिट थी । उसके पश्चात् जब दूसरा एग्रीमेंट हुआ तब जो रेट था वह 11 पैसा प्रति यूनिट का बेसिक रेट था । फिर उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद् ने जब अपनी दरें फिर से रिवाइज कीं, तब 1-7-78 से यह दर 15.1647 पैसा प्रति यूनिट हुई । 1-6-79 से यह दर 18.07 पैसा प्रति यूनिट हो गयी। उसके बाद 18-10-80 से फ्यूल सरचार्ज के कारण 1.05 पैसा प्रति यूनिट और बढ़ाया गया था, और इसी कारण 18-10-78 से हमने 16.6647 पैसे प्रति यूनिट चार्ज किया और 1 जून, 1979 से 19.57 पैसे प्रति यूनिट चार्ज किया ।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्नों का समय समाप्त हुआ ।

अतारांकित प्रश्न

जनपद फैजाबाद में गिरन्ट ब्लाक भीटी ग्राम रामपुर के स्कूल का निर्माण तथा अनियमितताओं के सम्बन्ध में जांच

1--श्री जियाराम शुक्ल विकल साकेती--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनता शासन में ग्राम रामपुर, गिरंट ब्लाक भीटी, जिला फैजाबाद में कोई स्कूल स्वीकृत हुआ था और वह ग्राम रामपुर गिरंट ब्लाक सोहावल में बनवा दिया गया ? क्या इस सम्बन्ध में कोई प्रश्नकर्त्ता का पत्र उप शिक्षा मंत्री को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो आज तक इस पर क्या कार्यवाही हुई ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

जी नहीं ।

ग्राम सुचितागंज के भवन के स्थान पर सार्वजनिक निर्माण विभाग ने ग्राम रामपुर गिरंट ब्लाक सोहावल में क्षेत्रीय विधायक, ग्राम प्रधान व ग्रामवासियों के अनुरोध पर विद्यालय भवन बनाया है, जो अनियमित है । यह स्कूल भवन अभी हस्तगत नहीं किया गया है । बरती गयी अनियमितता के सम्बन्ध में अग्रिम आवश्यक कार्यवाही की जा रही है ।

नोट--अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या 2 के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया ।

प्रगति आश्रम, हाई स्कूल, बालागंज लखनऊ में कार्यरत अध्यापक का स्वीकृत वेतन-क्रम

2--श्री धरमपाल तथा श्री जमुना प्रसाद--

क्या शिक्षा मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि प्रगति आश्रम हाई स्कूल, बालागंज लखनऊ में कार्यरत कितने अध्यापकगण निर्धारित योग्यता एवं प्रशिक्षण प्राप्त हैं और क्या उन्हें स्वीकृत वेतन-क्रम दिया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों और सरकार स्वीकृत वेतन-क्रम दिलाने हेतु क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

प्रगति आश्रम हाई स्कूल बालागंज की प्रबन्ध समिति का चुनाव

3--श्री कुबेर भंडारी तथा श्री नन्द किशोर सिंह--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अखिल भारतीय अपराध निरोधक समिति द्वारा संचालित प्रगति आश्रम हाई स्कूल, बालागंज की प्रबन्ध समिति का शिक्षा सत्र 1970-71 से लेकर 1980-81 तक कब-कब चुनाव हुआ और क्या समय-समय पर विधिवत चुनी गयी प्रबन्ध समितियों को नियमानुसार जिला विद्यालय निरीक्षक की मान्यता प्राप्त थी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा प्रबन्धक को लिखे जाने के उपरान्त भी प्रबन्धक ने कोई सूचना नहीं दी । शेष भाग का प्रश्न नहीं उठता ।

वन विभाग में कार्यरत खूंट मुहर्रिर तथा निकासी मुहर्रिर को नियमित किए जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही

4--श्री जसवन्त सिंह विष्ट--

क्या वन मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि पर्वतीय जिलों में 31-3-81 को वन विभाग के अन्तर्गत कितने खूंट मुहर्रिर तथा निकासी मुहर्रिर सीजनल रूप से कार्य कर रहे हैं उनको कब तक नियमित कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी नौनिहाल सिंह--

पर्वतीय जिलों में, 31-3-81 को वन विभाग के अन्तर्गत 1107 खूंट मुहर्रिर तथा 82 निकासी मुहर्रिर सीजनल रूप से कार्य कर रहे थे । इनको शैक्षिक योग्यता तथा ज्येष्ठता के अनुसार विभिन्न पदों पर, रिक्तियां उपलब्ध होने पर, नियमित किया जा रहा है । ये सभी कब तक नियमित हो जायेंगे, यह निश्चित रूप से बताना सम्भव नहीं है, क्योंकि प्रत्येक वृत्त में एक वर्ष में केवल 5 से 10 तक रिक्तियां ही उपलब्ध हो पाती हैं ।

गढ़वाल तथा कुमायूं मंडलों में पेपर मिल सहारनपुर के लिए चीड़ की लकड़ी का कटान व मूल्य

5—श्री जसवन्त सिंह विष्ट—

क्या वन मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि गढ़वाल तथा कुमायूं मंडलों के किन-किन वन प्रभागों में वन निगम स्टार पेपर मिल, सहारनपुर के लिए 1980-81 में चीड़ का कटान हो रहा है ? उसका मूल्य स्टार पेपर मिल से प्रति क्विन्तल क्या लिया जा रहा है तथा उसका बाजार मूल्य प्रति क्विन्टल क्या है ?

चौधरी नौनिहाल सिंह—

गढ़वाल मंडल के किसी भी वन प्रभाग में वन निगम द्वारा स्टार पेपर मिल्स के लिए वर्ष 1980-81 में चीड़ का कटान नहीं किया जा रहा है ।

कुमायूं मंडल के नैनीताल, पश्चिमी तथा पूर्वी अल्मोड़ा वन प्रभागों में वन निगम द्वारा स्टार पेपर मिल्स, सहारनपुर के लिए 1980-81 (1 अक्तूबर, 1980 से 30 सितम्बर, 1981 तक) में पेंचदार चीड़ का कटान किया जा रहा है । वन निगम केवल कटान, ढुलान एवं ओवरहेड आदि की लागत, जो औसतन रु0 19·35 प्रति क्विन्टल आती है, स्टार पेपर मिल्स से लेता है, वन निगम द्वारा बेचे जा रहे "पल्प उड" का वर्ष 1980-81 का मूल्य रेल हैड डिपो पर 36.54 रु 0 प्रति क्विन्टल है ।

बाराबंकी सूती मिल की चयन समिति में सदस्यों की संख्या तथा स्थायी तथा दैनिक मजदूरों की संख्या

6—श्री श्यामलाल बाजपेयी—

क्या उद्योग मंत्री प्रथम सत्र 1981 के दूसरे मंगलवार के लिए निर्धारित अता0 प्रश्न संख्या 14 के उत्तर के सन्दर्भ में बताने की कृपा करेंगे कि बाराबंकी सूती मिल चयन समिति में कौन-कौन और कितने लोग हैं ? इस समय मिल में श्रमिकों की कुल संख्या में कितने स्थायी और कितने दैनिक मजदूरी पर हैं ? क्या चयन समिति में जिले के विधायकों को भी शामिल करने पर शासन विचार करेगा ?

श्री नियाज हसन खां—

राजकीय कताई मिल बाराबंकी की चयन समिति में निम्नलिखित 6 सदस्य हैं :—

1—मुख्य अधिशासी ।

2—वित्त नियंत्रक एवं मुख्य लेखाधिकारी/लेखाधिकारी ।

3—स्पिनिंग मास्टर/डिप्टी स्पिनिंग मास्टर ।

4—श्रम अधिकारी ।

5—मुख्यालय द्वारा नामित अधिकारी ।

6--सम्बन्धित विभाग के विभागाध्यक्ष वर्तमान समय में मिल में कुल कार्यरत श्रमिकों की संख्या 1293 है। जिनमें से 465 स्थायी और 23 श्रमिक दैनिक मजदूरी पर हैं।

जी नहीं।

7--श्री मोतीलाल देहलवी--

[माननीय सदस्य के सदन की सेवा से निलम्बित किये जाने के कारण निरस्त।]

8--श्री रामस्वरूप निम--

[1ले सोमवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 138 के अन्तर्गत उत्तरित।]

9--श्री रामस्वरूप निम--

[1ले सोमवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 139 के अन्तर्गत उत्तरित।]

जनपद आजमगढ़ में सड़क निर्माण में ली गयी भूमि का मुआवजा

10--श्री पंचानन राय--

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जनपद में पटेल आयोग की संस्तुति पर निर्मित नदवासराय महाराजगंज मार्ग पर स्थित ग्राम अयनपुर के किसानों को सड़क निर्माण में ली गयी भूमि का मुआवजा आज तक नहीं दिया गया है ? यदि हां, तो यह मुआवजा कब तक दिया जायेगा ?

श्री अम्मार रिजवी--

जनपद आजमगढ़ में पटेल आयोग की संस्तुति पर निर्मित नदवा सराय महाराजगंज मार्ग पर ग्राम अयनपुर नहीं पड़ता है। अतः इस मार्ग निर्माण हेतु ग्राम अयनपुर की भूमि अर्जन न किये जाने के कारण वहां किसानों को प्रतिकर देने का कोई प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आजमगढ़ में कार्यरत शिक्षकों का बकाया वेतन की अदायगी तथा शासन द्वारा स्वीकृत अनुदान

11--श्री पंचानन राय--

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि बेसिक शिक्षा परिषद् जनपद आजमगढ़ के अन्तर्गत कार्यरत शिक्षकों का अगस्त, 1972 के पूर्व का कितना वेतन बकाया है और सरकार कृपया यह भी बतायेगी कि इसके भुगतान के लिये शासन द्वारा कोई अनुदान दिया गया था ? इसके बाद भी इसका भुगतान नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

सूचना एकत्र की जा रही है।

जनपद जौनपुर में मछलीशहर से जंघई जाने वाली सड़क का निर्माण कार्य

12--श्री पंचानन राय--

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जौनपुर जनपद में स्थित मछलीशहर से जंघई जाने वाली सड़क को पिच करने का काम लगभग पांच वर्षों से चल रहा है तथा केवल एक तिहाई सड़क का निर्माण हो सका है ? यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा पूरी सड़क कब तक पिच हो जायेगी ?

श्री अम्मार रिजवी--

जी नहीं ।

जी हां ।

डामर उपलब्ध होने पर मार्ग के शेष भाग को पिच कराना सम्भव हो सकेगा ।

जनपद देवरिया मे बलभद्र नारायण इन्टर कालेज, मझौली के हिन्दी प्रवक्ता की जन्म तिथि की जांच

13--श्री नन्द किशोर सिंह--

क्या शिक्षा मन्त्री को जानकारी है कि बलभद्र नारायण इन्टर कालेज, मझौली राज, जिला देवरिया के एक हिन्दी प्रवक्ता राम बहादुर तिवारी की जन्म तिथि हाई स्कूल के मूल प्रमाण-पत्र में कालेज के पुराने अभिलेखों (एस० आर० 70-71) में दिनांक 1-1-17 अंकित है जिसे विगत वर्षों में काट कर 1-1-1919 कर दिया गया है जिससे वे अवैध रूप से आज भी कार्यरत हैं ? यदि हां, तो सरकार इसकी जांच करा कर उचित कार्यवाही करेगी ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

ग्राम दुल्लापुर, थाना सांगीपुर, प्रतापगढ़ में पड़ी डकैती

14--श्री राम लाल वर्मा--

क्या मुख्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि क्या यह सत्य है कि दिनांक 22-1-81 को रात्रि 10.30 बजे ग्राम दुल्लापुर, थाना सांगीपुर, प्रतापगढ़ में पड़ी दुस्साहसिक डकैती डाल कर 8 हरिजन एवं पिछड़े वर्ग के लोगों के घरों को लूटा गया तथा 4 आदमियों को घायल कर दिया गया जिसमें श्री उदय भान सिंह की हालत चिन्ताजनक है ? इसके पूर्व भी विगत दीपावली की रात्रि में उपर्युक्त ग्राम में 4 हरिजन परिवारों को लूटा गया, इन दोनों डकैतियों की रिपोर्ट ग्रामीणों द्वारा सम्बन्धित थानों में दर्ज कराने के बावजूद क्षेत्रीय पुलिस द्वारा अभी तक कोई भी गिरफ्तारी नहीं की गयी ? यदि हां, तो शासन ने अब तक क्या कार्यवाही की ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी नौनिहाल सिंह--

प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक 22/23-1-81 की रात्रि ग्राम दुल्लापुर, थाना सांगीपुर में 6 घरों में डकैती डाली गई जिसमें श्री उदयभान सिंह व जग मोहन को बन्दूक के छर्रों की चोटें आई थीं जो अब ठीक है । शेष तीन व्यक्तियों जिन्हें चोटें आना बताया गया है ने डाक्टरी नहीं कराई । घटना के सम्बन्ध में थाना सांगीपुर में एक अपराध अन्तर्गत धारा 395/397, भा0 द0 वि0 पंजीकृत हुआ । अभी तक की विवेचना से 16 अभियुक्त प्रकाश में आये जिनमें से 9 शिनाख्त न होने के कारण रिहा किये गये । एक की शिनाख्त कार्यवाही शेष है और शेष 6 अभियुक्त फरार हैं जिनके विरुद्ध धारा 82/83 सी0 आर0 पी0 सी0 की कार्यवाही करने हेतु रिपोर्ट न्यायालय में प्रेषित की जा चुकी है । विवेचना जारी है । इसके पूर्व विगत दीपावली की रात्रि में उपर्युक्त ग्राम में डकैती की कोई सूचना थाना सांगीपुर की नहीं है ।

15-16--श्री मोती लाल देहलवी--

[माननीय सदस्य के सदन की सेवा से निलम्बित किये जाने के कारण निरस्त ।]

17--श्रीमती गौरी देवी--

[दूसरे शुक्रवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 96 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

जनपद गोरखपुर में शिक्षकों की परिवार नियोजन के संदर्भ में वेतन की कटौती

18--श्रीमती गौरी देवी--

क्या शिक्षा मन्त्री कृपया बतायेंगे कि गोरखपुर जिले में कितने ऐसे प्राथमिक शिक्षकों की वर्ष 1976 व 1977 परिवार नियोजन के संदर्भ में वेतन व एरियर की कटौती की गई थी ? क्या कुछ शिक्षकों ने उक्त धनराशि प्राप्त करने हेतु वर्ष 1977-78 में बेसिक शिक्षा अधिकारी के यहां आवेदन-पत्र दिया था ? यदि हां, तो उन्हें क्या वेतन आदि का भुगतान कर दिया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

19--श्री हरिवंश सहाय--

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

जफराबाद थाने के अन्तर्गत ग्राम कलन्दरपुर में श्री लल्लू व पतिराज राम की हत्या

20--श्री प्रभू नारायण सिंह--

क्या सरकार को जानकारी हैं कि जौनपुर जनपद के जफराबाद थाना के अन्तर्गत ग्राम कलन्दरपुर (सुल्तानपुर) के लल्लू की माह अप्रैल, 1980 एवं पतिराज राम को दिनांक 8 नवम्बर, 1980 को दिन दहाड़े निर्मम हत्या कर दी गई ? क्या यह भी सत्य है कि हत्यारे सरे आम घूम रहे हैं ? क्या इस आतंक को दूर करके ग्रामीण जन को राहत पहुंचाई जायेगी ?

चौधरी नौनिहाल सिंह--

जी हां । दोनों मामलों में पंजीकृत अभियोगों में विवेचनोपरान्त अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप-पत्र न्यायालय में प्रेषित किये गये । दोनों वाद न्यायालय के विचाराधीन हैं । सम्बन्धित अभियुक्तगण जमानत पर हैं । उपलब्ध सूचना के अनुसार स्थानीय जनता में किसी प्रकार का आतंक नहीं है, फिर भी पुलिस इस बारे में निगाह रख रही है ।

वाराणसी जनपद के प्राथमिक शिक्षकों का भविष्य निधि का अभिलेख

21--श्री प्रभू नारायण सिंह--

क्या शिक्षा मन्त्री कृपया बतलायेंगे कि क्या यह सत्य है कि वाराणसी जनपद के प्राथमिक शिक्षकों का भविष्य निधि का अभिलेख वर्ष 1969 से अब तक अधूरी स्थिति में चला आ रहा है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या सरकार इन अभिलेखों को अविलम्ब पूर्ण करायेगी ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

जी हां ।

अभिलेख पूर्ण न होने का कारण यह है कि जिला परिषद्, वाराणसी से प्राथमिक शिक्षकों के भविष्य निधि के अभिलेख अपूर्ण प्राप्त हुये थे जिनको पूरा कराये जाने की कार्यवाही तत्परता से की जा रही है और वर्तमान प्रगति इकाई अनुसार निम्नवत् है :--

(1) जिला परिषद् इकाई--

वर्ष 1969-70 तक का भविष्य निधि लेखा पूर्ण किया गया है ।

(2) उप परिषद्, भदोही, ज्ञानपुर--

वर्ष 1974-75 तक का भविष्य निधि लेखा पूर्ण किया गया है ।

(3) नगरमहापालिका, वाराणसी--

वर्ष 1979-80 तक का भविष्य निधि लेखा पूर्ण किया गया है।

(4) नगरपालिका, रामनगर--

वर्ष 1979-80 तक का भविष्य निधि लेखा पूर्ण किया गया ।

(5) नगरपालिका, मुगलसराय--

वर्ष 1977-78 तक का भविष्य निधि लेखा पूर्ण है ।

(6) नगरपालिका, भदोही--

वर्ष 1978-79 तक का भविष्य निधि लेखा पूर्ण है ।

जनपद जौनपुर, थाना जलालपुर के ग्राम कुसिया बाजार में पड़ी डकैती

22--श्री प्रभू नारायण सिंह--

क्या गृह मन्त्री को ज्ञात है कि जौनपुर जनपद के पुलिस स्टेशन, जलालपुर के कुसिया बाजार में माह अक्तूबर, 1980 में भीषण डकैती पड़ी थी जिसमें

एक व्यक्ति जान से मारा गया था और कई लोग घायल हुये थे ? क्या उस क्षेत्र के भयग्रस्त लोगों को शान्तिपूर्वक रहने और क्षेत्रीय जनता के संरक्षण हेतु उक्त कोई योजना कुसिया बाजार में पुलिस चौकी स्थापित करने की कोई योजना हैं ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

चौधरी नौनिहाल सिंह--

जी नहीं, जौनपुर जनपद में थाना जलालपुर के अन्तर्गत ग्राम कुसिया बाजार में माह अक्तूबर, 1980 में कोई डकैती नहीं पड़ी ।

प्रश्नगत ग्राम थाना जलालपुर से केवल तीन मील की दूरी पर स्थित है जिसकी देखभाल सम्बन्धित थाने से भली भांति की जा रही है । प्राप्त सूचना के अनुसार क्षेत्र में कोई आतंक व्याप्त नहीं है, अतः वहां चौकी की स्थापना की कोई योजना नहीं है ।

दिनकर बालिका जूनियर हाई स्कूल, जमालपुर, जौनपुर की अध्यापिकाओं का पुनरीक्षित वेतनमान

23--प्रभू नारायण सिंह--

क्या शिक्षा मन्त्री को जानकारी है कि दिनकर बालिका जूनियर हाई स्कूल जमालपुर, जौनपुर की अध्यापिकायें इस समय कुल मिलाकर मात्र एक सौ पैंतिस रुपये मासिक वेतन पाती हैं ? क्या यह भी सत्य है कि उसी विद्यालय में कार्यरत चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी उन अध्यापिकाओं से अधिक वेतन पाती हैं ? क्या सरकार इस विद्यालय में कार्यरत सभी शिक्षिकाओं को पूर्ण और नियमित वेतन दिलाने की व्यवस्था करायेगी ? यदि हां, तो कब से ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

जी हां । जी हां । इनके वेतनमान पुनरीक्षित करने का मामला शासन के विचाराधीन है ।

तेजबहादुर सिंह कैशियर, मेसर्स यू० पी० स्टेट स्पिनिंग मिल्स लिमिटेड के घर चोरी

24--श्री कृष्ण कुमार शुक्ल--

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री तेज बहादुर सिंह, पूर्व हेड कैशियर, स्टेट स्पिनिंग मिल, राय बरेली ने कोई रिपोर्ट 15-10-80 को इस आशय की दर्ज कराई थी कि उक्त मिल के कमरा नं० 44 (लेबर कालोनी) का ताला तोड़कर, जब वह छुट्टी पर बाहर गया था, किन्हीं लोगों ने सारा सामान निकाल लिया ? यदि हां, तो उक्त रिपोर्ट में कौन-कौन अभियुक्त हैं और अब तक उसमें क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी नौनिहाल सिंह--

प्राप्त सूचना के अनुसार श्री तेजबहादुर सिंह, मेसर्स यू० पी० स्टेट स्पिनिंग मिल्स लिमिटेड, रायबरेली में कैशियर थे न कि हेड कैशियर । उनकी सेवाएं दिनांक 30-7-79 से समाप्त कर दी गई थीं । तदुपरान्त वह क्वार्टर नं० 44 (लेबर कालोनी) स्टेट स्पिनिंग मिल्स 13-8-79 को खाली करके चले गये थे । इस प्रकार कथित दिनांक को वह न स्टेट स्पिनिंग मिल्स रायबरेली की सेवा में थे

और न ही मिल के क्वार्टर नम्बर 44 में रह रहे थे। दिनांक 15-10-80 को उन्होंने रायबरेली थाना कोतवाली में कोई रिपोर्ट चोरी की नहीं दर्ज कराई है। ज्ञात हुआ है इन्होंने दिनांक 15-10-80 को धारा 454/382 भा0 दं0 वि0 का एक इस्तगासा कुछ व्यक्तियों के विरुद्ध चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, रायबरेली के यहां दायर किया है जो न्यायालय में विचाराधीन है।

25--श्री गया सिंह--

[स्पष्टीकरण के अभाव में निरस्त।]

26--श्री भोला पाण्डेय तथा श्री प्रियदर्शी जेतली--

[4थे गुरुवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 40 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

उत्तर प्रदेश राज्य कताई मिल अकबरपुर, जिला फैजाबाद स्थित स्पिनिंग मिल में ए0 क्यू0 सी0 इन्वेस्टीगेटर, एकाउन्टेन्ट, अप्रेन्टिस लेबर अफसर के पद पर नियुक्तियां

27--श्री भोला पाण्डेय तथा श्री प्रियदर्शी जेतली--

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश राज्य कताई मिल अकबरपुर, जिला फैजाबाद स्थित स्पिनिंग मिल में माह जनवरी से 15-4-81 तक एस0 क्यू0 सी0 इन्वेस्टीगेटर तथा एकाउन्टेन्ट के खातों में तथा अप्रेन्टिस लेबर अफसर के पद पर किन-किन व्यक्तियों की कब-कब नियुक्तियां की गई हैं ? क्या उक्त पदों पर नियुक्ति के लिये समाचार-पत्रों में विज्ञापन दिया गया था ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या उक्त पदों की भर्ती के लिये सेवायोजन कार्यालय को भी लिखा गया था ? यदि हां तो नियुक्त व्यक्तियों में कितने फैजाबाद जनपद के हैं ?

श्री नियाज हसन खां--

उ0 प्र0 राज्य कताई मिल अकबरपुर, जिला फैजाबाद स्थित स्पिनिंग मिल में 1-1-81 से 15-4-81 की अवधि में एस0 क्यू0 सी0 इन्वेस्टीगेटर (ट्रेनी) के पद पर सर्वश्री पी0 के0 चक्रवर्ती एवं आर0 के0 जैन की नियुक्ति की गई जिन्होंने क्रमशः 1-1-81 तथा 5-1-81 को अपने पद का कार्यभार ग्रहण किया था।

अप्रेन्टिस लेबर आफिसर तथा एकाउन्टेन्ट के पद पर उक्त अवधि में कोई नियुक्ति नहीं की गई।

एस0 क्यू0 सी0 इन्वेस्टीगेटर के पदों के लिए माह दिसम्बर, 1980 में विज्ञापन दिया गया था. सेवायोजन कार्यालय को नहीं लिखा गया था नियुक्त व्यक्तियों में फैजाबाद जनपद का कोई व्यक्ति नहीं है।

28-34--श्री किरन पाल सिंह--

[माननीय सदस्य के सदन की सेवा से निलम्बित किए जाने के कारण निरस्त।]

35--श्री हरिवंश सहाय--

[माननीय सदस्य के सदन की सेवा से निलम्बित किए जाने के कारण निरस्त ।]

राष्ट्रीय इन्टर कालेज, जमुहाई, जौनपुर के शिक्षकों एवं कर्मचारियों के मासिक वेतन से काटे हुए धन को जमा करने में अनियमितता

36--श्री प्रभू नारायण सिंह--

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतलायेंगे कि राष्ट्रीय इन्टर कालेज, जमुहाई, जौनपुर के शिक्षकों एवं कर्मचारियों के मासिक वेतन से गत दो वर्षों में प्राविधायी निधि एवं सी० डी० एस० के काटे गए धन को जमा करने में घोर अनियमितता बरती गई है ? यदि हां, तो क्या सरकार इन अनियमितताओं को दूर कराकर शिक्षकों एवं कर्मचारियों को इस धन का सही वितरण करायेगी ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

माध्यमिक शिक्षक संघ, जौनपुर के अध्यक्ष श्री राम उदय सिंह का शिक्षक संघ की विभिन्न समस्याओं से सम्बन्धित प्रार्थना-पत्र

37--श्री प्रभू नारायण सिंह--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि माध्यमिक शिक्षक संघ, जौनपुर के अध्यक्ष श्री राम उदय सिंह ने उक्त शिक्षक संघ की विभिन्न समस्याओं से सम्बन्धित वर्ष 1980-81 में कितने पत्र जिला विद्यालय निरीक्षक, जौनपुर को लिखे ? उनमें से कितनी समस्याओं का समाधान किया गया ? क्या उनकी सभी समस्याओं का निदान कर दिया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

38-41--श्री फिरंगी प्रसाद विशारद--

[माननीय सदस्य के सदन की सेवा से निलम्बित किये जाने के कारण निरस्त ।]

42--श्री दल सिंगार यादव--

[4थे गुरुवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 36 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

माननीय मंत्रियों के प्रीतिभोज एवं कार्यालय में जलपान में राजकोष का व्यय

43--श्री जसवन्त सिंह विष्ट--

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सन् 1979-80 में माननीय मंत्रियों के प्रीतिभोज एवं कार्यालय में जलपान में कितना राज कोष का व्यय हुआ है ? उक्त व्यय को रोकने की कोई व्यवस्था मुख्य मंत्री करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह--

वर्ष 1979-80 में इस मद पर कुल 3,55,738 रुपये का व्यय हुआ था। अधिक से अधिक मितव्ययिता के द्वारा इस व्यय को निम्नतम रखे जाने का प्रयास किया जा रहा है।

44--श्री जसवन्त सिंह विष्ट--

[3 मई बुधवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 4 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

45--श्री मोती लाल देहलवी--

[17-3-81 को अतारांकित प्रश्न संख्या 150 द्वारा उत्तरित]

जनता शासन में अतिरिक्त जिला शासकीय अधिवक्ता के पद का विभिन्न जिलों में सृजन तथा आजमगढ़ जनपद के अतिरिक्त जिला अधिकारी के विरुद्ध गम्भीर शिकायतें

46--श्री तपेश्वर तथा श्री हरदेव--

क्या न्याय मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनता शासन में इस प्रदेश में कितने और किन-किन जिलों में अतिरिक्त जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) के पद का निर्माण किया गया उक्त पद के निर्माण से शासन पर कितना अधिक व्यय बढ़ा है? आजमगढ़ जनपद के अतिरिक्त जिला सरकारी वकील (फौजदारी) श्री हवलदार सिंह के विरुद्ध भ्रष्टाचार एवं अयोग्यता आदि की अनेक गम्भीर शिकायतें न्याय मन्त्री को प्राप्त हो चुकी हैं? यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गयी?

श्रम मन्त्री (श्री जगदीश चन्द्र दीक्षित)--

जनता शासन में उत्तर प्रदेश के निम्न 14 जिलों में अतिरिक्त जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) के एक-एक पद सृजित किये गये थे "आजमगढ़, बिजनौर बदायूं, बुलन्दशहर, देवरिया, एटा, फतेहपुर, फर्रुखाबाद, हरदोई, खीरी, प्रतापगढ़, सहारनपुर, शाहजहांपुर, सीतापुर" इन पदों के सृजन से शासन को 19,600 रु0 प्रतिमाह का व्यय बढ़ा है।

जी हां। श्री सिंह के विरुद्ध जांच करायी गई किन्तु अभी जांच पूर्ण नहीं हो पाई है। जिन-जिन मामलों में जांच की रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है उस से श्री सिंह के विरुद्ध भ्रष्टाचार एवं अयोग्यता का आरोप सिद्ध नहीं होता।

47--श्री हरिवंश सहाय--

[माननीय सदस्य के सदन की सेवा से निलम्बित किये जाने के कारण निरस्त]

मीरजग कुख्यात डकैत की पुलिस मुठभेड़ में मृत्यु तथा एस0 ओ0 कैराना के विरुद्ध सी0 आई0 डी0 द्वारा जांच

48-49--श्री ऊदल--

क्या गृह मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि अमीरजंग निवास अलीपुर, थाना कैराना, जिला मुजफ्फरनगर को एस0 ओ0, कैराना घर से ले जाकर 30 नवम्बर,

1980 की रात में मुठभेड़ दिखाकर गोली मार दी ? क्या अमीरजंग के पिता ने 29 जनवरी, 1981 को जिलाधीश मुजफ्फरनगर को प्रार्थना-पत्र दिया है कि एस0 ओ0 कैराना गवाहों को धमका डरवा रहा है, उसके रहते इन्क्वायरी नहीं हो पायेगी ? यदि हां, तो अब तक एस0 ओ0 कैराना को वहां से क्यों नहीं हटाया गया क्या सरकार इस मामले की जांच सी0 आई0 डी0 से कराने पर विचार करेगी ? क्या गृह मन्त्री बताने को कृपा करेंगे कि अमीरजंग के खिलाफ इन काउन्टर कराने के पूर्व कोई केस डकैती चोरी लूट या गुन्डागर्दी का चला है ? यदि हां, तो कब-कब और उसमें क्या फैसला हुआ है ?

चौधरी नौनिहाल सिंह--

प्राप्त सूचना के अनुसार यह कहना सही नहीं है कि अमीरजंग (सही नाम मीरजंग) को उसके घर ग्राम अलीपुर थाना कैराना से पकड़ कर ले जाया गया था, बल्कि दिनांक 30-11-80 को ग्राम बुच्चाखेड़ी थाना कैराना, जिला मुजफ्फर-नगर के समीप मीरजंग नामक कुख्यात डकैत पुलिस मुठभेड़ में मारा गया है। मामले की मैजिस्टीरियल जांच एवं उक्त मृतक के पिता द्वारा दिये गये प्रार्थना-पत्र की जांच परगना मैजिस्ट्रेट, कैराना द्वारा की जा रही है। उनकी जांच पूर्ण होने पर थानाध्यक्ष कैराना को हटाने एवं प्रश्नगत मामले की जांच अपराध अनुसंधान विभाग को सौंपे जाने के औचित्य पर विचार किया जायेगा।

प्राप्त सूचना के अनुसार कथित मुठभेड़ में मारे जाने से पूर्व डकैत मीरजंग के विरुद्ध वर्ष 1977 से 1980 तक धारा 399/402/392/379 भा0 दं0 वि0 एवं 25 शस्त्र अधिनियम तथा 5 विस्फोटक अधिनियम के अन्तर्गत कुल 11 अपराध पंजीकृत किये गये। उक्त अपराधों में से एक में मृतक वांछित था और एक में रिहा हुआ शेष मुकदमें न्यायालय के विचाराधीन हैं।

श्री बाबू लाल साहू, निवासी गुदरी बाजार, झांसी के आवेदन-पत्र में अंकित परिवादों की जांच

50-51--श्री ऊदल--

क्या गृह मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि बाबू लाल साहू पुत्र नारायण दास, 112 गुदरी बाजार, झांसी ने एक प्रार्थना-पत्र माननीय मुख्य मन्त्री को डाक द्वारा 1-2-81 को भेजा है और उसकी प्रतिलिपि एस0 एस0 पी0 आगरा एस0पी0 मथुरा, एस0 एस0 पी0, जी0 आर0पी0, आगरा को भेजी है कि आगरा कैन्ट स्टेशन पर दो रायफलधारी पुलिस उन्हें पकड़ कर ले गए और उनका 25·45 रु0 ले लिया और जेब कटी में ट्रेन में बिठाकर मथुरा ले गये और बगल के थाने में बन्द करा दिया यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी ? क्या गृह मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उक्त थाने की पुलिस जिला मथुरा ता0 31-1-81 को मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया और मजिस्ट्रेट ने दफा 122 के अधीन 10 रु0 जुर्माना किया? यदि हां, तो उक्त फर्जी मुकदमें के सम्बन्ध में क्या सरकार जांच करायेगी ?

चौधरी नौनिहाल सिंह--

प्राप्त सूचना के अनुसार बाबू लाल पुत्र नारायन दास निवासी मकान नं0 112 मुरारी बाजार, थाना कोतवाली, जनपद झांसी को मथुरा रेलवे जंकशन पर रेलवे अधिनियम की धारा 122/532 के अन्तर्गत गिरफ्तार किया गया। दिनांक 31-1-81 को उपरोक्त अभियुक्त को न्यायाधिकारी रेलवे मथुरा के समक्ष प्रस्तुत किया गया। अभियुक्त द्वारा अपराध स्वीकार करने पर रेलवे न्यायाधिकारी मथुर

ने अपराधी को 10 रु0 का आर्थिक दंड प्रदान किया। दंड अदा न करने पर न्यायाधिकारी द्वारा उसे 7 दिवस का कठोर कारागार का दंड प्रदान किया गया।

उपरोक्त श्री बाबू लाल साहू के आवेदन-पत्र, दिनांक 1-2-81 में अंकित परिवादों की जांच की जा रही है।

जिला वाराणसी के थाना गोपीगंज में पुलिस के खिलाफ बलात्कार की जांच

52--श्री ऊदल--

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि फरवरी, 1981 में थाना गोपीगंज, जिला वाराणसी की पुलिस के खिलाफ बलात्कार की सूचना सी0 ओ0 ज्ञानपुर तथा एस0 डी0 एम0 ज्ञानपुर को दी गयी है ? यदि हां, तो तथ्य क्या हैं और इस संबंध में क्या कार्यवाही की गयी है ?

चौधरी नौनिहाल सिंह--

प्राप्त सूचना के अनुसार परगनाधिकारी, ज्ञानपुर जनपद वाराणसी को श्रीमती संवारी देवी, निवासिनी ग्राम इब्राहीमपुर, थाना गोपीगंज से 10-2-81 को एक, प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुआ था जिसमें चौकीदार व अन्य के विरुद्ध प्रार्थना के साथ बलात्कार करने का आरोप लगाया गया था जांच से आरोप प्रमाणित नहीं हुआ।

श्री अली अहमद सहायक अध्यापक, उर्दू का स्थानान्तरण निरस्त करने संबंधी प्रार्थना-पत्र पर की गयी कार्यवाही

53--श्री ऊदल--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बेसिक शिक्षा अधिकारी, वाराणसी के आदेश संख्या नियुक्त/उर्दू अध्यापक जूनियर हाई स्कूल 3396/73-74, दिनांक 15-73/18 के आधार पर अली अहमद की सीधे स्थायी नियुक्ति जूनियर हाई स्कूल दुर्गाकुंड वाराणसी में की गयी थी और कार्यालय शिक्षा अधीक्षक नगरमहापालिका वाराणसी ने आदेश संख्या शिक्षा 342/6/80-81, दिनांक 21-10-80 के द्वारा अली अहमद स0अ0 का जूनियर हाई स्कूल, दुर्गाकुंड, वाराणसी प्रा0 पा0/क0 जू0 हाई स्कूल चितईपुर नगरमहापालिका वाराणसी में कर दिया गया। यदि, हां, तो क्यों? क्या इस संबंध में अली अहमद जूनियर हाई स्कूल दुर्गाकुंड ने माननीय शिक्षा मंत्री को 3-1-81 व उसके पिता ने सचिव बेसिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद 30-12-80 तथा बेसिक शिक्षा अधिकारी वाराणसी को 12-12-80 सचिव को, 12-12-80 को प्रार्थना-पत्र दिये हैं, यदि हां, तो इसपर क्या कार्यवाही की गई ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

श्री अली अहमद, सहायक अध्यापक, उर्दू की नियुक्ति बेसिक शिक्षा अधिकारी वाराणसी के आदेश दिनांक 15/18 सितम्बर, 1973 द्वारा जूनियर हाई स्कूल दुर्गकुन्ड वाराणसी में नितांत स्थायी रूप से की गई थी। प्राइमरी एवं जूनियर हाई स्कूल में कार्यरत ट्रेन्ड उर्दू अध्यापकों की नियुक्तियां एक ही वेतनक्रम रु0 185-3-215-4-235-6-265 में की गई थी। श्री अली अहमद स0 अ0 उर्दू का स्थानान्तरण वार्षिक प्रबन्ध में प्रशासनिक आधार पर जिला स्थानान्तरण समिति

की स्वीकृति के उपरान्त बेसिक प्राइमरी पाठशाला, चितईपुर, नगर महापालिका वाराणसी पर उसी वेतनमान एवं स्तर पर किया गया। श्री अली अहमद ने स्थानान्तरण के निरस्त करने के संबंध में विभिन्न अधिकारियों को प्रार्थना-पत्र दिये थे जो जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, वाराणसी को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजे गये। जिला समिति ने शासन द्वारा स्थानान्तरण पर लगे रोक को दृष्टिकोण में रखते हुये इनके आवेदन-पत्र पर स्थानान्तरण आदेश निरस्त करना उचित नहीं समझा। शासन द्वारा यह रोक 31 मई, 1980 तक लगाई गई थी जिससे कि शिक्षा सत्र के मध्य में स्थानान्तरण के कारण शिक्षण कार्य पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। इसी बीच उक्त अध्यापक ने स्थानान्तरण के प्रकरण पर स्थगन आदेश हेतु उत्तर प्रदेश लोक सेवा अधिकरण लखनऊ में वाद प्रस्तुत कर दिया, जो अधिकरण के विचाराधीन है और ऐसी दशा में अब जब तक अधिकरण का निर्णय नहीं हो जाता, उनके प्रार्थना-पत्र पर विचार किया जाना संभव नहीं है।

वन विभाग द्वारा प्रकाशित विज्ञापन में चयनित रेंजर्स कोर्स के प्रशिक्षण हेतु आश्वासन

54--श्री ऊदल--

क्या शासन को ज्ञात है कि जून, 1976 में जूनियर फारेस्ट रेंजर्स के चयन हेतु वन विभाग द्वारा प्रकाशित विज्ञापन में अभ्यर्थियों को यह आश्वासन दिया गया था कि चयनित अभ्यर्थी द्वारा 3 वर्ष की सेवा पूरी करने पर उसे रेंजर्स कोर्स के प्रशिक्षण हेतु नार्दर्न फारेस्ट कालेज, देहरादून को भेज दिया जायगा ? यदि हां, तो इस आश्वासन के संबंध में क्या उचित कार्यवाही की गई ?

चौधरी नौनिहाल सिंह--

जी हां। नयी अधीनस्थ वन सेवा नियमावली के प्रालेख्य में इस हेतु आवश्यक प्राविधान सम्मिलित कर दिया गया है।

जनपद मैनपुरी के थाना फरिहा की पुलिस के विरुद्ध शिकायती-पत्र

55--श्री ऊदल--

क्या सरकार को ज्ञात है कि जनपद मैनपुरी के थाना फरिहा पुलिस के विरुद्ध श्री कायम सिंह, पुत्र एवज सिंह, निवासी, फाजिलपुर जरैला, थाना फरिहा (मैनपुरी) के, मुख्य मंत्री उत्तर प्रदेश शासन एवं पुलिस अधीक्षक, मैनपुरी को दिनांक 27-8-80 तथा 1-1-81 को शिकायती-पत्र प्राप्त हुए ? यदि हां, तो अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

चौधरी नौनिहाल सिंह--

वांछित सूचना एकत्रित की जा रही है।

जिला बांदा के ग्राम वीर धुनाई सुर्की, थाना कामासिन के हरिजनों का बन्दूक के लाइसेन्स हेतु प्रार्थना-पत्र

56--श्री ऊदल--

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गांव वीर धुनाई सुर्की, थाना कामासिन जिला बांदा के सिधुवा, बोरा, प्रताप भोंड़ा, मंगलवा ने प्रार्थना-पत्र एस0 डी0 एम0 कर्वी, जिला बांदा को 25 जनवरी, 1980 को बन्दूक के लाइसेन्स के

लिये दिया है और क्या यह भी सत्य है कि इन लोगों को ता0 12-1-80 को गोली से घायल कर दिया गया था ? यदि हां, तो उपरोक्त व्यक्ति जाति के हरिजन हैं यदि हां, तो इन्हें सुरक्षा हेतु बंदूक का लाइसेंस न देने के कारण क्या है और पुलिस द्वारा इनकी जांच रिपोर्ट न भेजने का कारण क्या है ?

चौधरी नौनिहाल सिंह--

ग्राम वीर घुमाई सुर्की, थाना कामासिन जिला बांदा के सर्वश्री सिधुवा चौरा, प्रताप, भोंडा, मंगलवा ने दिनांक 25-1-80 को बन्दूक के लाईसेन्स हेतु आवेदन-पत्र दिया था । उपरोक्त प्रार्थी हरिजन हैं । दिनांक 12-1-80 को हुई घटना में श्री सिधुआ को बन्दूक और लाठी की चोटें आई तथा शेष सर्वश्री वीर, प्रताप, भोंडा व मंगलवा को कोई चोट का आना नहीं पाया गया । इनके प्रार्थना-पत्र पर पुलिस की जांच आख्या प्राप्त हो गयी है । प्रार्थना-पत्र के निस्तारण हेतु नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है ।

लखीमपुर-खीरी के ग्राम भिखारीपुर, थाना गोला गोकरन नाथ की कुमारी सरोज के साथ पुलिस कर्मियों द्वारा बलात्कार की जांच

57--श्री ऊदल--

क्या गृह मन्त्री को जानकारी है कि ग्राम भिखारीपुर थाना गोला गोकरन, जिला लखीमपुर-खीरी की कुमारी सरोज जो बढ़ई जाति की है जिसे 10 फरवरी, 1981 को थाने पर ले जाया गया और उसे वीरान में किसी मकान में बन्द कर दिया और तारीख 11, 12 फरवरी को थानेदार जगमोहन सिंह व सिपाही नरेन्द्र सिंह ने तथा दो अन्य लोगों ने उक्त बालिका के साथ बलात्कार किया ? क्या यह भी सही है कि सरोज के भाई राम कुमार को पुलिस पकड़ ले गई है जिसका अब तक पता नहीं है ? यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री चौधरी नौनिहाल सिंह--

ग्राम भिखारीपुर, थाना गोला गोकरन नाथ जिला लखीमपुर-खीरी में दिनांक 10 फरवरी, 1981 को बढ़ई जाति की बालिका कुमारी सरोज के साथ पुलिस कर्मियों द्वारा कथित बलात्कार की घटना पूर्णतः असत्य है । प्राप्त सूचना के अनुसार दो व्यक्तियों, दिनेश व हरवंश द्वारा कुमारी सरोज के साथ कथित बलात्कार की रिपोर्ट, दिनांक 11 फरवरी, 1981 को लिखाई गयी जिस पर भा0 दं0 वि0 की धारा 376 के अन्तर्गत पंजीकृत अभियोग की विवेचना प्रचलित है ।

कुमारी सरोज के भाई श्री राम कुमार अपने घर पर ही हैं, अतः पुलिस द्वारा उन्हें पकड़ कर ले जाने तथा उनके लापता होने की बात भी सत्य नहीं है ।

टाउन एरिया चकिया, जिला वाराणसी में पुलिया का निर्माण कार्य

58—श्री ऊदल—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि टाउन एरिया चकिया, जिला वाराणसी में जाने वाली सड़क पर सार्वजनिक निर्माण विभाग का पुल नाले का टूट गया है जिसको आज तक नहीं बनाया गया है ? यदि हां, तो इसका क्या कारण है ?

श्री अम्मार रिजवी—

जी नहीं । केवल पुल की डेकिंग के लकड़ी के कुछ स्लीपर टूट गये थे जिसकी मरम्मत कर दी गई थी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

थाना बड़ा गांव, जिला वाराणसी में आंतकवादियों द्वारा लूट तथा मोती बनाने की मशीन टूटने पर पीड़ित व्यक्तियों को सहायतार्थ वितरित धनराशि

59- श्री ऊदल—

क्या गृह मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि गांवा पुआंरी (शंखापर), थाना बड़ा गांव, जिला वाराणसी में तारीख 10 फरवरी, 1981 को समय 3 बजे दिन से खपरैल के दो मंजिला दसियों एक मंजिला बीसों एवं 20 झोपड़ियों को 6 बजे शाम तक आतंकवादियों ने जला डाला है और क्या साइकिल, ट्रांजिस्टर एवं घड़ियों तथा दूसरे सामानों को लूट लिया है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी ?

चौधरी नौनिहाल सिंह—

प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक 10 फरवरी, 1981 को करीब 3.00 बजे दिन में 19 व्यक्तियों द्वारा जो अस्त्र–शस्त्र से सुसज्जित थे राजभरो के पुरवा (शंखा) पर पहुंच कर फायरिंग के साथ लूट–पाट की तथा 36 घरों को आग लगा दी जिससे कुछ घर पूर्णतया तथा कुछ आंशिक रूप से जल गये । इसके अतिरिक्त जो सामान मिला उसे लूटा गया ।

थाना बड़ा गांव पर सूचना प्राप्त होने पर उक्त घटना के सम्बन्ध में एक अभियोग अन्तर्गत धारा 147/148/149/395/397/436/427/307/323 भा0 दं0 वि0 व 27/28 आर्म्स एक्ट थाना बड़ा गांव में 19 नामांकित व्यक्तियों के विरुद्ध पंजीकृत किया गया । 18 अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप–पत्र प्रेषित किया जा चुका है व शेष एक के विरुद्ध भी आरोप–पत्र प्रेषित करने के आदेश दिये जा चुके हैं ।

60—श्री ऊदल—

क्या गृह मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि पुआंरी (शंखापर), जिला वाराणसी, गांव में मोती बनाने की 30/35 मशीनें थीं? यदि हां, तो क्या यह सत्य है कि सभी मशीनों को जला दिया गया या तोड़ डाला गया है ? क्या सरकार उन गरीबों की मोती बनाने हेतु मशीन देने की व्यवस्था करेगी ?

चौधरी नौनिहाल सिंह—

ग्राम पुआरी (शंखा) जिला वाराणसी में मोती बनाने की 30/35 मशीनें थीं, जिनको प्राप्त सूचना के अनुसार तोड़-फोड़ कर जला दिया गया। इस घटना से पीड़ित लोगों को मशीनें दिलाने के लिए ऋण-आवेदन-पत्र जिला सहकारी बैंक, आयर ब्लाक हरहुआ को रु0 5,100 प्रति पीड़ित परिवार के हिसाब से संस्तुति की जा चुकी है। प्रदान की जाने वाली ऋण धनराशि से मशीनें क्रय करना प्रस्तावित है।

61—श्री ऊदल—

क्या गृह मन्त्री को पता है कि गल्ला आलू, गुड़ एवं कपड़ा, रजाई आदि जला कर राख कर दिया गया है ? यदि हां, तो सरकार ने अब तक कितनी सहायता किन-किन व्यक्तियों को दी है ?

चौधरी नौनिहाल सिंह—

प्रश्नगत घटना में 45 प्रभावित परिवारों को 79,610 रु0 की धनराशि सहायतार्थ वितरित की जा चुकी है। सहायता प्राप्त व्यक्तियों की सूची संलग्न है।

(देखिये नत्थी क, आगे पृष्ठ 1279 पर।)

मेसर्स जय इन्डस्ट्रीज, इंगलिशिया लाइन, वाराणसी में अल्यूमिनियम के बर्तन बनाने का कारखाना, बिक्री की रिपोर्ट तथा कार्यरत श्रमिकों की संख्या

62—श्री ऊदल—

क्या उद्योग मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जय इन्डस्ट्रीज, इंगलिशिया लाइन, वाराणसी हिंडालियम का बर्तन बनाने का सबसे बड़ा कारखाना वाराणसी में है और प्रत्येक वर्ष में लाखों का बर्तन बनाता है ? यदि हां, तो क्या उसके बनाये हुए बर्तन की बिक्री एवं उसके हिसाब-किताब की कोई रिपोर्ट उद्योग विभाग के पास है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री नियाज हसन खां—

वाराणसी जनपद में मेसर्स जय इन्डस्ट्रीज इंगलिशिया लाइन, वाराणसी अल्यूमिनियम के बर्तन बनाने का कारखाना है। अल्यूमिनियम का बर्तन बनाने का कार्य 1975 से बन्द होने के कारण बर्तन नहीं बनाया जाता है। बर्तन बनाने का कार्य बन्द होने के कारण बर्तन की बिक्री एवं उसके हिसाब-किताब की रिपोर्ट का प्रश्न नहीं उठता है।

जनपद वाराणसी के जय इंडस्ट्री इंगलिशिया लाइन में कोटा बढ़ाने हेतु प्रार्थना-पत्र

63—श्री ऊदल—

क्या उद्योग मंत्री बतायेंगे कि उक्त जय इन्डस्ट्री इंगलिशिया लाइन, वाराणसी के हिंडालियम के बर्तन बनाने के लिए सैकड़ों मजदूर एवं लाखों की मशीन देखते हुए उसका अल्युमिनियम शीट का कोटा चगुना करने पर विचार करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या इसका कारखाना शुरू से लेकर आज तक चलाया गया है ? यदि हां, तो कितने श्रमिक रजिस्टर्ड उक्त उद्योग में कार्य कर रहे हैं ?

श्री नियाज हसन खां--

जय इन्डस्ट्री, इंगलिशिया लाइन वाराणसी ने कोटा बढ़ाने हेतु कोई प्रार्थना पत्र नहीं दिया है जिस कारण विचार करने का प्रश्न नहीं उठता है। इकाई वर्ष 1966 में स्थापित हुई थी। सम्प्रति यह आल्यूमिनियम के वाश वेशिन आदि बना रही है इकाई के रजिस्टर के अनुसार इस समय 8 व्यक्ति कार्यरत हैं। जनवरी एवं फरवरी, 81 में 10 व्यक्ति कार्यरत थे।

उत्तर प्रदेश निर्यात निगम को कालीन स्पिनिंग मिल के निर्माणार्थ दी गई भूमि तथा उक्त मिल में गांव सभा के लोगों की नियुक्ति में प्राथमिकता

64-श्री ऊदल--

क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गांव समाज अहमदपुर फुलवरियां ब्लाक, भदोहीं, जिला वाराणसी ने 29-2-76 को एक प्रस्ताव पास करके आराजी नं 174, 175 रकबा 12 बीघा, 13 बिस्वा यू0 पी0 ई0 सी0 (ऊनी कालीन स्पीनिंग मिल), भदोही, वाराणसी का निर्माण करने हेतु बिला कुछ लिए ही इस शर्त पर दिया था कि उक्त मिल में गांव सभा के लोगों को नियुक्ति में प्राथमिकता दी जायगी ? यदि हां, तो उक्त मिल में कितने कर्मचारी कार्यरत हैं और उनमें गांव सभा अहमदपुर फुलवरिया के कितने लोग रक्खे गए हैं ?

श्री नियाज हसन खां--

गांव समाज अहमदपुर फुलवरिया जिला वाराणसी की लगभग 12 बीघा 13 बिस्वा भूमि उत्तर प्रदेश निर्यात निगम को ऊनी कालीन स्पिनिंग मिल के निर्माणार्थ गांव समाज द्वारा 29-2-1976 को पारित प्रस्ताव के अनुसार बिना किसी शर्त के, जनहित मे मुफ्त दी गई।

गांव समाज ने अपनी उपरोक्त बैठक के माध्यम से यह अनुरोध किया था कि उनके गांव सभा के व्यक्तियों को इस मिल में उनके योग्य कार्य पर नियुक्त करने में प्राथमिकता दी जाय।

उक्त मिल में कुल 163 कार्यकर्ता हैं, जिनमें से 5 (पांच) व्यक्ति अहमदपुर फुलवरिया के हैं।

नेशनल इन्टर कालेज के प्रधानाचार्य, श्री एस0 एल0 वैश्य के विरुद्ध प्रश्न-पत्र आउट करने का आरोप

65-श्री भीखालाल--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि नेशनल इन्टर कालेज के प्रधानाचार्य श्री एस0 एल0 वैश्य हाई स्कूल परीक्षा, 1980 के प्रश्न-पत्र आउट करने के आरोप में 14 मई, 1980 को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए थे ? यदि हां, तो उनके विरुद्ध मुकदमा कायम किया था ? यदि हां, तो उसमें क्या कार्यवाही हो रही है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

जी हां।

बाद में मामले की पूर्ण विवेचना में इस बात की पुष्टि नहीं हुई कि उक्त प्रश्न-पत्र की गोपनीयता उक्त कालेज में तथा श्री वैश्य द्वारा भंग की गई थी। अतएव, किसी के विरुद्ध अभियोजन नहीं किया गया।

मोदी कपड़ा मिल, गाजियाबाद में श्रमिकों के मध्य मारपीट तथा घटना की जांच

66-श्री भीखालाल--

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 13/14 फरवरी की रात में मोदी कपड़ा मिल जिला गाजियाबाद में गुन्डों ने मिल के कर्मचारियों पर घातक हमला किया छतों पर से पत्थर बाजी की जिसके परिणामस्वरूप लगभग 20 कर्मचारियों को चोटें आईं ? क्या यह सही है कि कर्मचारियों को भारतीय दण्ड विधान की विभिन्न धाराओं में गिरफ्तार किया गया ? यदि हां, तो घटना का पूर्ण विवरण क्या है ?

चौधरी नौनिहाल सिंह--

प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक 13/14-2-81 को रात्रि में मोदी कपड़ा मिल, गाजियाबाद के अन्दर, मिल के दो श्रमिक संगठनों के समर्थकों के मध्य मारपीट की घटना हुई, जिसके फलस्वरूप एक संगठन के 47 श्रमिकों को चोटें आईं, जिसमें 11 के गम्भीर व अन्य के साधारण चोटें थी। दूसरे संगठन के 11 व्यक्तियों को साधारण चोटें आईं। छतों पर से कोई पथराव नहीं किया गया। उक्त घटना के सम्बन्ध में दिनांक 14-2-81 को थाना मोदीनगर पर अपराध संख्या 94 अन्तर्गत धारा 147/148/323/324/325/307 भा० दं० वि० तथा अपराध संख्या 94 ए अन्तर्गत धारा 147/148/323/324/307 भा० दं० वि० पंजीकृत हुये। इस सम्बन्ध में 28 अभियुक्तों के गिरफ्तारियां की गई तथा शेष 25 ने न्यायालय में आत्मसमर्पण किया। विवेचना से अपराध संख्या 94 सही पाया गया तथा उक्त 53 अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किए गए। अपराध संख्या 94 ए में साक्ष्य के अभाव में अन्तिम रिपोर्ट प्रेषित की जा चुकी है।

नेशनल इन्टर कालेज, लखनऊ में चपरासियों के वेतन के सम्बन्ध में जांच

67-श्री भीखालाल--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि नेशनल इन्टर कालेज, लखनऊ में गत 5-6 वर्ष से 6 चपरासियों का वेतन निकाला जा रहा है, जब कि वे लोग डिग्री कालेज में काम नहीं करते हैं बल्कि नेशनल इन्टर कालेज में काम करते हैं और वहीं वे वेतन पाते हैं ? यदि नहीं, तो डिग्री कालेज और इन्टर कालेज में काम करने वाले चपरासियों के नाम क्या हैं और किन नामों से वेतन निकाला जाता है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

इस शिकायत पर जांच कराई गई थी परन्तु आरोप सिद्ध नहीं पाये गये। फिर भी आरोप की गम्भीरता देखते हुए शिक्षा विभाग और जांच कराने पर विचार कर रहा है।

संस्थापक एवं अध्यक्ष श्री सुन्दर लाल वर्मा, किसान माध्यमिक विद्यालय, कुन्दन गनेशपुर, फर्रुखाबाद के प्रार्थना-पत्र पर कार्यवाही

68--श्री भीखालाल--

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि दिनांक 30-1-81 को उप शिक्षा निदेशक, चतुर्थ मन्डल, इलाहाबाद को कैम्प फतेहगढ़ में श्री सुन्दर लाल वर्मा संस्थापक एवं अध्यक्ष किसान माध्यमिक विद्यालय, कुन्दन गनेशपुर फर्रुखाबाद द्वारा दिये गये प्रार्थना-पत्र दिनांक 30-1-81 पर क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

69--श्री भीखालाल--

[आश्वासन समिति में विचाराधीन होने के कारण निरस्त ।]

जनपद जालौन में संगीत अध्यापक, श्री देवेन्द्र नाथ मिश्र की नियुक्ति राजकीय इण्टर कालेज, कादौर बावनी

70--श्री भीखलाल--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उप शिक्षा निदेशक, झांसी मंडल के आदेश संख्या नियुक्ति संख्या 2 (1) 80-81, दिनांक 22-11-80 द्वारा श्री देवेन्द्र नाथ मिश्र की नियुक्ति सी० टी० ग्रेड में राजकीय इन्टर कालेज, कादौर बावनी, जिला जालौन में की गई थी, लेकिन उनको अभी तक उक्त कालेज में चार्ज नहीं दिया गया ? यदि हां, तो ऐसा क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

जी हां ।

विद्यालय में संगीत अध्यापक की रिक्ति के अभाव में उन्हे कार्यभार ग्रहण नहीं कराया जा सका था । कथित नियुक्ति निरस्त भी की जा चुकी है ।

जनपद शाहजहांपुर में प्राइमरी शिक्षकों की भविष्य निधि की पास बुक खोलने के सबंध में कार्यवाही

71--श्री भीखलाल--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि जिला शाहजहांपुर में प्राइमरी शिक्षकों की भविष्य निधि की पास बुकें नहीं खोली गई ? यदि हां, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

जनपद शाहजहांपुर के नगर एवं ग्रामीण क्षेत्र के सभी शिक्षकों की भविष्य निधि की पास बुकें खोल दी गयी हैं परन्तु कार्याधिक्य के कारण उनमें प्रविष्टियां पूरी नहीं की जा सकी हैं, जिन्हें पूरा कराने का प्रयास किया जा रहा है । लिपिकों की कमी के कारण विलम्ब हुआ है ।

थाना अल्लागंज, जिला शाहजहांपुर की पुलिस द्वारा बदरी विशाल डिग्री कालेज, फर्रुखाबाद के छात्र महेश चन्द्र को बेजा हिरासत में रखना

72--श्री भीखालाल--

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री महेश चन्द्र पुत्र श्री सुख राम विद्यार्थी बी० ए० प्रथम वर्ष बदरी विशाल डिग्री कालेज, फर्रुखाबाद में प्रार्थना-पत्र दिनांक 20-11-80 द्वारा मा० मुख्य मंत्री को यह शिकायत की थी कि थाना अल्लागंज, जिला शाहजहांपुर की पुलिस ने उनको 22 घंटे तक बेजा हिरासत में रखा ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

चौधरी नौनिहाल सिंह--

प्रश्नगत प्रार्थना-पत्र शासन को प्राप्त नहीं हुआ है । जहां तक श्री महेश चन्द्र पुत्र श्री सुखराम विद्यार्थी को थाना अल्लागंज की पुलिस द्वारा 22 घंटे तक बेजा हिरासत में रखने का प्रश्न है, जांच से आरोप प्रमाणित नहीं हुए ।

जिला इलाहाबाद में हरिजन की झोपड़ियां जलाने संबंधी रिपोर्ट एवं अभियुक्तों की गिरफ्तारी

73--श्री भीखालाल--

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम चपरतला, थाना मेजा, जिला इलाहाबाद में हरिजनों की झोपड़ियां जलाने के सम्बन्ध में एक रिपोर्ट थाना कर्नलगंज, जिला इलाहाबाद में मुकदमा नं० 774 धारा 147/436 भा० द० वि०, दिनांक 7-11-80 में दर्ज की गई थी ? यदि हां, तो क्या मुकदमें की विवेचना करके अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई अथवा नहीं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी नौनिहाल सिंह--

प्राप्त सूचना के अनुसार प्रश्न में उल्लिखित घटना के संबंध में दिनांक 7-11-80 को आशा राम हरिजन व अन्य निवासीगण ग्राम चपरतला, थाना मेजा, जनपद इलाहाबाद द्वारा थाना कर्नलगंज पर 12 नामांकित अभियुक्तों के विरुद्ध सूचना दिए जाने पर मु० अ० सं० शुन्य धारा 147/ 436 भा० दं० वि० पंजीकृत किया गया । घटनास्थल थाना मेजा क्षेत्र में पड़ने के कारण संबंधित कागजात थाना मेजा भेजे गये जहां दिनांक 8-11-80 को मु० अ० सं० 225 धारा 147/436 भा० द० वि० पंजीकृत किया गया । विवेचनोपरान्त मामले में सत्यता न पाए जाने एवं साक्ष्य के अभाव में दिनांक 10-8-81 को उक्त अभियोग में अन्तिम रिपोर्ट प्रेषित की गई ।

कानपुर जिले में कान्स्टेबिल की हेड कान्स्टेबिल के पद पर पदोन्नति तथा ज्येष्ठता सूची

74--श्री [illegible]--

क्या गृह मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर जिले में कितने ऐसे कान्स्टेबिल हैं जिन्होंने 1974 से अब तक हेड कान्स्टेबिल के पदों पर पदोन्नति [illegible] परीक्षा पास कर ली है लेकिन पदोन्नति नहीं की गई है ?

श्री चौधरी नौनिहाल सिंह--

कानपुर जनपद में वर्ष 1974 से अब तक कुल 123 कांस्टेबुलों ने हेड कांस्टेबुलों के पद पर पदोन्नति के लिए विभागीय परीक्षा पास की है और सभी को पदोन्नति दी जा चुकी है।

श्री भीखा लाल--

क्या गृह मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि 1974 के बाद अब तक सूची के क्रम को तोड़ कर पदोन्नतियां की गई हैं, यदि हां, तो यह किन कारणों से किया गया है ?

चौधरी नौनिहाल सिंह--

वर्ष 1974 के बाद ज्येष्ठता क्रम को तोड़कर कोई पदोन्नति नहीं की गई है।

बाल विद्या मन्दिर, चारबाग, लखनऊ में कार्यरत चतुर्थ श्रेणी का वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर देय वेतन

76--श्री भीखा लाल--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बाल विद्या मन्दिर, चारबाग, लखनऊ में इस समय कितने चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी कार्य करते हैं और उनका वेतन क्रम क्या है ? क्या इन कर्मचारियों को वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर शासन द्वारा स्वीकृत वेतन-क्रम दिया जाता है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

उपलब्ध सूचना के अनुसार 38 कर्मचारी हैं। वेतन क्रम :

(1) 110--180 रु0

(2) 80--130 रु0

(3) 60--110 रु0

(4) 50--120 रु0

जी नहीं।

प्रबन्धाधिकरण से स्थिति ज्ञात की जा रही है।

77--श्री मोतीलाल देहलवी--

[माननीय सदस्य के सदन की सेवा से निलम्बित किये जाने के कारण निरस्त।]

78--श्री मोतीलाल देहलवी--

[माननीय सदस्य के सदन की सेवा से निलम्बित किये जाने के कारण निरस्त।]

राजकीय इन्टर कालेज (कन्या) इलाहाबाद के स्टाफ को स्वीकृत मंहगाई-भते की धनराशि का भुगतान

79—श्री बैजनाथ प्रसाद कुशवाहा—

क्या शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि राजकीय इन्टर कालेज (कन्या), इलाहाबाद के पूरे स्टाफ को दिसम्बर, 1978 से सितम्बर, 1980 तक समय-समय पर शासन द्वारा स्वीकृत किये गये मंहगाई-भते तथा अन्तरिम सहायता इत्यादि की अभी तक भुगतान नहीं किया गया? यदि हां, तो क्यों? कब तक उन्हें भुगतान कर दिया जायेगा?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

सूचना एकत्र की जा रही है।

जनपद इलाहाबाद के थाना थरवई में श्री जसवन्त बहादुर सिंह तथा पुलिस कर्मचारियों के बीच मारपीट की घटना

80—श्री बैजनाथ प्रसाद कुशवाहा—

क्या गृह मंत्री को जानकारी है कि जनपद इलाहाबाद के थाना थरवई स्थित पुलिस चौकी सिकन्दरा के पुलिस वालों ने श्री जसवन्त बहादुर सिंह, निवासी ग्राम सिलोखरा को बिना किसी कारण के इतना अधिक मारा-पीटा कि हाथ की हड्डियां टूट गई थीं तथा हाथ की घड़ी इत्यादि भी छीन लिया था जिसकी शिकायत एस० एस० पी० को दिनांक 1-1-81 को कर दी गई थी? यदि हां, तो अब तक इस सम्बन्ध में क्या उचित कार्यवाही की गई?

चौधरी नौनिहाल सिंह—

प्राप्त सूचना के अनुसार जनपद इलाहाबाद के थाना थरवई स्थित पुलिस चौकी सिकन्दरा के पुलिस जनों द्वारा दिसम्बर, 1980 के अन्तिम सप्ताह में एक व्यक्ति को नाजायज तरीके से पेड़ काटने के आरोप में पकड़ा गया। श्री जसवन्त बहादुर सिंह द्वारा उक्त व्यक्ति को छुड़ाने के लिए अभद्र व्यवहार करने पर पुलिसजनों ने श्री सिंह को मारा-पीटा। इस सम्बन्ध में श्री सिंह का एक पत्र प्राप्त हुआ था। मारने पीटने से हाथ की हड्डियां टूट जाने व घड़ी इत्यादि छीनने के आरोपों की पुष्टि नहीं हुई। मार-पीट के मामले में दोषी पाये गए पुलिस कर्मचारियों को लाइन हाजिर कर दिया गया है।

उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन द्वारा विदेशी कम्पनी से अनुबन्ध

81—श्री सूबेदार सिंह—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि क्या उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन (अपट्रान) ने अभी हाल में किसी विदेशी कम्पनी से कोई समझौता किया है? यदि हां, तो उसकी टर्मस और कन्डीशन्स क्या हैं? तथा उससे उत्तर प्रदेश को क्या लाभ होगा?

श्री नियाज हसन खां—

जी हां, यू० पी० इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड ने मेसर्स बुडावीक्स, हगरो के साथ 5 वर्षों के लिए तकनीकी सहयोग हेतु दिनांक 3-4-81 को

अनुबन्ध किया है। उक्त कम्पनी को तकनीकी जानकारी शुल्क तथा निर्मित किए गए ट्रांसीवर तथा भारतीय पुलिस सेवा को की गई आपूर्ति पर कोई रायल्टी देय नहीं है। पुलिस विभागों के अतिरिक्त अन्य को सेट की आपूर्ति पर 5% रायल्टी देय है। अनुबन्ध के अन्तर्गत चार भारतीय तकनीशियन्स को हंगरी में दो माह निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जायेगा तथा कम्पनी द्वारा अपने तकनीशियन्स को भारत में 6 माह तक प्रशिक्षण दिया जायेगा। अनुबन्ध की अवधि में इन उत्पादों के नए प्राद्योगिक विकास पर समय-समय पर सूचनाओं का आदान प्रदान सम्भव होगा। निर्माण कार्य चार विभिन्न चरणों में किया जायेगा। उक्त अनुबन्ध से उत्तर प्रदेश में उच्च टेक्नालाजी वाली मदों के लिए इलेक्ट्रानिक्स उद्यमकर्ताओं को प्रेरणा मिलेगी तथा 150 व्यक्तियों को सीधे रोजगार मिलेगा एवं इससे उत्तर प्रदेश पुलिस को वायरलेस उपकरणों तथा पुर्जों की उपलब्धता में भी आसानी होगी। यह प्रायोजना एन्सिलरी कार्य को प्रोत्साहित करेगी।

जनपद बस्ती में राहजनी, डकैतियां एवं अपहरण की घटनाएं

82--श्री माता प्रसाद पाण्डेय--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बस्ती जनपद में माह नवम्बर, 1980 से अप्रैल, 1981 तक कुल कितनी डकैतियां, राहजनी, कत्ल व अपहरण की घटनाएं किन-किन थानों में हुईं और उसमें कितने मुल्जिमानों की गिरफ्तारी की जा चुकी है।

चौधरी नौनिहाल सिंह--

सूचना एकत्र की जा रही है।

83--श्री राम स्वरूप वर्मा--

[2रे बुधवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 175 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

जनपद सहारनपुर में अध्यापकों का स्थानान्तरण

84--श्री राम स्वरूप वर्मा--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जुलाई सन् 1980 से जनवरी, 1981 तक जनपद सहारनपुर में जिन अध्यापकों का स्थानान्तरण किया गया था उसमें से कितनों का स्थानान्तरण रद्द किया गया ? तथा कितनों ने अभी तक गन्तव्य स्थान पर कार्य भार नहीं संभाला है, तथा क्यों ? क्या बेसिक शिक्षा अधिकारी, सहारनपुर को भी स्थानान्तरित किया गया और रोका गया ? यदि हां, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

सूचना एकत्र की जा रही है।

जनपद गोंडा के भवन विहीन राजकीय प्राइमरी स्कूल

85--श्री मसरूर जाफरी--

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद गोंडा में कुल कितने राजकीय प्राइमरी स्कूल हैं और उनमें से ऐसे स्कूल कितने हैं जिनके पास विद्यालय भवन नहीं है ? क्या सरकार ऐसे स्कूलों के भवन निर्माण सम्बन्धी कोई योजना बना रही है ? यदि हां, तो उसकी प्रगति क्या है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

जनपद गोंडा में निम्न चार विद्यालयों से संलग्न राजकीय प्राथमरी स्कूल संचालित हैं और उनमें से एक भी स्कूल भवनहीन नहीं है :--

(1) राजकीय दीक्षा विद्यालय, उतरौला, गोंडा ।

(2) राजकीय बालिका दीक्षा विद्यालय, बलरामपुर, गोंडा।

(3) राजकीय कन्या जूनियर हाई स्कूल, उतरौला, गोंडा ।

(4) राजकीय कन्या इन्टर कालेज, गोंडा।

अतः भवन निर्माण सम्बन्धी किसी योजना के बनाने का प्रश्न नहीं उठता है।

जिला गोंडा की तहसील उतरौला के विकास खण्ड गेडास बुजुर्ग में शिक्षा की सुविधा तथा स्कूल का उच्चीकरण

86--श्री मसरूर जाफरी--

क्या शिक्षा मंत्री को ज्ञात है कि जिला गोंडा की तहसील उतरौला के विकास खण्ड गेडास बुजुर्ग में कोई हाई स्कूल नहीं है ? यदि हां, तो इस पिछड़े क्षेत्र में शिक्षा की सुविधा प्रदान करने के लिए सरकार इसकी स्थापना के प्रश्न पर विचार करेगी ? यदि हां, तो क्या सरकार ग्राम इटई रामपुर के जूनियर हाई स्कूल का उच्चीकरण करके कक्षा 10 तथा 12 तक की शिक्षा की सुविधा उपलब्ध करने की कृपा करेगी ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

सीमित वित्तीय संसाधनों तथा भौतिक लक्ष्यों के कारण सम्प्रति विचार करना संभव नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता ।

जिला गोंडा के उतरौला मुख्यालय पर महिला जूनियर हाई स्कूल का हाई स्कूल में उच्चीकरण

87--श्री तपेश्वर, श्री मित्रसेन तथा श्री मसरूर जाफरी--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला गोंडा में उतरौला मुख्यालय पर महिला जूनियर हाई स्कूल को हाई स्कूल में परिवर्तन करने के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही हो रही है ? कब तक महिला हाई स्कूल खुलने की सम्भावना है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

मांग पर विचार किया गया, परन्तु सीमित वित्तीय संसाधनों एवं भौतिक लक्ष्यों के कारण उतरौला स्थित राजकीय कन्या जूनियर हाई स्कूल का हाई स्कूल स्तर पर उच्चीकरण किया जाना सम्भव नहीं हो सका ।

यह बताना सम्भव नहीं है ।

जिला गोंडा के पुलिस कप्तान के स्थानान्तरण को रोकने का कारण

88--श्री मसरूर जाफरी--

क्या गृह मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला गोंडा के पुलिस कप्तान का स्थानान्तरण, जो इस वर्ष हुआ था, को किन कारणों से रोका गया है ?

चौधरी नौनिहाल सिंह--

जनपद गोंडा के पुलिस अधीक्षक का स्थानान्तरण इस वर्ष नहीं किया गया। अतः उसे रोके जाने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है।

89--श्री मसरूर जाफरी--

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त।]

90--श्री राधेश्याम पटेल--

[15-9-81 के अतारांकित प्रश्न संख्या 58 के द्वारा उत्तरित।]

जनपद इलाहाबाद के विकास खण्ड बहरिया व मऊआयमा में भवन विहीन जूनियर हाई स्कूल तथा स्वीकृत धनराशि

91--श्री राधेश्याम पटेल--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद इलाहाबाद के विकास खंड बहरिया व मऊआयमा में कितने पूर्व माध्यमिक विद्यालय ऐसे हैं जिनके पास भवन नहीं है या बिल्कुल अपर्याप्त है ? क्या जनहित में अविलम्ब भवन की व्यवस्था करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

जनपद इलाहाबाद के विकास खण्ड बहरिया के जूनियर हाई स्कूल, बहरिया व सराय सुल्तान भवनहीन हैं तथा जूनियर स्कूल सिकन्दरा में स्थान अपर्याप्त है। विकास खंड मऊआयमा में जूनियर हाई स्कूल, हरिसेनगंज भवनहीन है।

छठी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत भवनहीन प्राइमरी व जूनियर हाई स्कूलों के निर्माण हेतु शासन ने योजना आरम्भ की है और जैसे-जैसे धन की व्यवस्था होती जायेगी इन भवनहीन जूनियर हाई स्कूलों के निर्माण हेतु अनुदान स्वीकृत किया जायेगा किन्तु किसी अवधि का आश्वासन दिया जाना सम्भव नहीं है।

92--श्री राधेश्याम पटेल--

क्या शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि जनपद इलाहाबाद के विकास खण्ड बहरिया, मऊआयमा सोरांव तथा फूलपुर में विगत बाढ़ से पूर्ण रूपेण एवं आंशिक रूप में धराशायी एवं क्षतिग्रस्त कितने प्राइमरी एवं जूनियर हाई स्कूल हैं क्या उनकी मरम्मत हेतु धन उपलब्ध कराया गया है ? यदि हां, तो प्रत्येक को कितना? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

सूचना एकत्र की जा रही है।

अधीक्षण अभियन्ता गोरखपुर मन्डल के विरुद्ध भ्रष्टाचार सम्बन्धी शिकायती-पत्र की जांच

93--श्रीमती गौरी देवी--

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बतायेंगे कि 8 दिसम्बर, 1980 को प्रश्नकर्ता का अधीक्षण अभियन्ता गोरखपुर मन्डल के भ्रष्टाचार के विषय में कोई शिकायती-पत्र प्राप्त हुआ था ? यदि हां, तो शिकायत क्या थी और उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री अम्मार रिजवी--

जी हां ।

प्रश्नगत शिकायती-पत्र में गोरखपुर-महराजगंज मार्ग के कि0 मी0 19 से पत्थर की गिट्टी को उठाकर कि0 मी0 4 से 8 में प्रयोग करने तथा पत्थर के गिट्टी को मार्ग पर पैच रिपेयर में दिखाने की शिकायत की गई है ।

शिकायती-पत्र में लगाये गये आरोपों की जांच की जा रही है ।

जनपद देवरिया में लक्ष्मी शुगर मिल, छितौनी में निलम्बित कर्मचारियों के आरोपों की जांच

94--श्रीमती गौरी देवी--

क्या श्रम मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि कि लक्ष्मी शुगर मिल छितौनी (देवरिया) के आठ कर्मचारियों को फरवरी व मार्च, 1981 में निलम्बित कर दिया गया है ? यदि हां, तो उन पर आरोप क्या थे ? सरकार उन्हें बहाल कराने हेतु क्या कदम उठा रही है ?

श्री जगदीश चन्द्र दीक्षित--

मेसर्स लक्ष्मी देवी शुगर मिल्स प्राइवेट लि0, छितौनी (देवरिया) में मार्च 1981 में 9 कर्मचारी निलम्बित हुए । 8 कर्मचारियों पर दिनांक 17 फरवरी, 1981 से की गई हड़ताल के लिए श्रमिकों को उकसाने का मुख्य आरोप था और एक अन्य कर्मचारी पर चोरी का आरोप था ।

उपर्युक्त आठ कर्मचारियों में से, जिन पर हड़ताल के लिए श्रमिकों को उकसाने का मुख्य आरोप था, पांच श्रमिकों को बरखास्त कर दिया गया, एक ने नौकरी से त्याग-पत्र दे दिया, एक कर्मचारी की बहाली कर दी गई और एक कर्मचारी के विरुद्ध घरेलू जांच चल रही है । नवें कर्मचारी, जिस पर चोरी का आरोप था, को भी बरखास्त कर दिया गया है । बरखास्त किये गये उक्त कर्मचारियों ने संराधन तंत्र के समक्ष अपना विवाद उठाया, परन्तु सेवायोजकों ने किसी मामले में संराधन कार्यवाही में कोई समझौता नहीं किया । अतः संराधन अधिकारी द्वारा, उक्त मामलों को अभिनिर्णय हेतु भेजने के प्रश्न पर विचार करने के लिए, शाखा सचिवालय (श्रमायुक्त कार्यालय), कानपुर को संदर्भित कर दिया गया है ।

जनपद गोंडा में लाइन हाजिर व मुअत्तल किये गये पुलिस के सिपाहियों की संख्या एवं आरोपों का विवरण

95—श्री मसरूर जाफरी—

क्या गृह मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला गोंडा में 1980–81 में कितने पुलिस के सिपाही लाइन हाजिर व मुअत्तल हुए हैं ? और उन पर आरोप क्या थे ?

चौधरी नौनिहाल सिंह—

जिला गोंडा में वर्ष 1980–81 में 23 पुलिस के सिपाही लाइन हाजिर किये गये और 13 मुअत्तल किए गए । उन पर लगाये गये आरोपों का विवरण संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ 1281 पर ।)

चीनी मिलों के कर्मचारियों व मजदूरों की वेतन बढ़ोत्तरी

96—श्री मोहम्मद अबरार अहमद—

क्या श्रम मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि चीनी मिलों के कर्मचारियों व मजदूरों का वेतन सरकार ने अभी हाल में बढ़ाया है ? यदि हां, तो किसका कितना–कितना वेतन बढ़ाया गया ? क्या सरकार पूरा विवरण सदन के पटल पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री जगदीश चन्द्र दीक्षित—

जी हां, राज्य की वैकुअम पैन चीनी मिलों में सेवायोजित सभी कर्मकारों के मूल वेतन में, जो उन्हें दिनांक 31 दिसम्बर, 1980 को मिल रहा था, दिनांक 1 जनवरी, 1981 से 32 रु0 प्रति मास की वृद्धि कर दी गई है । पूरा विवरण शासकीय विज्ञप्ति संख्या 7873 (एच0 आई0)/36–2–101(एच0आई0)–80, दिनांक 7 जनवरी, 1981 में उपलब्ध है, जो उत्तर प्रदेश के असाधारण गजट दिनांक 7 जनवरी, 1981 को विधायी परिशिष्ट, भाग 4, खन्ड (ख) में प्रकाशित हो चुका है । अतः उसके सदन के पटल पर रखने की आवश्यकता नहीं है ।

97—श्री मोहम्मद अबरार अहमद—

[3रे सोमवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 28 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

वैदिक इन्टर कालेज, नगला पूर्वी शर्की, जनपद बदायूं में छात्रों से संचायिका धन की वसूली

98—श्री मोहम्मद अबरार अहमद—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बदायूं के वैदिक इन्टर कालेज, नगला पूर्वी "शर्की" में वर्ष 1975 से छात्रों से संचायिका का धन वसूला जा रहा है ? यदि हां, तो कुल कितने छात्रों से कितना धन वसूला गया ? क्या इन छात्रों की पास बुकें नियमित रूप से रखी गई हैं ? संचायिका धनराशि पर अब तक कितना ब्याज छात्रों को दिया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

वैदिक इन्टर कालेज, नगला पूर्वी शर्की में वर्ष 1975 से छात्रों से संचायिका का धन वसूला जा रहा है। अब तक 2438 छात्रों से 22,847·47 रु0 सूला गया। पास-बुकें दी गई हैं। संचायिका धनराशि पर प्राप्त ब्याज में से 865 55 रु0 ब्याज के रुप में छात्रों को भुगतान किया गया है।

99—श्री माता प्रसाद पांडेय—

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त।]

100—श्री गोपीनाथ वर्मा—

[माननीय सदस्य के सदन की सेवा से निलम्बित किये जाने के कारण निरस्त।]

जनपद बाराबंकी के प्राथमिक शिक्षकों का सी0 डी0 एस0, का भुगतान

101—श्री जमुना प्रसाद—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बाराबंकी के प्राथमिक शिक्षकों को गत वर्ष का जमा सी0 डी0 एस0 का धन भुगतान किया गया है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

अनिवार्य जमा योजना के अन्तर्गत प्राथमिक शिक्षकों द्वारा 20 जून, 1976 तक जमा धनराशि की सम्पूर्ण धनराशि ब्याज सहित 5 वार्षिक किश्तों में अब तक देय हो चुकी है जिसमें से बाढ़ प्रभावित शिक्षकों को उनके क्लेम फार्म के आधार पर सम्पूर्ण भुगतान 30-11-79 को किया जा चुका है और अन्य को भी तीन किश्तों का भुगतान 30-11-79 को किया गया। शेष दो किश्तों के भुगतान की कार्यवाही की जा रही है।

प्राथमिक शिक्षकों द्वारा 30 जून, 1976 के बाद जो धन जमा किया गया, जिसे नये खाते की संज्ञा दी गयी है, उसके 3/5 भाग के भुगतान की भी कार्यवाही की जा रही है।

102—श्री मोती लाल देहलवी—

[माननीय सदस्य के सदन की सेवा से निलम्बित किये जाने के कारण निरस्त।]

जिला इलाहाबाद के कर्नलगंज चौराहे में क्षेत्रीय जनता द्वारा अनशन एवं मांगों के सम्बन्ध में कार्यवाही

103—श्री यस्मन सिंह गहलौत—

क्या गृह मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 3 अप्रैल, 1981 से कर्नलगंज चौराहे, जिला इलाहाबाद में क्षेत्रीय जनता द्वारा अनशन प्रारम्भ किया गया? यदि हां, तो अनशनकारियों की क्या मांगें थी और सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गयी?

चौधरी नौनिहाल सिंह—

जी हां ।

अनशनकारियों द्वारा थाना कर्नलगंज के उप निरीक्षक श्री गिरजा शंकर शुक्ल के स्थानान्तरण की मांग की गई । प्रश्नगत मामलों में थाना कर्नलगंज पर पंजीकृत किये गये एक अभियोग अन्तर्गत धारा 188 भा0 दं0 वि0 की विवेचना अभी प्रचलित है ।

पुलिस अधीक्षक, बाराबंकी द्वारा किया गया असंतुलित व्यवहार पर कार्यवाही

104—श्री श्याम लाल बाजपेयी—

क्या गृह मन्त्री को पता है कि बाराबंकी विशेष अनुसंधान शाखा के इंचार्ज, श्री हरिनाथ सिंह ने 10-4-81 को डी0 आई0 जी0 फैजाबाद, जिलाधिकारी पुलिस अधीक्षक, बाराबंकी को तार द्वारा सूचित किया था कि श्री बलराज भोला पुलिस अधीक्षक ने शीशम का पेड़ काटने का भेद खोलने के लिए भद्दी गालियां देकर उप पुलिस अधीक्षक, श्री शंकर सिंह से धक्के मार कर कमरे से बाहर निकलवा दिया तथा चरित्र पंजिका खराब करने एवं शीशम काण्ड के जानकार थानेदार का तबादला पहाड़ी क्षेत्र में कराने की धमकी दी थी ? यदि हां, तो शासन ने उक्त असंतुलित व्यवहार पर उस पुलिस अधीक्षक के विरुद्ध क्या कार्यवाही की ?

चौधरी नौनिहाल सिंह—

विशेष अनुसंधान शाखा, बाराबंकी के तत्कालीन इंचार्ज श्री हरि नाथ सिंह द्वारा तार से पुलिस उपमहानिरीक्षक फैजाबाद परिक्षेत्र को दी गयी सूचना निम्नवत् थी—

> "आज श्री बलराज भोला, पुलिस अधीक्षक से मिलने गया । उन्होंने यह कह कर के कि हमारे बंगले व पुलिस क्लब में कटी शीशम की लकड़ी का इसी ने भेद दिया है, मुझे धक्के मार कर बंगले से अर्दली व उप पुलिस अधीक्षक द्वारा भगा दिया तथा मुकदमा कायम कराने व चरित्रपंजिका खराब करने की धमकी दी । तुरन्त हस्तक्षेप व जांच की जाय ।"

उपर्युक्त तार में की गयी शिकायत की जांच कराये जाने पर यह ज्ञात हुआ कि श्री बलराज भोला तत्कालीन पुलिस अधीक्षक, बाराबंकी जिनका स्थानान्तरण जनपद बाराबंकी से जनपद पीलीभीत के लिये हो चुका था जब दिनांक 18-4-81 को बाराबंकी आये हुये थे, श्री हरि नाथ सिंह उनसे मिलने के लिये गये थे । इस मुलाकात के समय श्री शंकर सिंह तत्कालीन पुलिस उपाधीक्षक बाराबंकी भी वहां मौजूद थे । श्री हरिनाथ सिंह ने श्री भोला द्वारा अपनी चरित्र पंजी में प्रतिकूल वार्षिक मन्तव्य अंकित करने के सम्बन्ध में बातचीत की और इस बातचीत में आवेश का वातावरण उत्पन्न हो गया । उक्त वातावरण को देखते हुए श्री शंकर सिंह ने श्री हरिनाथ सिंह को समझा कर कमरे से अलग कर दिया था, उन्हें धक्का नहीं मारा गया था । जांचकर्ता अधिकारी ने श्री हरिनाथ सिंह को बुला कर जब बात की तो श्रीहरिनाथ सिंह ने

चौधरी नौनिहाल सिंह—

यह स्वीकार किया कि चूंकि श्री भोला द्वारा उनको चरित्र पंजी में प्रतिकूल वार्षिक मन्तव्य अंकित कर देने के कारण उन्हें दिमागी परेशानी आ गई थी अतः उन्होंने उपर्युक्त तार दिया था जिसे वे वापस लेने के लिए तैयार है। इन परिस्थितियों में मामले में और किसी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं समझी गयी।

गाजियाबाद जनपद में राहजनी, डकैती, चोरी, कत्ल की घटनाएं

105—श्री सुरेन्द्र कुमार—

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गाजियाबाद जनपद में जून, 1980 से मार्च, 1981 तक कितने राहजनी, डकैती, चोरी कत्ल की घटनायें हुई उनमें से कितने मामलों पर कार्यवाही की गई कितने मामलों में पुलिस ने अभियुक्तों को पकड़ा तथा कितने मामले अभी भी विचाराधीन पड़े हुए हैं ?

श्री चौधरी नौनिहाल सिंह—

वांछित सूचना संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ 1285 पर।)

जिला गाजियाबाद के ग्राम कोठारी नोएड़ा की निवासिनी राजकुमारी देवी के साथ बलात्कार के सम्बन्ध में कार्यवाही

106—श्री सुरेन्द्र कुमार—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि राजकुमारी देवी पुत्री बुरसी, आयु 9 वर्ष, निवासी ग्राम कोठारी नोएडा, जिला गाजियाबाद को दिनांक 13-8-80 को बलात्कार करके हत्या कर दी गई जिसकी रिपोर्ट थाना मोदीनगर, गाजियाबाद में लिखाई गई थी ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी नौनिहाल सिंह—

जी, हां। इस सम्बन्ध में थाना मुरादनगर पर श्री धर्मपाल निवासी ग्राम तिवड़ा गाजियाबाद की रिपोर्ट पर दिनांक 31-8-80 को अभियोग अन्तर्गत धारा 376/302 भा० दं० वि० पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ की गई। अभियुक्त का पता लगाने के लिये भरसक प्रयत्न किये गये। काफी प्रयास करने के उपरान्त अभियुक्त का पता न लगने के कारण विवेचना अन्तिम रिपोर्ट द्वारा दिनांक 22-12-80 को समाप्त की गई।

जिला गाजियाबाद के ग्राम श्याम नगर की श्रीमती विमला देवी को आग लगाकर हत्या के सम्बन्ध में कार्यवाही

107—श्री सुरेन्द्र कुमार—

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्रीमती विमला देवी, ग्राम श्याम नगर, थाना पिलकूआ, जिला गाजियाबाद की हत्या दान-दहेज कम देने के कारण

तेजपाल, पुत्र खिले राम ने दिनांक 19-11-80 की रात को आग लगाकर कर दी थी जिसकी उसी दिन रिपोर्ट उपरोक्त थाने में की गयी थी ? यदि हां, तो उपरोक्त कान्ड में क्या कार्यवाही की गई ?

चौधरी नौनिहाल सिंह--

प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक 19-11-80 को श्री नौबत सिंह, निवासी ग्राम छतनौरा ने अपनी लड़की श्रीमती विमला पत्नी तेजपाल, निवासी श्यामनगर द्वारा अपने ससुराल में दिनांक 18-11-80 को आग लगाकर खुदकशी कर लेने की सूचना थाना पिलखुवा, जिला गाजियाबाद पर दर्ज कराई ।

वादी ने किसी प्रकार का कोई शक शुबह न होना भी दर्ज कराया । उक्त सूचना पर पुलिस द्वारा तुरन्त विवेचना प्रारम्भ की गई तथा शव का पंचायतनामा भरकर पोस्टमार्टम कराया गया । पोस्टमार्टम रिपोर्ट से मृत्यु जलने के कारण होना पाई गई । विवेचना से श्रीमती विमला की कथित हत्या किये जाने के बारे में कोई साक्ष्य नहीं मिला बल्कि उसके द्वारा खुदकशी करना पाया गया । यह कहना सही नहीं है कि दान-दहेज कम देने के कारण श्रीमती विमला की हत्या की गई ।

ग्राम भीखमपुर, जिला गाजियाबाद के श्री होराम कुम्हार की हत्या के सम्बन्ध में जांच

108--श्री सुरेन्द्र कुमार--

क्या सरकार को मालूम कि दिनांक 22 नवम्बर, 1980 को हीराम (कुम्हार) ग्राम भीखमपुर, जिला गाजियाबाद के निवासी की ग्राम दुहाई, जिला गाजियाबाद में रात को चाकुओं से मार कर हत्या कर दी थी ? यदि हां, तो पूर्ण घटना क्या है और इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

चौधरी नौनिहाल सिंह--

जी, हां । प्राप्त सूचना के अनुसार श्री राम सरन, पुत्र श्री होराम कुम्हार, भीकमपुर, जिला गाजियाबाद ने थाना मुरादनगर पर दिनांक 22-11-80 को रात्रि के 8-15 बजे इस आशय की रिपोर्ट अंकित कराई कि अमुक व्यक्तियों ने उसके पिता का घोड़ा तांगा ग्राम दुहाई से गढ़ गंगा तक आने-जाने का 300 रु0 में तय किया था । तांगे में वादी व उसकी मां भी गये थे । लौटने के उपरान्त किराया मांगने पर पांच नामजद अभियुक्तों ने श्री होराम की ग्राम दुहाई के पास चाकुओं से मारकर हत्या कर दी । वादी एवं उसकी मां द्वारा बचाने का प्रयास करने तथा शोर मचाने पर उन्हें भी मारा पीटा गया । उक्त रिपोर्ट के आधार पर थाना मुरादनगर पर अभियोग अन्तर्गत धारा 147/148/302/307 भा0 दं0 वि0 पंजीकृत कर विवेचना तुरन्त प्रारम्भ की गई । दिनांक 23-11-80 को पांचों नामजद अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया । विवेचना के उपरान्त उक्त पांचों अभियुक्तों के विरुद्ध धारा 147/148/324/302/307 भा0 दं0 वि0 के के अन्तर्गत दिनांक 4-2-81 को आरोप-पत्र न्यायालय प्रेषित किये गये । मुकदमा न्यायालय के विचाराधीन है ।

उद्योग विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार के विषय में जांच

106--श्री सुरेन्द्र कुमार--

क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उद्योग विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार से सम्बन्धित विषय पर प्रश्नकर्ता के 10 नवम्बर, 1980 के पत्र पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नियाज हसन खां--

प्रश्नकर्ता के पत्र दिनांक 10 नवम्बर, 1980 जो उद्योग निदेशक को सम्बोधित था में उल्लिखित आरोपों के सम्बन्ध में जांच हेतु यह केस सतर्कता विभाग को भेजा गया है ।

110--श्री सुरेन्द्र कुमार--

[स्पष्टीकरण के अभाव में निरस्त ।]

जनपद गाजियाबाद में पक्का बाग-हापुड़-धनौरा-खड़खड़ी-मुरादपुर मार्ग के निर्माण कार्य की स्वीकृति

111--श्री सुरेन्द्र कुमार--

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि हापुड़ बाया खड़खड़ी बजोलपुर (किठौर) वाली सड़क का निर्माण कार्य शुरू करायेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी--

जी, हां ।

गाजियाबाद में पक्का बाग-हापुड़-धनौरा-खड़खड़ी-मुरादपुर मार्ग, 5.00कि0 मीटर लम्बाई में सूखा राहत योजना के अन्तर्गत स्वीकृत है तथा कार्य प्रगति पर है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश में हथकरघा मिलें खोलने की योजना

112--श्रीमती गौरी देवी--

क्या उद्योग मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश में 20 नई हथकरघा मिलें खोलने की योजना शासन के विचाराधीन हैं ? यदि हां, तो वे कहां-कहां और कब तक खोल दी जायेंगी ?

श्री नियाज हसन खां--

हथकरघा मिल खोलने की कोई योजना नहीं है । प्रदेश में 12 सूती कताई मिलों की स्थापना किए जाने का निर्णय फिर लिया गया है । यह कताई मिलें निम्नलिखित स्थानों पर स्थापित की जायेंगी :--

1--बहेड़ी--जिला बरेली ।

2--अमरोहा--जिला मुरादाबाद ।

3--मऊआइमा-जिला इलाहाबाद ।

4--बहादुरगंज--जिला गाजीपुर ।

5--महमूदाबाद--जिला सीतापुर ।

6--फतेहपुर ।

7--फर्रुखाबाद ।

8--जसपुर--जिला नैनीताल ।

9--मेजा--जिला इलाहाबाद ।

10--बांदा ।

11--जौनपुर ।

12--बलिया ।

उपरोक्त मिलें छठों पंचवर्षीय योजनाकाल में स्थापित हो जायेंगी ।

जनपद गोरखपुर में उर्दू बाजार स्थित घंटाघर के निकट हुए गोली कांड की जांच

113--श्रीमती गौरी देवी--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि गोरखपुर जिले के उर्दू बाजार स्थित घंटाघर के निकट 21 जून, 1980 को अपराधियों के एक संगठित गिरोह ने कुछ व्यक्तियों की हत्या के प्रयास में धुआंधार गोलियां चलाईं जिससे कई व्यक्ति घायल हो गये ? यदि हां, तो अपराधियों को पकड़ने के लिए पुलिस ने क्या कार्यवाही की ?

चौधरी नौनिहाल सिंह--

टेलीफोन द्वारा घटना की सूचना मिलने पर इस सम्बन्ध में थाना राजघाट पर धारा 307 भा0 द0 वि0 के अन्तर्गत मुकदमा कायम करके विवेचना की गई । 10 अभियुक्तों के विरुद्ध नामजद रिपोर्ट लिखायी गई थी । धारा 82/83 के अन्तर्गत कुर्की की कार्यवाही की गई जिससे केवल एक मुल्जिम ने न्यायालय में आत्मसमर्पण किया । 30-12-80 को सभी मुल्जिमों के विरुद्ध आरोप पत्र धारा 147/148/149/307 भा0 द0 वि0 के अन्तर्गत न्यायालय भेज दिया गया । जिसमें 9 अभियुक्तों को मफरूरी की हैसियत से दिखाया गया था । तत्पश्चात् 4 अन्य अभियुक्तों ने न्यायालय में आत्म समर्पण किया ।

जनपद गोंडा के अध्यापकों के अनिवार्य जमा योजना के अन्तर्गत काटे गये वेतन का भुगतान

114--श्री अकबर हुसैन--

क्या सरकार को ज्ञात है कि लोकमान्य तिलक इन्टर कालेज, पचपेड़वा, जनपद गोंडा के अध्यापकों के वेतन का कुछ अंश अनिवार्य जमा योजना (स0 डी0 एस0) के अन्तर्गत 2-1-76 से 27-2-78 तक काटा गया था ? यदि हां तो वह धन कहां जमा किया गया और अध्यापकों को अब तक उसका भुगतान क्यों नहीं किया गया ? क्या सरकार सम्बन्धित दोषी के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

जी हां ।

किन्तु यह कटौती केवल 3-1-77 से 9-5-77 तक हुई 10-5-77 से 22-2-78 तक कटौती नहीं हुई ।

बैंक ड्राफ्ट से रीजनल प्राविडेन्ट फन्ड कमिश्नर कानपुर तथा रिजर्व बैंक आफ इन्डिया में । भुगतान हेतु विद्यालय के अधिकारियों तथा रीजनल प्रविडेन्ट फन्ड कमिश्नर, कानपुर एवं रिजर्व बैंक आफ इन्डिया से आवश्यक लिखा-पढ़ी चल रही है । विद्यालय के किसी व्यक्ति के दोषी न होने के कारण दोषी व्यक्ति के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता ।

बुन्देलखंड के विकास खंड मुख्यालयों में सेना में भरती किये जाने की व्यवस्था

115—श्री चन्द्र प्रकाश शर्मा—

बुन्देलखंड के विकास खंड मुख्यालयों में सेना में भरती किये जाने की व्यवस्था करने के सम्बन्ध में क्या मुख्य मंत्री भारत सरकार के रक्षा मन्त्रालय से सिफारिश करने पर विचार कर रहे हैं ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह—

जी नहीं ।

भारत सरकार, प्रतिरक्षा मन्त्रालय की रिक्रूटिंग शाखाएं (ब्रांच रिक्रूटिंग आफिस) तमाम इलाके को कवर करते हैं । ऐसे स्थानों के लिए जहां से कम लोग भर्ती के लिए आते हैं या ऐसे स्थान जो ब्रांच रिक्रूटिंग कार्यालय तथा रेजीमेंटल सेन्टरों से दूर पड़ते हैं, रिक्रूटिंग आफिस की टीम (टुकड़ियां) भर्ती के लिए दौरा करती रहती हैं । इस प्रकार के दौरों में पिछड़े इलाकों का विशेष ध्यान रखा जाता है । इसके अतिरिक्त भर्ती मेलों का भी आयोजन स्थान-स्थान पर किया जाता है जिससे दूर-दराज के क्षेत्र भी कवर हो जाते हैं ।

जिला बांदा के ग्राम हथौड़ा के निकट नाले पर पुल बनाने की योजना

116—श्री चन्द्र प्रकाश शर्मा—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम हथौड़ा, तहसील बांदा, जिला बांदा के निकट नाले पर पुल बनाने का प्रश्न शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी—

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

धनाभाव के कारण

विधायक निवास में कार्यरत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को सरकारी कर्मचारियों के अनुरूप अवकाश स्वीकृत न होने का कारण

117—श्री ऊदल—

क्या राज्य सम्पत्ति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधायक निवासों में कार्य करने वाले चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को सरकारी कर्मचारी माना जाता है ? यदि हां, तो उन्हें जो सरकारी छुट्टियां स्वीकृत हैं, न मिलने का कारण क्या है ?

श्री अम्मार रिजवी—

जी हां ।

इन कर्मचारियों को अनुमन्य अवकाश देने का प्रश्न शासन के विचाराधीन है ।

118—श्री गोपी नाथ वर्मा—

[माननीय सदस्य के सदन की सेवा से निलम्बित किए जाने के कारण निरस्त ।]

119—श्री खंरुल बशर—

[माननीय सदस्य के सदन की सेवा से निलम्बित किए जाने के कारण निरस्त ।]

120—श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री—

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त ।]

अधिशासी अभियन्ता, अस्थाई खंड, सा० नि०वि०, कासगंज, जनपद एटा के विरुद्ध जांच

121—श्री मोहम्मद अबरार अहमद—

क्या सार्वजनिक निर्माण विभाग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अस्थाई खंड सा० नि० वि०, कासगंज (जनपद एटा) के अधिशासी अभियंता, अवर अभियन्तां के खिलाफ सतर्कता अधिष्ठान द्वारा जांच चल रही है ? यदि हां, तो इन लोगो का निष्पक्ष जांच हेतु स्थानान्तरण कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी—

जी हां । उक्त अभियंताओं का स्थानान्तरण कर दिया गया है ।

जिला उद्योग केन्द्रों पर रिक्त मैनेजर के पद पर चयनित अधिकारियों की नियुक्ति

122—श्री चन्द्र शेखर त्रिवेदी—

क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इस समय उत्तर प्रदेश जिला उद्योग केन्द्रों पर मैनेजर (मार्केटिंग) के कुछ पद रिक्त हैं ? यदि हां, तो क्या उद्योग निदेशालय, कानपुर द्वारा फरवरी, 1980 के साक्षात्कार में चयनित सभी अधिकारियों की नियुक्ति कर दी गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री निथाज हसन खां—

जी हां ।

जी नहीं । उद्योग निदेशक द्वारा किए गये चयन एवं नियुक्तियों पर शासन का अनुमोदन विचाराधीन है ।

हरदोई–सीतापुर मुख्य मार्ग के कुइयां नामक स्थान से अकबरपुर जिमिनियां होता हुई मिश्रिख तक पक्की सड़क का निर्माण

123—श्री राम लाल वर्मा—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि हरदोई–सीतापुर मुख्य मार्ग के कुइयां नामक स्थान से अकबरपुर–जिमिनियां होतो हुयो मिश्रिख तक पक्की सड़क बनवाकर पिछड़े क्षेत्र का सीधे लखनऊ से सम्पर्क करावेंगे ? यदि हां,

तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या यह भी बतायेंगे कि इसके मध्य में पड़ने वाली गोमती नदी पर पुल का निर्माण भी करायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी—

जी नहीं ।

धन की उपलब्धता पर निर्भर करेगा ।

जी नहीं ।

धन की उपलब्धता पर निर्भर करेगा ।

राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालयों में प्राचार्य के पद के लिए पात्रता के आधार पर नियुक्ति

124—श्री राम स्वरूप वर्मा—

विधान सभा के सत्र 1981 के चौथे मंगलवार के अतारांकित प्रश्न संख्या 118 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्राचार्य के लिए पात्रता क्या है ? और उक्त पात्रता के अन्तर्गत अनुसूचित जाति, जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के कितने अध्यापक पात्रता क्षेत्र में अलग-अलग 31 मार्च, 1981 को आए थे ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालयों में प्राचार्य के लिये स्नातकोत्तर प्रोफेसरों एवं स्नातक प्राचार्य पात्रता क्षेत्र में आते हैं । स्नातक प्राचार्य के पदों पर प्रोन्नति के लिए अभी कोई सेवा नियम नहीं बन सके हैं । अतः इन पदों के नियमित रूप से नियुक्त स्नातकोत्तर प्रोफेसर, सहायक प्रोफेसर एवं राजकीय डिग्री कालेजों के विभागाध्यक्षों में से ज्येष्ठता क्रम में पदोन्नति द्वारा विभागीय चयन समिति की संस्तुति पर भरा जाता है । माननीय सर्वोच्च न्यायालय के एक स्थगन आदेश के कारण उत्तर प्रदेश शैक्षिक सेवा (ज्येष्ठ वेतन-क्रम) तथा उससे उच्चतर पदों पर मौलिक नियुक्ति किए जाने पर रोक लगी हुई है । अतः उक्त कार्य में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय होने तक शासन के स्थायी आदेश के अनुसार प्राचार्य के पदों पर चयन के लिए "श्रेष्ठता" का आधार न अपनाकर "अनुपयुक्तों को छोड़ते हुये ज्येष्ठता" का आधार अपनाया जा रहा है और तदनुसार उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग सपरामर्श (प्रक्रिया) नियमावली, 1970 के नियम 21 के अनुसार पात्रता सूची बनाकर चयन की कार्यवाही की जा रही है ।

31 मार्च, 1981 को प्राचार्य पद के लिये उपयुक्त पात्रता क्षेत्र में अनुसूचित जाति, जनजाति तथा पिछड़े वर्ग का कोई अध्यापक अर्ह नहीं था ।

आर्य वैदिक इन्टर कालेज, मेरठ के प्रबन्धक द्वारा कालेज की बेची गयी भूमि

125—श्री हेम चन्द निमेष—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि आर्य वैदिक इन्टर कालेज, कलेंजरी, मेरठ में सन् 1975 में प्रबन्धक कौन था तथा उक्त प्रबन्धक ने कालेज

की भूमि किस अधिकारी के आदेश से कितनी बेच दी ? यदि बेच दी तो कितने रुपये में ? यदि नहीं, तो 17 बीघा 15 बिस्वा भूमि जो करेंजरी ग्राम वासियों ने कालेज को दान में दी थी उस पर अब किसका कब्जा है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

श्री वीर महेन्द्र सिंह--

श्री वीर महेन्द्र सिंह, प्रबन्धक ने बिना किसी अधिकारी के पूर्व आदेश लिये कालेज की 17 बीघा, 12 बिस्वा भूमि बेच दी ।

यह भूमि 31,000 रु० में बेची गयी ।

अब इस भूमि पर क्रय कर्त्ता का ही कब्जा है ।

श्री तारा शंकर चौबे से अधिष्ठान एवं ग्रान्ट सम्बन्धी कार्य न लेने के आदेश

126--श्रीमती गौरी देवी--

विधान सभा के प्रथम सत्र 1981 के सातवे मंगलवार के लिये श्रीमती गौरी देवी द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या 96 के उत्तर के संदर्भ में क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मई, 1975 से 3 मई, 1980 के बीच सचिवालय प्रशासन (अधिष्ठान) अनुभाग-1 में श्री तारा शंकर चौबे के बारे में जो आदेश दिये थे उसका आधार क्या था और उन आधारों के रहते हुये उनकी उपेक्षा करके अधिष्ठान एवं ग्रान्ट सम्बन्धी कार्य श्री चौबे से क्यों लिया जा रहा है ? क्या उन्हें ऐसे स्थान से तुरन्त हटाया जायगा ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

श्री तारा शंकर चौबे से अधिष्ठान तथा ग्रान्ट का कार्य न लेने के जो आदेश थे उनका आधार यह था कि वे सचिवालय प्रशासन (अधिष्ठान) विभाग में काफी अरसे तक इस कार्य को कर चुके थे । उक्त आदेश मई, 1975 के थे । 5 वर्षों बाद अर्थात् 3 मई, 1980 से श्री चौबे को विश्वविद्यालयों के अधिष्ठान का कुछ कार्य उनके अनुभाग अधिकारी के पद से विशेष कार्याधिकारी के पद पर प्रोन्नति के बाद दिया गया है । सचिवालय प्रशासन (अधिष्ठान), अनुभाग-1 के आदेश श्री चौबे को उपर्युक्त कार्य अनिश्चित काल तक न देने के लिये नहीं थे । उनसे वर्तमान कार्य हटाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

नेशनल इन्टर कालेज, फतेहपुर, बाराबंकी की प्रबन्ध समिति के चुनाव के सम्बन्ध में कार्यवाही

127--श्री ऊदल--

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि नेशनल इन्टर कालेज फतेहपुर, बाराबंकी की प्रबन्ध समिति अर्सा 6 वर्ष से भंग पड़ी है और साधिकारी नियन्त्रण नियुक्त था ? यदि हां, तो क्या सही है कि दिनांक 1 दिसम्बर, 1980 को आम जनता की प्रार्थना-पत्र पर माननीय शिक्षा मन्त्री (श्रीमती बख्शी) ने चुनाव कराने के आदेश दिये थे और शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश ने उक्त आदेश को दिनांक 11 फरवरी, 1981, नं० 4288 के द्वारा अतिरिक्त शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), इलाहाबाद को भेज दिया है ? यदि हां, तो अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? चुनाव कब तक हो जायगा ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

जी हां ।

जी हां ।

निदेशालय से जिला विद्यालय निरीक्षक, बाराबंकी तथा साधिकार नियन्त्रक को प्रबन्ध समिति के चुनाव कराने के निदेश भेजे जा चुके हैं ।

उत्तर प्रदेश निवास में व्यवस्था अधिकारी के पद पर नियुक्त श्रीमती मीरा कुमार तथा उनका स्थानान्तरण

128--श्री ऊदल--

क्या राज्य सम्पत्ति मन्त्री विधान सभा के प्रथम सत्र 1981 के तीसरे मंगलवार के लिये निर्धारित अता0 प्रश्न संख्या 29 तथा 30 के उत्तर के सन्दर्भ में बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश निवास में मैनेजर का पद नहीं है तो क्या व्यवस्था अधिकारी का पद है जिस पर नियुक्त श्रीमती मीरा, कुमार जो 1977 से हैं ? क्या उनका ट्रान्सफर कलकत्ता यू0 पी0 निवास में हो गया था ? यदि हां, तो श्रीमती कुमार कलकत्ता क्यों नहीं गयीं ? इसका कारण क्या है और ट्रान्सफर आदेश कब और किसके आदेश से रद्द किया गया ?

श्री अम्मर रिजवी--

वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश निवास नई दिल्ली में 400--750 रु0 के वेतनमान में व्यवस्था अधिकारी का एक पद है जिस पर श्रीमती मीरा कुमार कार्यरत हैं । श्रीमती कुमार उत्तर प्रदेश निवास, नई दिल्ली में 8 नवम्बर, 1977 से तैनात हैं ।

श्रीमती मीरा कुमार का स्थानान्तरण कलकत्ता स्थित यू0 पी0 निवास में नहीं किया गया था । अतएव, अन्य प्रश्न प्रासंगिक नहीं हैं ।

श्री धर्मवीर, संसद सदस्य को एलाट कक्ष के किराये की धनराशि की वसूली

129--श्री ऊदल--

क्या राज्य सम्पत्ति मन्त्री विधान सभा के प्रथम सत्र के तीसरे मंगलवार के लिये निर्धारित अता0 प्र0 संख्या 122 के उत्तर के संदर्भ में बताने की कृपा करेंगे कि श्री धर्मवीर, संसद सदस्य (राज्य सभा) तथा भूतपूर्व अध्यक्ष, कांग्रेस कमेटी, उत्तर प्रदेश ने जब उक्त कक्ष नं0 9 खाली कर दिया तो क्या यह सत्य है कि 10 फरवरी, 1981 के बाद उनके नाम कक्ष नं0 30 यू0 पी0 निवास, नई दिल्ली में एलाट किया गया है ? और जब वे संसद सदस्य नहीं थे उसका किराया क्या जमा हुआ है ? यदि हां, तो कब किस रेट से ?

श्री अम्मर रिजवी--

श्री धर्मवीर, संसद सदस्य ने दिनांक 10 फरवरी, 1981 को उत्तर प्रदेश निवास का कक्ष सं0 9 खाली कर दिया था । उसके पश्चात् वे कक्ष0 नं0 30 में दिनांक 15 फरवरी, 1981 से दिनांक 11 मार्च, 1981 तक रहे ।

श्री धर्मवीर जब संसद सदस्य नहीं थे तो उनके उत्तर प्रदेश निवास, नई दिल्ली में ठहरने की विभिन्न अवधियों में उनसे कक्ष का किराया नियमानुसार

50 रु0 प्रतिदिन तथा बिजली और धुलाई परिव्यय लिया गया। उक्त अवधि में उनसे लिये गये किराये की दर, धनराशि तथा उसको सरकारी कोष में जमा करने की तिथियां निम्नवत् हैं :—

अवधि	किराये आदि की दर	जमा की गयी धनराशि	सरकारी कोष में जमा करने की तिथि
2-4-80 से 6-4-80	किराया 50.00 प्रतिदिन बिजली परिव्यय 3.00 धुलाई 1.00 प्रति सप्ताह अथवा उसका भाग	213 00	16-4-80
12-4-80 से 15-4-80	तदैव	213.00	28-4-80
19-4-80 से 20-4-80	तदैव	54.00	28-4-80
23-4-80 से 2-5-80	तदैव	478.00	26-5-80
19-5-80 से 24-5-80	तदैव	266.00	4-6-80
12-6-80 से 15-6-80	तदैव	160.00	2-7-0
23-6-80 से 26-6-80	तदैव	160.00	2-7-80
30-6-80	तदैव	54.00	2-7-80

राज्य सम्पत्ति विभाग तथा उसके अधीनस्थ अतिथि गृहों का आडिट

130—श्री ऊदल—

क्या राज्य सम्पत्ति मंत्री विधान सभा के प्रथम सत्र के तीसरे मंगलवार के लिये अतारांकित प्रश्न संख्या 117 के उत्तर के संदर्भ में बताने की कृपा करेंगे कि आडिट माह अप्रैल, 1978 माह मई, 78 में कराया गया था तो अब तक का आडिट न करने का क्या कारण है ? क्या सरकार तुरन्त आडिट यू0 पी0 निवास, नई दिल्ली सभी मदों की करायेगी और उसकी रिपोर्ट सदन के मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री अम्मार रिजवी--

लेखा परीक्षण महालेखाकार द्वारा उनके द्वारा ही निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार किया जाता है। अतः महालेखाकार द्वारा लेखा परीक्षण की तिथि निर्धारित किये जाने पर राज्य सम्पत्ति विभाग तथा उसके अधीनस्थ अतिथि गृहों आदि के साथ ही साथ उत्तर प्रदेश निवास का भी लेखा परीक्षण कराया जायेगा। ऐसे लेखा परीक्षण रिपोर्ट को सदन के पटल पर रखने का प्रश्न नहीं उठता।

131--श्री किरनपाल सिंह--

[माननीय सदस्य को सदन की सेवा से निलम्बित किये जाने के कारण निरस्त।]

132--श्री किरनपाल सिंह--

[4थे बुधवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 5 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

133--श्री मोहम्मद अबरार अहमद--

[आश्वासन समिति के विचारार्थ होने के कारण निरस्त।]

जनपद वाराणसी में मूर्तियों की चोरी एवं दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही

134--श्री मोहम्मद अबरार अहमद--

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद वाराणसी के विश्वनाथ मंदिर में सोने की मूर्तियों की चोरी 1980-81 में हुयी है? यदि हां, तो कितनी धनराशि की मूर्तियां चोरी हुयीं? क्या सरकार ने अब तक इस चोरी काण्ड में कोई कार्यवाही की है? यदि नहीं, तो क्यों?

चौधरी नौनिहाल सिंह--

प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक 6-3-81 को जनपद वाराणसी के स्थानीय दैनिक में प्रकाशित समाचार कि विश्वनाथ मंदिर से 4 किलो सोने का पत्रक लापता है, के आधार पर एक अभियोग अन्तर्गत धारा 379 भा0 दं0 वि0 थाना चौक में पंजीकृत किया गया। विवेचन से विदित हुआ कि कथित लापता सोने का पत्रक वस्तुतः में तांबे के पत्रक हैं जिन पर केवल स्वर्ण पेंट किया गया है और जिनका मूल्य 2,000 रु0 आंका गया। यह जानकारी नहीं हो सकी कि पत्रक कब गायब हुए बल्कि यह विदित हुआ कि लापता पत्रक दो वर्ष पूर्व से ही नहीं थे। इसलिए यह भी ज्ञात नहीं हुआ कि ये पत्रक किसने कब गायब किये।

दिनांक 22-7-81 को विश्वनाथ मंदिर के महन्त की सूचना पर कि मंदिर से सोने का कुछ हिस्सा निकाल दिया गया है, एक अन्य अभियोग धारा 379 भा0 दं0 वि0 के अन्तर्गत थाना चौक में पंजीकृत किया गया। विवेचना के दौरान प्रकाश में आए दोनों अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप-पत्र न्यायालय में 8-8-81 को प्रेषित किया गया। उपरोक्त एक अभियुक्त से एक ताम्रपत्र जिस पर स्वर्ण पेंट किया गया है, बरामद किया गया।

जनपद बदायूं में बेसिक शिक्षा परिषद् द्वारा संचालित भवनों की मरम्मत हेतु स्वीकृत अनुदान

135—श्री मोहम्मद अबरार अहमद—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बदायूं में 25-3-81 को कितने बेसिक व जूनियर विद्यालय भवनविहीन हैं? पिछले दो वर्ष 1979-80 तथा 1980-81 में किन-किन विद्यालयों की मरम्मत हेतु कितना धन खर्च किया गया? क्या भवनविहीन विद्यालयों के भवन निर्माण कराने की योजना है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

जनपद बदायूं में 25-3-81 को बेसिक शिक्षा परिषद् द्वारा संचालित 323 प्राइमरी स्कूल व 53 जूनियर हाई स्कूल भवनहीन थे।

वर्ष 1979-80 में विद्यालय भवनों की मरम्मत के लिये स्वीकृत अनुदान की धनराशि का उपयोग वर्ष 1980-81 में किया गया और संलग्न सूची में उल्लिखित 26 विद्यालय भवनों की मरम्मत हुयी जिस पर कुल 26,137·88 रु0 व्यय हुये।

जी हां, छठी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत ऐसे विद्यालयों के निर्माण का कार्यक्रम चलाया जा रहा है।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ 1174 पर।)

जनपद बदायूं की बदायूं तहसील में प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र में अध्यापकों की नियुक्ति तथा व्यय

136—श्री मोहम्मद अबरार अहमद—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1979-80 और 1980-81 में बदायूं जनपद में बदायूं तहसील में कितने प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र खोले गये और कितने अध्यापक रखे गये, उस पर कितना रुपया व्यय हुआ तथा कितने प्रौढ़ों को प्रशिक्षित किया गया?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

वर्ष 1979-80 और 1980-81 में बदायूं जनपद में बदायूं तहसील में शासकीय एजेंसी द्वारा कोई प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र नहीं खोला गया। अतः अध्यापकों के रखने, उस पर व्यय करने और प्रौढ़ों को प्रशिक्षित करने का प्रश्न नहीं उठता।

137—श्री सरदार सिंह—

[माननीय सदस्य को सदन की सेवा से निलम्बित किये जाने के कारण निरस्त।]

जनपद शाहजहांपुर में जिला परिषद् के प्राइमरी व जूनियर हाई स्कूलों में रिक्त अध्यापकों की संख्या एवं नियुक्ति

138—श्री सत्य पाल सिंह—

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद शाहजहांपुर के जिला परिषद् के प्राइमरी तथा जूनियर हाई स्कूलों में कितने संस्कृत तथा उर्दू अध्यापकों/अध्यापिकाओं

के स्थान रिक्त हैं यह स्थान कब से रिक्त चल रहे हैं और इस स्थानों पर कब तक नियुक्तियां हो जायेंगी ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

जनपद शाहजहांपुर के परिषदीय प्राइमरी पाठशालाओं में संस्कृत एवं उर्दू के अलग से सहायक अध्यापकों के पद नहीं हैं ।

परिषदीय जूनियर हाई स्कूलों में संस्कृत अध्यापकों के पद अलग से स्वीकृत नहीं हैं । उर्दू अध्यापकों/अध्यापिकाओं के पांच स्थान रिक्त हैं जो कि अध्यापकों को प्रोन्नति किये जाने तथा अध्यापकों द्वारा त्याग पत्र देने के कारण गत एक वर्ष से रिक्त हैं । इन रिक्त पदों पर अध्यापकों को नियुक्त किये जाने की कार्यवाही की जा रही है ।

जनपद शाहजहांपुर के थाना तिलहर में कत्ल तथा डकैतियां

139—श्री सत्यपाल सिंह—

क्या गृह मंत्री कृपया बतलायेंगे कि जनपद शाहजहांपुर के थाना तिलहर में माह फरवरी मार्च व अप्रैल, 1981 में कितने कत्ल तथा डकैतियां हुई ? क्या यह सच है कि इस थाने के रिकार्ड में इतने कम समय में इतने अधिक कत्ल व डकैतियों के केस कभी नहीं हुए ? यदि हां, तो शासन इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही कर रहा है ?

चौधरी नौनिहाल सिंह—

प्राप्त सूचना के अनुसार जनपद शाहजहांपुर के थाना तिलहर में माह फरवरी, मार्च व अप्रैल, 1981 में कुल 3 हत्यायें तथा एक डकैती की घटना हुई । वर्ष 1981 की आलोच्य अवधि में हत्या एवं डकैती की घटनाओं में गत वर्ष की तुलना में काफी कमी आई है । उदाहरणार्थ वर्ष 1980 की इसी अवधि में 4 हत्या तथा 2 डकैती की घटनायें हुई थीं ।

गोरखपुर जिले में प्रमुख सड़कों का निर्माण

140—श्रीमती गौरी देवी—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का कोई पत्र दिनांक 12-12-80 का गोरखपुर जिले में प्रमुख सड़कों के निर्माण के सम्बन्ध में प्राप्त हुआ था ? यदि हां, तो वे प्रमुख सड़कें कौन-कौन थीं और निर्माण में शासन द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

श्री अम्मार रिजवी—

जी हां ।

सड़कों की सूची संलग्न है ।

केवल रुस्तमपुर से मिर्जापुर मार्ग की 4.20 कि० मी० लम्बाई (डांगीपार से मिर्जापुर तक) खाद्यान्न योजना 4 व 5 में स्वीकृत की गई है । अन्य मार्ग धनाभाव के कारण फिलहाल स्वीकृत नहीं किये जा सके हैं ।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ 1287 पर)

जनपद गोरखपुर में कतिपय मार्गों का निर्माण कार्य

141—श्रीमती गौरी देवी—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि गोरखपुर जिले की जैतपुर-बोकटी महावीर छपरा-कुसमौल, रुस्तमपुर-कजाकपुर एवं कोड़ीराम-गोला बाजार मार्ग जिला परिषद् गोरखपुर से सार्वजनिक निर्माण विभाग को स्थानान्तरित हो गई हैं ? क्या यह सच है कि इनमें कुछ सड़कों का निर्माण प्रारम्भ हो गया है ? यदि हां, तो किन-किन का और कितनी लम्बाई की ?

श्री अम्मार रिजवी—

केवल कोड़ीराम-गोलाबाजार मार्ग का 7 कि0 मी0 से 11 कि0 मी0 तक का भाग ही जिला परिषद्, गोरखपुर से सार्वजनिक निर्माण विभाग को हस्तान्तरित हुआ है जिस पर निर्माण कार्य वर्ष 1980 में ही पूरा किया जा चुका है ।

जनपद गोरखपुर में गगहा-रकहट पथ पर पक्की सड़क बनाने हेतु कार्यवाही

142—श्रीमती गौरी देवी—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर जिले की गगहा-रकहट पथ पर पक्की सड़क बनाने के सम्बन्ध में अधीक्षण अभियन्ता सिंचाई निर्माण माण्डल-गोरखपुर दिनांक 9 अक्तूबर, 1980 को सार्वजनिक निर्माण विभाग, गोरखपुर को एक पत्र लिखकर निवेदन किया था कि इस रास्ते का पक्की सड़क की मांग पर कार्यवाही अपने स्तर से करने का कष्ट करें ? यदि हां, तो गगहा-रकहट पथ को पक्की सड़क बनाने के लिए क्या कार्यवाही की गई ?

श्री अम्मार रिजवी—

जी हां ।

धनाभाव के कारण मार्ग की स्वीकृति नहीं प्रदान की जा सकी है ।

143—श्री किरनपाल सिंह—

[माननीय सदस्य की सदन की सेवा से निलम्बित किये जाने के कारण निरस्त ।]

144—श्री ऊदल—

[2रे गुरुवार के अतारांकित प्रश्न संख्या 89 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

जनपद रामपुर की टाऊन एरिया टांडा में इन्टर कालेज, खुलवाने का निर्णय

145—श्री बलवीर सिंह—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद रामपुर में नगरपालिका स्वार तथा टाउन एरिया टांडा में इन्टर कालेज खुलवाने का निर्णय लिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

जी नहीं ।

सीमित वित्तीय संसाधनों एवं भौतिक लक्ष्यों के कारण ।

जनपद लखनऊ में लीलाखेड़ा के ग्रामवासियों के शिकायती-पत्र के जांच एवं दोषी पुलिस कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही

146--श्री राम आसरे वर्मा--

क्या गृह मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि थाना काकोरी जनपद लखनऊ की पुलिस द्वारा ग्राम लीलाखेड़ा के ग्रामवासियों के साथ ज्यादतियों तथा दुर्व्यवहार करने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता द्वारा संस्तुत ग्राम लीलाखेड़ा, थाना काकोरी, जनपद लखनऊ के ग्रामवासियों का शिकायती-पत्र दिनांक 27-3-81 को उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो घटना के पूर्ण विवरण क्या प्रकाश में आये और सरकार ने अब तक दोषी पुलिस कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की है ?

चौधरी नौनिहाल सिंह--

जी हां ।

प्राप्त सूचना के अनुसार ग्राम लीलाखेड़ा के कुछ ग्रामवासियों के संयुक्त प्रार्थना पत्र में दिनांक 14-3-81 को थाना काकोरी के कर्मचारियों द्वारा ग्राम हसनखेड़ा के ग्रामवासियों को मारे पीटे जाने की शिकायत है । जांच से एक कान्सटेबिल दोषी पाया गया जिसे दण्डित करके अन्यत्र स्थानान्तरित कर दिया गया है । ग्रामवासियों को अब कोई शिकायत थाना काकोरी के पुलिस कर्मचारियों से नहीं है ।

जनपद फर्रुखाबाद के विकास खंड राजेपुर में अध्यापकों की बहाली एवं बकाया की धनराशि का भुगतान

147--श्री विमल प्रसाद तिवारी--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि फर्रुखाबाद जनपद के विकास खंड राजेपुर में बेसिक शिक्षा परिषद् के अन्तर्गत कार्यरत 26 अध्यापक दिसम्बर, 1979 में एक माह निलम्बित रहने के उपरान्त बहाल किये गये ? यदि हां, तो इन अध्यापकों को इस अवधि की तनख्वाह का क्या भुगतान कर दिया गया है ? यदि नहीं भुगतान किया गया है, तो इसका क्या कारण है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

जी हां ।

अध्यापकों को 6-12-1979 को विद्यालय से अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के कारण सेवा से निलम्बित किया गया था । उसके स्पष्टीकरण की प्राप्ति पर तत्कालीन जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने कुछ अध्यापकों को सवेतन और कुछ का एक दिन का वेतन काटकर बहाल कर दिया था । जिन अध्यापकों को सवेतन बहाल किया गया उनका वेतन उस महीने का पूर्ण भुगतान कर दिया गया है किन्तु अध्यापकों का वेतन एक दिन का काट कर भुगतान करना है उसके भुगतान की कार्यवाही की जा रही है ।

राजकीय निर्माण निगम द्वारा असिस्टेन्ट मैनेजर एडमिनिस्ट्रेशन पद के उपयुक्तता के आधार पर प्रोन्नति का निर्णय

148—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या यह सही है कि सार्वजनिक निर्माण विभाग के किसी स्टेनों को जो राजकीय निर्माण निगम में प्रतिनियुक्ति पर था, को गत वर्ष असिस्टेन्ट मैनेजर एडमिनिस्ट्रेशन के पद पर प्रोन्नति किया गया है ? यदि हां, तो इसका आधार क्या था ? क्या उक्त पद को विज्ञापित किया गया था ? और निगम के सक्षम कर्मचारियों के आवेदन-पत्र मांगे गये थे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी—

जी नहीं । गत वर्ष (1980) में राजकीय निर्माण निगम में असिस्टेन्ट मैनेजर एडमिनिस्ट्रेशन के एक मात्र पद को उक्त निगम के ही एक कर्मचारी की प्रोन्नति द्वारा भरा गया था, सार्वजनिक निर्माण विभाग के उक्त निगम में उस समय प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत किसी स्टेनों या अन्य कर्मचारी की प्रोन्नति द्वारा नहीं ।

प्रोन्नति के आधार असिस्टेन्ट मैनेजर (एड0) के पद को प्रोन्नति द्वारा भरे जाने का निगम का निर्णय एवं पद के लिये प्रोन्नत कर्मचारी की उपयुक्तता थे । निगम में प्रवृत्त सेवा नियमावली के अन्तर्गत उक्त पद को प्रोन्नति द्वारा भी भरा जाना अनुमन्य था ।

जी नहीं । उक्त पद को न तो विज्ञापित किया गया था और न ही उसके लिये निगम के सक्षम कर्मचारियों के आवेदन-पत्र मांगे गये थे । चूंकि पद को प्रोन्नति द्वारा भरा जाना था, अतः इसकी आवश्यकता नहीं समझी गई ।

यद्यपि उस समय निगम में उक्त पद के लिये उपरोक्त सेवा नियमावली में निर्धारित अर्हताओं वाले कर्मचारी केवल एक ही कर्मचारी थे (जिन्हें प्रोन्नत किया गया) तथापि प्रोन्नति के लिये विचार करते समय उनके अतिरिक्त निगम के दो अन्य कर्मचारियों पर भी विचार किया गया था, जिनकी अर्हता निर्धारित अर्हता से कुछ कम थी ।

149—श्री राम आसरे वर्मा—

[माननीय सदस्य ने वापस लिया ।]

राजकीय निर्माण निगम के अधिकारियों के सरकारी निवास में रहते हुये मकान किराया भत्ता देने का औचित्य

150—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या यह सही है कि राजकीय निर्माण निगम के अधिकारियों को जो आजकल सरकारी आवास में रहते हैं मकान किराया भत्ता दिया जा रहा है ? यदि हां, तो, किन-किन अधिकारियों को ? मकान किराया भत्ता देने का औचित्य क्या है ?

श्री अम्मार रिजवी--

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

राजकीय निर्माण निगम के अधिकारियों/कर्मचारियों के बोनस के भुगतान में विलम्ब

151--श्री राम आसरे वर्मा--

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि राजकीय निर्माण निगम के अधिकारियो/कर्मचारियों को 1979-80 के बोनस का पूर्ण तथा भुगतान कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो विलम्ब का क्या कारण है और इसके लिये कौन अधिकारी दोषी हैं ?

श्री अम्मार रिजवी--

वर्ष 1979-80 का बोनस पूर्णतया भुगतान नहीं हो पाया है । भुगतान में विलम्ब के कारण का पता लगाया जा रहा है परन्तु प्रथम दृष्टया सम्बन्धित इकाइयों के अध्यक्ष विलम्ब के लिये दोषी हैं ।

राजकीय निर्माण निगम में प्रतिनियुक्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों को एडीशनल प्रोजेक्ट मैनेजर/जनरल मैनेजर एवं असिस्टेन्ट मैनेजर के पदों पर प्रोन्नति

152---श्री राम आसरे वर्मा--

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि 1980-81 में राजकीय निर्माण निगम नें एडीशनल प्रोजेक्ट मैनेजर/जनरल मैनेजर एवं असिस्टेंट मैनेजर के पदों पर प्रतिनियुक्ति पर आये अधिकारियों/कर्मचारियों को प्रोन्नति दी गयी थी ? यदि हां, तो क्या उक्त विषय में राजाज्ञा संख्या जी 2-3573/बस 925-65 दिनांक 4-3-73 में निहित शर्तों का परिपालन किया गया और पेरेन्ट डिपार्टमेन्ट से सहमति प्राप्त की गई ? यदि नहीं की गई, तो किन कारणों से ? इसके लिए दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी ?

श्री अम्मार रिजवी--

वर्ष 1980-81 की अवधि में राजकीय निर्माण निगम में प्रतिनियुक्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों को एडीशनल प्रोजेक्ट मैनेजर/जनरल मैनेजर/असिस्टेन्ट मैनेजर के उच्च वेतन मान स्वीकृत कर प्रोन्नति नहीं दी गई । । उन्हे केवल एडीशनल प्रोजेक्ट मैनेजर/जनरल मैनेजर के पद नाम दिये जाने के आदेश जारी किये गये । संदर्भित शासनादेश के अन्तर्गत उक्त पद नाम देने के लिए पैतृक विभाग से सहमति की आवश्यकता नहीं है । अतः इसका प्रश्न ही नहीं उठता ।

ऐसी स्थिति में, किसी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करने का भी प्रश्न नहीं उठता ।

राजकीय निर्माण निगम में प्रतिनियुक्ति पर आये अधिकारियों को निहित प्राविधानो के अनुसार देय प्रतिनियुक्ति भत्ता

153—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री कृपा बतायेगें कि राजकीय निर्माण निगम में शासनादेश संख्या 3822/ई0 जी0/23-पा0 नि0 अनुभाग-5-66 ई0 जी0/76। दिनांक 5-9-79 तथा निगम के परिपत्र संख्या 2389/आई0 ई0, दिनांक 11-6-76 जिसके द्वारा केवल प्रतिनियुक्त अधिकारी को 20 प्रतिशत मूल वेतन पर वेतन देय है, का परिपालन हो रहा है ? यदि नहीं, तो किन-किन अधिकारियों के संबंध में और क्यों ?

श्री अम्मार रिज़वी—

निगम में प्रतिनियुक्ति पर आये अधिकारियों को दिनांक 5-9-79 के शासनादेश में निहित प्राविधानों के अनुसार 20 प्रतिशत प्रतिनियुक्ति भत्ता मिल रहा है किन्तु 5 ऐसे अफिकारी हैं जो निगम के परिपत्र दिनांक 11-6-76 के प्राविधानों के अनुसार ही प्रति-नियुक्ति भत्ता पा रहे हैं, उनकी सूची संलग्न है। ऐसे अधिकारियों के संबंध में निगम के निदेशक मन्डल द्वारा पारित एक प्रस्ताव में शासन से अनुरोध किया गया है कि जो सुविधायें पूर्व आदेशों के अनुसार उपलब्ध हैं उन्हें जारी रखने की स्वीकृति दी जावे। निदेशक मन्डल द्वारा पारित प्रस्ताव शासन के विचारा धीन है।

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ 1176 पर :)

केन्द्रीय सरकार के अधीन भर्ती के प्रयोजन के लिये जामिया उर्दू, अलीगढ़ द्वारा चलाये गये पाठ्यक्रमों का परिपालन

154—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि कन्द्रीय सरकार के अधीन भर्ती के प्रयोजनों के लिये जामिया उर्दू अलीगढ़ द्वारा चलाये गये पाठ्यक्रमों को मान्यता विषयक गृह मंत्रालय के कार्मिक और प्राशासनिक सुधार विभाग के पत्र संख्या 14021/2-78, दिनांक 28 जून, 1978 के संदर्भ में परिपालन प्रदेशीय सरकार द्वारा किया जा रहा है और कोई आदेश इस सम्बन्ध में प्रसारित किये गये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री विश्व नाथ प्रताप सिंह—

प्रश्नगत मामला शासन के विचाराधीन है।

उत्तर प्रदेश सचिवालय में अधिकारियों की ज्येष्ठता सूची के आधार पर प्रोन्नतियां

155—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या सरकार बताने की कृपा करेंगी कि उत्तर प्रदेश सचिवालय सेवा के अधिकारियों की 1 जनवरी, 1981 तक संशोधित ज्येष्ठता सूची के क्रम-संख्या 104 पर अंकित जो अनुभाग अधिकारी, शिक्षा सचिव शाखा में विशेष कार्याधिकारी के असंवर्गीय पद पर कार्यरत है, से सचिवालय में कार्यरत 25-30 से अधिक स्थायी अनुभाग अधिकारी ज्येष्ठ हैं ? क्या यह हैं कि इन विशेष कार्याधिकारी से कहीं अधिक शैक्षिक योग्यता रखने वाले वरिष्ठ अनुभाग अधिकारी उपलब्ध हैं जिनमें अनुसूचित जाति के अभ्यर्थी भी सम्मिलित हैं ? यदि हां, तो उनमें से किसी अन्य को इनके स्थान पर न रखने का क्या औचित्य है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

उत्तर प्रदेश सचिवालय सेवा के अधिकारियों की 1 जनवरी, 1981 तक संशोधित ज्येष्ठता सूची के क्र० सं० 104 पर श्री ताराशंकर चौबे का नाम अंकित है जो शिक्षा सचिव शाखा में विशेष कार्याधिकारी के पद पर 29 अप्रैल, 1980 से कार्यरत हैं। उक्त सूची के क्र० सं० 66 पर अंकित अनुभाग अधिकारी को, दो अनुभाग अधिकारियों को छोड़ते हुए, उच्च पदों पर तदर्थ नियुक्ति दी जा चुकी है। इस प्रकार श्री चौबे से ऊपर अभी 37 अनुभाग अधिकारी हैं जिनमें अनुसूचित जाति के भी सम्मिलित हैं। उनमें से 3 अनुभाग अधिकारियों को अनुसूचित जाति अथवा पिछड़ी जाति होने के कारण अनुसचिव के पद पर तदर्थ प्रोन्नतियां दी जा चुकी हैं। 2 अनुभाग अधिकारी सेवा निवृत हो चुके हैं। क्रमांक 66 के नीचे 15 अनुभाग अधिकारी सचिवालय में उच्च पदों पर अथवा सचिवालय के बाहर सेवा पर प्रतिनियुक्ति पर हैं। 17 अनुभाग अधिकारी ऐसे हैं जो श्री चौबे से ज्येष्ठ हैं और वे सचिवालय में अनुभाग अधिकारी के पद पर कार्यरत हैं।

श्री चौबे को शिक्षा सचिव शाखा में विशेष कार्याधिकारी के निःसंवर्गीय पद पर पूर्णतया तदर्थ प्रोन्नति उनकी विशेष योग्यता एवं उपयुक्तता को देखते हुए की गई है।

जनपद बाराबंकी में ग्राम मेहदी का पुरवा मजरे मोतिकपुर निवासी श्री मु० जमा खान के घर डकैती की जांच

156—श्री राम सागर—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बाराबंकी अन्तर्गत थाना असन्दरा के ग्राम मेहदी का पुरवा मजरे मोतिकपुर निवासी श्री मु० जमा खान के घर दिनांक 2/3-4-81 की रात डकैतों ने परिवार वालों को मारा पीटा और 20,000 की डकैती करके भाग गये जिसकी रपट थाना असन्दरा में धारा 395 तथा 397 के तहत दर्ज की गई ? यदि हां, तो अब तक इस घटना में क्या जांच और आवश्यक कार्यवाही हुई ?

चौधरी नौनिहाल सिंह—

वादी श्री मो० जमा खां ने इस आशय की रिपोर्ट थाने पर लिखाई कि दिनांक 2/3 अप्रैल, 1981 की रात को करीब 1 बजे 15-16 डकैत उसके घर में घुसे, परिवार के व्यक्तियों को मारा पीटा और 2,000 रुपये नगद तथा कुछ सोने चांदी के जेवर, कपड़े, बर्तन आदि उठा ले गये। जिस पर धारा 395/397 भा० द० वि० संहिता का मुकदमा दर्ज करके विवेचना प्रारम्भ की गई। विवेचना से अभी तक माल व मुल्जिमानों का पता नहीं चल सका है। विवेचना जारी है।

157—श्री मोतीलाल देहलवी—

[माननीय सदस्य को सदन की सेवा से निलम्बित किये जाने के कारण निरस्त।]

जिला हरदोई, ग्राम अटहरिया, थाना पाली में आगजनी की घटना

161—श्री सत्यपाल सिंह—

क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिला हरदोई, थाना पाली के ग्राम अटहरिया में अप्रैल, 1981 के प्रथम सप्ताह में आगजनी की कितनी रपटें थाना पाली में दर्ज हुई हैं ? क्या सभी रपटों के मुल्जिमान एक ही हैं ? यदि हां, तो मुल्जिमान के खिलाफ अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

चौधरी नौनिहाल सिंह—

प्राप्त सूचना के अनुसार जनपद हरदोई के ग्राम अटहरिया में अप्रैल, 1981 के प्रथम सप्ताह में आगजनी की केवल एक रिपोर्ट थाना पाली में वादी श्री नरसिंह पुत्र श्री विशाल द्वारा राम सुरेश पुत्र बालादीन व जगत नरायन पुके कलक्टर, निवासीगण ग्राम अटहरिया के विरुद्ध पंजीकृत कराई गई थी । साक्ष्य के अभाव में इससे सम्बन्धित अभियोग में अन्तिम रिपोर्ट प्रेषित की गई जिस पर न्यायालय द्वारा पुनर्विवेचना के आदेश दे दिये गये हैं ।

162—श्री गोपीनाथ वर्मा—

[माननीय सदस्य के सदन की सेवा से निलम्बित किये जाने के कारण निरस्त ।]

जनपद इलाहाबाद में पुलिस द्वारा गांजा की बरामदगी

163—श्री मोहम्मद अबरार अहमद—

क्या सरकार बताने की कृपा करेंगे कि 5 सितम्बर, 1980 की रात्रि को पुलिस विभाग के कर्मचारियों ने इलाहाबाद बाय रोड पर एक एम्बेसडर कार नं0 डब्लू0 बी0 जे0 9632 से 70 किलो गांजा छापा मारकर बरामद किया था ? यदि हां, तो इस मामले में आबकारी विभाग द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गई ? क्या सरकार ने इस मामले की जांच प्रदेश के सतर्कता विभाग को सौंपेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी नौनिहाल सिंह—

प्राप्त सूचना के अनुसार प्रश्न में उल्लिखित आशय की घटना उक्त तिथि को घटित होना नहीं पाया गया । अतः अन्य कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता है ।

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, बांदा में कताई-बुनाई ट्रैक्टर, टेलीविजन मैकेनिक के प्रशिक्षण की व्यवस्था

164—श्री चन्द्र प्रकाश शर्मा—

क्या सरकार को मालूम है कि औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, बांदा में कताई-बुनाई ट्रैक्टर, टेलीविजन मैकेनिक आदि के ट्रेड के प्रशिक्षण की व्यवस्था उपलब्ध नहीं है ? क्या सरकार इन ट्रेडों के प्रशिक्षण की व्यवस्था इस जनपद में भी शीघ्र करेगी ? यदि हां, तो कब से और नहीं, तो क्यों ?

श्री जगदीश चन्द्र दीक्षित—

जी हां, इस संस्थान में प्रश्नगत व्यवसायों के प्रशिक्षण की व्यवस्था उपलब्ध नहीं है । बांदा जनपद की आवश्यकताओं को देखते हुये इन व्यवसायों में प्रशिक्षण प्रारम्भ किये जाने का इस समय कोई प्रस्ताव नहीं है ।

जिला बांदा में प्राइमरी विद्यालय के निर्माण की योजना

165—श्री चन्द्र प्रकाश शर्मा—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम बड़ोखर बुजुर्ग, तहसील नरैनी, जिला बांदा में प्राइमरी विद्यालय भवन अत्यन्त जीर्ण-शीर्ण हो गया है ? यदि हां, तो शासन इसके निर्माण की योजना बना रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

जी हां ।

छठी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत राज्य के भवनहीन तथा जीर्ण-शीर्ण स्कूल भवनों के निर्माण की योजना है जिसके लिए शासन द्वारा जिलेवार अनुदान स्वीकृत किये जाते हैं किन्तु इस अनुदान से किन विद्यालयों के भवनों का निर्माण किया जाना है यह चयन जिला बेसिक शिक्षा समिति द्वारा किया जाता है ।

166—श्री चन्द्र प्रकाश शर्मा—

[स्पष्टीकरण के अभाव में हटाया गया ।]

जनपद बांदा में कार्यरत अध्यापकों एवं अध्यापिकाओं का भविष्य-निधि का लेखा जोखा देने की व्यवस्था

167—श्री चन्द्र प्रकाश शर्मा—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बांदा जनपद में बेसिक शिक्षा परिषद् के अन्तर्गत कार्यरत अध्यापकों एवं अध्यापिकाओं को 1-12-80 तक भविष्य निधि का लेखा-जोखा नहीं दिया गया है ? यदि हां, तो इस देरी का क्या कारण है ? इसको दिलाने की क्या व्यवस्था की जा रही है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

जी हां ।

कार्यभार अधिक होने के कारण लेखा देने में विलम्ब हुआ है ।

नगर क्षेत्र में वर्ष 1980-81 तक अध्यापकों/अध्यापिकाओं के भविष्य निधि का लेखा पूर्ण है, जिसे देने की व्यवस्था की जा रही है ।

ग्रामीण क्षेत्र के अध्यापक/अध्यापिकाओं के भविष्य निधि की पोस्टिंग 1-12-1980 तक नहीं हो पाई है । वर्ष 1968-69 तक का लेखा तैयार है जो उन्हें उपलब्ध कराया जा चुका है । वर्ष 1975-76 से 1980-81 तक की की गई कटौती की प्रविष्टियां की जा चुकी हैं । शेष वर्षों की लेखा पोस्टिंग की कार्यवाही द्रुतगति से की जा रही है ।

जनपद बांदा में उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, तिंदवारी को अनुदान सूची में लाने हेतु पत्र

168—श्री चन्द्र प्रकाश शर्मा—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, तिन्दवारी, जनपद बांदा को वर्ष 1981 में अनुदान सूची में लाने के लिए नवम्बर,

1980 में विधायक विधान सभा क्षेत्र बांदा द्वारा कोई पत्र प्राप्त हुआ था ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

जी हां ।

विचार किया जा रहा है ।

वाराणसी में कालिका धाम पुल को चालू किये जाने का विचार

169—श्री ऊदल—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि वाराणसी में कालिका धाम पुल के दोनों तरफ दो-दो फर्लांग जो सड़क बनने वाली थीं वह बना दी गयी हैं और क्या सरकार को पता है कि उक्त पुल नीचा बना है ? यदि हां, तो उक्त पुल में उत्तर तरफ दो ताखा और बनाकर उक्त पुल को खोलने में सरकार को क्या कठिनाई है और उक्त पुल कब तक चालू हो जायेगा ?

श्री अम्मार रिजवी—

जी नहीं ।

जी हां ।

इस सम्बन्ध में शासन द्वारा विचार नहीं किया जा रहा है ।

पुल के सुदृढ़ीकरण की आवश्यकता के प्रश्न पर विचार कर लिये जाने के उपरान्त ही पुल को चालू किये जाने की सम्भावना पर निर्णय लिया जा सकेगा ।

ब्लाक पिंडरा, जिला वाराणसी में मंगारी से सिधोरा मार्ग के निर्माण की मांग

170—श्री ऊदल—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री कृपया बतायेंगे कि मंगारी से सिधोरा मार्ग ब्लाक पिंडरा, जिला वाराणसी में जमीन चकबन्दी द्वारा मार्ग बनाने हेतु छोड़ दी गयी है ? क्या यह सत्य है कि यह मार्ग बाबतपुर ऐरोड्राम से केराकत मार्ग को सिधोरा में मिलाता है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस मार्ग को बनाने हेतु स्वीकृति प्रदान करने पर विचार करेगी ?

श्री अम्मार रिजवी—

जी हां ।

जी हां ।

जी नहीं, अभी ऐसी कोई योजना नहीं है ।

जनपद अल्मोड़ा के विकास खण्ड ताड़ी खेत के अन्तर्गत कन्या प्राइमरी पाठशाला के भवन निर्माण हेतु स्वीकृत अनुदान

171—श्री जसवन्त सिंह बिष्ट—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि अल्मोड़ा जिले के विकास खण्ड ताड़ी खेत के अन्तर्गत कन्या प्राइमरी पाठशाला गुप्तेश्वर के भवन निर्माण के लिए वर्ष 1972 में सरकारी अनुदान स्वीकृत हुआ था ? क्या उसका उपयोग उक्त भवन निर्माण में किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

जी हां ।

जी नहीं ।

वित्तीय वर्ष 1972–73 में एक मिश्रित पाठशाला तथा 5 नवीन कन्या प्राइमरी पाठशाला खोलने हेतु जिला परिषद्, अल्मोड़ा को अनुदान स्वीकृत किया गया था । उक्त चयन किये गये विद्यालयों में प्रश्नगत विद्यालय भी सम्मिलित था । चयनित प्राइमरी कन्या पाठशाला, गुप्तेश्वर (प्राइमरी पाठशाला, पीपली की शाखा पाठशाला, मरहरिया चगडोल के नाम से) पहले ही वर्ष 1964 से चल रही थी तथा इसका भवन ग्राम सभा द्वारा स्वयं निर्मित करा लिया गया था । अतएव उक्त स्थान पर भवन उपलब्ध होने के कारण अनुदान की धनराशि का उपयोग नहीं हुआ और धनराशि जिला परिषद् निधि में पड़ी रही जिसे अपूर्ण विद्यालयों को पूर्ण करने हेतु बाद में प्रत्यावर्तित कर दिया गया ।

जनपद बदायूं की तहसीलों में अवैधानिक रूप से वृक्षों का कटान तथा कार्यवाही

172—श्री मोहम्मद अबरार अहमद—

क्या वन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बदायूं की किन-किन तहसीलों में कितने-कितने वृक्षों को कटान के परमिट वर्ष 1979–80 में जारी किये गये ? क्या यह सच है कि इस जनपद में हरे वृक्षों को गैर कानूनी ढंग से भारी संख्या में काटा जा रहा है ? यदि हां, तो क्या शासन इस सम्बन्ध में शीघ्र कोई ऐसी ठोस कार्यवाही करेगा, जिससे भविष्य में यह अवैधानिक कार्य रुक सके ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी नौनिहाल सिंह—

जनपद बदायूं में निम्नलिखित तहसीलों में उनके समक्ष दर्शाये गये वृक्षों के कटान के परमिट वर्ष 1979–80 में (1 अप्रैल, 1979 से 31 मार्च, 1980 तक) जारी किये गये :—

1—बदायूं तहसील	..	203 वृक्ष
2—बिसौली तहसील	..	420 ,,
3—दातागंज तहसील	..	108 ,,
4—गुन्नौर तहसील	..	86 ,,
5—सहसवान तहसील	..	347 ,,
योग	..	1164 ,,

इन काटे गये पेड़ों के स्थान पर 1329 वृक्षों का पुनः रोपण वर्ष 1980-81 में कराया गया। बदायूं जनपद में हरे वृक्षों के गैर कानूनी ढंग से काटे जाने के केवल 13 मामले जानकारी में आये जिन्हें पुलिस विभाग के पास नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही करने हेतु भेज दिया गया है। वृक्षों का अनधिकृत पातन रोकने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश ग्रामीण और पर्वतीय क्षेत्र में वृक्ष संरक्षण अधिनियम, 1976 लागू किया जा चुका है जिसकी धारा 10 के अन्तर्गत वृक्षों के अनधिकृत पातन हेतु सजा की व्यवस्था की गई है तथा धारा 13 (1) के अन्तर्गत पुलिस विभाग के सब-इन्सपेक्टर तथा उसके ऊपर के पद के अधिकारियों को भी इस अधिनियम के प्राविधानों का उल्लंघन करने वाले के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही करने का व्यापक अधिकार प्राप्त है।

जनपद बदायूं में स्टील के कोटे का औद्योगिक इकाइयों को आवंटन

173--श्री मोहम्मद अबरार अहमद--

क्या उद्योग मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बदायूं में स्टील का कोटा कितने व्यक्तियों एवं कितनी संस्थाओं को वर्ष 1979-80 व 1980-81 में दिया गया ? क्या यह सभी व्यक्ति एवं संस्थायें पंजीकृत हैं ? यदि नहीं, तो इनको कोटा देने का क्या कारण है ?

श्री नियाज हसन खां--

उद्योग निदेशालय द्वारा स्टील का कोटा केवल औद्योगिक इकाइयों को आवंटित किया जाता है, व्यक्तियों को नहीं। बदायूं जनपद में वर्ष 1979-80 में 28 औद्योगिक एवं फैक्ट्री निर्माण इकाइयों को तथा 1980-81 में 37 औद्योगिक एवं फैक्ट्री निर्माण इकाइयों को स्टील का कोटा आवंटित किया गया था। उपरोक्त सभी इकाइयां पंजीकृत थीं।

174-177--श्री मोती लाल देहलवी--

[माननीय सदस्य के सदन की सेवा से निलम्बित किये जाने के कारण निरस्त]

जनपद हरदोई के विकास खण्ड भरावन के भटपुर के पास गोमती नदी पर पुल का निर्माण

178--श्री राम लाल वर्मा--

क्या लोकनिर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हरदोई के विकास खण्ड भरावन के भटपुर के पास गोमती नदी पर पुल का निर्माण करायेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी--

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

धन की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

श्रीमती कामिनी अवस्थी, जनपद आगरा की दहेज की कमी से आग लगाकर हत्या

179—श्री विमल प्रसाद विवारी—

क्या गृह मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि श्रीमती कामिनी अवस्थी पत्नी श्री रमेश नारायण अवस्थी, सिगनलर एयरफोर्स, आगरा निवासी ग्यानपुरा "गायत्री भवन", फतेहपुर सीकरी रोड, आगरा की हत्या आग लगाकर दहेज में कमी के कारण 29 दिसम्बर, 1979 को कर दी गई थी और इस मामले में अपराध अनुसंधान शाखा ने जांच की थी ? यदि हां, तो जांच का क्या परिणाम निकला और उसके फलस्वरूप क्या कार्यवाही की गई ?

चौधरी नौनिहाल सिंह—

प्रश्नगत मामले में अपराध अनुसंधान विभाग द्वारा कराई गई जांच से घटना आत्महत्या की पायी गई ।

जनपद रामपुर के ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित बेसिक शिक्षा परिषद् के अन्तर्गत सहायक अध्यापकों की नियुक्तियां

180—श्री बलवीर सिंह—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि रामपुर जनपद के ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित बेसिक शिक्षा परिषद् विद्यालय में स्वीकृत इस समय 65 सहायक अध्यापकों के पद जूनियर हाई स्कूल में बालक/बालिकाओं के रिक्त हैं ? यदि हां, तो इन उक्त पदों के लिए कब तक नियुक्तियां कर दी जायेंगी ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

जनपद रामपुर के ग्रामीण क्षेत्रों में बेसिक शिक्षा परिषद् द्वारा संचालित बालक/बालिकाओं के जूनियर हाई स्कूलों में कुल 140 पद सहायक अध्यापकों के स्वीकृत हैं, जिनके विरुद्ध 142 सहायक अध्यापक वर्तमान में कार्यरत हैं । जनपद रामपुर में रियासत काल से नियुक्त अध्यापकों की संख्या अध्यापकों की स्वीकृत संख्या से अधिक रही है, जिनका समायोजन किया गया और अभी भी दो अध्यापक स्वीकृत संख्या से अधिक रह गये हैं । वर्णित स्थिति में और सहायक अध्यापकों को जूनियर हाई स्कूलों में नियुक्त करने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

लखनऊ पालीटेक्निक के लेखाकार श्री एम० ए० खान तथा आशुलिपिक श्री संत प्रसाद को अधिक भुगतान तथा दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध नियमानुकूल कार्यवाही

181—श्री राम आसरे वर्मा—

विधान सभा के प्रथम सत्र 1981 के 7वें मंगलवार के अतारांकित प्रश्न संख्या 105 के उत्तर के संदर्भ में क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जांच समिति की रिपोर्ट क्या है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

मामले में जांच करने हेतु गठित समिति ने जांच रिपोर्ट में बताया है कि लखनऊ पालीटेक्निक, लखनऊ के आशुलिपिक श्री संत प्रसाद को संस्था के प्रशिक्षण युक्त उत्पादन केन्द्र से संबंधित कार्य करने हेतु 45 रु० प्रतिमाह की दर से 32

माह के लिए कुल 1,440 मानदेय का भुगतान प्रबन्ध समिति के अध्यक्ष के अनुमोदन से किया गया। श्री एम0 ए0 खान लेखाकार को प्रशिक्षण युक्त उत्पादन केन्द्र का कार्य करने हेतु 50 रु0 प्रतिमाह की दर से 16 माह के लिए 800 रु0 के भुगतान के आदेश दिये गये थे किन्तु उन्हें 1,360 रुपये का भुगतान किया गया। जांच समिति ने उक्त आधार पर 560 रु0 अधिक भुगतान बताया है जिसकी वसूली की जाय।

182—श्री राम आसरे वर्मा—

विधान सभा के प्रथम सत्र 1981 के 7वें मंगलवार के अतारांकित प्रश्न संख्या 22 के उत्तर के संदर्भ में क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जांच रिपोर्ट क्या है तथा दोषी पाये जाने वाले कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

जैसा कि प्रश्न सं0 181 के उत्तर में बताया गया है, जांच से यह पता चला है कि संस्था के लेखाकार श्री खान को स्वीकृत धनराशि से अधिक भुगतान किया गया है। जिसके लिए प्रधानाचार्य तथा लेखाकार दोनों दोषी पाये गये हैं। दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध नियमानुकूल कार्यवाही करने तथा अधिक भुगतान की गई धनराशि की वसूली के आदेश निदेशक, प्राविधिक शिक्षा ने प्रबन्ध समिति के अध्यक्ष को दे दिया है।

श्याम लाल रजक, प्रधान अध्यापक, ललितपुर के शिकायती पत्र की जांच

183—श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री—

क्या शिक्षा मन्त्री कृपया बतायेंगे कि 1 अप्रैल, 1981 में कोई प्रार्थना-पत्र श्री श्याम लाल रजक, प्रधान अध्यापक, रिटायर्ड, नजाई बाजार, ललितपुर ने शिक्षा सचिव/शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश को प्रधानाध्यापक, श्री बाबूलाल के द्वारा की गई सम्पूर्ण अनियमितताओं से सम्बन्धित आरोपों सहित दिया ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

जी हां।

शिकायती पत्र में उल्लिखित तथ्यों की जांच शिक्षा निदेशक, उ0 प्र0 के द्वारा कराई जा रही है।

श्री बाबू लाल जैन के विरुद्ध अनियमिततायें तथा उनको पुरस्कार देन का औचित्य

184—श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री—

क्या शिक्षा मन्त्री कृपया बतायेंगे कि उक्त पत्र में संलग्न गोपनीय आख्या सही है और क्या बाबूलाल का सेवाकाल में 52, 57 एवं 1973 में निलम्बन हुआ था ? यदि हां, तो इन सब अनियमितताओं के होते हुए भी किन परिस्थितियों में शिक्षा एवं सांस्कृतिक मंत्रालय, उ0 प्र0 द्वारा श्री बाबूलाल जैन को राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

उक्त पत्र के साथ कोई गोपनीय आख्या नहीं संलग्न है। शिक्षा विभाग, उ० प्र० द्वारा श्री बाबूलाल जैन को पुरस्कृत नहीं किया गया। भारत सरकार द्वारा भी 5 सितम्बर, 1981 को सम्पन्न राष्ट्रीय अध्यापक पुरस्कार (1980) वितरण समारोह में श्री जैन को सम्मिलित नहीं किया गया।

इन्टरमीडिएट कालेज, सुहबल गाजीपुर के प्रान्तीयकरण का प्रस्ताव तथा सेवा-निवृत्ति के बाद भी कार्यरत प्रधानाचार्य

185—श्री भीखा लाल—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला परिषद् गाजीपुर द्वारा संचालित इन्टरमीडिएट कालेज, सुहबल की आर्थिक स्थित खराब होने के कारण परिषद् के अध्यक्ष ने 7 जून, 1980 को शासन को संस्तुति की थी कि प्रदेश शासन कालेज को अपने नियन्त्रण में ले ले, यदि हां, तो शासन ने उस पर क्या निर्णय लिया है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

जी हां।

मामले में विचार हेतु अध्यक्ष जिला परिषद्, गाजीपुर को यह परामर्श दिया गया है कि प्रश्नगत विद्यालय के प्रान्तीयकरण का प्रस्ताव निर्धारित प्रपत्र पर, उचित माध्यम से, शिक्षा निदेशक को उपलब्ध कराया जाय।

186—श्री भीखा लाल—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि इन्टरमीडिएट कालेज सुहवल, जिला गाजीपुर के वर्तमान प्रधानाचार्य सेवा-निवृत्ति की तारीख बीत जाने के बाद भी कार्यरत है ? यदि हां, तो ऐसा किन परिस्थितियों में किया जा रहा है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

जी नहीं, ऐसा नहीं है। शेष प्रश्न नहीं उठता।

187-189—श्री मोतीलाल देहलवी—

[माननीय सदस्य के सदन की सेवा से निलम्बित किए जाने के कारण निरस्त।]

190—श्री मोती लाल देहलवी—

[माननीय सदस्य के सदन की सेवा से निलम्बित किए जाने के कारण निरस्त।]

आर० पी० इन्टर कालेज, कमालगंज, फर्रुखाबाद में आपत्तिजनक भुगतान की धनराशि की सम्बन्धित अधिकारियों से वसूली

191—श्री सूबेदार सिंह—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि फर्रुखाबाद जनपद के तत्कालीन जिला विद्यालय निरीक्षक ने अक्टूबर, 1978 में आर० पी० इन्टर कालेज, कमालगंज

(फर्रुखाबाद) के संयुक्त खाते का एकल संचालन किया था, जिसे बाद में माननीय उच्च न्यायालय ने याचिका सं0 653 आफ 1979 के निर्णय द्वारा निरस्त कर दिया ? यदि हां, तो एकल संचालन के माध्यम से बैंक के उक्त खाते से अधिकारियों ने कितना ऐसा धन निकाल लिया, जिसके भुगतान की प्रबन्ध तन्त्र अवैध बता रहा था ? निकाले गये धन का क्या हुआ ? क्या सरकार अवैध आदेश के अन्तर्गत निकाले गये आपत्तिजनक भुगतान की धनराशि का सम्बन्धित अधिकारियों से वसूल कर विद्यालय खाते में जमा करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

जी हां।

जी हां।

49885.10 रु0 मात्र कर्मचारियों को भुगतान किया गया।

प्रश्न ही नहीं उठता। जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा सम्बन्धित कर्मचारियों को विद्यालय का नियमित कर्मचारी मान कर उनको मासिक वेतन भुगतान किया गया है।

जनपद बदायूं के पंडित जवाहर लाल नेहरू जिला परिषद् हायर सेकेन्डरी स्कूल को सरकार के नियन्त्रण में लेने का प्रस्ताव

192--श्री मोहम्मद अबरार अहमद--

प्रथम सत्र 1981 के प्रथम मंगलवार के अतारांकित प्रश्न संख्या 232 के उत्तर के संदर्भ में क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बदायूं की टाउन एरिया, कुंवर गांव के पंडित जवाहर लाल नेहरू जिला परिषद् हायर सेकेन्डरी स्कूल को सरकार के नियन्त्रण में लेने के सम्बन्ध में जो प्रस्ताव भेजा गया था उसमें क्या कमी थी ? क्या सरकार उस कमी को दूर करने के लिए स्थानीय अधिकारियों से बातचीत कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

प्रश्नगत विद्यालय के प्रबन्धतन्त्र द्वारा वांछित प्रस्ताव पारित न होना, चल अचल सम्पत्ति का विवरण न होना तथा विद्यालय के शिक्षक एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियो के अनुबन्ध पत्रों में शर्तें होना आदि कमियां थीं।

जी नहीं।

कमियां दूर कराने के लिये शासन स्तर पर कोई कार्यवाही नहीं की जाती।

जनपद बदायूं की बजीरगंज ब्लाक की सैदपुर करेगा मार्ग का कार्य की समाप्ति एवं दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही

193--श्री मोहम्मद अबरार अहमद--

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बतायेंगे कि जनपद बदायूं की बजीरगंज ब्लाक की सैदपुर करेगा मार्ग का कार्य अभी तक पूरा नहीं किया गया है ? यदि

हां, तो क्यों ? इसकी स्वीकृति कब प्रदान की गई इसके अब तक न बनाने में कौन-कौन अधिकारी दोषी हैं ? दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी--

प्रश्नगत 12 कि0 मी0 लम्बे मार्ग में से केवल प्रथम पांच कि0 मी0 का मार्ग जनवरी, 1980 में जिला परिषद् बदायूं से सार्वजनिक निर्माण विभाग को हस्तान्तरित हुआ था जिसके निर्माण की स्वीकृति 18-10-79 को दी गई थी। धनाभाव के कारण उक्त कार्य अभी तक पूर्ण नहीं किया जा सका। चूंकि इसके लिये कोई अधिकारी दोषी नहीं पाया गया, किसी व्यक्ति के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने का प्रश्न नहीं उठता।

शिवाजी स्मारक विद्यालय, भिटौरी, लखनऊ, जैदपुर, बाराबंकी को स्थायी मान्यता देने के लिये जांच

194--श्री राम सागर--

क्या शिक्षा मंत्री बतलाने की कृपा करेंगी कि दिनांक 5-4-81 को प्रश्न-कर्ता की ओर से शिवाजी स्मारक विद्यालय, भिटौरी लखनऊ, जैदपुर, बाराबंकी के प्रबन्धक, श्री चन्द्रिका सिंह के अनशन पर बैठने की सूचना प्राप्त हुई है ? जिसके लिए माननीया मन्त्री जी ने दिनांक 15-4-81 को सम्बन्धित अधिकारियों की जांच करके आवश्यक कार्यवाही करने के आदेश दिये हैं ? यदि हां, तो अब तक उपरोक्त सम्बन्धित विषय में क्या कार्यवाही की गई ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

प्रश्नकर्ता द्वारा दिनांक 4-4-81 को दी गई सूचना प्राप्त हुई थी। जांच के उपरान्त यह पाया गया कि प्रश्नगत विद्यालय द्वारा कतिपय शर्तों की पूर्ति न किये जाने के कारण उसको स्थायी मान्यता प्रदान नहीं की जा सकी। प्रश्नकर्ता को उत्तर शिक्षा राज्य मन्त्री जी के अर्ध0 शा0 प0 संख्या 3351/15-6-21(21)-81, दिनांक 9-9-81 द्वारा दिया जा चुका है।

शिवली नेशनल इन्टर कालेज, आजमगढ़ के परीक्षार्थियों का केन्द्र परिवर्तन एवं डी0 ए0 वी0 इन्टर कालेज, मऊनाथ भंजन का केन्द्र परिवर्तन के सम्बन्ध में कार्यवाही

195--196--श्री दल सिंगार यादव--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि किन परिस्थितियों में यू0 पी0 बोर्ड की परीक्षा प्रारम्भ होने के चन्द दिनों पहले शिवली नेशनल इन्टर कालेज, आजमगढ़ के इन्टर के परिक्षार्थियों का केन्द्र बेसली इन्टर कालेज, आजमगढ़ के रामकृष्ण विद्या मंदिर, चांदपुर पटवध, आजमगढ़ कर दिया गया और किन परिस्थितियों में शिवली नेशनल इन्टर कालेज, आजमगढ़ के हाई स्कूल के परीक्षार्थियों का केन्द्र बेसली इन्टर कालेज पर किये जाने के पश्चात् भी रामकृष्ण राम विद्या मन्दिर, चांदपुर पटवद, आजमगढ़ पर परीक्षा दे रहे हैं ?

किन परिस्थितियों में डी0 ए0 वी0 इन्टर कालेज, मऊनाथ भंजन का केन्द्र परीक्षा प्रारम्भ होने के चन्द दिनों पहले तोड़कर इंटर कालेज अदरी इन्दारा, आजमगढ़ कर दिया गया ? क्या शासन इसके ब्योरे को सदन के पटल पर रखने की कृपा करेगी ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ आजमगढ़ के जिला मंत्री श्री दिवाकर तिवारी के पत्र में समस्याओं का उल्लेख तथा उस पर की गई कार्यवाही

197--श्री दल सिंगार यादव--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ जनपद आजमगढ़ के जिला मंत्री श्री दिवाकर तिवारी के पत्रांक 89 संघ-80-81, दिनांक 17-3-1981 जो उप शिक्षा निदेशक सप्तम मन्डल, गोरखपुर के नाम सम्बोधित हैं, में जनपद की किन समस्याओं का उल्लेख किया गया है और उनके संदर्भ में क्या कार्यवाही की गयी ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

श्री दिवाकर तिवारी जिला मंत्री द्वारा श्री कृष्ण विद्यापीठ चिरैयाघाट आजमगढ़ के संदर्भ में प्राप्त शिकायती पत्र पर की गई कार्यवाही

198--श्री दल सिंगार यादव--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री दिवाकर तिवारी जिला मंत्री, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ, आजमगढ़ द्वारा श्री कृष्ण विद्यापीठ चिरैयाघाट, आजमगढ़ के संदर्भ में कितने शिकायती पत्र वर्ष 1980-81 में जिला विद्यालय निरीक्षक आजमगढ़ को दिये गये और उन पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

इन्टर कालेज कप्तानगंज, आजमगढ़ में कला शिक्षक श्री रामपति की जे0 टी0 सी0 वेतनक्रम में नियुक्ति

199--श्री दल सिंगार यादव--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगी कि इन्टर कालेज कप्तानगंज आजमगढ़ में कला विषय की मान्यता न होने पर भी रामपति, कला शिक्षक की नियुक्ति जे0 टी0 सी0 वेतन-क्रम में किन परिस्थितियों में की गयी ? क्या यह सच है कि उनके पास जूनियर कक्षाओं में पढ़ाने की न्यूनतम योग्यता भी नहीं है ? उनका वर्ष 1969 में वेतन निर्धारण किस प्रकार सी0 टी0 वेतन-क्रम में किया गया जब कि उनकी नियुक्ति जे0 टी0 सी0 वेतनक्रम में की गई थी ? कारण सहित सदन से पटल पर रखने का कष्ट करें ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

200--श्री गोपी नाथ वर्मा--

[माननीय सदस्य के सदन की सेवा से निलम्बित किये जाने के कारण निरस्त] ।

हैन्डलूम कार्पोरेशन में भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

(समय अपरान्ह 12 बजकर 20 मिनट)

*श्री मसरूर जाफरी--

मान्यवर, उत्तर प्रदेश सरकार ने हैन्डलूम वस्त्र उद्योग में बढ़ते हुए आर्थिक संकट, बेकारी तथा कुछ धनीमानी लोगों के चंगुल से बुनकरों को आजाद करने के लिये हैंडलूम कारपोरेशन का गठन किया । तत्पश्चात् लाखों बुनकर इससे लाभान्वित हुए तथा वे अपने पैरों पर खड़े हो गये । उनकी बेकारी की समस्या भी दूर हुई । साथ ही साथ कारपोरेशन का काम भी तेजी से आगे बढ़ा । कारपोरेशन के कामों से जनता को लाभान्वित होते देखकर कुछ भ्रष्ट लोगों ने कार्पोरेशन में घुसना शुरू किया ताकि इसके उद्देश्य को नष्ट कर दिया जाय एवं कारपोरेशन के जरिये धन का घोटाला कर कार्पोरेशन को दिवालिया बना दिया जाय । इस समय ऐसे भ्रष्ट लोग कार्पोरेशन पर छा गये हैं । मऊनाथ भंजन देश का सबसे गड़ा हैन्डलूम, पावरलूम का केन्द्र है जहां लाखों रुपये का घोटाला हो रहा है । एक व्यक्ति जिसके पास हैंडलूम के कारखाने तथा व्यवसाय नहीं है, बाजार से साड़ियां खरीदकर भारी लाभ कार्पोरेशन को सप्लाई करता है । कार्पोरेशन के कुछ भ्रष्ट अधिकारी इस घोटाले में उनके सहयोगी हैं । संयोग से इस व्यक्ति को स्थानीय कमेटी का सलाहकार नियुक्त कर दिया है जिसके कारण हजारों बुनकर जो कार्पोरेशन से लाभान्वित होते हैं, बेकार हो चुके हैं तथा भुखमरी के चंगुल में फिर जा फंसे हैं । जिला कांग्रेस कमेटी (आई0) के महामंत्री को मजबूर होकर मुख्य मंत्री को पत्र लिखकर मांग करनी पड़ी कि ऐसे भ्रष्ट व्यक्ति को तुरन्त कमेटी से हटाया जाय । अन्यथा वह कार्यालय के सामने आमरण अनशन शुरू करेंगे । जनता में असंतोष और रोष अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुका है । पूरे क्षेत्र में सर्वदलीय कमेटी का गठन हो चुका है और वे आन्दोलन छेड़ने की तैयारी कर रहे हैं ।

इसलिए लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय पर सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । और मांग करता हूं कि ऐसे भ्रष्ट लोगों को समिति से हटाकर बुनकर तथा कार्पोरेशन की रक्षा की जाय ।

ब्रिटिश-इंडिया एसोसिएशन के मकान से श्री आर0 एन0 गुप्ता, एडवोकेट के निकाले जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री राम आसरे वर्मा--

मान्यवर, प्रदेश के गृह मंत्री श्री नौनिहाल सिंह ब्रिटिश इंडिया एसोशिएशन के उपाध्यक्ष हैं । इसी संस्था की इमारत मकान नं0 2-ए, कैसरबाग, में हाई कोर्ट के एडवोकेट श्री आर0 एन0 गुप्ता रहते थे । गृह मंत्री ने 12-9-81 को कैसरबाग कोतवाली की ही नहीं, बल्कि लखनऊ की अनगिनत संख्या में पुलिस

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

भेजकर, अवैधानिक ढंग से जबरिया ताला तुड़वाकर श्री गुप्ता को मकान से बाहर निकलवा दिया तथा सारा सामान निर्ममतापूर्वक बाहर फेंकवा दिया। अपने मंत्री के आदेशों के प्रति वफादार पुलिस अधिकारियों ने उक्त एडवोकेट को इस बात के लिए भी धमकाया कि वह न्याय पाने के लिए किसी भी कार्यवाई की न सोचे अन्यथा अभी तो मकान का ताला टूटा है फिर उसे भी तोड़ दिया जायेगा। आज भी पुलिस के दर्जनों सिपाही मकान पर तैनात हैं।

माननीय गृह मंत्री की इस ताला तोड़ कार्यवाही में सत्ता व पद का दुरुपयोग हुआ है। इससे शासन की छवि धूमिल हुई है।

लोक महत्व की अविलम्बनीय घटना की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करते हुए वक्तव्य दिलाये जाने की मांग करता हूं।

बांदा जिले की कर्वी तहसील के अन्तर्गत कतिपय ग्रामों की चकबन्दी कराये जाने के विरोध में किसानों द्वारा चलाये जा रहे आन्दोलन के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री ऊदल—

बांदा जिले की कर्वी तहसील के अन्तर्गत जिन 57 गांवों में चकबन्दी का कार्य चल रहा है वहां किसानों द्वारा चकबन्दी का जोरदार विरोध हो रहा है और किसान चकबन्दी बन्द कराने के लिये आन्दोलन चला रहे हैं। किसानों के इस आन्दोलन को कुचलने के लिये शासन और प्रशासन द्वारा पुलिस का इस्तेमाल किया जा रहा है। इससे वहां किसानों में व्यापक रोष व्याप्त है। चकबन्दी विभाग के अत्याचारों और भ्रष्टाचार से किसान पीड़ित हैं। चकबन्दी के लिये निर्धारित मापदन्ड के अनुसार कम से कम 40 प्रतिशत जमीनें समतल होना जरूरी है। उन चकबन्दी के गांवों में पर्वतीय क्षेत्रों के कारण अधिकांश जमीनें नदी नालों से कटी-फटी और ऊंची और नीची तथा 40 प्रतिशत से कम जमीनें समतल हैं। जमीनें समतल होने अथवा न होने की सूचना केवल चकबन्दी विभाग से प्राप्त आंकड़ों पर विश्वासनीय नहीं मानी जा सकती। विगत 15-20 वर्षों के दौरान इन चकबन्दी के गांवों में भूमि संरक्षण विभाग द्वारा किसानों के प्रत्येक खेत में मेड़ डाली गयी थी और किसानों से उसकी लागत का लाखों रुपया जबरदस्ती वसूल किया गया था। चकबन्दी होने से उन खेतों की सभी मेड़ें कट जायेंगी और किसानों का लाखों रुपये का नुकसान होगा। इसकी विस्तृत जांच कभी नहीं करायी गयी। जहां तक किसानों के पक्ष विपक्ष में होने का प्रश्न है, शासन और प्रशासन ने इस सम्बन्ध में जनमत जानने के कोई मापदन्ड निर्धारित नहीं किये। किसान भारी संख्या में चकबन्दी का विरोध कर रहे हैं। कर्वी में एस0 डी0 एम0 कर्वी के समक्ष प्रदर्शन और धरना किये गये। कोई सुनवाई न होने पर कुछ महीने पूर्व किसानों ने कर्वी स्थित चकबन्दी कार्यालय पर प्रदर्शन किया और उनके कार्यालय में गंगा चमार (हरिजन), निवासी सिकरिया ने ताला लगा दिया। इस प्रकार किसान परेशान होकर सीधी कार्यवाही करने पर आमादा है और शासन व प्रशासन किसानों के विरुद्ध जोर जबरदस्ती और दमन का रास्ता अपना रहा है। पुलिस का इस्तेमाल करके किसानों को धमकाया सताया जा रहा है। इससे किसानों में बेहद असंतोष और रोष व्याप्त है। उस क्षेत्र में चकबन्दी से किसानों का कोई लाभ नहीं है, उल्टे उनका नुकसान है। उपरोक्त कारणों से कर्वी तहसील के गांव में तुरन्त चकबन्दी बन्द कर दिये जाने की मांग करता हूं।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कोंच, जिला जालौन के पशु चिकित्सक डाक्टर महेन्द्र कुमार त्यागी द्वारा अवैध पशुवध कराये जाने से जनता में असन्तोष के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री—

अध्यक्ष, महोदय, मैं आपकी अनुज्ञा से सदन के संज्ञान में यह तथ्य लाना चाहता हूं कि कोंच जिला जालौन के पशु चिकित्सक, डा० महेन्द्र कुमार त्यागी भारी मात्रा में अवैध पशुवध करा रहे हैं। प्रति दिन हजारों की संख्या में अवैध पशुवध हो रहा है। उत्तर प्रदेश में कोंच अवैध पशुवध की प्रमुख मन्डी बनी हुई है। सैकड़ों शिकायती प्रार्थना पत्र अवैध पशुवध के सम्बन्ध में सम्बन्धित अधिकारियों को वहां की जनता द्वारा लिखे जा चुके हैं। जिलाधिकारी जालौन और उपनिदेशक पशुपालन झांसी सहित आयुक्त झांसी इनके स्थानान्तरण के लिये लिखा जा चुका है। पशु चिकित्सक कोंच के विरुद्ध अतिरिक्त जिलाधिकारी जालौन के श्री रामसनेही अन्त्योदय योजनाओ में भ्रष्टाचार की जांच करके विजिलेन्स जांच के लिये लिख चुके हैं।

अवैध पशुवध से कोंच क्षेत्र की जनता की भावनाओं को ठेस पहुंच रही है जिससे क्षेत्र में तनाव की भयंकर स्थिति बनी हुयी है। अतएव आपके माध्यम से मांग करता हूं कि शासन द्वारा 1—पशु चिकित्सक कोंच का तत्काल स्थानान्तरण किया जाये। 2—अवैध पशुवध को भी तत्काल रोका जाय। 3—सम्पूर्ण कांड की उच्चस्तरीय जांच करवाई जाये। अस्तु लोक महत्व के इस सुनिश्चित अविलम्बनीय प्रश्न पर मैं माननीय मन्त्री जी का ध्यान आकृष्ट करता हूं।

रामपुर जिले में बिजली आपूर्ति में कमी से जनता में असन्तोष के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री बलवीर सिंह (रामपुर)—

महोदय, आपकी अनुज्ञा से शासन के संज्ञान में यह तथ्य लाना चाहता हूं कि माननीय मुख्य मन्त्री द्वारा घोषणा के अनुसार रामपुर जिले में बिजली आपूर्ति न किये जाने से जनता में भीषण असंतोष है। दिन में 6 से 10 बार तक ट्रिपिंग होता है। सूखा तथा अवर्षण की दशा में भी ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्र में समुचित बिजली न जाने से जनता में घोर असंतोष तथा उत्तेजना है। शान्ति एवं व्यवस्था के लिये भी संकट है। इसके बाद भी विभाग के कर्मचारी आपूर्ति ठीक न कर पाने तथा शिकायत करने पर उपभोक्ताओं के साथ दुर्व्यवहार करते हैं जिससे कोढ़ में खाज की कहावत चरितार्थ हो रही है। मान्यवर, शासन से स्थिति तत्काल सुधारने तथा दोषी कर्मचारियों को दंडित करने का मांग करता हूं।

जनपद मैनपुरी के थाना बेवर के एस० आई० श्री राम सहायक अग्निहोत्री व दीवान श्री प्रेम चन्द दूबे द्वारा श्री उम्मेद अली की आंखें फोड़ने तथा श्री गौस अली की पिटाई के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री राम हर्ष राय—

मान्यवर, जहां बिहार प्रदेश में पुलिस ने अपने बर्बर अत्याचारों के अन्तर्गत अनेकों बन्दियों की आंखें फोड़ दी थी। उसी प्रकार उत्तर प्रदेश के कतिपय

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जनपद मैनपुरी के थाना बेवर के एस0 आई0 श्री राम सहाय के अग्निहोत्री व दीवान श्री प्रेम चन्द्र दुबे द्वारा श्री उम्मेद अली का आंख फोड़ने तथा श्री गौस अली की पिटाई के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

पुलिस कर्मियों ने दिनांक 12-9-81 को श्री प्रेम चन्द दुबे, दीवान और श्री राम सहायक अग्निहोत्री, एस0 आई0 ने जनपद मैनपुरी के थाना बेवर में श्री उम्मेदअली, और श्री गौस अली, दोनों को इस कारण गिरफ्तार करके अमानवीय रूप से पीटा गया क्योंकि श्री गौस अली के लड़के इनाम अली ने एक कत्ल केस के छिपाने सम्बन्धी मामले की शिकायत शासन और सरकार को की थी। इसी सन्दर्भ में उपरोक्त पुलिस कर्मियों ने श्री अम्मेदअली की बर्बर पिटाई के साथ आंख में कोई जहरीला पदार्थ डाल कर हमेशा-हमेशा के लिए उसकी रोशनी समाप्त कर दी। यही नहीं इस मामले की रिपोर्ट करने जब उनका लड़का गया तो उसे भी पुलिस ने मार डालने की धमकी दी।

मान्यवर, उपरोक्त रोमांचकारी अमानवीय घटना के प्रति जनपद की जनता में भारी रोष, क्षोभ व्याप्य हो गया है। अतः आपके माध्यम से सदन और सरकार के संज्ञान में यह विषय इस लिए लाना चाहता हूं, ताकि दोषी पुलिस कर्मियों के विरुद्ध समुचित कार्यवाही की जा सके।

बस्ती जनपद के विकास खण्ड, खेसरहा तथा सांथा के कतिपय ग्रामों में बाढ़ से क्षति तथा राहत की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री दिवाकर विक्रम सिंह—

माननीय अध्यक्ष महोदय, बस्ती जनपद के विकास खण्ड खेसरहा तथा सांथा के लगभग 25 गांव जोलहपुरवा, राजेबौहा, बिबिहा, हरानी, अगियोना, सिगीहावा, भगौसा, जंगलदशहर, इत्यादि 14 तारीख से ही राप्ती नदी की बाढ़ में बंधा टूट जाने के कारण पानी से घिरे हुए हैं और बार-बार तहसील प्रशासन से मेरे द्वारा अनुरोध किये जाने पर भी दिनांक 20-9-81 तक कोई भी सहायता कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया, और न ही कोई राहत सामग्री ही वितरण किया गया, अभियोना के लेखपाल गया प्रसाद किसानों से बाढ़ पीड़ित होने की सूची में नाम देने हेतु धन की मांग कर रहे हैं। जैसा कि वहां के प्रधान ने मुझे बताया है। साथ ही विकास खंड रूधौली के भी तमाम गांव बाढ़ के पानी से घिरे होने के बाद भी 20-9-81 तक उनके निवासियों को राहत की कोई भी सामग्री नहीं दी गयी। ग्राम मनबौरा तथा मसजिदिया, विकास खंड रूधौली, 14 तारीख से ही चारों तरफ से बाढ़ के पानी से बुरी तरह घिरा होने के बाद भी वहां के लेखपाल, श्रीकृष्ण भगवान लाल ने तहसीलदार को यह लिख करके दे दिया है कि उनके यहां राहत कार्य की आवश्यकता नहीं है।

अतः आपकी आज्ञा से तथा इस सदन के माध्यम से शासन से अनुरोध करता हूं कि दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध अविलम्ब कठोर कार्यवाही करने तथा पीड़ित ग्रामीण जनता को राहत सामग्री विवरण कराने की उचित व्यवस्था किया जाय।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

रूहेल खंड मन्डल में भीषण सूखे के बावजूद विद्युत आपूर्ति न किये जाने से जनता म असन्तोष के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सत्यपाल सिंह--

माननीय अध्यक्ष जी, पश्चिम उत्तर प्रदेश में विशेषकर रुहेलखंड मन्डल में इस समय भीषण सूखा व्याप्त है फसलें सूख रही हैं। सिंचाई के लिए नहरें भी चल नहीं पा रही हैं। अनेकों ट्यूबवेल बन्द पड़े हैं और बिजली आपूर्ति की दुर्व्यवस्था विशेषकर उल्लेखनीय है, शाहजहांपुर, बरेली, बदायूं आदि जनपदों में ग्रामीण एवं शहरी अंचलों में विद्युत आपूर्ति का कोई समय निश्चित नहीं है और सरकार बार-बार घोषणा करती है कि शहरी क्षेत्रों को बिजली काट कर देहाती क्षेत्रों को दी जायेगी। परन्तु ये घोषणायें महज फाइलों तक ही सीमित होकर रह गयी हैं। यदि इस समय बिजली अपूर्ति चढ़ाकर सुनिश्चित कर दी जाये, नहरों में लगातार पानी छोड़ा जाये, ट्यूबवेल सुचारु रूप से चलवाये जायें तो सूखा से पीड़ित जनता के लिये बहुत राहत मिल सकती है।

सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि सूखा से पीड़ित पश्चिमी इलाकों के लिये विद्युत बढ़ाकर समय सुनिश्चित करायें और सिंचाई के साधनों की भी सुव्यवस्था करें, ताकि शीघ्र ही जनता को कुछ राहत मिल सके।

चन्द्र शेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर के छात्रावास में हरिजन विद्यार्थियों पर सवर्ण विद्यार्थियों द्वारा हमला तथा पुलिस निष्क्रियता के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राम स्वरूप वर्मा--

अध्यक्ष महोदय मैं आपकी आज्ञा से चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रोद्योगिक विश्वविद्यालय कानपुर के छात्रावास में घटी घटना को आदरणीय सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं। घटना इस प्रकार है :—

दिनांक 15/16 सितम्बर, 1981 को चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रोद्योगिक विश्वविद्यालय में मध्य रात्रि को सोते समय हरिजन एवं पिछड़े वर्ग के छात्रों पर कुछ उच्च वर्णीय छात्रों ने प्राणघातक हमला कर दिया। इस घटना से घायल छात्रों ने थाना नबाबगंज कानपुर में घटना की रपट इसलिए लिखाई कि उक्त विश्वविद्यालय के प्रशासन ने छात्रों की बात सहानुभूतिपूर्वक नहीं सुनी ओर न मारने वाले छात्रों के खिलाफ कोई कार्यवाही हो की। घायल छात्रों का यह भी आरोप है कि उच्च वर्णीय छात्रों द्वारा हरिजन एवं पिछड़े छात्रों को पीटे जाने की तैयारी की जानकारी 15 सितम्बर, 1981 को घटना घटने के काफी पहले विश्वविद्यालय प्रशासन को ही गयी थी फिर भी प्रशासन मौन रहकर उच्च वर्णीय छात्रों को प्रोत्साहन देता रहा।

इस घटना से छात्रों में बेहद तनाव बढ़ गया है जो शान्ति व्यवस्था और विश्वविद्यालय के शैक्षिक वातावरण के लिए खतरनाक है। इससे जनता में क्षोभ एवं रोष की लहर व्याप्त हो गयी है।

अतः सरकार से अनुरोध है वह इस घटना की निष्पक्ष जांच अनुसूचित जाति एवं जनजाति समिति विधान सभा से कराने का अनुरोध करें और असली रपट पर आवश्यक कार्यवाही दोषी व्यक्तियों के खिलाफ अवश्य करें।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किये।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री जसवन्त सिंह विष्ट--

आज मैंने नियम 51 में दिया है मेरा कभी नहीं लिया जाता है ।

आगरा में हुई घटनाओं तथा गोली कांड की घटनाओं पर नियुक्त एकल सदस्यीय जांच आयोग द्वारा आख्या रिपोर्ट†

(समय अपराह्न 12 बजकर 40 मिनट)

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)--

माननीय अध्यक्ष, मैं आपकी अनुमति से आगरा में दिनांक 14, 15 एवं 23 अप्रैल, 1978 को हुई घटनाओं तथा दिनांक 1 एवं 2 मई, 1978 को हुई गोली कांड की घटनाओं की एकल सदस्यीय जांच आयोग द्वारा आख्या-रिपोर्ट, ज्ञापन सहित, कमीशन्स आफ इन्क्वायरी ऐक्ट, 1952 की धारा 3 की उपधारा(4) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं ।

(इस बीच श्री जसवन्त सिंह विष्ट खड़े होकर बोलते रहे । जो सुनाई नहीं दिया ।)

श्री अध्यक्ष--

श्री जसवन्त सिंह जो बोल रहे हैं, वह लिखा नहीं जायेगा ।

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (नेता विरोधी दल को सुविधाएं) नियमावली, 1981†

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)--

माननीय अध्यक्ष, मैं आपकी अनुमति से संसदीय अनुभाग-1 की अधिसूचना संख्या 3533, सं0/सत्रह-81-94, सं0 81, दिनांक 11 सितम्बर, 1981 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल (नेता विरोधी दल को सुविधायें) नियमावली, 1981 को उत्तर प्रदेश साधारण खंड अधिनियम, 1904 की धारा 23-क की उपधारा (1) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं ।

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1981

सचिव, विधान सभा--

माननीय अध्यक्ष, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान सभा की सहमति के लिए प्राप्त उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1981, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, को सदन के पटल पर रखता हूं ।

---

†छापी नहीं गई ।

उत्तर प्रदेश स्टाम्प रजिस्ट्रीकरण विधि (संशोधन) विधेयक, 1981

सचिव, विधान सभा—

माननीय अध्यक्ष, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम 149 के अन्तर्गत सूचना देता हूं कि उत्तर प्रदेश स्टाम्प रजिस्ट्रीकरण विधि (संशोधन) विधेयक, 1981 जो विधान सभा द्वारा 15 सितम्बर, 1981 को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के दिनांक 21 सितम्बर, 1981 को वापस प्राप्त हो गया।

(श्री जसवन्त सिंह विष्ट के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष—

माननीय जसवन्त सिंह, आप बैठ जायें।

उत्तर प्रदेश विनियोग (1981-82 का अनुपूरक) विधेयक, 1981

सचिव, विधान सभा—

माननीय अध्यक्ष, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम 153 के अन्तर्गत सूचना देता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग (1981-82 का अनुपूरक) विधेयक, 1981, जो उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 16 सितम्बर, 1981 को पारित किया गया था तथा जो श्री अध्यक्ष द्वारा धन-विधेयक प्रमाणित किया गया था और दिनांक 17 सितम्बर, 1981 को विधान परिषद् सचिवालय में प्राप्त हुआ था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी सिफारिश के दिनांक 21 सितम्बर, 1981 को वापस प्राप्त हो गया।

कतिपय सदस्यों की गिरफ्तारी एवं रिहाई के सम्बन्ध में सूचनाएं

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष—

सदस्यों की गिरफ्तारी की सूचना है, उसके बाद कर लें।

अधीक्षक, जिला कारागार, आगरा ने अपने टेलीप्रिंटर संदेश, दिनांक 17 सितम्बर, 1981, जो दिनांक 21 सितम्बर, 1981 को प्राप्त हुआ, में यह सूचित किया है कि श्री विजय सिंह राणा, सदस्य विधान सभा (आगरा), भारतीय दंड विधान की धारा 188 के अन्तर्गत दिनांक 17 सितम्बर, 1981 को जिला कारागार, आगरा में दाखिल किए गए।

इसी सम्बन्ध में जिला मैजिस्ट्रेट, आगरा ने अपने टेलीप्रिंटर संदेश, दिनांक 19 सितम्बर, 1981, जो 20 सितम्बर, 1981 को प्राप्त हुआ, में सूचित किया है कि श्री विजय सिंह राणा और श्री बदन सिंह, सदस्यगण, विधान सभा, आगरा, 19 सितम्बर, 1981 को भारतीय दंड विधान की धारा 188 के अन्तर्गत संबंधित मामलों से मुक्त किए गए और वे उसी दिन 6.20 बजे सायंकाल जिला कारागार, आगरा से रिहा किए गए।

(2) ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक, मुरादाबाद ने अपने वायरलेस संदेश, दिनांक 18 सितम्बर, 1981, जो इस सचिवालय में 21 सितम्बर, 1981 को प्राप्त हुआ, में यह सूचित किया है कि श्री सुल्तान सिंह, सदस्य, विधान सभा (मुरादाबाद) ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के उल्लंघन के आरोप में भारतीय दंड विधान की धारा 188 के अन्तर्गत दिनांक 18 सितम्बर, 1981 को कलेक्ट्रेट में गिरफ्तारी दी।

उपर्युक्त के सम्बन्ध में अधीक्षक, जिला कारागार, मुरादाबाद ने अपने वायरलेस संदेश में दिनांक 18 सितम्बर, 1981 जो इस सचिवालय में 21 सितम्बर, 1981 को प्राप्त हुआ, में यह सूचित किया है कि श्री सुल्तान सिंह, सदस्य, विधान सभा, दिनांक 18 सितम्बर, 1981 को भारतीय दंड विधान की धारा 188 के अन्तर्गत जिला कारागार, मुरादाबाद में दाखिल किए गए।

(3) जिला मैजिस्ट्रेट/ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक, गोरखपुर ने अपने वायरलेस संदेश, दिनांक 19 सितम्बर, 1981, जो 20 सितम्बर, 1981 को प्राप्त हुआ है, में यह सूचित किया है कि श्री फिरंगी प्रसाद विशारद, सदस्य, विधान सभा (गोरखपुर) ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 151/107/116 के अन्तर्गत दिनांक 18 सितम्बर, 1981 को जेल भरो आन्दोलन के सम्बन्ध में गोरखपुर में गिरफ्तारी दी और वे जिला कारागार, गोरखपुर में भेजे गए।

जिला मैजिस्ट्रेट, गोरखपुर के टेलीप्रिंटर संदेश, दिनांक 21 सितम्बर, 1981, और जिला मैजिस्ट्रेट/ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक, गोरखपुर के वायरलेस संदेश, दिनांक 20 सितम्बर, 1981, जो इस सचिवालय में 21 सितम्बर, 1981 को प्राप्त हुए में यह सूचित किया है कि श्री फिरंगी प्रसाद विशारद, सदस्य, विधान सभा (गोरखपुर), 20 सितम्बर, 1981 को जिला कारागार, गोरखपुर से रिहा कर दिये गये।

(4) जिला मैजिस्ट्रेट, बुलन्दशहर ने अपने वायरलेस संदेश, तार एवं पत्र दिनांक 19 सितम्बर, 1981, जो 20 सितम्बर, 1981 को प्राप्त हुए, में यह सूचित किया है कि श्री किरन पाल सिंह, सदस्य, विधान सभा (बुलन्दशहर), सब-डिवीजनल मैजिस्ट्रेट, बुलंदशहर द्वारा 19 सितम्बर, 1981 को मुक्त कर दिये गये और वे जिला कारागार, बुलन्दशहर से 8.05 पूर्वाह्न रिहा कर दिये गये।

(5) जिला मैजिस्ट्रेट, जालौन ने अपने वायरलेस संदेश, दिनांक 18 सितम्बर, 1981, जो 20 सितम्बर, 1981 को प्राप्त हुआ, में यह सूचित किया है कि श्री शंकर सिंह, सदस्य, विधान सभा (जालौन) दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के उल्लंघन के आरोप में 18 सितम्बर, 1981 को 1 बजे अपराह्न गिरफ्तार किये गए। वे जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किए गए और बाद में कारागार भेजे गए।

(6) जिला मैजिस्टट्रे/ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक, कानपुर के वायरलेस संदेश, दिनांक 19 सितम्बर, 1981 एवं जिलाधिकारी के पत्र दिनांक 19 सितम्बर, 1981, जो 20 सितम्बर, 1981 को प्राप्त हुए, में यह सूचित किया गया है कि श्री मोती लाल देहलवी, सदस्य, विधान सभा (कानपुर), 19 सितम्बर, 1981 को 7 बजे सायंकाल कारागार, कानपुर से मुक्त कर दिये गये।

(7) जिलाधिकारी, लखनऊ के पत्र दिनांक 19 सितम्बर, 1981, जो 20 सितम्बर, 1981 को प्राप्त हुआ, में यह सूचित किया है कि श्री रियासत हुसैन, सदस्य, विधान सभा, मुरादाबाद की रिहाई के आदेश 15 सितम्बर, 1981 को एवं सर्वश्री रामगोविन्द चौधरी (बलिया), जनार्दन प्रसाद ओझा (गोरखपुर) एवं गौरी शंकर भैया (बलिया), सदस्यगण, विधान सभा को रिहाई के आदेश 19 सितम्बर, 1981 को जारी कर दिए गए हैं ।

(8) जिला मैजिस्ट्रेट/पुलिस अधीक्षक, सीतापुर ने अपने टेलीप्रिंटर/वायरलेस संदेश, दिनांक 19 सितम्बर, 1981, जो इस सचिवालय में 21 सितम्बर, 1981 को प्राप्त हुये, में यह सूचित किया है कि श्री हर गोविन्द वर्मा, सदस्य, विधान सभा (सीतापुर), दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 151/107/116 के अन्तर्गत 18 सितम्बर, 1981 को गिरफ्तार किये गये और जिला कारागार, सीतापुर भेजे गये ।

(9) जिला मैजिस्ट्रेट/पुलिस अधीक्षक, देवरिया ने अपने वायरलेस संदेश, दिनांक 17/18 सितम्बर, 1981, जो 20 सितम्बर, 1981 को प्राप्त हुआ है, में यह सूचित किया है कि सर्वश्री रुद्र प्रताप सिंह, मोहन सिंह, हरिवंश सहाय, कुबेर भंडारी एवं नंद किशोर सिंह, सदस्यगण, विधान सभा (देवरिया), भारतीय दंड विधान की धारा 188 के अन्तर्गत दिनांक 19 सितम्बर, 1981 को देवरिया में गिरफ्तार किए गए और कारागार भेजे गए ।

सदस्यों की गिरफ्तारी की सूचनाएं विहित प्राधिकारी द्वारा विहित प्रपत्र में न भेजे जाने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न व विशेषाधिकार की अवहेलना

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं कि नियम 80 को आप देखें । जो आपने सूचना दिया है, उस पर मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । हम माननीय सदस्यों को विशेषाधिकार, संविधान के तहत मिले हैं कि जब कभी हम माननीय सदस्य गिरफ्तार होंगे उसकी तत्काल सूचना जिला मैजिस्ट्रेट, माननीय अध्यक्ष के पास भेजेंगे जिसके लिए हमारी प्रक्रिया नियमावली के नियम 80 में प्राविधान कर दिया गया है, तो मान्यवर, आप नियम 80 को देखें जिसमें लिखा है कि हमारे गिरफ्तार होने के बाद उसकी सूचना आपको कौन देगा, यह साफ लिखा है और इस नियम की गत कई दिनों से अवहेलना की जा रही है । मान्यवर, आप हमारे अधिकारों के संरक्षक हैं । इसलिए मैं उन सभी जिला मैजिस्ट्रेटों के खिलाफ विशेषाधिकार की अवहेलना की सूचना आपको देता हूं, जिनके नाम मैं अभी बाद में दूंगा ।

मान्यवर, नियम 80 में है कि जब कोई सदस्य किसी दोषारोपण या किसी दंड्य अपराध के लिए बंदी किये जायें या किसी कार्यपालिका के आदेश के अन्तर्गत निरुद्ध किया जाये तो, यथास्थिति, न्यायाधीश या दंडाधिकारी या कार्यपालिका प्राधिकारी अनुसूची में दिये गये समुचित प्रपत्र में यथास्थिति, बंदीकरण, निरोध दोषसिद्ध के कारण तथा सदस्य के निरोध या कारावास का स्थान दर्शाते

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

हुए ऐसे तथ्य की सूचना शीघ्रता के साथ अध्यक्ष को देगा । तो मान्यवर, इससे दो बातें पैदा होती हैं एक तो यह कि सूचना किसी न्यायाधीश, दंडाधिकारी के द्वारा दी जायगी । दूसरी बात सूचना एक निर्धारित प्रपत्र में दी जायगी । मैं कहना चाहता हूं कि मान्यवर, आप कल की कार्यवाही का पृष्ठ 90 (स) देखें । मान्यवर, जिस प्रकार से कल सूचना दी गई थी उसी प्रकार से आज भी आपने सूचना दी है । मान्यवर, 90(स) के नम्बर 5 में देखें अधीक्षक जिला कारागार, रायबरेली ने अपने वायरलेस संदेश दिनांक 17 सितम्बर, 1981 को सूचना दी है । इसी प्रकार से इसी पेज पर एक जगह लिखा है पुलिस अधीक्षक बुलंदशहर, इसी प्रकार से 90–ब पर लिखा है अधीक्षक जिला कारागार, उन्नाव ने सूचना भेजी । तो जो सूचना भेजने के लिए सक्षम व्यक्ति हैं उनके द्वारा सूचना नहीं भेजी गई है । दूसरी बात यह है कि प्रेस्क्राइब्ड फार्म पर सूचना नहीं दी गई है । यह शासन की जो माननीय सदस्यों के प्रति भावना है, उसका परिचायक है कि सदस्यों का कोई सम्मान नहीं है । कोई भी अधिकारी किसी प्रकार से सूचना दे देता है । आप पर बिना कोई आक्षेप किये हुये मैं कहना चाहता हूं कि आप भी हम पर कृपा नहीं करते हैं । आपके कार्यालय में नहीं देखा जाता कि वह विहित प्रपत्र पर विहित प्राधिकारी द्वारा भेजी गई है या नहीं । इससे साफ है कि माननीय सदस्यों को जो विशेषाधिकार प्राप्त हैं उनकी अवहेलना सरकार सरासर कर रही है । मान्यवर, नियम 63 देख लीजिये । यह सदन के संज्ञान में हुआ है । इन कार्यों की जिम्मेदारी मुख्य मन्त्री जो शासन चलाने के जिम्मेदार हैं, उनके खिलाफ में विशेषाधिकार की सूचना देना चाहता हूं । माननीय सदस्यों के विशेषाधिकार की अवहेलना सरकार द्वारा हो रही है इसलिए नियम 63 के अन्तर्गत मैं, मुख्य मन्त्री, श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह के खिलाफ विशेषाधिकार अवहेलना की सूचना देता हूं । नियम 63 के अनुसार सूचना को लिखित देने की आवश्यकता नहीं है । मौखिक रूप से मैं, विश्वनाथ प्रताप सिंह के खिलाफ विशेषाधिकार की अवहेलना की सूचना देता हूं ।

*श्री रियासत हुसैन––

श्रीमन्, मुझे सिर्फ इतना ही कहना है कि माननीय गुप्त जी ने जो आपत्ति उठाई है कि माननीय सदस्यों के कुछ प्रिविलेज हैं, उनका सम्मान रखने के लिए कुछ रूल्स बने हैं और उनके आधार पर ही हमें प्रिविलेज है कि अगर हम कहीं गिरफ्तार किए जायें या छोड़े जायें या कुछ भी हो तो प्रेस्क्राइब्ड फार्म जो नियमावली में दिया है, वहां के जो अधिकृत अधिकारी हैं उनके द्वारा इसकी सूचना भेजी जायेगी । लेकिन जिस तरीके से सूचनायें आयी हैं और आपने जैसा पढ़कर सुनाया तो उसके अन्दर सुपरिटेंडेंट जेलें भी शामिल हैं और वह अधिकारी शामिल हैं जो नियमों के अन्तर्गत नहीं आते । तो श्रीमन्, कंटेंप्ट हुआ है, हाउस की मान मर्यादा का अपमान हुआ है । इसलिए जो माननीय मुख्य मन्त्री के बारे में कहा गया वह भी सही है और ज्यादा दोष हर उस जिले के जिलाधिकारी का है और जिसने सूचना दी है, जो आथराईज नहीं है, उसका है । इसलिए माननीय अध्यक्ष जी, आपसे अनुरोध है कि आप इस पर अपनी व्यवस्था दें ताकि भविष्य में फिर कभी इस माननीय सदन और इसके सम्मानित सदस्यों का अपमान न हो ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री अध्यक्ष—

माननीय सदस्यों के विशेषाधिकारों और उनकी गरिमा का पूरा ध्यान रखना चाहता हूं और उसका सम्मान करता हूं । इसमें दो मुख्य बातें सामने आयीं । एक तो यह कि सूचना शीघ्रातिशीघ्र इस सदन को दी जाए दूसरे निर्धारित प्रपत्र पर । जो शीघ्रातिशीघ्र सूचनाएं आनी होती हैं उनका सबसे त्वरित माध्यम टेलेक्स का है और जो प्रपत्र पर विस्तृत सूचनायें आती हैं, उनमें देरी होती है । और जितनी भी सूचनायें यहां पर आनी चाहिये वह दण्डाधिकारी के माध्यम और जिन व्यक्तियों का नियमों में प्राविधान है, उनके द्वारा आनी चाहिये और आती भी हैं । बहुधा देखा तो यही गया है कि जो निश्चित प्रपत्र है, सूचनायें उसी पर आती हैं, शीघ्रता के कारण दूसरे स्रोतों से सूचनायें भेज दी जाती हैं । परन्तु जिन सूचनाओं का यहां पर हवाला दिया गया है, वह अतिरिक्त सूचनायें हैं । फिर भी, भविष्य में इस प्रकार की जितनी सूचनायें आयेंगी, उन सब का मैं स्वतः निरीक्षण करूंगा ताकि फिर इस बात की पुनरावृत्ति न हो ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

दो सूचनायें मैंने आपको लिखित रूप में दी हैं ।

(शोर)

(एक सदस्य के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष—

आप कृपया बैठ जायें, मैं आपको मौका दूंगा, लेकिन पहले जो कार्य-सूची में है, उसके अनुसार कार्य होने दीजिए ।

उत्तर प्रदेश अष्टम् विधान सभा की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम समिति (1981-82) का द्वितीय प्रतिवेदन†

डाक्टर कृष्णवीर सिंह कौशल—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश अष्टम् विधान सभा की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम समिति 1981-82 का, भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट (वाणिज्यिक) 1973-74 तथा 1974-75 में उल्लिखित उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम से सम्बन्धित अनुच्छेदों पर आधारित, द्वितीय प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं ।

उत्तर प्रदेश अष्टम् विधान सभा की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम समिति (1981-82) का तृतीय प्रतिवेदन†

डाक्टर कृष्णवीर सिंह कौशल—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश अष्टम् विधान सभा की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम समिति (1981-82) का भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट (वाणिज्यिक) 1973-74 तथा 1974-75 में उल्लिखित उत्तर प्रदेश राज्य सीमेंट निगम से सम्बन्धित अनुच्छेदों पर आधारित तृतीय प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं ।

---

†छापा नहीं गया ।

उत्तर प्रदेश अष्टम् विधान सभा की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम समिति (1981–82) का चतुर्थ प्रतिवेदन†

डाक्टर कृष्णवीर सिंह कौशल—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश अष्टम् विधान सभा की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम समिति (1981–82) का, भारत के नियंत्रक–महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट (वाणिज्यिक) 1973–74 तथा 1974–75 में उल्लिखित उत्तर प्रदेश पर्वतीय विकास, निगम उत्तर प्रदेश, लघु उद्योग निगम, उत्तर प्रदेश, राज्य वस्त्र निगम, उत्तर प्रदेश, बुन्देलखन्ड विकास निगम तथा इन्डियन टर्पेन्टाइन एन्ड लिमिटेड से सम्बन्धित अनुच्छेदों पर आधारित, चतुर्थ प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा की लोक लेखा समिति (1981–82) का प्रतिवेदन†

श्री गौरीशंकर, एडवोकेट—

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से भारत के नियंत्रक–महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट 1974–75 (सिविल) पर आधारित लोक लेखा समिति (1981–82) का प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं ।

विधान सभा की लोक लेखा समिति (1980–81) ने इस प्रतिवेदन को अपनी दिनांक 30 अप्रैल, 1981 की बैठक में स्वीकार किया था परन्तु 1 मई, 1981 को ही नई समिति के गठन के फलस्वरूप उस समिति को इसे सदन में प्रस्तुत करने का अवसर नहीं मिला । लोक लेखा समिति (1981–82) ने भी इस प्रतिवेदन को अपनी दिनांक 30 जुलाई, 1981 की बैठक में सर्व सम्मति से अंगीकृत किया ।

कल दिनांक 21 सितम्बर, 1981 को सदन से निलम्बित किये गये सदस्यों का निलम्बन समाप्त करने सम्बन्धी प्रस्ताव लाये जाने की मांग

(समय अपरान्ह 12 बजकर 56 मिनट)

श्री भीखा लाल—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात आपसे और आपके माध्यम से इस आदरणीय सदन से निवेदन करना चाहता हूं कि कल जो इस सदन में घटना घटी उससे हम सब लोगों को दुख है, आपको भी दुख है और इस सदन के दूसरे सदस्यों को भी दुख होगा । कुछ अशोभनीय कार्य वहां पर हो गये । वह एक ऐसा प्रश्न था, ऐसी उत्तेजना पैदा हो गयी थी, इसलिए भावावेश में माननीय सदस्यों ने कुछ कार्य किये । जब उत्तेजना पैदा होती है तो आदमी विवेक भी खो देता है । विवेक खोने के कारण माननीय सदस्यों ने कुछ ऐसे कार्य किये, जो कि इस आदरणीय सदन की गरिमा के अनुकूल नहीं थे । उसी दौरान माननीय संसदीय कार्य मन्त्री ने कुछ ऐसा प्रस्ताव कर दिया सामूहिक रूप से निष्कासन का, जो कि नियमानुकूल नहीं था । कल क्या गलत हुआ, क्या सही हुआ, उसकी विवेचना में हम नहीं

†छापा नहीं गया ।

[श्री भीखा लाल--]

जाना चाहते । एक निवेदन है, यह सदन आज ही तक बैठने वाला है, अगर आगे बैठेगा तो उसकी सूचना मिलेगी । मेरा आपसे निवेदन यह है कि जो माननीय सदस्य कल निलम्बित कर दिये गये थे, उनके निलम्बन को समाप्त करें । मैं आशा करता हूं कि माननीय संसदीय कार्य मन्त्री एवं अन्य लोग भी इसका विरोध नहीं करेंगे और शासन की ओर से प्रस्ताव लाकर इसको समाप्त किया जाये ।

*श्री राज मंगल पाण्डेय--

मान्यवर, भीखालाल जी ने जो कुछ भी कहा उससे मैं अपने को सम्बद्ध करते हुए कुछ और निवेदन करना चाहूंगा । मान्यवर, सबसे ज्यादा अच्छा तो यह होता कि बिना हम लोगों के अनुरोध के, जो उधर बैठे हुए हैं, अगर शासन पक्ष स्वयं अपनी उदारता का परिचय देता जबकि उसे यह मालूम है कि सदन केवल आज ही भर है और उन लोगों का जिनका निष्कासन 3 रोज के लिये हुआ है, अगर इस सदन के समक्ष कोई प्रस्ताव लाकर इसको करते तो इनकी महिमा, गरिमा बढ़ जाती है । लेकिन यह काम उधर से नहीं हुआ, उन्हें भी इसका दुख है । कल जो कुछ भी हुआ उसे कोई बहुत अच्छा नहीं कहेगा । मैंने स्वयं भी इस सम्बन्ध में निवेदन किया था, किन्तु लोग कुछ उत्तेजना में थे कि उन्होंने मेरी भी बात अनसुनी कर दी, लेकिन इस सदन को चलाना है । दुख तो इस बात का है कि आप जैसे व्यक्ति ने भी, जो इस सदन की मर्यादा और गरिमा को कायम रखना चाहते हैं, आपने भी कल सदन की गरिमा की भीख मांगी थी । हम लोगों ने कुछ ऐसी चीजें की थीं जो कि ठीक नहीं थीं । किसी भी माननीय सदन के सदस्य की स्थिति जो कुछ हुई वह साधारण घटना थी । सभी कुछ आक्रोश, रोष और गुस्से में स्वाभाविक था । अगर कोई भी चीजें कही गयी थीं तो वह स्वाभाविक था और मैं यह कह सकता हूं कि सदन की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए भी कभी-कभी ऐसे क्षण आ जाते हैं कि आदमी अपने रोष को, अक्रोश को रोकने में असमर्थ होता है और मर्यादा को भूल जाता है । मान्यवर, मैं आपके माध्यम से शासक दल के लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि कल की घटनायें जो कुछ भी हुई, उसमें कौन दोषी है, कौन दोषी नहीं है या कौन ज्यादा दोषी है और कौन कम दोषी है, इसका विचार न करके, उनके निष्कासन को रद्द करने का यदि कोई प्रस्ताव आवे, तो उससे अच्छी बात कोई नहीं होगी । आज उन सदस्यों का सदन में होना इसलिये भी आवश्यक है कि आज दो-तीन महत्वपूर्ण विषयों पर जैसे शान्ति व्यवस्था पर, बाढ़ व सूखे पर यहां चर्चा है । इस विकट परिस्थिति में उन माननीय सदस्यों को यहां पर उपस्थित होना बहुत ही आवश्यक है जो अपने-अपने क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं । उनके यहां न रहने पर बहुत-सी ऐसी परिस्थितियां बनेगी जिससे कि उनके क्षेत्र के लोग समझेंगे कि माननीय सदन की सेवा से माननीय सदस्यों को अलग करके सरकार ने अच्छा काम नहीं किया है ।

कल जो कुछ हुआ मान्यवर, उसको भूल करके उनके निष्कासन को रद्द करने का मैं प्रस्ताव करता हूं ताकि यहां पर जो बाढ़ व सूखे से सम्बन्धित तथा शान्ति व्यवस्था से सम्बन्धित जो चर्चा होने वाली है, उस चर्चा में उन्हें भी भाग लेने का अवसर आप दें ।

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, अभी जो प्रस्ताव के रूप में जो सुझाव माननीय भीखा लाल जी ने प्रस्तुत किया और जिससे माननीय श्री राज मंगल पाण्डेय जी ने अपने को

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

सम्बद्ध किया मान्यवर, मैं भी उससे अपने को सम्बद्ध करता हूं । कल मान्यवर, जो कुछ भी हुआ वह किन्हीं अपरिहार्य परिस्थितियों की परिणति थी । जो कुछ हुआ, उसे भूलकर मान्यवर, जैसा कि अभी श्री राज मंगल पाण्डेय जी ने कहा कि आज आदरणीय सदन में बहुत ही महत्वपूर्ण विषयों पर हमें चर्चा करनी है और आज ही सदन का सत्रावसन शायद अनिश्चित काल के लिये हो रहा है और सब अपने-अपने क्षेत्रों में चले जायेंगे । तो अपने-अपने क्षेत्र में जाने से पूर्व मैं समझता हूं कि यह तनाव समाप्त हो जाना चाहिये । मैं समर्थन करता हूं कि ऐसा प्रस्ताव आवे कि जिन सदस्यों का तीन दिन का निलम्बन हुआ है, वह सदन की कार्यवाही में भाग ले सकें, जिससे कि शान्ति और सौहार्द्रपूर्ण वातावरण में सदन की कार्यवाही चल सके ।

(समय अपराह्न 1 बजे)

*श्री मुख्तार अनीस--

मान्यवर, जैसा कि माननीय सदस्य श्री भीखालाल जी ने सुझाव रखा तथा अन्य सदस्यों ने भी उससे अपने को सम्बद्ध किया है, मैं मान्यवर, उसका समर्थन करता हूं । कल मान्यवर, जो विषम परिस्थिति उत्पन्न हो गयी थी हमारे एक साथी को, जिस दशा में लाया गया था, उससे लोगों को उत्तेजित होना स्वाभाविक था और उस पर हमारे 17 साथियों को सदन से निकाल दिया गया । मान्यवर, जैसा कि सुझाव आया है कि आज सदन में बहुत से महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा होने वाली है, जिसमें हमारे साथी लोग भाग लेना चाहते हैं । मान्यवर, आपके माध्यम से मैं शासक दल से निवेदन करूंगा कि हम लोग सौहर्द्रपूर्ण वातावरण में यहां से उठें और अपने-अपने क्षेत्रों में जा करके काम कर सकें, इसलिये हमारे निष्कासित साथियों को सदन की कार्यवाही में भाग लेने की अनुमति प्रदान करने के लिये प्रस्ताव उन्हें करना चाहिये ।

श्री अध्यक्ष--

इसके पहले कि मैं माननीय संसदीय कार्य मंत्री को बोलने के लिये कहूं, वह यहां हैं नहीं, इसलिये मैं अवसर ले रहा हूं, नहीं तो मैं उनको बुला लूंगा । जो कुछ भी कल हुआ, मैं समझता हूं कि . . .

*श्री राजेन्द्र सिंह---

माननीय अध्यक्ष जी, मुझे भी मौका दें ।

(अनुमति मिलने पर)

अध्यक्ष जी, माननीय भीखालाल जी ने जो सुझाव रखा है और हमारे अन्य दलों के नेताओं ने जो सुझाव आपके सम्मुख रखे हैं, मैं आपके माध्यम से थोड़े से समय में कुछ कहना चाहता हूं । यह सत्य है कि कल लोग भावावेश में थे और उसमें जो प्रक्रिया अपनायी गयी वह भावावेश के कारण थी । यह भावावेश हमारे अन्दर नहीं था, सत्ता पक्ष में था । माननीय अध्यक्ष अपने डायस पर खड़े होकर निलम्बन के प्रस्ताव को रख रहे थे उस समय भी सदन की कार्यवाही नियंत्रित नहीं थी । सत्ता पक्ष के लगभग 50 सदस्य खड़े होकर तालियां बजा रहे थे । अध्यक्ष महोदय, भावावेश यहां भी हो गया था । जो प्रस्ताव निलम्बन का रखा गया मान्यवर, मैं तो कहता हूं कभी नहीं हुआ । जो कार्यवाही है इसमें टेम्परिंग हुई है । प्रस्ताव कुछ किया गया और कार्यवाही में कुछ आया है । होना

*वक्ताओं ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किये ।

[श्री राजेन्द्र सिंह—]

जो चाहिए था वही आया है। जो कुछ भी कार्यवाही की गई, विपक्ष ने जो कुछ भी किया है वह भावावेश था। इतना भावावेश हुआ कि मैं भी उनको शान्त नहीं कर पा रहा था। सदन की कार्यवाही हम से ही अनियंत्रित थी, यह नहीं है। माननीय संसदीय कार्य मंत्री और सत्ता पक्ष भी अनियंत्रित था और मान्यवर, मैं समझता हूं कि आपकी तरफ से भी कुछ हुआ और जो भी कार्यवाही हुई है वह सदन की सही कार्यवाही नहीं है। इसलिए मेरा सुझाव है कि उनका निलम्बन समाप्त किया जाय।

(सत्ता पक्ष से व्यवधान)

हम लोगों को जाना पड़ा, कल आप को जाना पड़ेगा। कल भी हम को मौका नहीं मिला। जब आप वहां दूसरी भाषा बोलेंगे, हम यहां दूसरी भाषा बोलेंगे। जब आप यहां थे दूसरी भाषा बोलते थे। इसलिए मैं समझता हूं कि सबको मौका देने का वातावरण बने।

*सूचना राज्य मंत्री (श्री काशीनाथ मिश्र)—

अध्यक्ष जी, आपकी आज्ञा से कल के वातावरण के विषय में श्री राजमंगल पाण्डेय नेता, विरोधी दल, तथा अन्य नेताओं ने जो बातें कहीं, मैंने ध्यान से सुनी और मुझे भी विरोध पक्ष में बैठने का मौका मिला है और राज नारायण सिंह से ले कर विरोध में मैं भी शामिल रहा हूं लेकिन जिस तरह की कार्यवाही कल विरोध पक्ष में हुई है, 30 वर्षों से मैं उसका द्रष्टा रहा हूं, कभी इस तरह की घटना नहीं घटी है इस विधान सभा के इतिहास में। जो कल हुआ है उसके लिए हम सब को खेद है। इस विधान सभा में भाषण की स्वतन्त्रता है लेकिन कर्म की स्वतन्त्रता नहीं है। "पेनल ऐक्शन मस्ट बी स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड इन फ्लोर आफ दि हाउस," इस तरह की आपराधिक प्रवृत्ति से कार्य और यही नहीं मान्यवर, आपके पास एक साहब चले गये, मैं उनका नाम नहीं जानता, आपको धक्का देने की कोशिश की गयी। मान्यवर, मार-पीट की गई, रिपोर्टरों की कापियां, उनके हाथ से लेकर, छीन कर, फेंक दी गई। टेबिल पर चढ़ गये, मार-पीट करने लगे।

(विपक्ष की ओर से व्यवधान)

मैं तो आपकी बात बड़े गौर से सुन रहा था, जो भावनायें श्रीमन्, श्री राज मंगल पाण्डेय जी ने व्यक्त की हैं मैं उनसे अपने को सम्बद्ध करता हूं लेकिन मैं चाहता हूं मान्यवर, आपके अध्यक्षता में आप एक समिति विरोध पक्ष के ही सदस्यों की बना दें और एक रास्ता तय कर दें कि भविष्य में इस सदन का संचालन कैसे होगा और सदन की कार्यवाही केवल भाषण की स्वतन्त्रता तक रहेगी। जो जबान से कहने तक। अगर गाली देना चाहें, दें, उनको छूट है लेकिन इस तरह की आपराधिक छूट देना उचित नहीं है।

श्री राम आसरे वर्मा—

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का सवाल है। माननीय मन्त्री जी आपराधिक प्रवृत्ति की बात माननीय सदस्यों के लिये कह रहे हैं।

(शोर)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष—

आप बैठ जायें ।

श्री राम आसरे वर्मा—

मान्यवर, व्यवस्था का सवाल है ।

(श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री तथा कई अन्य सदस्यों के एक साथ खड़े होने पर ।)

श्री अध्यक्ष—

आप सब बैठ जायं । आप लोग बैठ जाये, पहले । मैं खड़ा हूं आप लोग बैठ जायं ।

श्री काशी नाथ मिश्र—

हमारी पूरी बात तो सुन लीजिये ।

(श्री राम आसरे वर्मा तथा कई अन्य सदस्यों के एक साथ खड़े होने पर ।)

श्री अध्यक्ष—

माननीय सदस्य, आप लोग बैठ जायें किसी तरह से आप लोग....

श्री राम आसरे वर्मा—

मान्यवर, पहले मेरा व्यवस्था का सवाल सुन लें ।

श्री अध्यक्ष—

माननीय भीखा लाल जी ने तथा अन्य माननीय सदस्यों ने एक अलग बात उठाई और सद्भावना पूर्ण तरीके से कार्य निपटाने का प्रयास किया गया और उस प्रयास में इस तरह से कोई बात पैदा हो, यह अच्छा नहीं लगता । मेरे ऊपर तो दोनों तरफ से प्रभाव पड़ता है चाहे वह इधर से पैदा हो तब भी होता है और उधर से हो तब भी होता है । मैं तो हर पैदावार से प्रभावित होता हूं ।

(हंसी)

श्री राम आसरे वर्मा—

मान्यवर, अभी कल की घटना को लेकर जिन माननीय सदस्यों का निलम्बन किया गया उसी सिलसिले में एक सद्भावनापूर्ण वातावरण बनाने के लिए माननीय भीखालाल जी तथा अन्य माननीय नेताओं ने अपना सुझाव रखा था लेकिन मान्यवर, माननीय काशी नाथ जी मिश्र ने उसके जवाब में जबकि सद्भावनापूर्ण वातावरण की बात चल रही थी तब उसके जवाब में एक ऐसी बात जोड़ दी कि आपराधिक प्रवृत्ति और आपराधिक प्रवृत्ति का इस्तेमाल माननीय सदस्यों के लिए किया गया है तो मैं इस शब्द पर आपकी व्यवस्था चाहता हूं कि यह शब्द माननीय सदस्यों के प्रति इस्तेमाल करना चाहिए कि नहीं ।

श्री राजमंगल पाण्डेय—

मान्यवर, काशी नाथ जी ने जो कुछ भी कहा है उसका हमें कोई दुख नहीं है और इसलिए नहीं है कि उन्होंने अपने 20 वर्ष के राजनैतिक इतिहास में बताया है कि ऐसे-ऐसे उन्होंने बहुत से कार्य किए हैं, उनको दुख इस बात का है कि कलजो कुछ हुआ वह उनके नेतृत्व में जो होता रहा है, उससे ज्यादा हो गया मान्यवर, मुझे दुख तो इस बात का है कि उनके जैसे व्यक्ति जो बहुत संयमित हैं भाषा में और मैं उनको बहुत बुद्धिमान और पार्लियामेन्ट्रियन मानता हूं और जब वह ऐसी भाषा का प्रयोग करते हैं तो दुख होता है और जब एक वातावरण बन रहा था और जैसी परिस्थितियां थी, जैसी परिस्थितियां कल बनी उन परिस्थितयों के लिए जब मैंने माफी भी मांगी और उस बारे में अपने को भी दोषी मानकर क्षमा चाही और उस पीठ से भी जहां आप पीठासीन हैं जो कुछ भी दया को भीख मांगा उस पर भी इन लोगों ने कोई ख्याल नहीं किया तो मान्यवर, इससे बड़ी शर्म की बात और कुछ नहीं हो सकती है। मान्यवर, जो कुछ भी हुआ उससे इस सारे सदन की मर्यादा गिरी है। लेकिन माननीय सदस्य इस बात को तय कर लें कि जो सदन की मर्यादा कल गिरी है उसे और गिराते जायेंगे या उसे ऊपर चढ़ा कर उस मर्यादा को कायम रखेंगे और ऐसी परिस्थिति बनायेंगे कि सदन के सभी माननीय सदस्य आपस में एक दूसरे से मिल कर कल जो कुछ हुआ उसके लिये प्रायश्चित करेंगे और एक नया इतिहास बनायेंगे ? आज का दिन और भी महत्वपूर्ण है कि तमाम उस क्षेत्र के माननीय सदस्य जिनका क्षेत्र बाढ़, सूखे व शान्ति व्यवस्था की समस्या से ग्रस्त है, कल की घटना की वजह से यहां उपस्थित न हों तो बाहर के लोग इस भावना से सोचेंगे कि जानबूझ कर हमारे जन प्रतिनिधियों को इस सदन में उपस्थित होने का मौका नहीं दिया गया। इसलिये कल जो कुछ हुआ उसे भूल कर उधर से इस तरह का कोई प्रस्ताव लावें जिससे माननीय सदस्यों का निलम्बन समाप्त हो। अगर माननीय काशीनाथ जी या और कोई अपनी भूल स्वीकार करने को तैयार नहीं है तो मैं अपनी भूल को स्वीकार करता हूं और निवेदन करता हूं कि इस निलम्बन को खतम करने का प्रस्ताव माननीय काशीनाथ मिश्र या पार्लियामेन्ट्री मिनिस्टर या नेता सदन, जो कुछ कल निलम्बन हुआ उसे वापस करने का प्रस्ताव सदन में लावें और माननीय सदस्यों को सदन में उपस्थित होने का मौका दें।

*श्री रियासत हुसैन—

मान्यवर, माननीय भीखा लाल जी और श्री राजमंगल पाण्डेय जी का प्रस्ताव का मैं समर्थन करता हूं। विरोधी पक्ष के माननीय सदस्यों ने कहा कि श्री काशी-नाथ जी सन् 62 में चुन कर जब इस सदन में आये तो 62 से 67 तक की सदन की कार्यवाही देखने से मालूम होता है कि उस समय श्री काशीनाथ मिश्र जी ने अपना वही रूप दिखाया तो खुद आपको अपने मंच से उनके लिये कुछ कहना पड़ा था। हम लोग चाहते हैं कि कल जो कुछ घटना हुई है उन पर एक अच्छी भावना से विचार हो जाय और इसके लिये उधर से एक सीधा सादा प्रस्ताव निलम्बन को समाप्त करने का आ जाय।

श्री काशीनाथ मिश्र—

मान्यवर, माननीय पाण्डेय जी तथा माननीय रियासत हुसैन साहब की जो कुछ भावनायें हैं उनसे मैं शत प्रतिशत सहमत हूं। साथ ही सदन का सत्ता पक्ष भी इन भावनाओं से शत प्रतिशत सहमत है। लेकिन मान्यवर, मैंने कल की

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

घटना देखी कि आपने नेता विरोधी दल से और सदन से सदन की व्यवस्था बनाने रखने के लिए भीख मांगी लेकिन किस तरह से अनसूनी कर दिया गया इस पर मैं अपनी नाराजगी प्रकट करना चाहता हूं। सदन की मर्यादा को बनाये रखने के लिये आप जो भी निर्णय करेंगे वह मुझे शिरोधार्य होगा। मैंने तो पहले भी कहा था और आज भी कहता हूं कि सदन के विरोधी पक्ष के सदस्यों की एक कमेटी बना दी जाय, उसमें सत्ता पक्ष का कोई सदस्य न रहे और उस कमेटी के अध्यक्ष आप रहें। फिर वह कमेटी एक आचार संहिता बना दें कि भविष्य में सदन की कार्यवाही का संचालन किस तरह से होगा। इस पर आपका जो भी निर्णय होगा वह हमें शिरोधार्य होगा।

खाद्य तथा रसद मन्त्री (श्री बासुदेव सिंह)--

अध्यक्ष महोदय, इस सदन की गरिमा, इसका गौरव सर्वोपरि है और मैं यह जानना चाहता हूं कि गौरव और गरिमा के संरक्षण का प्रश्न तब उठता है जब गौरव और गरिमा को आंच आने की आशंका हो। अच्छाई की ताकत की क्षमता बुराई की ताकत से आंकी जाती है। लोकमत और सम्मति द्वारा गठित उत्तर प्रदेश की जो विधान सभा है, संविधान द्वारा वर्णित अपनी परिधि के अन्दर जो उसकी सार्वभौमिकता है, उसके अनुरूप आचरण नहीं है। मैं आपसे निवेदन यही करूंगा कि जहां तक कल की व्यवस्था और अव्यवस्था का प्रश्न है शासन उसमें नहीं आता। विरोधी पक्ष ने जो कुछ भी किया और श्रीमन्, आपने अपने अधिकार और व्यवस्था को सुरक्षित रखने के नाते जो आदेश, निर्देश दिये शासन ने आपके इंगित करने पर उस पर नियमानुकूल कार्यवाही की। अगर उस वक्त शासन का कोई व्यक्ति खड़े हो करके आपके इंगित करने को समर्थन नहीं देता और प्रस्ताव नहीं करता तो अविश्वास का प्रस्ताव अध्यक्ष के विरुद्ध होता है। तो ऐसी स्थिति में मैं यही निवेदन करूंगा कि आप अपने कक्ष में माननीय नेता विरोधी दल के जो हमारे सम्मानित सदस्य हैं उनको बुला लें, शासन के लोगों को बुला लें। वहां पर जो भी तय हो वह यहां पर तय हो। हम उसी के अनुसार कार्य करेंगे। यही सुझाव मैं आपके समक्ष रखता हूं।

श्री राजमंगल पान्डेय--

मान्यवर....

(श्री चेत राम गंगवार के खड़े होने पर)

श्री मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ--

मान्यवर, गंगवार साहब को बोलने दें....

श्री अध्यक्ष--

आप लोग बैठ जायं....

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

इस समय चर्चा होने से पहले संसदीय कार्य मन्त्री का उठ कर चले जाने से शासन की नीयत का पता लग गया। इसमें अब चर्चा न करायें। माननीय बासुदेव सिंह जी के प्रस्ताव का हम भी समर्थन करते हैं। आप नेताओं को बुलवा लें। जहां तक आचार संहिता का प्रश्न है हम उसके प्रति कमिटेड हैं, और पूरा सहयोग देने के लिए तैयार हैं।

श्री राज मंगल पान्डेय--

मान्यवर, इस प्रस्ताव का विरोध करता हूं । उधर से जो प्रस्ताव आया है, उसका विरोध करता हूं । आप सुन लें । मान्यवर, आपके कक्ष में शासन पक्ष के और विरोध पक्ष के लोग जाकर बात करें और कोई समस्या का निदान निकले, मैं पूछना चाहता हूं कि क्या सदन की मर्यादा आगे इस तरह से कायम रखी जा सकेगी । जो बात सदन के संज्ञान में आई, सदन के सम्मुख हुई और उपस्थित माननीय सदस्यों ने उस बात के लिए खेद प्रकट किया, कल जो कुछ भी हुआ उसकी जितनी भी भर्त्सना की जाय, वह कम है और सारी चीज के बावजूद, आप की भावना जानने के बावजूद जो कुछ भी कल हुआ वह कोई बहुत अच्छी बात नहीं थी, बहुत शर्मनाक बात थ, इधर के लोग मानते हैं, उधर के लोग मानते हैं । फिर एक प्रस्ताव आता है कि आप के कक्ष में सब लोग बैठ कर कोई समस्या का निदान ढूंढ़े । जो लोग इससे सम्बन्धित हैं प्रत्येक ने अपना पश्चात्ताप, दुःख, सब कुछ जाहिर किया है उसके बाद बच क्या जाता है । आप के कक्ष में आकरके क्या उस समस्या के निराकरण की भीख मांगे जिससे एक ऐसी चीज हो जाय जिससे वे संतुष्ट हो सकें ? एक बात भीखा लाल जी ने कही, उधर से सहमति का प्रस्ताव आया । हमारा प्रयास यह है कि एक सौहार्दपूर्ण वातावरण बन जाय । आज कल ही कार्यवाही सदन की नहीं होने वाली है, दो महीने, चार महीने बाद फिर होगी, जो वातावरण दूषित किया जा रहा है, वातावरण जो काफी हद तक बदल चुका है, उसको खराब करने की हम कोशिश करें । मैं इस का विरोध करता हूं । मैं यह चाहता हूं कि अगर उधर के पक्ष के लोगों में जो शासन पक्ष के लोग हैं उनमें जरा भी सहिष्णुता और मानवता है तो हम लोगों के खेद प्रकट करने के बाद उनका दायित्व हो जाता है कि वे सदन में प्रस्ताव लाते कि जो लोग निष्कासित किए गये हैं उनको उस प्रस्ताव के द्वारा, उनके निष्कासन को समाप्त किया जाय । उस पर यदि आप सहमत नहीं हैं तो यह प्रक्रिया आप ला रहे हैं कि हम एक दो घंटे तक आपके कक्ष में आ कर बात करें और दया की भीख मांगे । हम ऐसी भीख नहीं मांगते हैं । इतना अवश्य है कि जो कुछ कल हुआ वह शर्मनाक है और हमें पश्चाताप है । यह कोई खुशी की बात नहीं है । अगर हमारी इस सहिष्णुता और नेकनीयती का अर्थ इस तरह से लगाया जाता है तो फिर उसे रहने दीजिये । विरोध पक्ष के नेताओं ने जो पश्चाताप जाहिर किया है अगर उसके पश्चात भी आपका इरादा साफ नहीं है तो उसके बाद आप आगे की कार्यवाही करें ।

श्री भीखालाल--

मान्यवर, मैं चाहता हूं कि अब इस पर आगे वाद-विवाद न हो । मैंने एक प्रस्ताव रखा था और इसलिए रखा था कि सदन का जो वातावरण कल बिगड़ गया था वह ठीक हो जाय ताकि आगे आने वाले दिनों में जब हम बैठें तो हम ठीक वातावरण में बैठें और प्रदेश की अन्य समस्यायों को सुलझाने में सरकार को सहयोग प्रदान करें और कोई रास्ता निकालें । हमने उसके सम्बन्ध में दुख प्रकट कर लिया है और उसके द्वारा यह अनुरोध किया कि बगैर इसकी विवेचना के कि किसकी गल्ती है, किसकी नहीं है यहां पर एक सौहार्दपूर्ण वातावरण बने । इस पर पूरे सदन को विचार करना चाहिए और शासक दल की तरफ से यह प्रस्ताव आना चाहिए था कि निलम्बन का प्रस्ताव रद्द किया जाय । किन्तु ऐसा प्रस्ताव लाने के बजाय माननीय संसदीय कार्य मंत्री यहां से उठकर चले गये और अभी तक वे सदन में नहीं आ सके । स्थानापन्न संसदीय कार्य मंत्री को यह

काम सौंप गये । उन्होंने यहां पर एक विपरीत वातावरण पैदा कर दिया । इसलिए चूंकि शासक दल के लोग चाहते हैं कि ऐसा न हो, इसलिए मैं अपना सुझाव वापस लेता हूं ।

(श्री चेतराम गंगवार के खड़े हो कर कुछ कहने पर, विरोध पक्ष के कई सदस्य एक साथ खड़े होकर बोलने लगे

श्री अध्यक्ष--

आप कृपया शांत हो जांय ।

श्री चेतराम गंगवार--

मान्यवर, जब सदन में एक प्रस्ताव आ गया तो अब उनको यह अधिकार नहीं है कि वे उसे वापस ले लें ।

(व्यवधान)

यह मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । क्या वे ऐसा कर सकते हैं ?

श्री अध्यक्ष--

आप कृपया सुन लें । बैठ जांय ।

एक सदस्य--

हम कोई दया की भीख नहीं मांग रहे हैं ।

(व्यवधान)

श्री चेतराम गंगवार--

मान्यवर, नेता कम्युनिस्ट दल एक प्रस्ताव लाये....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

आप कृपया शांत रहें । मैं सभी सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि वे कृपया मुझे सुनें । यह कोई विधिवत् प्रस्ताव नहीं था....

(व्यवधान)

श्री मुख्तार अनीस--

मान्यवर, इनकी पिटाई जब नरेला में की गयी थी ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

कृपया शांत हो जांय । मैं दोनों तरफ के माननीय सदस्यों से निवेदन कर रहा हूं । कृपया शांत हों जाय ।

(व्यवधान)

[श्री अध्यक्ष--]

यह कोई प्रस्ताव नहीं था एक सुझाव था और उस सुझाव पर सब लोगों ने मत व्यक्त किए। वह सुझाव यह था कि उसके आधार पर कोई प्रस्ताव यहां आये। इसलिए यह कोई प्रस्ताव नहीं था। इस पर आगे कोई बात हो, जिन्होंने यह सुझाव रखा था उसे वापस ले लिया और जिस तरह का वातावरण यहां बना मैं नहीं जानता कि आप विश्वास करेंगे या नहीं करेंगे लेकिन मुझसे अधिक दुखी कोई नहीं है। यहां पर एक शब्द का प्रयोग किया गया, मैं उसे नहीं दोहराता, एकतरफा हो दिया था कि मैंने कहा था कि निष्पक्ष फैसला करेंगे। मैं समझता हूं कि हो गया होगा कोई फैसला, लेकिन वह फैसला निष्पक्ष अवश्य है, गलत हो सकता है। मैं बहुत प्रसन्न था कि एक अच्छा वातावरण बन रहा है। कल सारी घटना के बाद मुझे लगा कि मैं जिस दृढ़ व्रत से यहां बैठा था उसका अनुपालन करने में मैं सफल नहीं हुआ क्योंकि मुझे निकालना पड़ा लेकिन मेरी मजबूरी है। भावना का एक स्थान है, जब भावना कर्तव्य में अड़चन डालती है तो भावना को हटा कर कर्तव्य मार्ग को लेना पड़ता है। आज जो वातावरण बन रहा था, मैं उससे प्रसन्न था, लेकिन मुझको भी लग रहा है जैसा माननीय सदस्यों को लगा कि इसमें कुछ परिवर्तन होने की संभावना नहीं प्रतीत होती है, इसलिए मैं कार्य सूची का अगला कार्यक्रम लेता हूं।

श्री लटूरी सिंह, सदस्य विधान सभा के सम्बन्ध में सदन में कही गयी बातों का उनके द्वारा स्पष्टीकरण

श्री लटूरी सिंह--

मान्यवर, मुझे सुन लें।

(समय अपरान्ह 1 बजकर 34 मिनट)

श्री अध्यक्ष--

माननीय लटूरी सिंह की एक स्पष्टीकरण की सूचना मेरे सामने आई थी, एक विस्तृत विवरण उन्होंने दिया है। इस सदन में उनके बोलने से पहले उनसे निवेदन करूंगा कि उनके संबन्ध में इस सदन में जो कुछ कहा गया है उसके सम्बन्ध में हो अपना स्पष्टीकरण सीमित करके जो वह देना चाहे, दे दें।

श्री लटूरी सिंह--

मान्यवर, मैं उसी से सम्बन्धित बात कर रहा हूं। निवेदक लटूरी सिंह यादव, विधायक विधान सभा क्षेत्र 343 अलीगंज, एटा से 1980 के आम चुनाव में विधायक चुना गया हूं। निवेदक लगभग 25 वर्ष से सामाजिक एवं राजनीतिक कार्यों में सक्रिय रूप से भाग ले रहा है और प्रारम्भ से ही कांग्रेस पार्टी में कार्य करता रहा है। निवेदक कांग्रेस के टिकट पर दो बार ब्लाक प्रमुख, अलीगंज से चुना गया है तथा 1967 में व 1974 में कांग्रेस टिकट पर अलीगंज क्षेत्र से विधायक चुन जा चुका है। 1969 व 1977 में कांग्रेस टिकट पर विधान सभा क्षेत्र अलीगंज से लड़ा और 1969 में मात्र 54 मतों से और 1977 में केवल 300 मतों से पराजित हुआ। 1980 का चुनाव, निवेदक जनता एस0 राजनारायण के टिकट पर विजयी हुआ जब कि निवेदक के 5000 बैलेट पेपर नहीं गिने गये। तहसील अलीगंज जनपद एटा के ग्राम-नगलाटपुआ, व पुरहार, बजमेरपुर आदि में मेरे व मेरे लड़कों के नाम कृषि के लिए भूमि है,

एवं वहीं पर एक ईंट का भट्ठा भी है, जिससे निवेदक परिवार सहित सम्मान-पूर्वक पूर्वजों से ही जीवन यापन करता है। निवेदक के परिवार के सगे सम्बन्धी आज भी शासन में अच्छे पदों पर कार्यरत हैं। कांग्रेस से हट जाने के पश्चात् और विधान सभा का चुनाव भारी बहुमत से जीतने के बाद निवेदक से [×××] भू० पू० विधायक श्री सतीश चन्द्र शर्मा से उनके ग्राम दिवरइया तथा समसाबाद व फर्रुखाबाद में और अलीगंज में मेरे अतिरिक्त भी इनसे काफी दुश्मनियां थीं और मुकदमेबाजी तक उक्त ग्रामों के लोगों से चल चुकी है। दिनांक 17-18-11-80 को श्री सतीश चन्द्र शर्मा के अपहरण के बारे में श्री गेंदालाल गुप्ता भू० पू० विधायक भारतीय जनता पार्टी के द्वारा थाना पटियाली में रिपोर्ट लिखायी गयी, जिसमें श्री गेंदा लाल गुप्ता ने जानबूझकर निवेदक के नाम को यह कह कर जोड़ा कि उन्हें शक है कि उनका अपहरण निवेदक ने कराया है। [×××] किसी भी व्यक्ति पर कोई भी आरोप लगाया जा सकता है और साक्ष्य मिलने पर उसे दंडित भी किया जा सकता है और साक्ष्य न मिलने पर वह न्यायालय से बरी भी हो सकता है। कानून की दृष्टि में जब तक न्यायालय में आरोप साबित न हो जाय तब तक किसी भी व्यक्ति की रिपोर्ट पर या पुलिस के आरोप पत्र पर उसे अपराधी नहीं माना जा सकता है। निवेदक आज भी गर्व से यह घोषणा करता है कि उसका शर्मा के अपहरण या हत्या से कोई सम्बन्ध नहीं है। [×××] निवेदक के जीवन हत्या के साथ-साथ चरित्र हत्या भी की है और घिनौना प्रयास किया। [×××]

श्री धरमपाल--

श्रीमन्, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है...

(व्यवधान)

श्री लटूरी सिंह--

पहले मुझे अपना पूरा स्पष्टीकरण दे लेने दीजिये।

श्री मुख्तार अनीस--

मेरा भी एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष--

आप लटूरी सिंह जी, बैठ जाएं, मैं पहले व्यवस्था का प्रश्न सुन लूं।

(व्यवधान)

श्री धरम पाल--

जब कोई केस न्यायालय में विचाराधीन है, तो क्या उसके विरुद्ध सदन में टीका-टिप्पणी या इस प्रकार का कोई वक्तव्य पढ़ा जा सकता है?

(व्यवधान)

नोट--[×××] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री अध्यक्ष--

बैठ जाइये, व्यवस्था मुझे देनी है । जब कोई भी मामला न्यायालय में विचाराधीन हो तो उस पर कोई टीका-टिप्पणी न्यायालय के सम्बन्ध में उस मामले में, यहां नहीं की जा सकती है । यह बिल्कुल निश्चित मत इस सदन का है ।

श्री लटूरी सिंह--

मान्यवर, मैं बिल्कुल टिप्पणी नहीं कर रहा हूं । [× × ×] मेरे साथ सन् 1969 से लगातार शासन द्वारा दिए हुए शैडो को दिनांक 28-8-1981 से हटा लिया गया है । दिनांक 10 सितम्बर, 1981 से निवेदक और मेरे परिवार की सुरक्षा के लिये घर पर लगी हुई गार्ड को भी हटा लिया । इस संदर्भ में, मैं आपका ध्यान आकर्षित करूंगा कि 1974 में एक बार निवेदक के पास से शैडो हटाया गया था तो 23 मई, 1974 को दिन दहाड़े मेरे ऊपर प्राणघातक हमला किया गया था जिसमें निवेदक के कई गोलियां भी लगी थीं । दिनांक 19-8-81 को जब कि मैं दिल्ली में था, मेरा हकीकी छोटा भाई को एस० आई० श्री एस० पी० सिंह ने धारा 216 के अन्तर्गत जेल भेज दिया । [× × ×]

श्री अध्यक्ष--

अब आप इसको समाप्त कीजिए । जो घटना यहां पर हुयी है जो आरोप यहां पर लगाये गये हैं, उन पर ही एक सदस्य की हैसियत से जो आपको कहना हो वह कहिये ।

श्री लटूरी सिंह--

हां, तो श्रीमन्, मैं निवेदन कर रहा था कि [× × ×]

श्री अध्यक्ष--

यहां पर जो आरोप लगाये गये हैं, उनके स्पष्टीकरण में जो आप कहना चाहें कहें, दूसरी बातें न कहिए ।

श्री लटूरी सिंह--

मान्यवर, तो मैं निवेदन कर रहा था कि [× × ×]

अब मैं अंतिम बात कहता हूं । अतः मेरी मांग है कि यदि कोई दुर्घटना मेरे साथ व मेरे परिवार के साथ घटित होती है तो इसका उत्तरदायित्व उत्तर प्रदेश शासन पर तथा आप पर होगा । इसलिए मेरी सुरक्षा के लिए अंग-रक्षक व गार्ड दिलाने की कृपा करें ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । मान्यवर, आपने माननीय सदस्य को उनके बारे में जो इस आदरणीय सदन में कहा गया था, उसके जवाब की अपेक्षा की थी । उसका जवाब मिलना चाहिए था, लेकिन कोई जवाब न देकर, मेरी पार्टी, जिसका प्रतिनिधित्व मैं यहां करता हूं, के खिलाफ एक ऐसा आरोप लगाने की कोशिश की गयी जो गलत है और जिसका मैं प्रतिवाद करता हूं । यह आरोप गलत लगाया गया है कि सत्तारूढ़ दल में और भारतीय जनता पार्टी में कोई गठबन्धन हो गया । आदमियों का कार्यक्रम होता है जो किसी रास्ते पर

नोट--[× × ×] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

ले जाने के लिए बाध्य करता है । जो एक मुकदमा माननीय सदस्य पर चल रहा है और जो एफ० आई० आर० है उस पर हमें कुछ नहीं कहना है। लेकिन एक पार्टी का नाम लेकर उस पर किसी तरह का लांछन लगाना अत्यन्त ही निन्दनीय है और उस पर मुझे घोर आपत्ति है । क्या चीज गलत है और क्या सही है, उस पर मान्यवर, न्यायालय निर्णय करेगा । परन्तु माननीय सदस्य को यहां पर अपनी वाक् स्वातन्त्र्य का लाभ उठाकर एक पार्टी के ऊपर गलत आरोप नहीं लगाना चाहिये मैं आपसे निवेदन करूंगा कि अभी माननीय सदस्य ने जो आरोप लगाये हैं उनको आप कार्यवाही से निकालने की कृपा करें ।

(व्यवधान)

एक सदस्य--

किसी को यह छूट नहीं दी जानी चाहिये कि वह किसी दूसरे दल पर कोई लांछन लगायें ।

श्री धरमपाल--

मान्यवर, माननीय सदस्य ने अभी अनर्गल और झूठा बेबुनियाद आरोप लगाया है कि सत्तारूढ़ दल से भारतीय जनता पार्टी का गठबन्धन हो गया है ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

आप कृपया बैठें । जो व्यवस्था का प्रश्न है उस पर मैं निर्णय दे रहा हूं।

(कई सदस्यों के खड़े होने पर)

जब मैं खड़ा हूं तो आप माननीय सदस्यों को खड़े नहीं होना चाहिये ।

(व्यवधान)

आप कृपया बैठें ।

श्री राम आसरे वर्मा--

मैं एक निवेदन करना चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष--

राम आसरे वर्मा जी, जब मैं खड़ा होता हूं तभी अक्सर आप भी खड़े होते हैं। आप मुझे पहले से सूचित कर दिया करें कि आप कब खड़े होना चाहते हैं ताकि मैं खड़ा न होऊं । जब मैं खड़ा हूं तब आपको खड़े नहीं होना चाहिए, यह अनुचित है ।

(व्यवधान)

एक सदस्य--

किसी को भी आरोप लगाने की छूट नहीं दी जा सकती ।

(व्यवधान)

श्री मुख्तार अनीस--

मान्यवर, मैं आपका ध्यान नियम 51 के उप नियम (2) की ओर दिलाना चाहता हूं। उप नियम (3) भी देख लें। उसमें यह है कि इस पर कोई वाद-विवाद नहीं होगा।

(व्यवधान)

तो मान्यवर, इसमे कोई वाद-विवाद की बात ही नहीं है। 16 मार्च को और उसके बाद निरन्तर अखबारों के अन्दर और इस सदन के अन्दर माननीय राजेन्द्र त्रिपाठी, माननीय मुख्य मंत्री जी ने अपने-अपने भाषणों में साफ-साफ इनको मुलजिम बताया है और यह बताने का इनको अधिकार ही नहीं था, क्योंकि इनका सारा मामला न्यायालय में विचाराधीन है। यह साफ-साफ कहना कि ये अभियुक्त हैं, इन्होंने हत्या की है, यह गलत है। इन्होंने भारतीय जनता पार्टी की जमानत जब्त करवा दिया है, इसलिए इन पर दोषारोपण हो रहा है।

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री--

श्रीमन्, अध्यक्ष जी, यह जो विषय इस समय सदन में रखा गया है यह गम्भीर प्रश्न इस मामले में खड़ा हुआ है कि माननीय सदस्य महोदय जो भी स्पष्टीकरण दे रहे थे, ये व्यक्तिगत आरोप किसी पर लगा सकते थे, जो इस सदन का सदस्य न हो। लेकिन इन्होंने जानबूझ कर ऐसे कुछ प्रसंगों को उठाया जो एक दल से सम्बन्धित हैं।

(व्यवधान)

पर माननीय अध्यक्ष जी, वह सारी कार्यवाही को उठाकर देख लिया जाय, जिस समय यह कार्य-स्थगन का प्रस्ताव उठाया था, जो समाचार पत्र के आधार पर था। इसमें किसी दल विशेष की कोई बात नहीं कही थी और न किसी दल पर, माननीय सदस्य का जिस दल से सम्बन्ध था, कोई टिप्पणी नहीं हुई थी। आज मेरी केवल वह आपत्ति है कि सदन की कार्यवाही से वह शब्द निकाल दिया जाय जोकि वह भारतीय जनता पार्टी के दल के रूप में यहां पर बोले हैं। इस पर मैं घोर आपत्ति करता हूं और निंदा करना चाहता हूं। अगर माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे और समय दें तो मैं स्पष्टीकरण देना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष--

सुन लिया मैंने।

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री--

मान्यवर, जो मुकदमा न्यायालय के विचाराधीन है, वह सदन की कार्यवाही में नहीं आ सकता है।

(व्यवधान)

(व्यवधान के मध्य)

श्री जटा शंकर सिंह--

मान्यवर, यह बड़े दुख का विषय है। वहां पर इनके जिले में स्थानीय स्तर पर गठबंधन या किसीप्रकार की वार्ता कुछ ऐसी हो गयी है। उसको सदन में रखने की छूट नहीं दी जा सकती है और मान्यवर, नहीं दी जानी चाहिये। मैं चाहूंगा कि इसको सदन की कार्यवाही से निकाल दिया जाय।

(व्यवधान के मध्य)

श्री धरम पाल--

मान्यवर, जो हत्या और डकैती के मामले में बन्दी है, इस प्रकार का आरोप अगर किसी पर लगाया जाता है, तो मान्यवर, इसको कार्यवाही से निकाल दिया जाना चाहिए।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

जो आपने व्यवस्था का प्रश्न उठाया, मैं उस पर उत्तर देना चाहता हूं और आप लोग सुनना नहीं चाहते हैं।

(व्यवधान)
(व्यवधान के मध्य)

श्री राम आसरे वर्मा--

[* * *]

श्री अध्यक्ष--

जो राम आसरे वर्मा जी बोल रहे है, यह लिखा नहीं जायगा।

श्री हरी किशन श्रीवास्तव--

मान्यवर, भारतीय जनता पार्टी के सभी माननीय सदस्य बोल चुके, अगर कोई रह गए हों, तो उन्हें भी अवसर दे दें और उसके बाद मुझे भी अवसर दे दें।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्त, माननीय राजेन्द्र अग्निहोत्री बोले और माननीय लटूरी सिंह बोल चुके हैं और अब आप भी बोलना चाहते हैं।

(व्यवधान)

श्री हरी किशन श्रीवास्तव--

इनके दल के 6 लोग बोल चुके हैं।

नोट--[***] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री अध्यक्ष--

6 लोग इस व्यवस्था पर नहीं बोले ।

(व्यवधान)

मैंने केवल दो को बुलाया है । एक राजेन्द्र कुमार गुप्त और राजेन्द्र अग्निहोत्री को छोड़कर किसी को नहीं बुलाया । मुख्तार अनीस और लटूरी सिंह बोले । आपका यह कहना कि इस तरह से बोले, इस तरह आपको नहीं कहना चाहिए ।

श्री हरी किशन श्रीवास्तव--

जो खड़ा हुआ वही बोला ।

श्री अध्यक्ष--

जो खड़ा है वही बोल रहा है, इस परिपाटी को, आप तो पुराने सदस्य हैं, गम्भीर सदस्य हैं, आप तो इस परिपाटी में सहयोग न दीजिए ।

श्री हरी किशन श्रीवास्तव--

श्री लटूरी सिंह ने जो कुछ अपना स्पष्टीकरण देते हुए सदन के सम्मुख बातें कही हैं वह सभी बातें उनके क्षेत्र से सम्बन्धित हैं । आप कार्यवाही को देखने की कृपा करें । उन्होंने भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का नाम क्षेत्र के सम्बन्ध में लिया है । उन्होंने बताया कि वे सन 1980 तक कांग्रेस में रहे । 1980 में कांग्रेस छोड़कर श्री राजनारायण की पार्टी से जाते और जो प्रतिद्वन्दी हारा वह भारतीय जनता पार्टी का सदस्य था । उनका कहना यह नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त या कांग्रेस के स्तर पर माननीय मुख्य मंत्री के बीच कोई समझौता हुआ है । उनका तात्पर्य यह था कि हमारे क्षेत्र में उन्हीं लोगों ने समझौता किया है । उन्हें स्पष्टीकरण का अधिकार है । न्यायालय में जो मुकदमा चल रहा है उस पर उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, केवल यह कहा कि हम निर्दोष हैं । इसलिए जो व्यवस्था का प्रश्न उठाया गया है वह निराधार है, कार्यवाही ऐसी ही रहनी चाहिए ।

श्री राम असरे वर्मा--

मैं समझ गया कि आप नाराज होने के बाद ठंडे हो जाते हैं ।

श्री अध्यक्ष--

अब मैं किसी सदस्य को नहीं सुनूंगा । वर्मा जी, आप बैठ जायं, वर्मा जी आप बैठ जायं । मैं तीसरी बार कह रहा हूं, आप बैठ जायं । मैं उस आदर्श का पालन नहीं करना चाहता हूं कि गरम होकर बर्स्ट हो जाय । मैं उस आदर्श का पालन करना चाहता हूं कि गरम होकर फिर ठंडा हो जाय । अगर आप गरम होकर बर्स्ट हो जाने का आदर्श पालन करना चाहते हैं तो वह आदर्श आपका मुबारक हो । श्री लटूरी सिंह, जो हमारे सदन के सदस्य हैं, ने हमको अपना स्पष्टीकरण देने की सूचना दी और मैंने उनसे यह कहा कि सदन में उनके विरुद्ध, जो आरोपात्मक बातें कही गई हैं, उसका स्पष्टीकरण वह करें । उन्होंने अपना पूरा वक्तव्य सा पढ़ा । इस पर श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त ने, जो बातें दल के लिए, व्यक्ति के लिए, शासन के लिए आरोपात्मक थी, उस स्पष्टीकरण में सम्मिलित थी, उस पर व्यवस्था का प्रश्न उठाया । इन सब बातों पर विचार करते हुए मैं इस निश्चय पर पहुंचा हूं कि स्पष्टीकरण में अपने प्रति जो आरोप हों उसके निराकरण के लिए जितना कुछ कहना था, उसके अलावा जितनी आक्षेपात्मक, आरोपात्मक बातें, कार्यवाही देखी जायगी, किसी दल या किसी व्यक्ति के सम्बन्ध में कही होगी, कार्यवाही से निकाल दी जायेगी ।

लोक दल के विधायक श्री मोहन सिंह के विरुद्ध उठाये गये विशेषाधिकार की अवहेलन के प्रश्न पर श्री अध्यक्ष का निर्णय

समय अपरान्ह 2 बजे

श्री मुख्तार अनीस—

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

माननीय सदस्य बैठ जायं । मैं निर्णय सुना रहा हूं ।

श्री काशीनाथ मिश्र, राज्य मंत्री, सूचना तथा श्री रामेश्वर प्रसाद, सदस्य, विधान सभा ने 16 सितम्बर, 1981 को लोकदल के विधायक और "उप नेता, विरोधी दल" श्री मोहन सिंह (जिनके विरोधी दल के उपनेता होने का उल्लेख भ्रमवश किया गया प्रतीत होता है) के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना दी है । इसमें उनका कहना है कि 15-9-81 को विधान सभा के फर्श पर श्री मोहन सिंह ने तिदवारी उप चुनाव में माननीय मुख्य मंत्री द्वारा 500 मोटर साइकिल और मतदान केन्द्रों पर बलात कब्जा का मिथ्या, निराधार और सत्य से परे आरोप लगाकर केवल विधान सभा की गरिमा, गौरव की अवहेलना ही नहीं की बल्कि विधान सभा के फर्श पर माननीय सदस्यों के संविधान प्रदत्त भाषण स्वातन्त्र के अधिकार का दुरुपयोग किया है । उनका आगे कहना है कि श्री मोहन सिंह का उक्त भाषण राज्य के सभी दैनिक समाचार पत्रों में छपा है जिससे "बौद्धिक वर्ग" में केवल भ्रांति ही नहीं फैलेगी बल्कि यह माननीय मुख्य मंत्री द्वारा उप चुनावों के इतिहास में स्थापित सर्वोच्चतम कीर्तिमान पर भी कालिख पोतने का प्रयास है ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 64 में उपबंधित है कि विशेषाधिकार की अवहेलन के प्रश्न की सूचना यदि किसी सदस्य के विरुद्ध हो तो यह द्विप्रतिक होगी और उसकी एक प्रति सम्बन्धित सदस्य को प्रेषित की जायेगी । श्री मिश्रा तथा श्री रामेश्वर प्रसाद को उक्त सूचना की केवल एक प्रति प्राप्त हुई है, और इसमें कहीं यह उल्लेख भी नहीं किया गया है कि उसकी द्वितीय प्रति माननीय श्री मोहन सिंह को भेजी गयी है । अतः सूचना नियमानुसार न होने के कारण मैं इसमें अभिसूचित अभिलिखित प्रश्न को सदन में उठाने की अनुमति नहीं देता हूं ।

संसद सदस्य, श्री राजीव गांधी के विरुद्ध उठाये गये विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर श्री अध्यक्ष का निर्णय

श्री अध्यक्ष—

दिनांक 21-9-81 को श्री केदार नाथ सिंह, सदस्य, विधान सभा ने श्री राजीव गांधी, संसद सदस्य, के विरुद्ध विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 64 के अन्तर्गत विशेषाधिकार के प्रश्न की एक सूचना दी है, और प्रार्थना की है कि इस मामले को उक्त नियमावली के नियम 67 के अन्तर्गत सदन में विचारार्थ लेने की अनुज्ञा दी जाय । इस सूचना में श्री केदार नाथ सिंह का कहना है कि श्री राजीव गांधी ने दिनांक 19-9-81 को माननीय मुख्य मंत्री के निवास स्थान पर पत्र प्रतिनिधियों के सम्मेलन में उत्तर प्रदेश विधान

[श्री अध्यक्ष--]

सभा के कतिपय सदस्यों को अंग्रेजी भाषा के एक आक्षेपात्मक शब्द "नट" की संज्ञा दी है, और यह समाचार "दि संडे पायनियर" नगर संस्करण दिनांक 20-9-81 के मुख पृष्ठ पर प्रमुख स्थान देकर प्रकाशित किया गया है। उक्त समाचार पत्र की एक प्रति सूचना के साथ संलग्न है।

इस सदन में इस आशय का निर्णय हो चुका है कि केवल समाचार पत्र में छपे किसी समाचार के आधार पर विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न नहीं उठाया जा सकता। इसके अतिरिक्त माननीय श्री राजीव गांधी लोक सभा के सदस्य हैं और मैं इस मामले को इतने महत्व का नहीं समझता कि इसे उक्त नियमावली के नियम 79 के अनुसार लोक सभा के माननीय अध्यक्ष को निर्दिष्ट किया जाय। उपर्युक्त कारणों से मैं श्री केदार नाथ सिंह द्वारा अभिसूचित इस प्रश्न को सदन में उठाने की अनुमति नहीं देता हूं।

(व्यवधान)

श्री धर्मवीर सिंह--

माननीय अध्यक्ष जी, आज सदन उठ रहा है इसलिये मैं एक बड़े महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में कहना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष--

जब तक आप लिखित सूचना नहीं देते हैं तब तक मैं बोलने की अनुमति नहीं दूंगा।

श्री धर्मवीर सिंह--

मान्यवर, केवल दो मिनट का समय दे दीजिये।

श्री अध्यक्ष--

पहले आप लिखित सूचना दीजिये। इस तरह की हम कोई परम्परा स्थापित नहीं कर सकते। पहले लिखित सूचना दीजिये फिर बोलने का समय लीजिये।

श्री रियासत हुसैन--

मान्यवर, मैंने भी एक औचित्य का प्रश्न दिया था।

कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा समय निर्धारण का प्रस्ताव

(समय अपरान्ह 2 बजकर 5 मिनट)

श्री अध्यक्ष--

एक सूचना है। उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्य मंत्रणा समिति ने अपनी दिनांक 22 सितम्बर, 1981 की बैठक में यह सिफारिश की है कि आज दिनांक 22 सितम्बर, 1981 के उपवेशन में कार्य सूची की मद संख्या 19 के पश्चात् निम्नलिखित चर्चाओं की मदें भी ली जायं :--

1--गैर सरकारी मान्यता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में अध्यापकों के समायोजन तथा उनकी छंटनी और नियुक्ति में हो रहे विलम्ब से उत्पन्न स्थिति के विषय में श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त द्वारा नियम 52 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर एक घंटे की चर्चा।

2--उपभोक्ता वस्तुओं के मूल्यों में निरंतर हो रही वृद्धि और उस पर नियंत्रण कर पाने में शासन की विफलता से उत्पन्न परिस्थिति के विषय में श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त द्वारा नियम 52 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर दो घंटे की चर्चा।

श्री राजमंगल पाण्डेय--

मान्यवर, एक प्रकरण जो शुरू हुआ था और किसी कारणवश समाप्त हो गया उसके सम्बन्ध में निवेदन करना है। मुझे इस बात का आभास मिला है कि कुछ उधर से इस बात की कोशिश की जा रही है।

श्री अध्यक्ष--

आप बैठ जायं। वह समाप्त हो गया है। इसके बाद मैं आपको अवसर दे दूंगा।

श्री रियासत हुसैन--

मान्यवर, मैंने एक औचित्य का प्रश्न आपको दिया था।

श्री अध्यक्ष--

आप बैठ जायं, पहले संसदीय, कार्य मंत्री को प्रस्ताव कर लेने दीजिये।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)--

अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य मंत्रणा समिति द्वारा की गयी सिफारिश, जिसकी सूचना माननीय अध्यक्ष द्वारा सदन को दी गयी है, से सहमत है।

श्री भीखा लाल--

मैं इसका विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं।

श्री रियासत हुसैन--

हम इसका विरोध करते हैं।

श्री भीखा लाल--

मान्यवर, ऐसी परम्परा नहीं है कि कार्य मंत्रणा समिति द्वारा किये गये सुझावों का सदन में कोई विरोध किया गया हो। लेकिन स्थिति ऐसी आ गयी है कि मुझे विवश होकर विरोध करना पड़ रहा है। मान्यवर, कार्य मंत्रणा समिति से आधे सदस्यों ने जो विरोधी पार्टी के हैं। उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। आपका निमंत्रण आया था हमने कहा कि हमने इस्तीफा दे दिया है, हम मीटिंग में नहीं जायेंगे। तो अब कार्य मंत्रणा समिति विधिवत् गठित नहीं रही। जो आज प्रस्ताव रखा गया है तो पहले जो प्रस्ताव था उसमें संशोधन किया गया है। जो पूर्ण कार्य मंत्रणा समिति थी, उसके जो सुझाव थे। जिसको इस सदन ने स्वीकार कर लिया है। आज कार्य मंत्रणा समिति, जो विधिवत् गठित नहीं है, उसमें संशोधन करने का उसको अधिकार नहीं है।

(मेजों की थपथपाहट)

[श्री भीखा लाल--]

माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने जो प्रस्ताव रखा है उसका मैं विरोध करता हूं। सदन में इसका विरोध होना चाहिये, यह पारित नहीं होना चाहिये।

*श्री रियासत हुसैन--

मान्यवर, मैंने भी इस प्रस्ताव का विरोध किया है। हम लोगों ने जो इस्तीफा दिया है और जो स्थान खाली हुये हैं अभी वह भरे नहीं गये हैं। जब वह भरे नहीं गये हैं तो कार्य मंत्रणा समिति पूरे तौर पर बनी नहीं है उसके द्वारा जो भी निर्णय लिया गया है तो जैसा माननीय भीखा लाल जी ने कहा मैं अपने को उससे सम्बद्ध करता हूं और इस प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, वैसे तो मुझे प्रसन्नता होनी चाहिये कि जिन लोक महत्व के प्रश्नों पर नियमों के अन्तर्गत मैंने ध्यान आकृष्ट किया था वह लिये जा रहे हैं उस पर चर्चा करने की अनुमति दी जा रही है। तो मान्यवर, नियम और विधान जैसा कि आपने कहा था कि भावनायें कर्त्तव्य से ऊंची हैं। कर्त्तव्य का तकाजा यह है कि कार्य मंत्रणा समिति जो अब विधिवत् गठित नहीं रह गयी है और उसके द्वारा जो संशोधन का प्रस्ताव प्रस्तुत है उसको विरोध किया जाय। अगर यही है तो कार्य-मन्त्रणा समिति को फिर से गठित करें और यह हमारे ऊपर छोड़िए कि हम फिर क्या तय करें। दूसरी बात यह कि 5 बजे के बाद हाऊस नहीं चलेगा, कुछ ऐसा प्रस्ताव आया है। यदि इसको हम सब लोग मिलकर आज पास भी कर दें, तो कल ही आप उसके खिलाफ कार्यवाही करेंगे और हाऊस को 5 के बाद भी ले जायेंगे। इसलिए मैं अन्य दलों के माननीय नेताओं ने जो बातें कहीं, मैं उनका समर्थन करता हूं और कार्य-मंत्रणा समिति के प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

श्री राम आसरे वर्मा--

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने जो अभी कार्य-मंत्रणा समिति से सम्बन्धित प्रस्ताव सदन में रखा, चूंकि यह समिति अब विधिवत् गठित नहीं मानी जा सकती है, क्योंकि विरोध पक्ष के तमाम माननीय सदस्यों ने अपना इस्तीफा दे दिया है। इसलिये जब तक यह समिति पुनः विधिवत् गठित न हो जाए, तब तक सदन के समक्ष इसका कोई प्रस्ताव लाना वैधानिकरूप से उचित नहीं है। इसलिए मैं भी इस प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

श्री राम स्वरूप वर्मा--

इसके पूर्व एक कार्यक्रम कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा सदन में रखा गया था, उसी प्रस्ताव के हिसाब से आज का कार्यक्रम तय था और आज इस समिति द्वारा एक दूसरा प्रस्ताव सदन में रखा गया जबकि हमारी सूचना के अनुसार विरोध पक्ष के सभी सदस्यों ने इस समिति से इस्तीफा दे दिया है, ऐसी हालत में यह समिति विधिवत् नहीं रही फिर इस समिति के नाम से कोई प्रस्ताव सदन में नहीं आना चाहिए, जो हमारी प्रक्रिया नियमावली है, उसके अनुसार से भी। फिर भी यदि कोई प्रस्ताव ऐसा सदन में आ गया है, तो उसको पास नहीं करना चाहिए और यदि पास हो भी गया है, तो उसको आप रद्द करे दें।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

*श्री राज मंगल पाण्डेय--

मान्यवर, इस प्रकरण के उठने के पहले मैं पहले अपने, उस प्रश्न को फिर दोहराना चाहूंगा। दूसरी बात यह कि जो माननीय भीखा लाल जी ने प्रश्न उठाया है, उससे असहमति कोई भी सदस्य प्रकट नहीं कर सकता है, क्योंकि जब विरोध पक्ष के सभी माननीय सदस्यों ने इस्तीफा दे दिया तब यह समिति विधिवत नहीं रही। लेकिन फिर भी मैं अनुरोध करूंगा कि जिन माननीय सदस्यों ने इस्तीफे दिये हैं, आप उनको अपने कक्ष में 10-15 मिनट के लिए बुला लें और उनसे इस सम्बन्ध में फिर से समझ-बूझकर उनके इस्तीफे वापस करा दें और पुनः कार्य-मंत्रणा समिति को गठित कर के तब इस प्रस्ताव पर पुनः विचार कर लें, तो यह सारी चीजें खत्म हो जाएगी। यह सदन के हित में होगा और मर्यादा के अनुरूप होगा।

*श्री राजेन्द्र सिंह--

श्रीमन्, माननीय भीखा लाल जी ने जो कार्य-मंत्रणा समिति के प्रस्ताव पर विरोध किया तथा अन्य दलों के नेताओं ने भी विरोध किया, उसी से सम्बन्धित कुछ बातें मैं भी सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि 18 सितम्बर को कार्य-मंत्रणा समिति का एक प्रस्ताव तय था और यह भी तय था कि 22 तारीख को यह कार्य-क्रम सदन में होगा और सदन ने उसको पास भी किया, लेकिन आज फिर कार्य-मंत्रणा समिति की बैठक हुयी और उसमें जो कार्य-क्रम तय हुए, वह पहले कार्यक्रम के अनुरूप नहीं है। उसमें श्रीमन् एक प्रस्ताव था कि श्री हुकम सिंह द्वारा नियम 52 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर दो घंटे की चर्चा होनी थी, वह श्रीमन्, आज नहीं है, यह कैसे हुआ, किस पद्धत्ति के अन्तर्गत ऐसा हुआ। अगर ऐसा करना ही था, सभी नेताओं की मौजूदगी में करते और इनकी सहमति से करते। दल के लीडर्स उस पर क्या प्रक्रिया करते, यह उसके बाद ही निर्णय हो सकता था, लेकिन पुरानी वाली कार्य मन्त्रणा समिति ने उसे स्थगित कर दिया। सदन के अन्दर इस्तीफा एनाउन्स कर दिया। आज कार्य मन्त्रणा समिति बुलायी गयी, यह कार्य मन्त्रणा समिति नहीं है, इसका कोई प्रस्ताव नहीं आ सकता।

श्री अम्मार रिजवी--

मान्यवर, जहां तक कार्य मन्त्रणा समिति के गठन का प्रश्न है, मैं समझता हूं कि नियमानुसार वह सही तरीके से गठित थी, जिसने यह निर्णय लिया। विरोधी दल की ओर से माननीय गौरी शंकर जी वहां पर उपस्थित थे, अतः यह नहीं कहा जा सकता कि उसमें केवल सत्ता पक्ष के लोग थे और विरोधी दल का कोई भी रिप्रेजेन्टेटिव नहीं था। जब माननीय नेता, विरोधी दल ने यह बताया कि इससे पहले प्रस्ताव सम्मानित सदन के सामने आया था, जिसकी अनुमति सम्मानित सदन ने दी थी, तो यह सही है जब भी कार्य मन्त्रणा समिति बैठती है तो पिछली कार्य मन्त्रणा समिति के निर्णय के ऊपर, यदि कोई एमेण्डमेंट है, तो वह कर सकती है और इस सम्मानित सदन के समक्ष रख सकती है....

श्री राजेन्द्र सिंह--

लेकिन यह एजेण्डा पहले छप गया।

---

*अध्यक्ष ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अम्मार रिजवी--

जो कार्यक्रम, कार्य मन्त्रणा समिति के समक्ष पिछली बार आया था, उसे सदन को सुनाया गया था और सदन ने इस पर अपना एप्रूवल दिया था, जो चर्चाएं रह गयीं थीं, उनको आज लेना था, उस पर कार्य मन्त्रणा समिति के सामने विचार-विमर्श हुआ और उसने यह एक अपना निर्णय लिया, अब यह सदन के लिये है कि कार्य मन्त्रणा समिति ने जो प्रस्ताव किया है, उसे स्वीकार करे या न करे । जहां तक कार्य मन्त्रणा समिति की लीगेलिटी का सम्बन्ध है, वह पूरी तरह से आर्डर में है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, मैं कुछ कहना चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष--

मैंने इस पर दोनों तरफ से सुन लिया है ।

कार्य मन्त्रणा समिति के सम्बन्ध में दो बातें सामने लायी गयीं । एक तो यह कि नियमित रूप से गठित कार्य मन्त्रणा समिति नहीं थी, इसलिये उसने जो सुझाव दिये हैं, वे अनियमित हैं, उन्हें यहां पेश नहीं किया जा सकता है । दूसरे, एक अतिरिक्त बात माननीय नेता, विरोधी दल ने उठायी कि जो पहले स्वीकृत कार्यसूची थी, उसमें से माननीय हुकम सिंह का सूखे पर चर्चा का कार्यक्रम बदल दिया गया और वह इसमें नहीं आया ।

जहां तक कार्य मन्त्रणा समिति के पूर्णरूप से गठित होने का प्रश्न है, वह गठिति थी । कुछ माननीय सदस्यों ने कल अपना इस्तीफा भेजा और एक माननीय सदस्य विरोधी दल के जो उसमें थे, वहां उपस्थित भी थे । नियम 200 में इसका प्राविधान किया गया है । समितियों की प्रक्रिया क्या है नियम 200(2) में दिया है कि समिति में आकस्मिक रिक्तताओं की पूर्ति यथास्थिति सदन द्वारा निर्वाचन या नियुक्ति अथवा अध्यक्ष द्वारा नाम निर्देशन करके की जायगी और जो सदस्य ऐसी रिक्तताओं की पूर्ति के लिये निर्वाचित, नियुक्त और नाम निर्देशित हों उस कालावधि के असमाप्त भाग तक पद धारण करेंगे जिसके लिये वह सदस्य, जिसके स्थान पर वे निर्वाचित, नियुक्त अथवा नाम निर्देशित किये गये हैं, पद धारण करते परन्तु समिति की कार्यवाही इस आधार पर न अनियमित होगी और न रुकेगी कि आकस्मिक रिक्तताओं की पूर्ति नहीं की गयी है ।

इसलिये अगर रिक्ताओं की पूर्ति नहीं है तो अनियमितता नहीं हुई है । जहां तक सूखे पर चर्चा का सवाल है, वह इसलिये नहीं लायी गयी है कि अगर माननीय सदस्य निलम्बित हैं तो उनसे सम्बन्धित चर्चा यहां नहीं आयेगी ।

*श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री--

मान्यवर, मैं व्यवस्था चाहता हूं । माननीय अध्यक्ष जी, सूखे के सम्बन्ध में तीन प्रस्ताव आये हुये थे । मेरा व्यवस्था का प्रश्न है आपने यह कहा कि सदन में जो सदस्य निलम्बित हैं और उनके प्रस्ताव आये हैं तो उनके निलम्बन के कारण ऐसा नहीं है कि आप यहां उसे चर्चा के लिये नहीं लेंगे । तो मैं कहता हूं कि

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

सूखे के सम्बन्ध में तीन प्रस्ताव थे। आपने कहा कि सूखे के नाम से किसी एक का प्रस्ताव रखा जायेगा उसमें माननीय हुकम सिंह का प्रस्ताव था, मेरा था, और किसी और साथी का था। उस दिन सूखे के सम्बन्ध में तीन प्रस्ताव थे, जिन्हें आपके यहां अलग से स्वीकार किया गया था। मैंने आपके सचिव महोदय से अपनी आपत्ति प्रकट की थी कि जो सूखे का प्रस्ताव है उसमें एक का नाम है और दो के नाम क्यों नहीं जोड़े गये हैं। तो उन्होंने कहा....

श्री अध्यक्ष—

बस, बस। भाव आपका आ गया है। जो आपत्ति की गयी है, सूखे का प्रस्ताव आपका भी था, हुकम सिंह का भी था। उस दिन कार्य मंत्रणा समिति में विचार हुआ था। पहले बाढ़ और सूखे दोनों के सम्बन्ध में विचार हुआ था और इस बात को देखते हुये कि राहत कार्य एक ही मंत्री से होता है इसलिये दोनों को एक ही चर्चा में सम्मिलित कर दिया गया। वहां पर कार्य मंत्रणा समिति में यह बात हुई थी कि दोनों को न जोड़कर बाढ़ और सूखे का अलग-अलग प्रस्ताव ले लिया जाय। सूखे पर सर्वप्रथम माननीय हुकम सिंह का प्रस्ताव आया था इस लिये वह ले लिया गया जब माननीय हुकम सिंह का ले लिया गया, वही कार्य मंत्रणा समिति में निर्णय हुआ था कि वह लिया जाय। इसमें किसी का नाम नहीं जोड़ा जा सकता है और दूसरे नाम उसमें जुड़ते नहीं हैं इसलिये नहीं जोड़े गये।

श्री रियासत हुसैन—

श्रीमन्, औचित्य का प्रश्न हमने लिख कर दिया है।

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री—

मान्यवर, मुझे सुन लें।

श्री अध्यक्ष—

अब आप बैठिये।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि यह सदन कार्य मंत्रणा समिति द्वारा की गयी सिफारिशों से जिसकी सूचना आज अध्यक्ष द्वारा दी गयी है, सहमत है ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और विभाजन की मांग होने पर घंटी बजायी गयी।)

प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठाकर विभाजन होने पर प्रस्ताव 48 के विरुद्ध 109 मतों से स्वीकृत हुआ।)

डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट पार्टी के पदाधिकारियों तथा सदस्यों की सूची व मान्यता के सम्बन्ध में सूचना

(समय अपराह्न 2 बजकर 30 मिनट)

श्री अध्यक्ष—

माननीय सदस्य श्री शिवानन्द नौटियाल ने विधान मंडल दल डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट पार्टी, उत्तर प्रदेश की कार्यवाही की दिनांक 14-9-81 की प्रमाणित

[श्री अध्यक्ष--]

प्रतिलिपि भेजते हुए उक्त दल के पदाधिकारियों एवं सदस्यों के नामों की सूचना दी है जिसके अनुसार :--

1--श्री हरी किशन श्रीवास्तव	(कानपुर)	नेता
2--श्री फखरे आलम	(बदायूं)	उप नेता
3--श्री प्रदीप कुमार यादव	(बाराबंकी)	मुख्य सचेतक
4--श्री कुंवर सिंह नेगी	(चमोली)	महामन्त्री
5--श्री राम कृष्ण माहेश्वरी	(मुरादाबाद)	कोषाध्यक्ष
6--श्री शिवानंद नौटियाल	(चमोली)	सदस्य
7--श्री मुख्तार अनीस	(सीतापुर)	
8--श्री ख्वाजा हलीम	(अलीगढ़)	
9--श्री लटूरी सिंह	(एटा)	
10--श्री नरेन्द्र सिंह भंडारी	(गढ़वाल)	

हैं । माननीय श्री फखरे आलम, उप-नेता के दिनांक 21-9-81 के पत्र द्वारा भी उपर्युक्त सूचना दी गयी है । इन सभी सदस्यों से अलग-अलग लिखित प्रार्थना-पत्र भी उक्त दल में शामिल होने हेतु प्राप्त हुए हैं ।

मुझसे यह प्रार्थना की गयी है कि उक्त दल को मान्यता देने तथा उसके लिए अलग से बैठने आदि की व्यवस्था का प्रबन्ध किया जाय ।

मैंने पूर्व दृष्टान्तों, कौल एवं शकधर की पुस्तक 'संसदीय प्रणाली तथा व्यवहार' में इस सम्बन्ध में उल्लिखित लोक सभा के निर्णयों तथा विधान सभा के अध्यक्ष द्वारा जारी किये गये प्रक्रिया सम्बन्धी करण (पंचम् संस्करण) के करण संख्या 209 में मान्यता सम्बन्धी शर्तों के सन्दर्भ में इस प्रश्न पर विचार किया । डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट पार्टी, संसदीय दल या समुदाय हेतु मान्यता दिये जाने सम्बन्धी शर्तों को पूरा नहीं करती है क्योंकि इसमें विधान सभा के सदस्यों की संख्या केवल 10 है । अतएव, दल या समुदाय के रूप में मान्यता न देकर सभा में कार्य करने के लिए विधान मण्डलीय समूह के रूप में अनुमति प्रदान करता हूं । तदनुसार इसके लिए इस सदन में पृथक् से स्थान की व्यवस्था और अन्य सुविधायें प्राप्त होंगी ।

श्री परमाई लाल, सदस्य विधान सभा द्वारा दल परिवर्तन की सूचना

श्री अध्यक्ष--

मुझे सदन को यह सूचना देनी है कि श्री परमाई लाल, सदस्य, विधान सभा, जिला हरदोई ने भारतीय जनता पार्टी से सम्बन्ध विच्छेद कर लिया है और अब वे सदन में निर्दलीय सदस्य के रूप में बैठेंगे ।

कतिपय सदस्यों द्वारा मंत्रिमंडल के विरुद्ध दिये गये अविश्वास के प्रस्ताव को स्थगित किये जाने का अनुरोध

श्री अध्यक्ष--

माननीय रियासत हुसैन जी, इसके पहले आपका एक अविश्वास का प्रस्ताव है, आप इस सम्बन्ध में क्या कहना चाहते हैं ?

*श्री रियासत हुसेन--

श्रीमन्, पिछले 4 अप्रैल के बाद जब हम फिर यहां मिले तो इस प्रदेश के हालात को देखकर मैंने एक अविश्वास का प्रस्ताव आपकी सेवा में भेजा था लेकिन पिछले दो तीन दिन की कार्यवाही जो देखने में आयी, उससे मेरा यह ख्याल बन गया है कि शासक दल इस हक में नहीं है कि यह प्रस्ताव आवे । क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव मंजूर होने के लिये 85 की संख्या होनी चाहिये वह नहीं हो पायेगी । क्योंकि माननीय भीखालाल जी, माननीय राज मंगल पाण्डेय जी और स्वयं आपने भी इस बात का प्रयास किया था कि 17 सदस्यों का निलम्बन विदड्रा हो जाय लेकिन इसके बावजूद भी शासक दल ने उसे स्वीकार नहीं किया कि उनको सदन में आने का हक मिल जाय । चूंकि इसके लिये 85 सदस्यों की संख्या का होना जरूरी है जो पूरी नहीं हो सकती इसलिये अभी मैं इस प्रस्ताव को स्थगित करता हूं इस आशा को रखते हुए कि इस प्रस्ताव को स्थगित समझा जाय ।

*श्री राम आसरे वर्मा--

मान्यवर, मैंने भी जिन परिस्थितियों में एक अविश्वास का प्रस्ताव रखा था, कल की घटना जो यहां पर हुई, उस घटना को शासन पक्ष की ओर से एक बहाना बनाया गया और ऐसी परिस्थिति बनाने की कोशिश की गयी कि अविश्वास का प्रस्ताव न रखा जा सके । विरोध पक्ष के 17 सदस्यों का निलम्बन ही उनकी इस नीयत का द्योतक है और शासन पक्ष की ओर से यह षड़यन्त्र किया जा रहा है कि उनके खिलाफ कोई अविश्वास का प्रस्ताव न आ पावे । यहां जैसी परिस्थिति बन गयी है उसको देखते हुए मैं भी माननीय रियासत हुसैन साहब की तरह अपने इस प्रस्ताव को स्थगित करने का निश्चय करता हूं ।

कल सदन की बैठक 6 बजे के बाद चलाये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री रियासत हुसैन--

मान्यवर, मैंने एक औचित्य का प्रश्न उठाया है ।

श्री अध्यक्ष--

माननीय रियासत हुसैन जी, माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्त ने भी कल आपके औचित्य के प्रश्न की तरह का ही प्रश्न सदन के समय के बारे में उठाया था जिस पर मैं कल निर्णय दे चुका हूं ।

---

*वक्ताओं ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री रियासत हुसैन--

मुझे सुन तो लें ।

श्री अध्यक्ष--

जब एक व्यवस्था का प्रश्न निर्णीत हो चुका है तो उसी को फिर उठाने की मैं कैसे इजाजत दे दूं ? जो निर्णय मैं दे चुका हूं उसे आप देख लें ।

श्री रियासत हुसैन--

मान्यवर, मेरा औचित्य का प्रश्न 6 बजे के बाद सदन की कार्यवाही चलने के विषय में है ।

श्री अध्यक्ष--

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त का भी इसी विषय पर था । उस पर निर्णय दिया गया था । कार्य मंत्रणा समिति कार्य के लिये समय का आवंटन करती है, सदन के समय का कोई निर्धारण नहीं करती । कार्य सूची को समाप्त करने के लिये पूरा कार्य होता है । नियम 14 के अन्तर्गत कार्य की समाप्ति तक उपवेशन चल सकता है । इस सम्बन्ध में मैंने कल उत्तर दे दिया है और वही उत्तर आज भी है । अब उत्तरित प्रश्न को आप उठा रहे हैं तो इसकी इजाजत नहीं दी जा सकती ।

श्री राम स्वरूप वर्मा--

मान्यवर, मैंने भी एक प्रश्न बिजली संकट के सम्बन्ध में दिया था ।

पिछले सत्र में नियम 301 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाओं तथा कृत कार्यवाही के संशोधित विवरण को सदन में रखे जाने तथा जाजमऊ बस दुर्घटना पर वक्तव्य की मांग

(समय अपरान्ह 2 बजकर 40 मिनट)

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, दो बिन्दुओं पर आपका ध्यान आकर्षित करते हुये बतलाना चाहता हूं कि सार्वजनिक महत्व के प्रश्नों की शासन कितनी हृदयहीन उपेक्षा और अवहेलना करता है । आपके निर्देशों की भी अवहेलना की जाती है । इस सम्बन्ध में दो बिन्दुओं की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । विगत दिवस मैंने एक व्यवस्था का प्रश्न उठाया था जब आपके द्वारा जारी किये कारण में उद्धृत नियम 301 में व्याख्या दी गई है कि शून्य प्रहर में सार्वजनिक महत्व के जो प्रश्न उठाये जाते हैं उन पर शासन द्वारा उत्तर देने की एक प्रक्रिया होगी । उससे पता लगता है कि शासन जनभावना के साथ अपने आप को कैसे सम्बद्ध करता है । इसकी निर्धारित प्रक्रिया यह है कि 7 दिन और 30 दिन में उत्तर मिलेगा । जो उत्तर माननीय संसदीय कार्य मन्त्री द्वारा इस सदन के पटल पर रखे गये वह दोषपूर्ण थे, नियमों के विपरीत थे । ध्यान आकृष्ट करने पर आपने कृपा कर व्यवस्था दी थी कि संशोधित करके, तिथि का

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

हवाला देकर, उसे फिर से प्रस्तुत किया जाय। आज सदन उठ रहा है कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिश के आधार पर। इसके आगे कोई दिन बचेगा नहीं जिस दिन जानकारी मिले। इस सम्बन्ध में आप की व्यवस्था चाहता हूं।

दूसरी बात यह है कि जाजमऊ, कानपुर में बस दुर्घटना हुई, 45 लोगों के मरने की जानकारी दी गई थी, शोक सम्वेदना भी सदन में प्रकट की गई थी। आपने व्यवस्था दी थी कि सरकार की ओर से पूरी जानकारी कराई जाय। सदन में अभी तक विवरण नहीं आया है।

दोनों चीजों से इस बात का प्रकटीकरण होता है कि सरकार जनता और जनहित की समस्याओं पर कितना हृदयहीन दृष्टिकोण रखती है। इस सम्बन्ध में आपकी व्यवस्था चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—

माननीय संसदीय कार्य मन्त्री, इस सम्बन्ध में आप क्या करना चाहेंगे?

संसदीय कार्य मन्त्री (श्री अम्मार रिजवी)—

मान्यवर, जहां तक सूचना का सम्बन्ध है और जो बात माननीय सदस्य ने कहा, उस दिन मैंने यह कहा था कि इस पर एक-एक सूचना मांगी जायगी यह बात बिल्कुल सत्य है। मैं कल से इस बात का प्रयास कर रहा हूं कि सारी सूचना आपके माध्यम से सम्मानित सदस्य के सामने रख दूं लेकिन चूंकि काफी काम है इसमें और काफी सूचना एकत्र करनी है. . .

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

कोई काम नहीं है, आपके कार्यालय में पत्रावली देखकर. . . .

श्री अम्मार रिजवी—

आप सुन तो लें। मान्यवर, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सम्मानित सदस्य ने जो कुछ सूचना मांगी है उसको आज इस सदन के सामने रखता। मैं पूरा प्रयास कर रहा हूं। प्रयास करने के बाद मुझे अत्यन्त खेद है कि यह संभव नहीं हो पा रहा है। इसलिए आपके माध्यम से सम्मानित सदस्य से यह निवेदन करना चाहता हूं कि इसमें कुछ समय वह देने की कृपा करें ताकि जितनी सूचना उन्होंने कही वह सब पूर्णतया दी जा सके।

जाजमऊ के सम्बन्ध में जो सूचना आ गई है अगर आप कहें तो उसे पढ़ दूं।

श्री अध्यक्ष—

आज ही सदन उठने से पहले आप उसको बता देंगे। श्री राजेन्द्र कुमार जी ने जो यह प्रश्न उठाया था इसके बारे में कई बार कहा जा चुका है। तिथियां पहले भी नहीं रहती थीं, लेकिन तिथियों का न रहना कुछ उचित प्रतीत नहीं होता। तिथियां रहने से जानकारी रहती है, कार्य क्षमता का पता लगता है। इसलिए मैंने उस दिन निर्देश दिया था कि तिथियां लिखी जायं। अब उन्होंने फिर समय मांगा है। तो मैं आपसे यही

[श्री अध्यक्ष—]

कहूंगा कि अब हम, आप, दोनों एक बार और प्रतिक्षा नहीं कर सकते....

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, एक सेन्टेन्स सुन लीजिए । हमें कोई आपत्ति नहीं है । हमारे अधिकारों के संरक्षक आप हैं । यह मैं जानता हूं कि नियमों के अधीन आप मन्त्री जी को बाध्य नहीं कर सकते । लेकिन यह तो हम आपके माध्यम से जान सकते हैं कि क्या मन्त्री जी के उत्तर से आपका समाधान हो गया है ?

मान्यवर, अगर आप कहें तो मैं दो घन्टे के अन्दर सारी जानकारी आपको दे सकता हूं । उसकी पत्रावली माननीय संसदीय कार्य मन्त्री के कार्यालय में है । नियमों में है कि मंत्रियों द्वारा जो जानकारी भेजी जायेगी उसकी एक प्रति संसदीय कार्य मन्त्री के पास जायेगी और एक आपके कार्यालय में आयेगी। मान्यवर, 168 सूचनायें थीं और इसकी सूचना आधे घन्टे में एक हाई स्कूल पास क्लर्क संकलित कर सकता है । यदि आप मन्त्री जी के उत्तर से सहमत हों तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है लेकिन अगर आप सहमत न हों तो आप सरकार को निर्देशित करें कि आज सदन के उठने तक पूरी जानकारी सदन में आ जाय ।

श्री अध्यक्ष —

एक निर्देश मैंने दिया था । मैं श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त की बात को ध्यान में रखते हुए और पूर्ण रूप से उनके साथ सहमत होते हुए मैंने एक निर्देश दिया था कि इसी सत्र में वह आ जा (व्यवधान) आप कृपया शांत रहें । आप आज पुनः सुझाव दे रहे हैं कि मैं फिर निर्देश दूं कि आज सदन के उठने तक सूचना दे दी जाय । निर्देश ऐसा देना चाहिए जिसका परिपालन भी हो जाय । इसलिये मैं निर्देश इस सम्बन्ध में दे रहा हूं कि एक सप्ताह के अन्तर्गत सूचना प्राप्त करके आप प्रस्तुत करें और उसकी प्रति हर सदस्य को भेज दी जायेगी । जहां तक आजमऊ बस दुर्घटना के सम्बन्ध में बात है, उसके सम्बन्ध में जो भी सूचना आपको प्राप्त हुई हो आज सदन उठने के पहले तक उसको सदन के सामने रख दें ।

श्री अम्मार रिजवी—

मान्यवर, आपकी आज्ञा शिरोधार्य है ।

दिनांक 12 मार्च 1981 को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या 6 के अनुपूरक प्रश्न के उत्तर के सम्बन्ध में शोधन वक्तव्य

खाद्य तथा रसद मन्त्री (श्री वासुदेव सिंह)—

अध्यक्ष महोदय, दिनांक 12 मार्च, 1981 को श्री छेदीलाल माननीय सदस्य विधान सभा द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या 6 के सम्बन्ध में श्री दूधनाथ राजभर माननीय सदस्य, विधान सभा ने अनुपूरक प्रश्न में पूछा था कि माननीय मन्त्री जी से एक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि छपिया विकास खन्ड में माह जुलाई, अगस्त और सितम्बर, 1980 में कितना तेल बांटा गया ?

2—उस समय सदन में उत्तर दिया गया था कि "छपिया विकास खण्ड में माह जुलाई में 8 हजार लीटर, अगस्त में 11 हजार और माह सितम्बर में 21 हजार 800 लीटर तेल बांटा गया है।"

3—उक्त उत्तर ठीक नहीं था जिसका पता बाद में चला। सही उत्तर इस प्रकार है :—

"छपिया विकास खन्ड में माह जुलाई में 8 हजार लीटर, अगस्त में 11 हजार लीटर और माह सितम्बर में 9 हजार 200 लीटर मिट्टी का तेल बांटा गया।"

मूल प्रश्न तथा उसका उत्तर संलग्न है।

(देखिए, नत्थी 'छ' आगे पृष्ठ 1177 पर)

टाउन एरिया, टांडा, थाना टांडा जिला रामपुर में गोली चलाये जाने से एक व्यक्ति की मृत्यु के सम्बन्ध में वक्तव्य

*गृह राज्य मन्त्री (श्री राजेन्द्र त्रिपाठी)—

प्राप्त सूचना के अनुसार मुरादाबाद के लिए गेहूं व चावल की तस्करी करने की सूचना पर दिनांक 5-9-1981 को प्रातः सात बजे थाना टांडा के उप निरीक्षक सर्वश्री के0 सी0 लवानियां, बी0 एस0 तिवतिया व सिपाही भूखन सरन कार्यवाही के लिए रवाना हुए। जब पुलिस दल वहल्ला नदी के पास पहुचा तो उसने तांगों पर खाद्यान्न मुरादाबाद के लिए ले जाते हुए पाया। पुलिस दल ने खाद्यान्न ले जाने वाले व्यक्तियों को माल समेत थाने पर पहुंचाने का आदेश देकर सिपाही भूखन सरन को तांगे पर बैठा दिया। तांगेवाले थाने के सामने आने पर तांगे रोके नहीं वरन् उन्हें तेजी से दौड़ाये जिस पर सिपाही भूखन सरन ने चिल्ला कर तांगे रोकने के लिए कहा किन्तु उन्होंने तांगे नहीं रोके। उस समय थाने पर उपस्थित उप निरीक्षक श्री दीवान सिंह रावल सिपाही भूखन सरन की सहायता के लिए भीड़ के पास पहुंचे। उन्होंने देखा कि 8-10 व्यक्ति सिपाही भूखन सरन को मार रहे हैं तथा भीड़ जमा है। उप निरीक्षक के वहां पहुंचने पर भीड़ ने उन्हें भी घेर लिया और उनका रिवाल्वर आदि छीनने व मारपीट का प्रयास करने लगी। उप निरीक्षक ने अपने सिपाही भूखन सरन तथा अपने रिवाल्वर की रक्षार्थ रिवाल्वर से फायर किया जिससे भीड़ कुछ पीछे हटी लेकिन जब उप निरीक्षक श्री रावत तांगे वालों को पकड़ कर थाने ले जाने लगे तब सैकड़ों की संख्या में भीड़ हमलावर होकर तांगे वालों को छुड़ा लिया। उसी समय दो व्यक्ति मोटरसाइकिलों से उधर से निकले तो उन्होंने पुलिस के पक्ष में कुछ भला-बुरा कहा जिससे भीड़ ने उन्हें भी मारा व उनकी मोटर साइकिलों को क्षति पहुंचाई। उसी समय थाने की ओर से एक उप निरीक्षक, व 3 अन्य सिपाहियों के साथ थानाध्यक्ष के घटना स्थल पर पहुंचने पर भीड़ ने उन पर पथराव किया और बन्दूक व तमचों से फायर किये। थानाध्यक्ष ने स्थिति को देखते हुए पुलिस एवं जनता के व्यक्तियों की जान-माल की रक्षा के लिए दो राउन्ड फायर करवाये। इस घटना

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री राजेन्द्र त्रिपाठी—]

में थानाध्यक्ष, 3 उपनिरीक्षक, एक हेड कानिस्टेबुल व 4 सिपाही घायल हुए तथा जनता का एक व्यक्ति मारा गया और 20–25 व्यक्तियों को चोटें आयी ।

जांच से उप निरीक्षक श्री वी0 एस0 तिवतिया व सिपाही भूखन सरन द्वारा की गई चेकिंग प्रथम दृष्टि (प्राइमा फैसी) पूर्णता नियमित न होने के कारण उन्हें निलम्बित कर दिया गया है । थानाध्यक्ष श्री एम0 सी0 त्यागी को चेकिंग पार्टी को सही निर्देश न देने, घटना को समय से टैकिल न करने व उच्च अधिकारियों को घटना की विलम्ब से सूचना देने के कारण उन्हें पुलिस लाइन्स में स्थानान्तरित कर दिया गया है अब इस घटना की मजिस्टीरियल जांच कराई जा रही है ।

श्री रियासत हुसैन—

मान्यवर, एक स्पष्टीकरण चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष—

नहीं, यह केवल वक्तव्य के लिए था ।

श्री रियासत हुसैन—

मान्यवर, मैं वहां खुद गया था । इसमें एक चीज का जिक्र नहीं आया उसका वह स्पष्टीकरण दे दें । थानेदार ने जो गोली चलाई जिसमें जमील को रिवाल्वर से गोली लगी है । यह वक्तव्य निराधार है आपने जो कहा है कि पब्लिक के लोग जख्मी हुए हैं उसमें एक जमील नाम का व्यक्ति है जिसको रिवाल्वर की गोली लगी है । तो मैं जानना चाहता हूं कि वह किस जगह पर गोली लगी । मैं बताना चाहता हूं कि महबूब के मकान के दो फाटक के अन्दर घुस कर तीसरे दरवाजे पर दो सौ कदम पीछा करके गोली मारी है ।

गृह मंत्री (चौधरी नौनिहाल सिंह)—

मान्यवर, इसकी सूचना मंगवा दी जायेगी ।

नेशनल हेराल्ड ग्रुप, लखनऊ में हुई तालाबन्दी को औद्योगिक न्यायाधिकरण (द्वितीय) उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा गैर-कानूनी घोषित किये जाने वाले निर्णय को लागू न किये जाने से व्याप्त असन्तोष के सम्बन्ध में वक्तव्य

श्रम राज्य मंत्री (श्री राम नारायण पाठक)—

मेसर्स एसोशिएटेड जर्नल्स लि0, लखनऊ एक पब्लिक लि0 कम्पनी है, जो लखनऊ से 3 समाचार पत्र (1) नेशनल हेराल्ड (अंग्रेजी), (2) नवजीवन (हिन्दी), (3) कौमी आवाज (उर्दू) प्रकाशित करते हैं । वर्ष 1979 में आर्थिक कठिनाई के कारण कर्मचारियों का वेतन समय से भुगतान न किए जाने से उक्त प्रतिष्ठान में औद्योगिक अशान्ति रही थी । कर्मचारियों ने 1 मार्च, 1979 को सायंकाल समाचार-पत्र प्रकाशन हेतु मंगाये गये न्यूज-प्रिंट को छपाई के लिए अन्दर नहीं जाने दिया जिसके फलस्वरूप प्रतिष्ठान के तीनों समाचार-पत्रों का

प्रकाशन 2 मार्च, 1979 से बन्द हो गया था। सेवायोजकों ने 6 मार्च, 1979 को सायंकाल 6 बजे से तालाबन्दी घोषित कर दी थी। तालाबन्दी का यह मामला अभिनिर्णय हेतु औद्योगिक न्यायाधिकरण (द्वितीय), उ0 प्र0, लखनऊ को सन्दर्भित किया गया था। उक्त न्यायाधिकरण ने अपने एवार्ड दिनांक 15 सितम्बर, 1979 के द्वारा प्रतिष्ठान में की गई तालाबन्दी को अवैध घोषित किया और प्रतिष्ठान के सेवायोजकों को यह निर्देश दिये कि वे तालाबन्दी की अवधि का पूरा वेतन सम्बन्धित कर्मचारियों को भुगतान करें।

सेवायोजकों ने इस निर्णय के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका दायर की। माननीय उच्च न्यायालय ने इस निर्णय को कतिपय शर्तों के साथ अग्रिम आदेशों तक स्थगित रखने के आदेश पारित किये। चूंकि सेवायोजकों ने माननीय उच्च न्यायालय द्वारा लगाई गई शर्तों का पूर्णतया पालन नहीं किया। अतः माननीय उच्च न्यायालय ने पूर्व पारित स्थगन आदेश को दिनांक 13-4-81 को निरस्त कर दिया और यह कहा कि कर्मचारी औद्योगिक न्यायाधिकरण (द्वितीय), उ0 प्र0, लखनऊ द्वारा दिये गये एवार्ड के कार्यान्वयन हेतु कार्यवाही कर सकते हैं। दिनांक 15 मई, 1981 को मैंने दोनों पक्षों को विवाद के संबंध में विचार विमर्श हेतु आमन्त्रित किया था, किन्तु किसी कारणवश श्री आर0 के0 मोहला, मैनेजर, एसोशिएटेड जर्नल्स, लखनऊ उपस्थित नहीं हुए। विचार विमर्श के उपरान्त कर्मचारियों को परामर्श दिया गया कि वे सेवायोजकों द्वारा एवार्ड का पालन न किये जाने की दशा में संयुक्त प्रान्तीय औद्योगिक झगड़ों का ऐक्ट, 1947 की धारा 6 एच (1) के अन्तर्गत बकाया वेतन की वसूली हेतु प्रार्थना-पत्र सक्षम अधिकारी को प्रस्तुत करें। कर्मचारियों ने अपने बकाया वेतन के भुगतान हेतु उप श्रमायुक्त, लखनऊ के समक्ष प्रार्थना-पत्र संयुक्त प्रान्तीय औद्योगिक झगड़ों का ऐक्ट, 1947 की धारा 6 एच (1) के अन्तर्गत प्रस्तुत किए। अब तक कुल 80 कर्मचारियों के प्रार्थना-पत्र उप श्रमायुक्त, लखनऊ को प्राप्त हुए हैं, जिनके द्वारा कुल रु0 10,40,531.11 पैसे की धनराशि सेवायोजकों से मांगी गई है। ये प्रार्थना-पत्र उप श्रमायुक्त, लखनऊ के समक्ष विचाराधीन हैं।

मेसर्स एसोशिएटेड जर्नल्स लि0 के द्वारा उपर्युक्त तीनों समाचार-पत्रों का प्रकाशन पुनः प्रारम्भ कर दिया गया है, परन्तु उन्होंने तालाबन्दी की समाप्ति के बाद भी अपने अनेक कर्मचारियों को कार्य पर वापस नहीं लिया है। सेवायोजकों के अनुसार जिन कर्मचारियों को तालाबन्दी के पश्चात् काम पर नहीं लिया गया है, उनकी संख्या 50 है। कुछ अन्य कर्मचारी या तो सेवा से निकाल दिये गये हैं या सेवानिवृत्त हो गये हैं या स्वयं त्यागपत्र देकर चले गये हैं या छटनी कर दिये गये हैं। तालाबन्दी की समाप्ति के पश्चात् काम पर न लिये गये कर्मचारियों के विवाद को सुलझाने के लिए सेवायोजकों ने दिनांक 11-9-81 को एक प्रस्ताव रखा है, जिस पर कर्मचारियों के प्रतिनिधियों द्वारा विचार किया जा रहा है।

जहां तक कुछ कर्मचारियों के मृत्यु का प्रश्न है, सेवायोजकों के अनुसार 7 कर्मचारियों की मृत्यु हुई है। इनमें से किसी कर्मचारी के भुखमरी से मरने की सूचना शासन को नहीं है। उप श्रमायुक्त कार्यालय में श्री लाहौरे, श्री श्रीकृष्ण कुमार तथा बेनेडिट सालोमन की मृत्यु की सूचना उपलब्ध है। इनकी मृत्यु बीमारी के कारण हुई थी।

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

श्रीमन्, एक सवाल पूछ लेने दीजिए ।

श्री अध्यक्ष—

यह केवल वक्तव्य के लिए था ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मंत्री जी ने जो उत्तर दिया है, उसमें उन्होंने इन्डस्ट्रियल ट्रिब्युनल नम्बर 2 का हवाला दिया है, उसमें मैं एक बात जानना चाहता हूं, उक्त ट्रिब्युनल में सन्दर्भित 15 तारीख को उसने दो बातें होल्ड की हैं । पहली, मुझे इस नतीजे पर पहुंचने में जरा भी संकोच नहीं है कि एसोशिएटेड जर्नल्स के कर्मचारियों ने किसी भी तरह का सीमा उल्लंघन कार्य नहीं किया है । दूसरे, उन्होंने उनकी तालाबन्दी को गैर कानूनी ठहराया है और यह भी निर्णय लिया है कि प्रबन्धकों को निर्देश दिया जाता है कि वे सभी सम्बन्धित कर्मचारियों को 6-3-1979 से शुरू होने वाली तालाबन्दी की सम्पूर्ण अवधि का पूरा वेतन भुगतान करें तथा इस अवधि में जिन कर्मचारियों की मौत हो चुकी है, उनके कानूनी आश्रितों को भी उनका वेतन भुगतान किया जाय । पहली मई को श्रमिक दिवस के अवसर पर भाषण देते हुए माननीय श्रम मंत्री ने आश्वासन दिया था कि हम एवार्ड को लागू करा देंगे और उस सम्बन्ध में 15 तारीख को मीटिंग हुई, उसमें सेवायोजकों के प्रतिनिधि नहीं आये और मंत्री जी की मजबूरी थी कि उनको लाते क्योंकि सत्ता दल के बड़े-बड़े लोग हैं । तो अब मैं दो बातें जानना चाहता हूं एक तो इन 80 कर्मचारियों के प्रार्थना-पत्र जो आपके यहां पहुंच गये हैं, जिनमें 11 लाख रुपया वसूल करना है और यह नियम है कि कोई मिल मालिक मजदूरों का रुपया नहीं देता है तो उसे राजस्व देय की तरह वसूल किया जाता है तो क्या यह रुपया भी उनसे राजस्व की तरह वसूल किया जायेगा और उसे वसूल कर सम्बन्धित मजदूरों को बंटवाने का कष्ट करेगी ? और दूसरा सवाल यह है कि जो लोग नहीं रखे गये हैं, उनको रखवाने के लिए वे अपना पूरा प्रभाव डालेंगे ?

श्रम मंत्री (श्री जगदीश चन्द्र दीक्षित)—

श्रीमन्, जहां तक लौक आउट से सम्बन्धित एवार्ड का प्रश्न है उसके पीरियड के पैसे का जहां तक सम्बन्ध है उसको दिलाने का सरकार पूरा प्रयास करेगी और कर रही है । सम्बान्धित व्यक्तियों से यह कहा गया था कि वे डिप्टी लेबर कमिश्नर के यहां सम्पर्क करें क्योंकि राजस्व की तरह वसूल कराने के पूर्व यह आवश्यक है । असल में विलम्ब इस बात से हो गया और वह एवार्ड केवल लौक आउट के पीरियड का है । अतहर साहब ने लौक आउट को इल्लीगल माना है । जिस दिन तक प्रतिष्ठान नहीं चलता उस दिन तक लौक आउट माना जाता है । उसमें लोगों ने या यूनियन वालों ने कहा कि अब तक का मुआवजा दिया जाय । चूंकि एवार्ड में लौक आउट को इल्लीगल माना है। उसके अनुसार जिस दिन से काम शुरू होता है उसके बाद के पैसे का दावा यह नहीं माना जाता। ये 3 अखबार डिफरेन्ट डेट्स में चालू हुए थे । नेशनल हैराल्ड, कौमी आवाज और नवजीवन अलग-अलग तारीखों में प्रकाशित हुए । मामला डी0 एल0 सी0 को रेफर है आवश्यकता हुई तो उसका निर्णय आने पर यदि उसने अपने निर्णय में कहा है कि लैंड रेवेन्यू की कार्यवाही करें और निश्चय ही हम कुर्की करेंगे ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

विशेषाधिकार समिति में लम्बित कतिपय मामलों का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु कार्यकाल में वृद्धि का प्रस्ताव

श्री यादवेन्द्र सिंह—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं विशेषाधिकार समिति का निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं—

"चूंकि श्री राम आसरे वर्मा, सदस्य, विधान सभा द्वारा अभिसूचित, लखनऊ प्रोड्यूसर्स कोआपरेटिव मिल्क यूनियन लि0, लखनऊ के अधिकारियों के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न समिति के गठित होने की तिथि से जांच हेतु दिनांक 7 अक्तूबर, 1980 को विशेषाधिकार समिति को निर्दिष्ट हुआ था और दिनांक 28 जनवरी, 1981 को सदन के निश्चयानुसार उक्त प्रश्न पर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का समय विधान सभा के वर्तमान सत्र के अन्तिम दिन तक के लिए बढ़ा दिया गया था

और चूंकि श्री हरिवंश सहाय, सदस्य, विधान सभा द्वारा अभिसूचित श्री अजय सिंह, तत्कालीन पुलिस अधीक्षक, देवरिया के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न जांच हेतु दिनांक 3 मार्च, 1981 से विशेषाधिकार समिति को निर्दिष्ट हुआ था, जिस पर समिति द्वारा उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया व कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 268 के प्रथम परन्तुक के अनुसार दिनांक 3 अप्रैल, 1981 तक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाना था और दिनांक 3 अप्रैल, 1981 को सदन के निश्चयानुसार उक्त प्रश्न पर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का समय विधान सभा के वर्तमान सत्र के अंतिम दिन तक के लिये बढ़ा दिया गया था।

और चूंकि श्रीमती गौरी देवी, सदस्य, विधान सभा द्वारा अभिसूचित डाक्टर सूर्य प्रसाद, तत्कालीन जिलाधिकारी, गोरखपुर के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न जांच हेतु दिनांक 2 अप्रैल, 1981 को विशेषाधिकार समिति को निर्दिष्ट किया गया था, जिस पर उत्तर प्रदेश विधान सभा का प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 268 के प्रथम परन्तुक के अनुसार दिनांक 2 मई, 1981 तक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाना था और उक्त अवधि के भीतर समिति अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं कर सकी तथा माननीय अध्यक्ष द्वारा दिनांक 24 मई, 1981 को उक्त नियमावली के नियम 268 के द्वितीय परन्तुक के अन्तर्गत उक्त प्रश्न पर समिति द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए समय वर्तमान सत्र के अन्तिम दिन तक के लिए बढ़ा दिया गया था।

और चूंकि उक्त तीनों मामलों में इस बढ़े हुए समय के भीतर भी समिति अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की स्थिति में नहीं है।

अतः यह सदन निश्चय करता है कि विशेषाधिकार समिति द्वारा उक्त तीनों मामलों पर अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का समय विधान सभा के आगामी आय-व्ययक सत्र के अंतिम दिन तक के लिए बढ़ा दिया जाय।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि माननीय सभापति, विशेषाधिकार समिति द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव कि विशेषाधिकार समिति द्वारा उक्त तीनों मामलों पर अपना प्रतिवेदन

[श्री अध्यक्ष—]

प्रस्तुत करने का समय विधान सभा के आगामी सत्र के अन्तिम दिन तक के लिये बढ़ा दिया जाय, स्वीकार किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया तथा स्वीकृत हुआ) ।

कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनायें

श्री अध्यक्ष—

मेरे समक्ष नियम 56 के अन्तर्गत कार्य-स्थगन प्रस्ताव की 6 सूचनायें हैं । एक श्री मसरूर जाफरी की है दिनांक 22 एवं 23 अगस्त, 1981 की रात्रि में ग्राम बवनापुर, थाना कोड़िया, जिला गोंडा में पुलिस द्वारा 5 निरीह मजदूरों की हत्या कर दिये जाने के सम्बन्ध में । दूसरा श्री नन्द किशोर जी का है 24 जुलाई, 1981 को देवरिया जिलान्तर्गत श्री रमाशंकर यादव की हत्या के बारे में, तीसरी श्री बलवीर सिंह का है रामपुर जिले में बिजली आपूर्ति न कर्ये जाने के बारे में चौथा है श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त का बिजली का कटौती किये जाने से सिंचाई तथा उद्योग कार्यों में बाधा उत्पन्न हो गयी है, पांचवा श्री अग्निहोत्री का भी इसी विषय में है और छठा श्री मित्रसेन यादव का है दैनिक 'आज' के कर्मचारी श्री सतीश चन्द्र त्रिपाठी की हत्या के बारे में । यह सभी मन अस्वीकृत कर दिये हैं ।

(व्यवधान)

श्री मसरूर जाफरी—

[+ + + +]

श्री अध्यक्ष —

आप मेरी आज्ञा के बिना बोल रहे हैं, यह लिखा नहीं जायेगा । आप कृपया बैठें । यह कुछ लिखा नहीं जायेगा । अब बाढ़ पर चर्चा आरम्भ होगी ।

श्री मसरूर जाफरी—

आप मुझे बोलने नहीं दे रहे हैं, इसके विरोध में मैं सदन का त्याग करता हूं ।

(श्री मसरूर जाफरी सदन त्याग कर चले गये ।)

श्री अकबर अहमद द्वारा अभिसूचित विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न लिये जाने की मांग

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री—

एक मान्यवर, मेरा निवेदन सुन लें ।

श्री अध्यक्ष—

मैं इजाजत नहीं दे रहा हूं, आप कृपया बैठें ।

नोट—[+ + + +] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री रियासत हुसैन—

एक गम्भीर प्रस्ताव विशेषाधिकार का माननीय अकबर अहमद का था जिस पर आपने कहा था कि सदन के उठने से पहले निर्णय हो जायगा, इसका क्या हुआ ?

श्री अध्यक्ष—

उसका उत्तर माननीय मुख्य मन्त्री जी से मुझे अभी प्राप्त नहीं हुआ है। माननीय सदस्य मुझसे मेरे कक्ष में मिले भी थे। जो व्यवस्था उस सम्बन्ध में सम्भव थी, वह हो गयी है। माननीय सदस्य सदन में मौजूद भी हैं। वह शायद अपना प्रस्ताव करना नहीं चाहते। इसलिये उस पर अभी कोई निर्णय नहीं हुआ है। जब उत्तर आ जायेगा, तब निर्णय लिया जायेगा।

(समय अपरान्ह 3 बजकर 10 मिनट)

प्रदेश में बाढ़ से उत्पन्न स्थिति का सामना करने हेतु किये जा रहे राहत कार्य में शिथिलता के सम्बन्ध में चर्चा

श्री जट शंकर सिंह—

मान्यवर, आज अपना प्रदेश एक बड़ी ही विरोधाभास की स्थिति में है। जहां पश्चिम में भयंकर सूखा पड़ा हुआ है, वहीं अपने पूर्वी जनपदों में बाढ़ की भयंकर विभीषिका से गांव त्रस्त हो रहे हैं।

(इस समय 3 बजकर 10 मिनट पर श्री उपाध्यक्ष पीठासीन हुये।)

मान्यवर, चाहे सूखा हो और चाहे प्रदेश के पूर्वी अंचलों की बाढ़ हो, दोनों ने जनजीवन को अस्तव्यस्त कर डाला है। बाढ़ से गोरखपुर, बस्ती, गोंडा और बहराइच इन जनपदों का जनजीवन पूर्णरूपेण अस्तव्यस्त हो चुका है। गोरखपुर, बस्ती में एक ही प्रकार की स्थिति है और गोंडा का बलरामपुर का हिस्सा तो बिलकुल ही एक टापू की स्थिति में हो गया है। बस्ती, गोरखपुर, गोंडा तथा हमारे बहराइच की तो यह स्थिति रही कि वहां के माननीय विधायक अपने इस सत्र काल में सदन की कार्यवाही में भी सम्मिलित होने के लिये देर से आने पड़े।

मान्यवर, मैं जहां बाढ़, दैवी प्रकोप है, दैवी आपदा है उसके कारणों के सम्बन्ध में अगर हम जायं तो दो कारण ऐसे हैं जिन पर किसी भी सरकार का सर्वसाधारण रूप में और किसी विशेष रूप में बल नहीं चल सकेगा। एक कारण तो अतिवृष्टि, भयंकर वर्षा है, यह किसी भी माननीय परिक्षेत्र के अधीन नहीं है। दूसरा नदियों का निरन्तर उथला होते चला जाना, नदियों की जल ग्राह्य क्षमता का कम होता चला जाना, यह बाढ़ की विभीषिका को निरन्तर बढ़ाते चले जा रहे हैं। परन्तु कुछ कारण हैं जिन पर अगर ध्यान दिया जाय तो बाढ़ की विभीषिका को निश्चित रूप से घटाया जा सकता है।

यहां और जनपदों की स्थिति तो वहां के माननीय विधायक अभी चर्चा में जो भाग लेंगे तो वे विस्तार में उसको रखेंगे। मेरा आमंत्रण भी उनको है। मैं बहराइच की स्थिति से अवगत कराना चाहता हूं। बहराइच के कुल 1 हजार 937 गांवों में से 650 गांव, कैसरगंज तहसील में दो सौ गांव, नानपारा

[श्री जटाशंकर सिंह—]

में, 238 गांव, भिनगा तहसील में पूर्णरूपेण जलमग्न होकर, इनकी सारी सम्पत्ति विनष्ट हो चुकी है । बहुत यत से घर ध्वस्त हो चुके हैं । व्यक्तियों के रहने के लिये स्थान नहीं है । जहां पर बाढ़ की इस प्रकार की स्थिति है वहां पर व्यक्तियों की अजीब सी स्थिति हो गई है । उपरहार के क्षेत्रों में भी इस वर्ष अपूर्व जल भराव की स्थिति उत्पन्न हो गई है जल भराव के कारण भी इतना पानी भर गया कि वहां के लोगों को सड़कों पर आकर आश्रय लेना पड़ा । हमारे जनपद के पयागपुर के क्षेत्र में यही स्थिति है । विगत चार महीने की इस 92 घंटे की अनवरत वर्षा में 4 बाढ़ें आयी और लगातार 4 बाढ़ों के थपेड़ों में बहराइच की सारी अर्थव्यवस्था नष्ट–भ्रष्ट हो गयी । 9 करोड़ 63 लाख 12 हजार 250 रुपये की खड़ी फसल डूब कर नष्ट हो गई । 5 लाख 64 हजार 126 व्यक्ति इस प्रकोप से बहराइच जनपद में प्रभावित हुये । कई वर्षों से इस प्रकार की बाढ़ नहीं आयी ।

मैंने अभी पूर्व की चर्चा में यह कहा कि निर्माण में यह ध्यान दिया जाय, सड़क निर्माण के समय जहां–जहां जल निकासी होती हो ढलुआ जमीन हो, पानी के बहने की दिशा को देखकर पुलियों का निर्माण किया जाय किन्तु निर्माण के समय पैसे की ओर देखकर पानी की ओर न देखकर, व्यवस्था में सटेलमेंट करके, कार्य किया जाता है । इसके कारण सड़कों पर पानी भरता है और सड़कें कटने लगती हैं इस ओर शासन को ध्यान देना चाहिये और जहां निर्माण के समय और उसके बाद भी आवश्यकता महसूस हो, पुलियों का निर्माण किया जाय ।

दूसरी बात बांध के सम्बन्ध में मुझे विशेष रूप से कहनी है । सरकार की ओर से प्रत्येक मण्डल में प्रत्येक कमिश्नर को 5 लाख रुपया बांधों के रखरखाव के लिये मिला है राहत कार्यों की व्यवस्था के अलावा । मैं जानना चाहता हूं कि जो 5 लाख रुपया प्रत्येक कमिश्नरी को जो मिला है उसका क्या उपयोग पहले किया गया? किस तरह उसका उपयोग किया गया ? पूर्व में व्यवस्था क्यों नहीं की गई।

आज बांधों के कटने से गोरखपुर की हालत खराब है, बस्ती की हालत खराब है, अन्य जगहों की भी यही स्थिति है । मेरे क्षेत्र में सरयू नदी पर एक सरयू नहर बनाई जा रही है । वहां पर गोपिया बैराज से पिपरा तक भादा नदी पर तट बन्ध का बनना प्रस्तावित था और उसके द्वारा पानी के स्तर को ऊंचा करके नहर बनाना था । उस तट बन्ध से बीसों गांवों की बहुत सुरक्षा होती । लेकिन मान्यवर, पता चला है कि वहां के इंजीनियर महोदय ने 8 लाख रुपये में अपने किसी आदमी को उक्त तटबन्ध का ठेका दिये थे और भुगतान भी पहले करवा दिये अब वह ठेकेदार महोदय फरार हैं । उसको छिपाने के लिये यह कहा जा रहा है कि उस तटबन्ध की जरूरत नहीं है । उसकी कोई आवश्यकता नहीं है यह संहारकारी होगा।

मान्यवर, हमारे क्षेत्र में गोपिया गांव की स्थिति यह है कि उसके दूसरी ओर जहां नहर बनाई जा रही है, उसको ऊंचा करने के कारण, किनारों के पटान के कारण जल भराव का पानी नहीं निकल रहा है । गोपिया गांव और उसके अगल–बगल के सारे गांव की स्थिति यह है कि इस भयंकर बाढ़ में वह गांव जलमग्न हो गये हैं । जहां पानी की कल्पना नहीं की जा सकती थी पानी भरा हुआ है । मान्यवर, आपके माध्यम से इसी सदन में मैंने यह सुझाव दिया था कि वहां एक साइफन बनाया जाय, अन्यथा वह गांव डूब जायेंगे, चीफ इंजीनियर महोदय ने कहा था कि एक बूंद पानी न रुकने देंगे ।

श्री धरम पाल—

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। बाढ़ पर चर्चा हो रही है सिंचाई विभाग का कोई मंत्री नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष—

बाढ़ पर चर्चा चल रही है। बाढ़ का मुख्य सम्बन्ध राहत कार्य से है और राहत कार्य मंत्री बैठे हैं।

श्री जटा शंकर सिंह—

मान्यवर, वहां पर साइफन बनाने की जो योजना थी उसको रोककर, पता लगा है कि वहां ड्रेन बनाया जायेगा ड्रेन का पानी भादा (सरयू) नदी में गिराने की योजना है। जिसका पानी का स्तर ऊंचा उठाया जा रहा है। मान्यवर, जब लेबिल से ऊपर नदी के पानी का स्तर उठ जायेगा तो ड्रेन कहां गिरेगा। तो इस प्रकार की अविवेकपूर्ण योजनायें बनाई जायेंगी तो बाढ़ को बचाया नहीं जा सकेगा। बाढ़ आना यदि नहीं रोका सकते हैं तो उसके प्रभाव को कम करने के लिये विवेक का प्रयोग करें। नानपारा नगर को और स्टेशन को जोड़ने के लिये एक बीच में पुल है। सारा पानी नगर से गुजरता है और उस पुल से पानी निकलने का कम स्थान है, जिसके सम्बन्ध में सदन में मैंने पहले भी निवेदन किया था और आज भी निवेदन कर रहा हूं कि नानपारा की तबाही का कारण उक्त पुल बना हुआ है इस लिये इस पर ध्यान दिया जाय। जल निकासी का चौड़ा प्रबन्ध किया जाय।

मान्यवर, राहत कार्य के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं कि इस बार राहत के लिये जो नावें पहले से लगाने की घोषणा की गई कि सरकार बिल्कुल तयार है, तो इनकी तैयारी इतनी थी कि नावों की व्यवस्था नहीं कर पाये और जिला प्रशासन ने जो नाव भेजने की व्यवस्था किया तो उससे पहले सेना की नावें वहां पहुंच गई। लेकिन इनकी पूर्व की व्यवस्था की नावें वहां बाद में पहुंची हैं, यह इनकी इफीसिएन्सी है।

मान्यवर, चारा के सम्बन्ध में कोई व्यवस्था बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में नहीं किया है। इसलिये जानवर चारे के अभाव में मर रहे हैं। अतः वहां चारे का प्रबन्ध किया जाय।

मान्यवर, यह घोषणा कर रहे हैं कि पैसा बांटेंगे, गृह अनुदान, तकावी के रूप में अनुदान दिया जायेगा, उसकी स्थिति क्या होगी, उसको मंत्री जी स्पष्ट करें सत्ता एवं विपक्ष के विधायकों का इसमें विभेदन करें ऐसा न हो कि अपने लोगों को और कार्यकर्ताओं को ही पैसा देने की योजनायें बनायें। इसलिये विधायकों की देख-रेख में पात्र व्यक्तियों को पैसा बांटे जाने का इन्तजाम किया जाय। आज सारा प्रदेश जब इस स्थिति में है, सूखा या बाढ़ की विभीषिका से ग्रसित है तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सभी देयों की वसूली तत्काल रोक देनी चाहिये। चूंकि जब किसानों को खाने के लिये अनाज नहीं है, वस्त्र के लिये पैसा नहीं है। ऐसे समय में वसूली कतई अनुचित एवं दुर्भाग्यपूर्ण है। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि सभी प्रकार के देयों की वसूली तात्कालिक प्रभाव से सरकार रोक दें।

[श्री जटाशंकर सिंह--]

मान्यवर मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करूंगा कि बाढ़ग्रस्त और सूखा क्षेत्रों के विद्यार्थियों की फीस भी तत्काल माफ करने की घोषणा करें और प्रदेश के किसानों की जो स्थिति है उसमें तत्काल लगान माफ किया जाना चाहिये और लगान माफ करने की सरकार से पुरजोर मांग करता हूं। यदि सरकार उस स्थिति में न हो तो लगान स्थगित तत्काल कर दें। हालांकि यह हितकर नहीं होता है। आवश्यकता तो प्रदेश की स्थिति को देखते हुए लगान को माफ करने की है। इसके अतिरिक्त कृषि संबंधी जो ऋण हैं उनको माफ करने की मैं सरकार से पुरजोर मांग करता हूं। मान्यवर, आपने जो इस विषय पर मुझको बोलने के लिये अवसर दिया है उसके लिये मैं आपके प्रति आभार प्रकट करता हूं।

*राजस्व मंत्री (श्री बैजनाथ कुरील)--

मान्यवर, अभी माननीय सदस्य ने जो बात कही है तो इसमें कोई शक नहीं कि बाढ़ बहुत भयंकर रूप से आयी और खास करके पूर्वी अंचल में 4, 5 जिलों में उसकी वजह से तबाही हुयी। फसलों की क्षति हुयी, मकानों की क्षति हुयी और तरह-तरह की क्षति बाढ़ से हुयी है। माननीय सदस्य ने नावों की बात कही तो नावों का इंतजाम पहले से था और अभी भी है। हमारे प्रदेश में 11 हजार नावें हैं और 59 मोटर बोट तथा 19 मोटर लांच हैं।

एक सदस्य--

बाढ़ वाले क्षेत्रों में कितनी हैं, उसके बारे में बतायें।

श्री बैजनाथ कुरील--

प्रदेश में जहां जरूरत पड़ती है वहां पर इन नावों का इस्तेमाल होगा। सूखे में तो भेजेंगे नहीं।

श्री उपाध्यक्ष--

आपको शायद भ्रम हो रहा है कि मैंने राहत कार्य मंत्री को माननीय जटाशंकर सिंह के बाद बोलने के लिये कहा। आपकी प्रक्रिया नियमावली के मुताबिक जब यह प्रस्ताव मूव हो जाय तो मूवर के बाद राहत कार्य मंत्री को बोलना चाहिये। आपको इसके बाद बोलने का मौका दूंगा। लेकिन आपसे अपेक्षा करूंगा कि समय कम है और विषय बड़ा विशद है इसलिये हर आदमी अपने क्षेत्र के बारे में कह सके, हम एक दूसरे से सहयोग करेंगे और अपने मसाइल को कम से कम समय में पेश करेंगे।

श्री बैजनाथ कुरील--

माननीय सदस्य ने चारे के सम्बन्ध में कहा कि वहां पर चारे की व्यवस्था नहीं है। यह सही बात है कि चारा कहीं बाहर से उस वक्त तक नहीं लाया जा सकता जब तक कि स्थानीय दूकानों पर जो चारा बेचने वाले हैं, उनके यहां उपलब्ध न रहे। क्योंकि बाहर से लाये

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

गये चारे के दाम बढ़ जाते हैं और चारे में कोई सब्सिडी नहीं होती है। लेकिन शासन सतर्क है अगर वहां स्थानीय व्यवस्था नहीं हो पायेगी, दूकानों में चारा कम हो जायेगा तो बाहर से अवश्य भेजा जायेगा।

माननीय सदस्य ने एक मौलिक प्रश्न उठाया कि राहत कार्यों में जब पैसा बटता है तो शायद शासन अपने दल के विधायकों को उसमें ज्यादा इन्वाल्व करता है। ऐसी बात नहीं है, यह हम सोचना भी नहीं चाहते। जब राहत कार्यों के लिये पैसा बंटता है तो गृह अनुदान वगैरह के लिये या अहेतुक सहायता के लिये जो पैसा बंटता है तो हमारा आदेश है कि उस क्षेत्र के विधायक महोदय को भी इसकी सूचना दें। इसमें यह नहीं है कि वह किस पार्टी के हैं, उनको सूचना दी जाती है। हम समझते हैं कि उनको मौजूद रहना चाहिए ताकि कोई गड़बड़ी न होने पाये और उनकी देख रेख में बंटेगा।

वसूली का जहां तक सम्बन्ध है, वसूली स्थगित कर दी गयी है। हमारे जो देय हैं उनकी वसूली स्थगित कर दी गयी है और जो अन्य विभाग हैं, बैंक हैं, सहकारिता विभाग हैं, उन सबके कह दिया गया है कि बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों में वसूली स्थगित कर दें। और उसकी सूचना भी आ गयी है, सहकारिता मन्त्री की आ गयी है तथा अन्य कई लोगों की आ गयी है कि लगान स्थगित हो गया है और जो सवाल माफी का आया है उसके कुछ नियम हैं, जहां पर जिस हिसाब से नुकसानात हुए हैं, उसी के हिसाब से माफी की जाती है। और बच्चों की फीस माफी की जो बात आयी, उसके सम्बन्ध में कहना यह है कि उसमें भी आदेश दे दिये गये हैं, जिन क्षेत्रों में बाढ़ आयी और वहां का जो एरिया एफेक्टेड है, वहां की लिस्ट जिलाधिकारी, जिला निरीक्षक स्कूल को भेज देंगे और वहां से उन छात्रों की फीस माफ हो जायेगी, अलग से किसी सर्टीफिकेट की भी जरूरत नहीं पड़ेगी।

राहत कार्य के बारे में जो कहा गया, राहत कार्य काफी जोरों से हो रहा है, उसमें किसी प्रकार की कमी नहीं छोड़ी जा रही है, वहां के देखभाल के लिए मैं भी स्वयं गया हूं, सिंचाई मन्त्री व माननीय मुख्य मन्त्री भी गये हैं, कार्य खूब जोरों पर किया जा रहा है। दो-तीन हजार का स्टाफ हमारा वहां कार्यरत है और पैसे की भी हमारे पास कमी नहीं है और इसमें हर दल के आदमी की, हर संस्था की, लायन्स क्लब, व रोटरी क्लब आदि की भी सहायता मिल रही है। और हमने सेना की भी सहायता ली, जब हमने देखा कि डुमरियागंज का बांध टूटने वाला है, तब सेना की सहायता ली। सेना की सहायता लेना कोई बुरी बात नहीं है, हमारे देश की सेना है और जब देखा कि मामला गम्भीर है, पुल टूटने वाला है, तब ली। तो इस प्रकार किसी भी रूप में ढिलाई नहीं की जा रही है।

हमारे रेवेन्यू के व अन्य छोटे-बड़े अधिकारी सब इसमें लगे हुए हैं और उनको कहीं-कहीं पर 24-24 घंटे तक काम करना पड़ा है और अब भी हर प्रकार से लगे हुए हैं। इसलिए इस सिलसिले में राहत कार्य एवं सहायता के सम्बन्ध में कुछ कहना नहीं है। फिलहाल अभी जो बातें कही गयीं, उनके सम्बन्ध में मैंने बता दिया, बाकी इस पर अभी जो चर्चा होगी उसमें जो बातें आयगी, सुझाव आयेंगे, तब मैं फिर अपनी बातें रखूंगा।

(शोर)

श्री उपाध्यक्ष--

आप लोग कृपया बैठ जाएं और यह अनुरोध है कि यदि आप लोग शान्ति बनाये रखेंगे तो कम समय में अधिक से अधिक लोग इस पर बोल सकेंगे। माननीय मारकण्डेय चन्द जी को मैंने बुला लिया है, इसलिए आप लोग कृपया शान्ति रहे।

*श्री मारकण्डेय चन्द--

मान्यवर, इस प्रदेश का पूर्वांचल इस वर्ष की भयंकर बाढ़ से अस्त व्यस्त है। गोरखपुर, बस्ती और गोण्डा जनपद विशेष रूप से भयंकर बाढ़ की विनाश लीला से संकट में हैं। यह बाढ़ कोई नई चीज नहीं है, हम इसके आदी हैं, यह प्रकृति प्रदत्त है और कम या ज्यादा यह हर वर्ष आती है। 30-32 वर्ष मुझे होश सम्भालते हुए हो गये, लेकिन इस साल जैसी लापरवाही लगता है कि जानकर बुलायी गयी है। मैं आपके माध्यम से इस सरकार के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि बाढ़ का रिकार्ड आप 10 से 20 वर्षों का देख लीजिए, बहुत अन्तर नहीं है गत वर्षों में इस वर्ष की अपेक्षा।

गोरखपुर के सम्बन्ध में विशेष रूप से यह कहना चाहता हूं कि गोरखपुर प्रायः प्रति वर्ष इतनी ही बाढ़ से प्रभावित होता रहा है। इस वर्ष क्या विशेषता है, यह जानने की जरूरत है। गोरखपुर जनपद में जितने भी बन्धे थे वह सभी कटने की स्थिति में आ गये और गोरखपुर के उत्तरी भाग महाराजगंज, फरेंदा और धानी ब्लाक (फरेंदा) का बंधा भी कटा और साथ ही गोरखपुर के करीब माधोपुर का बन्धा भी कटने के करीब ही है और खड़गपुर, शाहपुर का बंधा 1 कि0मी0 तक कटा। दो गांव कट कर घाघरा नदी में चले गये लच्छीचक और पथरामऊ। 30/31 की रात में 12-1215 बजे 1 कि0 मी0 बंधा कट गया घागरा की बाढ़ में 1 कि0 मी0 बंधा कटेगा तो क्या स्थिति होगी, इसका अन्दाजा लगाया जा सकता है। एक भी घर बचा नहीं है। लगभग 25 साल का मुझे सामाजिक क्षेत्र में कार्य करने का अनुभव है, प्रति वर्ष मई-जून के महीने में बाढ़ के सम्बन्ध में मीटिंग हुआ करती थी। नावों की व्यवस्था तथा अन्य व्यवस्थायें सरकारी आदमी और जन प्रतिनिधि किया करते थे लेकिन माननीय सिंचाई मन्त्री से बार-बार अनुरोध करने पर भी कि इस साल बंधों के कटने का संकट उत्पन्न होगा, न प्रदेश स्तर पर कोई बैठक बुलायी गयी और न जिला स्तर पर कोई बैठक बुलायी गयी। थाना महाराजगंज इत्यादि में जो बंधा कटा लापरवाही से कटा। यह नहीं समझ में आता है कि क्यों नहीं मीटिंग बुलायी गयी।

जब बाढ़ आधी विनाश लीला समाप्त कर चुकी थी तो यह बताया गया कि नावों इत्यादि की यह व्यवस्था है। जहां तक मैं समझता हूं कि बाढ़ चाहे थोड़ी आये या ज्यादा आये लेकिन जो भी संकट गोरखपुर पर पड़ा वह बन्धों की समय से मरम्मत न करने के कारण पड़ा। जो धन इस समय खर्च किया जा रहा है, इसके चौथाई में ही बंधे बचाये जा सकते थे।

मान्यवर, अप्रैल और मई से मैं यह निवेदन कर रहा था माननीय सिंचाई मन्त्री को लिख कर देने के बाद हमारे यहां का खड़गपुर का बन्ध कटा है और माननीय सिंचाई मन्त्री ने मेरे आवेदन पत्र में लिख दिया और मैं उसको लेकर

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

सिंचाई के सचिव के पास गया। वह सिंचाई के सचिव आज कल नहीं हैं उन्होंने सुनिश्चित कर दिया कि खड़गपुर बांध को कटने का खतरा है, उसमें डेम्पलर लगा दिये जायं। आदेश अधिकारियों को तथा अभियन्ता को दे दिये गये। अधिकारियों से मुलाकात करने पर पता चला कि टी0 ए0 सी0 ने केवल पांच ही डेम्पलर की स्वीकृति दी है। मान्यवर, वह पांच डेम्पलर बनाने में उन्होंने सरकार का 5 लाख रुपया खर्च कर दिया इस तरह से पांच ठोकरें बनीं। इसके अलावा मान्यवर, 2 लाख 70 हजार रुपये के पत्थर मिर्जापुर से मंगा कर रखे गये। इसके बारे में मैंने समाचार-पत्रों में भी लिखा है। तो जब बांध कट गये तो 15 अगस्त को मैंने कहा कि इन पत्थरों को क्यों नहीं इस्तेमाल कर रहे हो, पानी को रोकने में। तो उत्तर मिला कि उच्च अधिकारियों के आदेश नहीं हैं। पानी के कटाव के समय पत्थरों को पीछे खिसका दिया गया और यह पत्थर पीछे करने में 50 हजार रुपये लगा दिये गये। फिर भी उनको कोई आदेश नहीं मिला और पत्थर पानी में बह गये। पांच डेम्पलर कट गये और लगभग 10 लाख रुपये की हानि हुई, सब पानी में बह गया, सब पानी में देखते-देखते चला गया।

मान्यवर, मैं दृढ़ता के साथ कह सकता हूं कि अगर सिंचाई मन्त्री को जरा भी गोरखपुर को डूबने से बचाने का ध्यान होता तो हमारे जनपद में जो बाढ़ आयी है जिसके लिये हम मई, जून से चिल्ला रहे थे, तो वहां इतनी दुर्दशा न हुई होती। लच्छीचक और पथरामिश्र दोनों गांवों को डूबने से बचा लिया गया होता और प्रदेश की सरकार के जो 10 लाख रुपये देखते-देखते पानी में चले गये, यह न होता।

मान्यवर, गोरखपुर जनपद में बांध की मरम्मत न करने के कारण कितनी हानि हुई है। मान्यवर, जब राहत कार्य का समय था, वह सब डूब गये, पानी में बराबर हो गये और अब राहत कार्य हो रहा है। कब तक इस तरह से मोहताजी चलती रहेगी? एक बार सुना था कि जलकुण्डी योजना चल रही है उसके बाद भालु बांध का बड़ा जिक्र किया गया। भालु बांध बना कर क्यों नहीं आप गोरखपुर को बचा रहे हैं। नैपाल से आपके संबंध भी अच्छे हैं। ऐसी स्थिति है कि आप इसको क्रियान्वित कर सकते हैं। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि गोरखपुर जनपद को बाढ़ से बचाने के संबंध में आप कार्यवाही जरूर करने का प्रयास करें।

इसके साथ ही माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे समय बहुत ही कम बोलने को दिया, थोड़े ही में मैं अपने जनपद की समस्या को रख पाया हूं।

श्री रघुराज प्रसाद उपाध्याय—

उपाध्यक्ष जी, आपने मुझे जो बोलने का अवसर दिया है इसके लिये मैं आपका आभारी हूं इसमें कोई शक नहीं कि बाढ़ की स्थिति बहुत गम्भीर है। इसमें दो राय भी नहीं हैं कि इस बार जो बाढ़ आयी है, इसके बारे में लोग कहते हैं कि मेरे जनपद में सन् 1946 में ऐसी बाढ़ आयी थी, उसके बाद कभी ऐसी बाढ़ नहीं आयी।

मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूं कि इस समय बहुत भयंकर बाढ़ आयी है, बहुत से लोगों के घर बह गये हैं। जहां तक राहत कार्यों का सवाल है, मेरे जनपद में बलरामपुर तहसील उतरौला तथा तरबगंज तहसील विशेष रूप से

[श्री रघुराज प्रसाद उपाध्याय--]

से प्रभावित हुए हैं। 803 नावों का इंतजाम किया गया और बलरामपुर चूंकि ग्रस्त ज्यादा था इसलिए सेना भी बुलायी गयी। इसमें कोई दो राय नहीं है कि इतनी विपदा थी कि उस को आने से रोका नहीं जा सकता था लेकिन मान्यवर, इसमें ऐसा कार्य किया जाये जिससे विपदा से प्रभावित लोगों की सीमा कम हो। जहां तक शासन की तरफ से ध्यान देने की बात है, मुख्य मंत्री जी स्वयं हेलीकाप्टर द्वारा गोरखपुर, बलरामपुर, गोंडा, बस्ती का राजस्व मंत्री जी के साथ साथ, जिन्हे मान्यवर ने राहत मंत्री कहा है, दौरा किया। हमारे प्रवीण कुमार शर्मा जी ने बलरामपुर, तुलसीपुर, गोंडा का दौरा किया। लेकिन मान्यवर, एक बात कहना चाहता हूं कि राहत जो की गयी है, ज्यादा समय नहीं लूंगा मान्यवर, अगर उनकी तैयारी पहले से कर लेते तो शायद जितनी विपदा आयी है उतनी न आती।

नावों के प्रबन्ध की जो बात कही गयी है, गोंडा में विशेष रूप से जितनी नावों की आवश्यकता थी उतनी मात्रा में उपलब्ध नही ही सकीं। इसके साथ साथ जहां से नजदीक के जिलों से मांगने की बात की गयी तो वहां भी वही बाढ़ की समस्या सामने थी। जिस तरह से और सुविधाओं की व्यवस्था की जाती है जैसे भैंस खरीदने के लिए, पम्प लेने के लिए, उसी तरह से मैं मान्यवर, आपके माध्यम से शासन से अनुरोध करूंगा कि उन गांव सभाओं में जो बाढ़ से ज्यादा ग्रस्त होते हैं, वे तहसील जो ज्यादा ग्रस्त होती है, नावों की खरीद हेतु, जो नावों की खरीदना चाहते हैं, कुछ छूट देकर, सबसिडी देकर, नाव खरीदने की सुविधा देनी चाहिए।

माननीय सिंचाई मंत्री द्वारा यह कहा गया था कि जब विपदा आती है तो उसे रोका नहीं जा सकता। यह जरूर है लेकिन अगर इंतजाम अच्छा हो तो उसे कम किया जा सकता है। शासन की तरफ से जो राहत दी गई, जो सब कहा, गया उसमें एक बात नहीं कही गयी, मान्यवर, जानवरों के चारे की नितान्त आवश्यकता है। इस तरफ कोई विशेष ध्यान नहीं दिया गया है। वैक्सीनेशन के लिए दवाओं का प्रबन्ध है, गेहूं आदि की व्यवस्था की जा रही है लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि आज तक कोई चारा की व्यवस्था क्यों नहीं की गयी है। इस तरफ ध्यान देना नितान्त आवश्यक है।

मैं पुनः आप का आभारी हूं कि आपने मुझे जो बोलने का समय दिया।

*श्री मलिक मुहम्मद कमाल यूसुफ--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज जहां एक तरफ इस प्रदेश का पश्चिमी अंचल सूखे से तबाह है वहीं हमारी तरफ गोरखपुर, बस्ती, गोंडा, बहराइच आदि जिले बाढ़ की विभीषिका से तबाह हैं। आज गांव के गांव पस्त हो गये। माननीय मुख्य मंत्री जी ने, सिंचाई मंत्री जी ने, हमारे जनपदों का दौरा किया और एक तरह से हमारी जो तहसील हैं, डुमरियागंज, उसकी हालत बड़ी दयनीय थी, इस संबंध में माननीय मुख्य मंत्री ने, बस्ती में एक सभा में स्वयं तस्लीम किया। राहत कमिश्नर श्री मुरली श्याम मनोहर जी, जो स्वयं इससे अवगत थे ने खुद दौरा किया और देखा, माननीय राजस्व मंत्री जी के साथ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्रीमन, जो राहत कार्य किया गया वह पर्याप्त था या अपर्याप्त, यह बाद की बात है लेकिन मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं होगा कि नावों की व्यवस्था के अभाव में गांव के गांव ग्रस्त हो गये। हमारे यहां ढाई फुट की नाव डाल दी गई जो कहीं चल नहीं पाई और वहीं डूब गई। सेना 6 नाव लेकर गई, 2 मोटर बोट गई जिसमें एक खराब पड़ी नहीं। इस प्रकार सेना और पी0 ए0 सी0 को मिलाकर मेरे यहां कुल नावों से ज्यादा नहीं आई।

इस सम्बन्ध में मेरे दो-तीन सुझाव हैं। मान्यवर, मेरे क्षेत्र में गांव के गांव त्रस्त हो गए हैं और उनको जो गल्ला दिया जा रहा है उससे कुछ होने वाला नहीं है। उन्हें जो 400-500 रु0 दिया जाता है उससे भी उनका कुछ फायदा होने वाला नहीं है। उनको आप एकमुश्त 1000 या 1500 रु0 दे दें ताकि वह गांव में रहने लायक कोई जगह बना सकें। अब तक वहां गांव के गांव तबाह और बरबाद हो चुके हैं।

दूसरा सुझाव मैं यह देना चाहता हूं कि जो आप नाव किराये पर लेते हैं उतना ही आपको किराया देना पड़ता है, जो ट्रकें नाव लेकर आती हैं और वहां 4-5 दिन खड़ी रहो हैं जिनको आप 500-1000 रु0 के हिसाब से किराया देते हैं तो 2000-3000 रु0 तो ट्रकों का किराया ही जायेगा। इसके लिए जैसे आपने इंजनों में सब्सिडी कर दिया है वैसे ही नावों को बनाने या खरीदने के लिए भी सब्सिडी दें ताकि जो 40-50 फीसदी लोग नदी के किनारे पर रहते हैं वह नाव बनायें और अपना वाउचर दें ताकि आवश्यकता पड़ने पर तुरन्त नावें मिल सकें। इसी तरह से तहसीलों में भी नाव की व्यवस्था करनी होगी ताकि तहसील में नाव मौजूद रहे जिससे जरूरत पड़ने पर काम में आ सकें क्योंकि एक साथ सब जगह बाढ़ आ जाती है जैसे बस्ती, गोंडा, देवरिया, गोरखपुर आदि में एक साथ ही बाढ़ आ गई, इसके लिए मैं चाहता हूं और मुख्य मंत्री जी भी मौजूद हैं, तो मैं माँग करता हूं कि तत्काल घोषणा करें कि जो लोग नाव लेना चाहते हैं उनको सब्सिडी दी जाय।

इसी तरह से गांवों में दवाई की कोई इन्तजाम नहीं है। वहां कोई डाक्टर नहीं जाता है और न कोई दवा है। गांवों में फसल सड़ गई है जिससे बदबू आ रही है। मैंने आज ही एक डाक्टर के खिलाफ विशेषाधिकार की भी सूचना दी है। अतः मैं यह चाहता हूं कि वहां पर दवाई का इन्तजाम किया जाय।

साथ ही साथ में सिंचाई मंत्री जी के कहना चाहता हूं कि हमारे यहां बन्धा बांधा जा रहा है। वहां पर दाहिने किनारे ऊंचे किनारे पर ही बंधा बांध रहे हैं। बायें किनारे पर मचिया आदि तमाम गांव हैं जो पानी की चपेट में आ जाते हैं लेकिन इस तरफ बंधा नहीं बांध रहे हैं। गांव में एक्जीक्यूटिव इन्जीनियर रहते हैं, ओवरसीयर रहते हैं उनके द्वारा आपको सब सूचना मिल सकती है इसलिए मैं चाहता हूं कि टी0 ए0 सी0 को आप खतम कर दें। वहां की स्थिति को देखते तो हम लोग हैं लेकिन मामला टी0 ए0 सी0 के सामने जाता है और टी0 ए0 सी0 उसको काट देता है। हम चाहते हैं कि यह जो बंधा बन रहा है इसमें आप परिवर्तन करें।

इसके साथ ही मेरा एक सुझाव और है कि जो गांव त्रस्त हो गए हैं और नदी के किनारे हैं वहां चकबन्दी होने जा रही है तो आप चकबन्दी के लोगों को जो आदेश दे दें तो जो लोग दूसरी जगह पर बसना चाहते हैं उनको आदेश दे दें।

[श्री मलिक मुहम्मद कमाल यूसुफ--]

इसी तरह से श्रीमन, हमारे क्षेत्र में कई जगह पानी भरा पड़ा है और सड़कें टूट गई हैं। वहाँ न कोई गांव सभा है न टाउन एरिया है, 10 हजार की आबादी वाला कस्बा है और पी0 डब्ल्यू0 डी0 कह देता है कि यह अबेंडेंट है और इस तरह से उस सड़क को न बनवा कर इस कस्बे के साथ सौतेला व्यवहार किया जाता है। उस कस्बे के अन्दर पानी का जमाव है और वहां से पानी के निकलने का कोई रास्ता नहीं है। इसलिए माननीय मुख्य मन्त्री जी से मेरी मांग है कि वहां की सड़क ठीक कराई जाये और सड़क के दोनों तरफ नाली बनवायी जाये जिससे सड़क की ठीक व्यवस्था हो सके।

पहले दिन आपका हुक्म निकला कि एक आदमी को तीन लीटर मिट्टी का तेल, एक किलो चना और एक किलो नमक मिलेगा लेकिन बाद में देखा गया कि कहीं तीन लीटर से मिट्टी का तेल दो लीटर कर दिया गया तो कहीं एक लीटर कर दिया गया। कहीं तेल है तो नमक गायब, कहीं नमक है तो तेल गायब। इस तरह की तमाम अव्यवस्था वहां पर देखने को मिली है। इसलिए आपसे निवेदन है कि तत्काल घोषणा करें कि जो कटौती की गई है वह न करके एक मुश्त रुपया दिलवायेंगे जिससे यह मसला खतम हो जाय और बाढ़ से तबाह हुए लोगों को राहत मिल सके।

मुख्य मन्त्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह)--

मान्यवर, नाव खरीदने के बारे में पूछा गया तो मैं बतला दूं कि छोटी नाव के लिए 2 हजार और मझोले के लिए 4 हजार रुपये तकावी के रूप में देने का प्राविधान किया गया है। मारजिनल फार्मर को 33 1/3 प्रतिशत, स्माल फार्मर को 25 प्रतिशत सब्सिडी का प्राविधान है। गांव सभाओं को 60 प्रतिशत दाम सब्सिडी के रूप में देने का प्राविधान पहले से है।

*श्री मसरूर जाफरी--

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे सैलाब पर बोलने का मौका दिया। श्रीमन्, हमेशा से, हर वर्ष राप्ती नदी जिला गोंडा को तबाह करती रही है। वहीं पर उतरौला में तीन नदियां मिलती हैं -- राप्ती, मनोरमा और विचई। मेरे जीवन में आज तक ऐसी भयानक बाढ़ नहीं आई थी।

श्रीमन्, आज हालत यह है कि वहां के लगभग 183 गांव बाढ़ से बिलकुल तबाह व बर्बाद हो गये हैं। लगभग 20 गांव तो डूब चुके हैं जिनका कोई पता नहीं रह गया है। यह मैं सरकारी आंकड़े दे रहा हूं। आज एक लाख से अधिक किसान खाने के बगैर मर रहे हैं। वहां पर कोई चीज बची नहीं रह गई है।

मैंने पिछले साल इसी सदन में कहा था कि राप्ती होते हुए आसाम को जो सड़क जा रही है वह 100 एकड़ तक एल0 आर0 सी0 कर दी गई है। अगर वह रोड टूट या कट जाती है तो आसाम से दिल्ली जाने का पूरा सिलसिला ही खतम हो जायेगा। माननीय सिंचाई मन्त्री जी ने आश्वासन दिया था कि वहां ठोकर बनवा देंगे लेकिन वह ठोकर भी अब तक नहीं लगा। मुझे एक अफसोस और है कि माननीय मुख्य मंत्री जी बलरामपुर दौरे पर गये थे तो वहीं पर उतरौला व तुलसीपुर की सीमा मिलती है लेकिन शायद मेरे क्षेत्र को विरोधी पक्ष

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

का समझ कर वे शायद उतरौला नहीं आये जब कि वहां से वह केवल 11 मील ही दूर है। उतरौला जो आजादी से लेकर आज तक पिछड़ेपन में मुब्तला रहा है, और हमेशा वहां बाढ़ आती रही है शायद इस नाते भी उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह--

बाढ़ कांग्रेस के क्षेत्र में भी आई है।

श्री मसरूर जाफरी--

हालत यह है कि हमारा क्षेत्र बिलकुल मिट गया है। वहां खाने के लिए कोई भी अनाज नहीं है। पशु भी भूखों मर रहे हैं। मकानों की हालत यह है कि वहां रहने के लिए किसी के पास कोई मकान रह ही नहीं गया है। इसलिए मेरा निवेदन है कि वहां मकान बनवाने का प्रबन्ध किया जाये और इसके लिए लोगों को एक मुश्त रुपया दिया जाये। सन् 1978 की बाढ़ के बाद से आज तक वहां के किसानों को लगान में कोई छूट नहीं मिली है। हमेशा सरकार के पास कागज आये। पिछले साल जो सैलाब आया था उसके सिलसिले में लगान की छूट अभी तक नहीं दी।

एक निवेदन आप से करना चाहता हूं। आप ने बीस किलो गेहूं एक परिवार को दिया है। बीस किलो गेहूं से एक परिवार का पेट कैसे भर सकता है। इसे पचास किलो कर दिया जाये। जहां सैलाब की स्थिति है वहां आप एक एकड़, ढाई एकड़, तीन एकड़ को छोड़ते हैं। आप से निवेदन करूंगा कि इसको पांच एकड़ कर दिया जाये। राजस्व मन्त्री माननीय गौतम जी मेरे क्षेत्र में आये थे। उन्होंने वहां की हालत देखी। श्रीमन्, आप ने किसानों को जो कर्ज दिया है आपने उसकी वसूली रोक दी है। कल आप इस वसूली को अपने अधिकारियों से उनके बैलों को कुर्क करा कर, डंडे बरसा कर, करेंगे। तमाम उतरौला, गोरखपुर क्षेत्र में इन तमाम वसूली को माफ किया जाय। सूद मुफ्त कर्जा दिया जाये।

श्रीमन्, हमारे यहां विद्यार्थियों को जब 6 महीने की फीस जमा कर दी जाती है तब आप अनुदान भेजते हैं। हर प्रिन्सिपल हर कमेटी के जेब में अनुदान का पैसा चला जाता है। मेरे पास प्रमाण हैं। पिछले साल का धन वहां की कमेटी, वहां के प्रधानाचार्य के जेब में गया है। जांच करा लें तो सारी बात सामने आ जायेगी।

श्रीमन्, मेरे क्षेत्र में तीन बार बाढ़ आई है, 2 अगस्त, 1981, 23 अगस्त, 1981 और सितम्बर, 1981 में। वहां आप को सिवाय पानी के दूसरी चीज नहीं दिखलाई देगी। गौतम जी मेरे क्षेत्र में गये थे। मैं आरोप नहीं लगाता कि जिला प्रशासन ने सहायता नहीं दी। जिला प्रशासन के अधिकारियों, कर्मचारियों ने जी जान से मेरे क्षेत्र में ईमानदारी से काम किया।

एक बात और कहना चाहता हूं माननीय मुख्य मन्त्री जी सुनने की कृपा करें। मेरे क्षेत्र के गणबाबुजुर्ग ब्लाक, उतरौला में 9 जुलाई, 1981 को सैलाब के लिए दी गई बीस हजार रुपये की दवा पकड़ी गई। हमने एग्रीकल्चर डाइरेक्टर को जांच करने के लिए लिखा। सारी जांच अभी तक गायब पड़ी है।

[श्री मसरूर जाफरी--]

एक निवेदन और करना चाहता हूं। अगर आप चाहते हैं कि गोंडा, बलरामपुर, उतरौला, राप्ती से बचें तो आप ठोकर लगाने का प्रबंध करें। गेहूं तथा अन्य सहायता देने के बजाय आप ठोकर लगायें जिससे आप अन्य परेशानियों से बच सकते हैं।

श्रीमन्, एक निवेदन यह है कि पिछला लगान का पैसा बाकी पड़ा है आप उसे माफ कर देंगे। पिछले साल जो छूट नहीं मिली उसे दिया जाये। मेरे क्षेत्र की ओर विशेष ध्यान दिया जाये। आप जांच करा लें। मेरे क्षेत्र में भुखमरी की हालत फैली है....

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय जाफरी, आप का समय समाप्त हुआ।

एक सदस्य--

मैं जानना चाहता हूं कि यह चर्चा बाढ़ पर ही है या सूखे पर भी है ?

श्री उपाध्यक्ष--

अध्यक्ष जी ने मुझे बताया कि केवल बाढ़ पर ही यह बहस है।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह--

माननीय सदस्य ने एक प्रश्न उठाया था कि 1·6 एकड़ और 2·5 एकड़ असिंचित भूमि के लोग भी सहायता के पात्र हो सकते हैं या नहीं उसके सम्बन्ध में मौजूदा संशोधन किया गया है, वही मैं आपको सूचित करना चाहता हूं। दैवी आपदा राहत वितरण हेतु पात्रता के सम्बन्ध में फिर से यह आदेश जारी किये जा रहे हैं कि ऐसे व्यक्तियों जिनके पास 1·6 एकड़ सिंचित भूमि अथवा 2·5 एकड़ असिंचित भूमि से ज्यादा या जिनकी वार्षिक आमदनी 2,400 रु0 से ज्यादा है उनको बाढ़ से घिर जाने की दशा में यदि भुखमरी की स्थिति आ जाती है तो उन्हें भी अहेतुक सहायता दी जाये। इसी प्रकार इस प्रकार के व्यक्तियों को यदि दैवी आपदा के कारण उनका पूरा मकान ध्वस्त हो जाये तो उन्हें भी गृह अनुदान दिया जाये।

श्री तेज नारायण त्रिवेदी--

मान्यवर, मेरे जनपद लखीमपुर खीरी में दो बड़ी-बड़ी नदियां घाघरा और शारदा हैं। ये दोनों नदियां सैलाबी नदियां हैं और साथ ही साथ कटाव भी करती हैं। इस वर्षा काल में मेरे क्षेत्र में लगभग 150 ग्राम इस बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। लगभग 25 हजार जनसंख्या इस बाढ़ से प्रभावित हुई है और 6 हजार एकड़ क्षेत्रफल इन दोनों नदियों की बाढ़ से प्रभावित हुआ है और बोया हुआ लगभग 3 हजार एकड़ का क्षेत्रफल प्रभावित हुआ है। फसलों की हानि अनुमानित लगभग 2 करोड़ रुपया है।

मान्यवर, मेरे क्षेत्र में इन नदियों के कटाव से एक फकीरेपुरवा गांव कट गया है। परन्तु गत वर्ष जिस मात्रा में जी0 आर0 निर्धारित किया गया था 3 लाख का, वह अब 2 लाख कर दिया गया है। मैं माननीय मुख्य मन्त्री से यह अनुरोध करूंगा कि वे कम से कम 4 लाख रुपया जी0 आर0 का हमारे क्षेत्र में दिया जाये। गृह अनुदान पिछले साल 2 लाख 80 हजार रुपया दिया गया था। इतनी कम धनराशि में हमारे यहां एक बड़ी विषमता पैदा

हो गई है । मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि वे हमारे क्षेत्र के लिये गृह अनुदान और जी0 आर0 अधिक मात्रा में दें । साथ ही तकावी के लिये भी हमारे क्षेत्र के लिये 3/4 लाख रुपया दिया जाय । बहुत से काश्तकार ऐसे हैं जो जी0 आर0 नहीं लेना चाहते हैं उनको तकावी से संतोष होगा ।

मान्यवर, हमारे शारदा बैराज से लगा हुआ एक इनफ्लक्स बांध है उससे वहां के छोटे-बड़े 8 गांव प्रभावित हुये हैं । उसमें हमेशा जलभराव से ऐसी स्थिति पैदा हो जाती है । गत वर्ष एक लड़का भी उसमें डूब गया था और उसको एक हजार रुपया दिया गया है । इन 8 गांवों की स्थिति यह है कि इनको जल भराव से रोका नहीं जा सकता है । हर वर्ष वह बांध से भरता है । मेरा माननीय मुख्य मंत्री जी को सुझाव है कि या तो इन सभी ग्राम वासियों को वहां से हटा दिया जाय नहीं तो आराजी का मूल्य लगाकर उनको दिया जाय जिससे वे कोई दूसरा रोजगार कर सकें। सीपेज के कारण जल भराव होता है । मैं इस ओर मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि इस समस्या का तुरन्त समाधान होना चाहिए । इस सीपेज की समस्या से लखीमपुर के 40 गांव प्रभावित होते हैं । जहां एक भी फसल गांव वासियों को नहीं मिलती है ।

मैं एक बात और कहना चाहता हूं हमारे क्षेत्र में एक गांव ईसानगर है उसकी आबादी 10 हजार की है वहां पर नदी दो मील का अपना किनारा काट कर गांव के पास आ गयी है । यह गांव जिसमें पी0 एच0 सी0 और थाना तथा ब्लाक है आगामी वर्षा काल में इसके कटने की पूरी आशंका है । मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि मेरे क्षेत्र में एक सर्वे कराया जाय, क्योंकि दो नदियों के मध्य का क्षेत्र है उसका सर्वे कराया जाय और जिस-जिस चीज की उसके लिए आवश्यकता हो चाहे बांध की आवश्यकता हो, चाहे ठोकरों की आवश्यकता हो वह व्यवस्था की जाय अगर वह नहीं किया गया तो आगामी वर्षाकाल में हमारे क्षेत्र में बहुत बड़ी हानि होने की आशंका है ।

एक बात और कह कर मैं अपनी बात समाप्त करूंगा । हमारे यहां पहली बार 10 बड़ी नाव दी गयी गयी है लेकिन यह संख्या कम है । कम से कम 50 नावों की व्यवस्था आगामी बरसात के लिए की जानी चाहिये अन्यथा बहुत ही कष्ट हमारे क्षेत्र के लोगों को होगा ।

श्री उपाध्यक्ष--

आपका समय समाप्त हुआ ।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह--

मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि खीरी को 10 लाख 70 हजार रु0 फ्लड रिलीफ के सिलसिले में गया है । सीपेज की जो आपने बात कही उसमें उस ड्रेन को ले लिया है जिस पर कार्य जारी है ।

श्री मुख्तार अनीस--

मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । मान्यवर, यह बड़ी अजीब बात है जब जहां पूर्वी उत्तर प्रदेश में बाढ़ की स्थिति है वहां पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सूख

[श्री मुख्तार अनीस--]

की स्थिति है । माननीय सदस्य कुछ यहां बैठे हुए हैं, जो सूखे के बारे में बताना चाहते हैं मान्यवर, उन्हें भी दो-दो मिनट दे दें...

श्री उपाध्यक्ष--

आपने मुझसे क्या व्यवस्था का प्रश्न किया है ?

श्री मुख्तार अनीस--

मान्यवर, सूखे के बारे में भी बोलने का अवसर दें ।

श्री उपाध्यक्ष--

यह प्रश्न पहले भी उठा था...

श्री मुख्तार अनीस--

आपकी कृपा हो जाय तो उस पर भी बोल लें ।

श्री उपाध्यक्ष--

मैं आपकी मर्जी के खिलाफ थोड़े जा सकता हूं ।

*श्री दिवाकर विक्रम सिंह--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे इस बाढ़ की चर्चा में भाग लेने का अवसर दिया मैं उसके लिए आपका आभारी हूं । बांसी तहसील में 13 तारीख की रात से बाढ़ का भीषण प्रकोप शुरू हुआ । बूढ़ी राप्ती ने पहले सड़कों को काटा फिर राप्ती नदी ने काटना शुरू कर दिया । 13 तारीख को डमरियागंज, बांसी, पथरा आदि गंगोली बांध के पानी में डूबते चले गये और पूरे क्षेत्र में जहां कभी पानी नहीं आता था उसमें 8, 10 फीट पानी आ गया । इसका प्रभाव यह हुआ कि उस क्षेत्र में पूधा नाला है जिसमें अभी-अभी पी0 डब्लू0 डी0 ने पुल बनाया है वह चालू भी नहीं हो पाया है कि वहां पर पूधा और राप्ती नदी का पानी उस पर बहने लगा और पूरी एप्रोच रोड बह गयी और उस क्षेत्र के समस्त गांव 10, 10 फीट पानी में डूब गये । 13 तारीख से पानी आना शुरू हुआ और 20 तारीख तक बराबर पानी से वह क्षेत्र घिरा रहा । मुझे कष्ट इस बात का है कि मैं 16 तारीख को वहां गया तो मालूम हुआ कि एक भी राहत कार्य तहसीलदार की तरफ से मेरे क्षेत्र में नहीं किया जा रहा है । मैं बार-बार मांग करता रहा वहां के तहसीलदार महोदय से क्योंकि एस0 डी0 एम0 दूसरी जगह बाढ़ के सिलसिले में गये थे लेकिन कोई सहायता नहीं दी गयी मैं कहता रहा कि मेरे क्षेत्र में तुरन्त नाव दे दीजिये । जो गांव 13 तारीख के रात्रि से घिरे हुए हैं, कम से कम उनको कुछ राहत तो मिल जाए । लेकिन रूधौली विकास खंड के जितने गांव रहे, वहां बिना कलेक्टर की अप्रोच किये 19 तारीख के पहले कोई नाव नहीं पहुंच पाई, जिससे कि वह मुसीबत से निकल सकें ।

शासन कहता है कि मैं इतनी-इतनी सहायता दे रहा हूं, लेकिन मेरे क्षेत्र में कोई भी सहायता कार्य तहसील की तरफ से नहीं हुआ है । 20 तारीख को जब मैं यहां आया, तब तक एक भी राहत कार्य मेरे क्षेत्र में नहीं किया गया है । विकास खंड खलरहा और साखा के जितने गांव बूधा नाला और आमी नदी के किनारे थे

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

वे 14 तारीख से लेकर निरन्तर बाढ़ से घिरे रहे हैं। वहां पर राहत तहसील के माध्यम से कभी पहुंचाई नहीं गई। लेखपाल कहता है कि पहले हमें पैसा दो हम दिखवायेंगे। विकास खंड रूधौली के ग्राम मनकौरा और मसजिदिया के बारे में लेखपाल ने यह लिखकर तहसीलदार को दे दिया कि हमारे यहां राहत कार्य की कोई आवश्यकता ही नहीं है, कोई गांव पानी से घिरे हुए नहीं हैं। इस पर मैंने नायब तहसीलदार, रुधौली को ले जाकर स्थिति को दिखाया, लेकिन तहसीलदार कहते हैं कि जब तक लेखपाल सूचना न दे, तो हम क्या कर सकते हैं। वहां कोई पुर्साहाल नहीं है।

बांसी तहसील में 16 तारीख की रात्रि तक कोई भी गल्ला या राहत कार्य उपलब्ध नहीं था। पता नहीं उन्होंने मांगा ही नहीं या मांगा पर मिला नहीं। नावों की स्थिति यह है कि हम लोग नावों के लिए चिल्लाते थे, लेकिन उनके पास नाव नहीं थीं। जब नदी ने तमाम गांवों को घेर लिया तब नावें मांगी गई और उधर रास्ता कटा हुआ था। अयोध्या और बस्ती के बीच में इसलिए नावें आने में देर हुई। बाद में पता नहीं कैसे किधर से रास्ता काटकर वहां के लिए नावें ले जाई गई। उसमें से मेरे क्षेत्र को मुश्किल से केवल एक नाव मिली। बूधा नाला के पास जो गांव था उनके यहां जो छोटी-छोटी 2-3 आदमियों की नावें थीं, उन्हीं से वे लोग किसी तरह उतरते रहे। विभाग की तरफ से एक भी नाव वहां पर 20 तारीख तक नहीं पहुंचाई गई थी। मैंने भी प्रयास किया कि कोई नाव मिल जाए, जिससे मैं अपने क्षेत्र की स्थिति को देख सकूं, लेकिन उसमें नाकामयाब रहा। कोई भी राहत-कार्य मेरे क्षेत्र में कदापि नहीं किया गया है। 20 तारीख तक, जब हम वहां से चले हैं। केवल 20 क्विंटल गल्ला एक गांव में भेजा गया था, जिससे वहीं के 19 आदमी अनाज प्राप्त करने से रह गये थे। मिट्टी का तेल एक लीटर से अधिक किसी को नहीं दिया जाता है, आप कहते हैं कि तीन लीटर दिया जाता है।

बाढ़ क्यों आती है इसपर चर्चा नहीं हो रही है, इसलिए मैं उस पर समय नहीं लूंगा। जब फिर कभी उस पर चर्चा हुई तो मैं अपने सुझाव दूंगा। मैं सरकार को बाढ़ के सम्बन्ध में दो तीन सुझाव देना चाहता हूं। एक तो जो गांव बाढ़ से पूरी तरह से प्रभावित हो गये हैं, वहां के लोगों को जो भी राहत दिया जाए उसके बारे में सूचना हम लोगों को भी प्रशासन द्वारा दी जाए कि मेरे क्षेत्र में कब किस गांव में कोई काम किया जा रहा है। ताकि हम लोगों को भी उसे देखकर उसकी जांच करने का मौका मिल सके।

आपने बड़े लोगों को भी जो देने की घोषणा की है, उसके लिए मैं आपका आभारी हूं। जैसा कमाल साहब ने निवेदन किया कि जो मकान बिलकुल नष्ट हो गये हैं, उनके लिए भी कोई व्यवस्था करें, ताकि वह अपने मकान का पूरा निर्माण न सही तो कम से कम एक चौथाई मकान को तो निर्माण करा सकें।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह--

मान्यवर, मैं माननीय सदस्य को एक सूचना देना चाहता हूं कि बस्ती जिले को करीब 85 लाख 20 हजार रुपया भेजा जा चुका है। जिन क्षेत्रों के बारे में कहा गया है वहां पर राहत कार्यों में बढ़ोतरी हो जायेगी। यह भी

[श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह—]

आदेश दे दिए गये हैं कि राहत कार्य के सम्बन्ध में, वितरण के बारे में माननीय सदस्यों को भी सूचना दी जाय ।

(श्री अकबाल हुसैन का नाम पुकारे जाने पर)

श्री प्रदीप कुमार यादव—

मान्यवर, मेरा जिला भी बाढ़ से बड़ा प्रभावित है ।

श्री त्रिवेनी—

मान्यवर, इधर के माननीय सदस्य भी बाढ़ से बहुत प्रभावित हैं, अतः इनको भी बोलने का कुछ समय दिया जाय ।

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री—

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । आज जिस प्रकार से प्रदेश का आधा भाग बाढ़ से प्रभावित है । उसी प्रकार से शेष आधा भाग सूखे से प्रभावित है । सूखे का प्रस्ताव माननीय सदस्यों के 3 दिन के लिए निष्कासित होने के कारण नहीं आ सका । इसलिए मेरी प्रार्थना है कि आप बाढ़ और सूखे, दोनों क्षेत्रों, के लोगों को बोलने का अवसर दें ताकि दोनों क्षेत्रों के लोग इस बहस में भाग ले सकें । बाढ़ के समान सूखे वाले क्षेत्रों में भी वहां के निवासी अनेक प्रकार की कठिनाइयों की चपेट में आ गये हैं । मेरा यही व्यवस्था का प्रश्न है कि आप दोनों क्षेत्रों के लोगों को बोलने का अवसर दे ताकि माननीय मुख्य मंत्री जी उत्तर देते समय दोनों ही क्षेत्रों के लिए किए जाने वाले राहत के कार्यों के बारे में बता सकें ।

श्री उपाध्यक्ष—

आपका प्रश्न सूखे के क्षेत्र में राहत कार्य से सम्बन्धित है । मुझे आशा है जब माननीय मंत्री जी उत्तर देंगे तो दोनों क्षेत्रों के बारे में, जहां पर बाढ़ और सूखा पड़ा है, बता देंगे ।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह—

माननीय सदस्य हमेशा भावनाओं की बाढ़ में रहते हैं ।

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री—

माननीय मुख्य मंत्री जी उस क्षेत्र से जीत कर आये हैं, इसलिए मुझे पीड़ा है ।

श्री उपाध्यक्ष—

आपके सदन का माननीय मुख्य मंत्री जी काफी ध्यान रखेंगे ।

*श्री अकबाल हुसैन—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं उस क्षेत्र से चुन कर आया हूं जो राप्ती और बूढ़ी राप्ती से बहुत प्रभावित होता है । वहां पर तहसील मुख्यालय का 10 सितम्बर को रेल और सड़क से सम्पर्क कट गया था बलरामपुर से तुलसीपुर और

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

कौआपुर से गेजबाह रेलवे स्टेशन के बीच में संचार व्यवस्था नहीं रह गयी थी। 10 सितम्बर को बलरामपुर तहसील में राप्ती में बाढ़ आयी थी लेकिन 11 तारीख तक भी वहां पर कोई राहत कार्य आरम्भ नहीं किया गया था।

मैं आपके द्वारा माननीय मुख्य मंत्री जी का ध्यान तुलसीपुर के उत्तर और पूर्वी क्षेत्र में गैसडी और पिचपिडवा क्षेत्र की ओर आकर्षित करना चाहता हूं जहां पर राप्ती और बूडी राप्ती जाकर मिलती हैं। बलरामपुर में 10 तारीख को सेना बुलायी गयी लेकिन 11 और 12 तारीख को वह नहीं पहुंची। 13 तारीख को सेना ने वहां पर पहुंच कर कार्य आरम्भ किया और वह भी उस क्षेत्र में जो बलरामपुर के 2-4 किलोमीटर के अन्दर का क्षेत्र था उसमें शुरू हो पाया। जो छोटी-छोटी नावें मंगायी गयी थीं वे राप्ती नदी को पार ही नहीं कर पाती थीं। मेरे क्षेत्र में 13/14 तारीख तक कोई राहत नहीं पहुंचायी गयी।

हमारे वहां राजस्व के 150 गांव बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित हैं। मैं आज भी पैदल चल कर घूमकर देख कर आया हूं, कहीं पर भी, गोंडा जनपद में मुश्किल से 30 क्वीन्टल चना बंटा होगा जब कि 500 क्वीन्टल चना भेजने की बात कही गयी है। 100 गांवों में तो एक भी दाना चना किसी को नहीं मिला। मिट्टी का तेल और दियासलाई किसी को नहीं मिली है। केवल 10-20 गांव में कुछ बंटा है। कई गांव को राप्ती नदी ने बिलकुल काट दिया है। मैंने इन गांव को बचाने के लिये जो बोल्डर्स लगाने का सुझाव दिया था वह नहीं माना गया। आज तक वे नहीं लगे हैं।

मान्यवर, माननीय मन्त्री जी ने आश्वासन दिया है कि जिनकी आय 2 हजार तक होगी उनको राहत दी जायेगी। मैं यह कहना चाहता हूं कि यह इस बार एक अभूतपूर्व बाढ़ है, 90 प्रतिशत लोगों के घर गिर गये हैं, फसल भी नष्ट हो गयी है, इसलिये राहत ज्यादा से ज्यादा लोगों को दी जाये।

हमारे क्षेत्र में 20 किलो गेहूं प्रति परिवार देने की बात थी, पर 21 तारीख तक एक भी दाना गेहूं का किसी को नहीं मिल सका है। लोग भूखों मर रहे हैं। मेरा निवेदन है कि ऐसे समय में राहत कार्यों में शिथिलता न बरती जाये। जो गांव सड़क से टूट गये हैं वहां राहत कार्य शीघ्रता से पहुंचाये जायें। एक सुझाव यह भी है कि आप ने जो सीमा रखी है उसको बढ़ा कर 5 एकड़ तक कर दें।

इसके अलावा एक सुझाव मेरा यह भी है कि गांव को आप ऊंचा पटवा दें ताकि बाढ़ आने पर लोग सुरक्षित जगह पर पहुंच सकें। मेरे क्षेत्र में दो मृत्यु बाढ़ से हुई हैं, मगर उसकी सूचना यहां नहीं दी गयी। हमारे क्षेत्र के कुछ गांव में कालरा फैल रहा है। वहां दवा की व्यवस्था कोई नहीं है, अस्पतालों में दवा नहीं है। यह कितने शर्म की बात है। मेरा निवेदन है कि अस्पतालों में दवायें शीघ्र भिजवायी जायें तथा अन्य राहत कार्यों को शीघ्र कराया जाये।

(कई सदस्यों के खड़े होने पर)

(व्यवधान)

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह--

एक सूचना दे दूं मान्यवर, गोरखपुर के लिये 93 लाख 20 हजार की सहायता दी गयी है। उसके बाद गोंडा को....

(व्यवधान)

88 लाख 20 हजार दिया गया है। पूरे प्रान्त को लगभग साढ़े 10 करोड़ की धनराशि अब तक दी जा चुकी है।

(व्यवधान)

श्री माता प्रसाद पाण्डेय--

मान्यवर, आपने कहा 85 लाख है, मेरे डुमरियागंज तहसील में 2,21,500 रुपये मूल्य का कुल राहत कार्य दिनांक 20-9-81 के सायंकाल तक दिया गया है।

श्री उपाध्यक्ष--

जैसा कि माता प्रसाद पाण्डेय जी ने कहा सहायता तो दिया ही है, लेकिन इसको सुनिश्चित भी कर लीजिये कि वहां तक पहुंची है कि नहीं।

*श्री राजकुमार राय--

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से शासन का ध्यान पूर्वांचल के उस हिस्से की तरफ ले जाना चाहता हूं जो घाघरा नदी के किनारे पर बसा हुआ है। हमारे जिले की पूरी सगड़ी, घोसी तहसील, सलेमपुर, और गोरखपुर का बांसगांव का हिस्सा सरयू नदी के घाघरा के किनारे पर आता है। यह घाघरा का जितना पाट है, जितनी चौड़ाई है, उससे जो कटाव होता है, उससे कई बार शासन का ध्यान आकर्षित किया जा चुका है कि मान्यवर, यहां बाढ़ है, यहां कटाव है और कई बार शासन का ध्यान आकर्षित करने के बाद भी कुछ नहीं हुआ। मैं मानता हूं कि शासन ने कुछ करने का प्रयास किया। लेकिन हमारी जो गरीबी है और जो हमारी आर्थिक स्थिति है, उसकी तरफ अगर ध्यान देंगे, तो दुनिया में, हिन्दुस्तान में हम उन गरीब लोगों में से हैं कि थोड़े से कटाव आने पर हम तिलमिला उठते हैं।

1968 में हमारी प्रधान मंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने उन क्षेत्रों का दौरा किया था। माननीय मुख्य मंत्री को भी मालूम है और माननीय सिंचाई मंत्री को भी मालूम है। माननीय इंदिरा जी जा-जा करके देखती थीं जहां पर बाढ़ है, जहां पर कटाव है। लेकिन शासन से हमारे क्षेत्र को जितनी उम्मीद थी, वह कुछ नहीं हो सका। आज सगड़ी तहसील का पूरा उत्तरी भाग जो नदी के करीब है, पूरा डूबा हुआ है। चिउंटी गांव से लेकर पेलोरी, रसूलपुर में कटाव हो गया है। लेकिन इसको रोकने के लिए कोई कार्यवाही नहीं की गयी है। मैंने पिछले सत्र में शासन का ध्यान आकर्षित किया था। उस समय 5 लाख 20 हजार रुपया मंजूर भी हुआ था लेकिन वह केवल कागज पर ही दिखाया गया था, मौके पर खर्च नहीं किया गया था। वह माननीय मोहन सिंह का क्षेत्र है जो कि पूरी नदी के धारे पर है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

हमारे जनपद का सिसवा, धर्मपुर गांव बाढ़ के अन्दर है, जहां पर हजारों-हजारों की जनसंख्या है, हजारों का पशुधन है, नदी के धारे में वह चले जायं, तो कोई शंका नहीं है। 17-9-81 को मैं और माननीय मोहन सिंह ने मिल कर एक प्रतिवेदन तैयार किया था और उस प्रतिवेदन के द्वारा हमने शासन का ध्यान आकर्षित किया था लेकिन आज तक किसी भी विभाग का छोटा से छोटा कर्मचारी वहां पर जाना गंवारा नहीं किया कि इन बाढ़-पीड़ित क्षेत्र में क्या हो रहा है। मैंने 301 की नोटिस भी पढ़ा था और मैंने पिछले साल भी कहा था कि उससे आजमगढ़ जिले में यह नहीं कहा जा सकता है कि कब न बाढ़ आ जाय। लेकिन जब हम गांव में जाते हैं, पानी भरा हुआ है, फसलें डूब रही हैं, लोगों के आने-जाने का रास्ता नहीं है, लेकिन उनका 229 प्वाइन्ट कभी पूरा नहीं होता और जब मैं जाता हूं तो वह कहते हैं राय साहब अभी 228 है थोड़ा कम है और मैं असहाय होकर चला आता हूं। बाढ़ से सारी फसलें बरबाद हो गई, पशुधन डूब रहा है। लेकिन उनका 229 का मापदण्ड कभी बाढ़ नहीं बताता।

सिंचाई मंत्री से निवेदन किया था, उन्होंने 18 अप्रैल का समय दिया था, राज्य सिंचाई मंत्री से निवेदन किया था उन्होंने 1 मई, 1981 का समय दिया था कि चलकर आजमगढ़ के बाढ़ क्षेत्रों को देखें जहां पर सबसे ज्यादा जलभराव की स्थिति है। मैं यह नहीं कहता की सरकार की ओर से कुछ नहीं हो रहा है, बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन जितना होना चाहिए, हमारी गरीबी और पिछड़ेपन का ख्याल करके, उतना नहीं हो रहा है। हम बहुत कमजोर हैं हम थोड़ी सी बाढ़ की थोड़ी सी परेशानी को बर्दास्त नहीं कर पाते, हम परेशान हो जाते हैं। जब कि अन्य जगहों पर लोगों के पास साधन हैं वह इसको सह लेते हैं। इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार से आश्वासन चाहता हूं कि बाढ़ से निपटने के लिए पूरी व्यवस्था पहले करें।

कटाव होने से पहले आपको जो कुछ करना है, करें। मैंने बीबीपुर के बांध के बारे में कहा था कि निश्चित रूप से इस कटाव को रोका जा सकता है, एक बन्डाल बनाकर। जब आख्या के लिए गया तो सिंचाई विभाग के अधिकारी बंडाल शब्द का अर्थ ही नहीं समझ सके। और वहां पर बंडाल के बजाय बांध प्रस्तावित कर दिया। बीबीपुर को बंडाल बनाकर बाढ़ से बचाया जा सकता था। लेकिन इंजीनियर साहब को कमीशन ज्यादा मिले, अर्थवर्क ज्यादा हो, इसके लिए बजट ज्यादा एलाट हो, उसको बढ़ाकर गौरीपुर तक कर दिया। वह मेरा क्षेत्र है मैं जनता हूं मेरी राय ली जाय, जो काम उचित हो वही हो। जनता का पैसा बिला वजह न खर्च किया जाय। माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया।

श्री उपाध्यक्ष--

पूर्व निश्चय के अनुसार इस पर बहस 4-40 तक चलनी थी लेकिन मैं देख रहा हूं कि सदस्यों को जिज्ञासा बहुत है, इसलिए इसका समय बढ़ाकर 5 बजे तक कर रहा हूं।

(सिंचाई मंत्री को पुकारे जाने पर)

श्री जसवन्त सिंह विष्ट--

आप हम लोगों को सुन लीजिये।

श्री उपाध्यक्ष--

अब हमने सिंचाई मंत्री को बुला लिया है आप घबड़ाइये नहीं। आपकी भावना को देखते हुए उनको बुलाया है।

*सिंचाई मंत्री (श्री वीर बहादुर सिंह)--

मान्यवर, अभी जो आज बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई है इसके सम्बन्ध में माननीय सदस्यगण ने अपने-अपने विचार व्यक्त किये हैं। मान्यवर, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं कि इस वर्ष बाढ़ के सम्बन्ध में मार्च, अप्रैल के महीने में पूरी तैयारी कर ली गयी थी और कहीं पर बोल्डर, कहीं पर बल्लियां, कहीं पर बोरियां और कहीं पर बालू की जरूरत के अनुसार व्यवस्था कर ली गयी थी। लेकिन कटान की जब परिस्थिति पैदा हो जाती है तो उसको देखने की विशेष जरूरत होती है।

मान्यवर, आप जानते हैं कि नदियां अपना नेचुरल कोर्स बदलती रहती हैं और कटान से हमारे प्रदेश में हजारों गांव, जो नदियों के किनारे बसे हैं, उनको बचाने की समस्या हमारे सामने पैदा हो जाती है कि उनको बचाने के लिए क्या करें। मान्यवर, आप जानते हैं कि एक गांव को कटान से बचाने के लिए लाखों रुपये खर्च करना पड़ता है और आये दिन उस पर कोई न कोई मरम्मत के कार्य पर पैसा खर्च करना पड़ता है। इसलिए प्रदेश में जो हजारों गांव बाढ़ से कट रहे हैं उनको बचाने के लिए करोड़ों रुपये की जरूरत है तो मान्यवर, हमारे पास इतने रिसोर्सेज नहीं हैं कि जो माननीय सदस्य कह रहे हैं कि हमारा गांव कट गया और बचाया नहीं गया, तो हम मजबूर हैं क्योंकि उसके लिए सैकड़ों रुपयों की जरूरत होगी। इसलिए जो हमारे पास साधन हैं उसके अनुसार हम काम करते हैं।

मान्यवर, इस साल जो बाढ़ आयी जिसको आपने देखा होगा कि जहां प्रकोप नहीं हुआ जैसे आगरा, मैनपुरी, अलीगढ़, मथुरा इन जिलों में जून 29-30 को 50 मिलीमीटर वर्षा होती थी जबकि यहां 395 मिलीमीटर वर्षा इस साल हुई, मैनपुरी में 55 मिली मीटर के स्थान पर 259 मिली मीटर वर्षा हुई, तो इतनी बारिश होने पर पानी कहां जायेगा? और जो डेवलपमेन्ट के काम जैसे नहरों का काम, सड़कों का काम जो हो रहे हैं उनसे अवरोध पैदा होता है और जो नेचुरल कोर्स पानी बहने का है उसमें रुकावट पैदा होती है। इसलिए जलप्लावन की समस्या पैदा हो गयी है। इसलिए जल निकासी के लिए पूरे प्रदेश का एक मास्टर प्लान बनाया जा रहा है, हर जिले में, पानी निकालने के लिए। उसमें देखेंगे कि प्रायरिटी बेसिस पर, जैसा माननीय सदस्यों ने कहा है कि वहां जल निकल सके और पानी से डूबी जमीन को बचाया जा सके, इस तरफ हम काम करने जा रहे हैं।

मान्यवर, आपने देखा होगा कि तराई क्षेत्र के जो माननीय सदस्य परेशान हो रहे हैं तो वास्तव में परेशानी की बात है कि बाढ़ आयी जिससे गोंडा, बस्ती, गोरखपुर, देवरिया, बाराबंकी आदि ऐसे जिले हैं जहां एक बार वर्षा हुई तो राप्ती में पानी भर गया, बलरामपुर में 2-3 दिन में 280 मिली मीटर वर्षा हुई, इसी प्रकार बांसी में 181 मिली मीटर वर्षा हुई जिससे राप्ती नदी और बूढ़ी राप्ती, घाघरा नदियों का कैचमेन्ट एरिया जो है वहां हजारों गांव पानी में डूब गये। नेपाल में बारिश हुई तो उसका सारा पानी राप्ती, बूढ़ी

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

राप्ती में आ गया, उसके कारण जो अब तक रेकर्ड 100 वर्ष का था वह टूट गया कि इतना पानी अभी तक 100 वर्षों में नहीं आया था। लेकिन आज वह सारा रिकार्ड टूट गया है।

श्री उपाध्यक्ष--

जरा गंडक के ऊपर भी प्रकाश डाल दीजियेगा।

श्री वीर बहादुर सिंह--

तो मान्यवर, जो दैवी प्रकोप है उसको हम नहीं रोक सकते हैं। जो हमारे अधिकार में है हम उसको करने की तैयारी करते हैं और उसके अनुसार काम करते हैं। जो यह कहा गया कि सरकार की लापरवाही है, सिंचाई विभाग की लापरवाही है या किसी की गलती से ऐसा हो गया, यह सही नहीं है।

हमारे प्रदेश में गंगा, यमुना, घाघरा और गंडक जैसी बड़ी-बड़ी नदियां हैं लेकिन उनसे नुकसान नहीं हुआ जो एरिया हमेशा उनके पानी से डूबता है वही डूबा लेकिन कोई बंधा नहीं टूटा। गंडक जो बहुत बड़ी नदी है जिसके लिये हम परेशान रहते हैं उसमें बाढ़ नहीं आती। लेकिन जो छोटी-छोटी नदियां हैं उनसे बहुत बड़ा संकट पैदा हो गया। बहराइच, गोरखपुर, बस्ती, गोंडा आदि जिलों में बाढ़ से नुकसान हुआ है। विशेषकर गोरखपुर तथा बस्ती की हालत बहुत खराब हो गयी। हमारे मुख्य मंत्री वहां गये थे, मैं स्वयं गया था, सारे लोग गये थे वहां पर सारे सरकारी अधिकारी उसमें लगे हुये हैं।

एक सदस्य--

आपके जाने से बाढ़ कम नहीं हुई?

श्री वीर बहादुर सिंह--

मैंने कब कहा कि मेरे जाने से बाढ़ कम हो गयी लेकिन वहां लोगों को सांत्वना मिलती है। आप भी जायें और लोगों का सहयोग करें। अभी हमारे मारकन्डेय चन्द ने कहा कि इसमें लापरवाही बरती गयी, तो यह बिलकुल निराधार है। यह इतनी बड़ी आपदा आयी जिसकी हम कल्पना नहीं कर सके।

श्री मारकन्डेय चन्द--

मान्यवर, अगर जांच की जाय और लापरवाही न पायी जाय तो मैं सदन से इस्तीफा दे दूंगा। आपके विभाग की लापरवाही है। पत्थर और बोल्डर का प्रयोग नहीं किया गया है। आप जांच कराइये।

श्री वीर बहादुर सिंह--

मान्यवर, उस गांव के बचाने के बारे में यह बात करते हैं। मैंने पहले ही कह दिया कि जितने साधन हैं उसके हिसाब से हम काम कर रहे हैं। आप कोई टेक्निकल व्यक्ति नहीं हैं कि क्या होना चाहिये और क्या नहीं होना चाहिये। फैक्ट यह है कि वहां पर बोल्डर रखे गये लेकिन अगर बहुत ज्यादा पानी आ जाय तो बहेंगे ही मान्यवर, हमने कह रखा है कि जो बाढ़ सम्बन्धी काम होंगे वह मई के महीने में पूरे हो जायेंगे ताकि यह कहने का मौका न मिले कि बाढ़ के लिये समय

[श्री बीर बहादुर सिंह—]

से काम नहीं किया गया। लेकिन कटान की जहां तक बात है तो जो कटान हो जायगा उसके लिये कार्य करना पड़ेगा और जो साधन होंगे वह किया जायगा।

आपने देखा होगा कि गोरखपुर में माधवपुर बांध में सीपेज हो रहा था तो उसके लिये कितनी मेहनत की गयी। उसमें सिंचाई विभाग के लोग लगे, स्थानीय अधिकारी और जनता लगी और सारे लोगों की मदद से वह बांध बचाया जा सका। लेकिन आप जानते हैं कि जब ऐसा कटान हो जाता है तो कंट्रोल के बाहर होता है उसके लिये हम किसी को दोष दें, ऐसी बात नहीं है। हमारे अधिकारी काम में लगे हैं। मैं कह सकता हूं कि प्रदेश के सारे अधिकारी बाढ़ के काम में एलर्ट हैं। जाफरी साहब ने ठोकर लगाने की बात कही तो मैं प्रयास करूंगा कि जहां-जहां ठोकर लगाने की बात है वह लगाये जायं। जो भी काम हम करते हैं उसको पहले टी० ए० सी० एप्रूव करती है। टी० ए० सी० का जब एप्रूवल हो जायगा तो जो हमारे साधन हैं उसके अनुसार हम काम करने की कोशिश करेंगे।

मान्यवर, धोसी, डुमरिया गंज, बांसी, नौगढ़, तराई का एरिया है। सारा एरिया तराई का इसमें डूबा हुआ है।

श्री रुद्र प्रताप सिंह—

मान्यवर, आपको सहायता चाहता हूं। माननीय मंत्री जी गलत बयानी कर रहे हैं। हमारे देवरिया क्षेत्र के महुवी और मुडेरा गांवों में एक ठोकर बनवाने की बात पिछले वर्ष कही थी और उसके जांच के लिए एस० डी० एम० को कहा भी गया था, परन्तु आज तक वह ठोकर नहीं बनायी गयी, जिसके कारण महुवी गांव के 4 मकान पिछले वर्ष ढह गये थे और इस वर्ष भी 4 मकान गिरे।

श्री वीर बहादुर सिंह—

माननीय सदस्य जैसा कह रहे हैं, उसको दिखवा लेंगे और जैसा भी उचित होगा, उसके अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

और कुछ माननीय सदस्यों ने बताया कि घाघरा में कटान शुरू हो गयी है, बात उनकी सही है, कटान कई स्थानों पर हो रहे हैं और बहुत से माननीय सदस्यों ने जो सुझाव दिये हैं, वह बहुत ही कीमती हैं। राहत कार्य के बारे में सभी प्रयास जारी हैं। माननीय मुख्य मंत्री जी ने कई बार कहा कि रिलीफ के काम में पैसे की कमी किसी भी हालत में नहीं आनी चाहिये, जहां पर जैसी जरूरत होगी, हम देंगे, लेकिन इस सम्बन्ध में किसी प्रकार की कमी को बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसलिए इस ओर हर प्रकार के प्रयास जारी हैं, सारी संस्थाएं व जनता के लोग भी हमारे साथ हैं और मैं जनता के प्रतिनिधियों से भी अनुरोध करूंगा कि वे भी, चाहे वह किसी भी पार्टी के हों, किसी भी दल से सम्बन्धित हों, इसमें हमारी सहायता करें, ताकि जो हम काम करें, उसको भी देखें और इससे एक फायदा यह भी होगा कि आज जो शिकायतें आ रही हैं, वह नहीं आयेंगी।

मान्यवर, बाढ़ की विभीषिका जो हमारे सामने हर वर्ष खड़ी रहती है, वह नेपाल की ओर से पानी आ जाने के कारण है, अब यदि नेपाल से जब तक बात नहीं हो जायेगी, और कोई सल्यूशन नहीं निकलेगा, तब तक यही पोजीशन

हमारे और आपके सामने बनी रहेगी । हमें खुशी है कि इस सम्बन्ध में नेपाल से बातचीत प्रारम्भ हो गयी है और पंचेश्वर का मामला तो हल भी हो गया है और इस पर कार्य भी प्रारम्भ किया जा चुका है । करनाली और नल कुंड पर अभी बात नहीं हुयी है ।

साथ ही साथ गढ़वाल में जो गंगा पर किसान पोटली घाट बन रहा है, इसलिए सोचा जा रहा है कि पहाड़ के पानी का सिंचाई में इस्तेमाल हो, बिजली बनायी जाए और बाढ़ को रोकने का प्रयास भी इन्हीं नदियों द्वारा किया जाए। इस प्रकार चारों तरफ से हमारे प्रयास जारी हैं, सरकार का हर अंग पूरी तरह से इस ओर एलर्ट है । हमारे प्रदेश की 24.6 लाख हेक्टेयर भूमि प्रभावित हुयी थी पंचवर्षीय योजना में और इस पर हमने एक करोड़ 20 लाख रु0 खर्च भी किया था और इस प्रकार इस प्रयास के कारण हम 11.6 लाख रु0 के नुकसान से प्रदेश को बचा सके और इस छठी पंच वर्षीय योजना में हम 134 करोड़ रु0 खर्च कर रहे हैं, जिससे 4 लाख हेक्टेयर भूमि बच सकेगी। तो मान्यवर, हम चल रहे हैं इस दिशा में और कोशिश कर रहे हैं कि बाढ़ से निपटने का कोई न कोई रास्ता खोजें ।

आज जो बाढ़ की स्थिति है तो बाढ़ गत वर्ष 48 जिलों में आयी थी जबकि इस साल 35 जिलों में आयी है । बाढ़ से भी बड़ी समस्या यह हुई कि ज्यादा वर्षा होने से 'वाटर लागिंग' की समस्या जो पैदा हुई घाघर, राप्ती, बूढ़ी राप्ती, रोहिन नदियों के पानी से उससे ज्यादा एरिया प्रभावित हुआ काफी मकान गिरे और मुसीबत पैदा हुई । माननीय सदस्यों का यह कहना सही है कि वहां पर जानवरों के लिये चारे की कोई व्यवस्था नहीं है । राज्य सरकार जानवरों के लिये भूसे इत्यादि के लिये व्यवस्था करने जा रही है ।

श्री उपाध्यक्ष--

आप अपने को बाढ़ तक ही सीमित रखें, राहत कार्य के लिये राहत कार्य मन्त्री बतायेंगे ही ।

श्री वीर बहादुर सिंह--

तो मान्यवर, हमारे सारे अधिकारी इस काम में लगे हुए हैं ।

श्री जटा शंकर सिंह--

मान्यवर, इस चर्चा में जिन माननीय सदस्यों ने ..

श्री माता प्रसाद पाण्डेय--

[× × ×]

श्री उपाध्यक्ष--

आप जो कुछ भी बोल रहे हैं बिना इजाजत के बोल रहे हैं यह लिखा नहीं जायगा ।

(श्री माता प्रसाद पान्डेय सदन त्याग कर चले गये)

नोट--[× × ×] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री जटाशंकर सिंह--

मान्यवर, जिन माननीय सदस्यों ने इस चर्चा में भाग लिया मैं उनके प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं और साथ ही साथ एक बात से यह पूरा सदन सहमत है कि बाढ़ से निपटने के लिये पूर्व की जो व्यवस्था थी वह पर्याप्त नहीं थी। सरकार के बार-बार घोषणा करने पर भी कि हम पूरे तौर से तैयार हैं, बाढ़ से निपटने के लिये यह तथ्य सामने आया कि समय-समय पर माननीय सदस्यों ने जो-जो सुझाव दिये उन पर भी अमल करने का प्रयास नहीं किया गया।

आज मास्टर प्लान बनाने की बात कही जा रही है। यह प्लान तो बहुत पहले बनना चाहिये था, इस पर अमल होना चाहिये था। खैर यह आ गया है तो हम आशा करेंगे कि इस पर तत्परता से कार्यवाही करेंगे। राहत कार्य दो खंडों में होता है--एक तो राहत कार्य के अन्दर उपलब्ध कराई जाने वाली सामग्री को इकट्ठा करना, उसे मुहैया करना और दूसरे राहत कार्य को प्रभावित स्थानों तक पहुंचाना। प्रथम अंश में भी ये कमजोर रहे हैं और पर्याप्त साधन नहीं पहुंचवाया। मेरे क्षेत्र में 1 लाख 70 हजार 289 हेक्टेयर भूमि प्रभावित हुई। इस व्यापक तबाही में जो राहत पहुंचाई गयी वह ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर थी।

दूसरी बात सामग्री आप चाहें जहां तक भी उपलब्ध कर दें लेकिन अगर प्रभावित लोगों तक पहुंचा नहीं पाते हैं तो सारा ताल ठोंकना व्यर्थ हो जायेगा। इस सम्बन्ध में भी कोई प्रभावी व्यवस्था नहीं है, नाव का सर्वथा अभाव है। बाढ़ में डूबे प्रदेश में जाने का एक ही साधन है--नाव द्वारा, या फिर माननीय सिंचाई मंत्री और मुख्य मंत्री की तरह हवा में उड़कर जायें। जैसी क्षमता उनमें होनी चाहिए वैसी नहीं थी और नाव की यह व्यवस्था नहीं कर सके। मेरे क्षेत्र में ऐसा हुआ है, उदाहरण के लिये आपके सामने रखना चाहूंगा।

(समय 5 बजे अपरान्ह)

ऐसा हुआ है कि जो राहत कार्य किये गये, उसमें राहत सामग्री गांव से 10-10 मील व 15-15 मील की दूरी पर रख ली गयी हैं और वहां से उन्हें ले जाने के लिये सूचना भेजी जाती है कि ले जाओ आ करके। उसे लेने आने वाले तीन व्यक्ति रास्ते में ही डूब गये हैं। यह बात यहां भी आयी है। जो राहत की सामग्री लेने आते हैं, लोग पानी के कारण उसी में डूब सकते हैं और कुछ डूब गये हैं। मैं आपके माध्यम से यह सूचना इनकी जानकारी में लाना चाहता हूं। वे लोग जो बाढ़ से ग्रस्त हैं किसी ऊंची जगह पर, ऊंची छतों पर बैठे हुए हैं और भूख से परेशान हैं, उनको राहत सामग्री पहुंचाने के लिए जिम्मेदारी आपकी है। अतः इसके लिए कोई विशेष व्यवस्था करने पर ध्यान दिया जाय, यह मेरी मांग है।

मान्यवर, चारे की बात कही जा रही है। चारे की व्यवस्था कहीं नहीं है जानवर भूख से मरे जा रहे हैं। इतने दिनों से अपना प्रदेश बाढ़ के विनाशकारी लीला से प्रभावित है। गांवों में लोगों के घर बह गये हैं। स्थिति यह है कि बाढ़ से बचे हुए लोगों को बैठने के लिये कहीं कोई ऊंचे स्थान का प्रबन्ध नहीं है।

मेरा अनुरोध है कि उनके जीवन की सुरक्षा के लिये 1-1 और 2-2 मील पर ऊंचे स्थानों का फ्लड पोस्ट बनवाया जाय ताकि जो तराई इलाके के लोग हैं, जहां निरन्तर बाढ़ आती रहती हैं, वो अपने जीवन की रक्षा ऊंचे स्थान पर बैठ कर कर सकें। इसके साथ ही मैं पुनः धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बाढ़ पर चर्चा का समय दिया।

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय राहत कार्य मंत्री जी, आप क्या राहत कार्य कर रहे हैं, यह लोग जरूर जानना चाहेंगे, इसलिये इस पर मैं पुनः आपसे बोलने की मांग करता हूं।

श्री राजेन्द्र सिंह--

माननीय उपाध्यक्ष जी, यह आपकी सद्भावना है कि आपने सदन का समय बराबर बढ़ाने की अनुमति दी है। जैसा कि श्री माता प्रसाद जी का प्रश्न है, गोरखपुर और बस्ती दो जिलों में ऐसा है कि जहां पर बाढ़ का भयंकर प्रभाव हुआ है। मेरा निवेदन है कि थोड़ा समय आप और बढ़ा दें और इन कुछ विधायकों को सुन लेंगे तो उनकी भावना को जो आघात पहुंचा है, वह दूर हो जायेगा। ऐसा मेरा निवेदन है।

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय नेता विरोधी दल, प्रक्रिया नियमावली के नियम 53 में जहां तक मुझको समय बढ़ाने का अधिकार था, मैंने उसमें पूर्णरूपेण पालन किया है। इसके बाद आपकी बनाई हुई नियमावली मुझको प्रतिबन्धित करती हैं, फिर भी मैं 5 मिनट का समय बढ़ाये देता हूं।

श्री बैजनाथ कुरील--

मान्यवर, इसमें कोई शक नहीं कि प्रदेश में बाढ़ का भयंकर प्रकोप हुआ है। माननीय सदस्यों ने जो अपने विचार यहां रखे हैं उससे स्पष्ट होता है और जहां तक मुझे जानकारी है उसके अनुसार अतिवृष्टि एवं बाढ़ से प्रदेश में अब तक जिलों के कुल गांव 17,422 गांवों को, 1,19,53,641 जनसंख्या प्रभावित हुई है। इन जनपदों का 24,68020 हेक्टेयर क्षेत्रफल प्रभावित हुआ है जिसमें 11,88,888 हेक्टेयर कृषि क्षेत्रफल शामिल है। 1,51,355 मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं तथा 329 व्यक्तियों एवं 692 मवेशियों की मृत्यु हुई है। इन 329 व्यक्तियों में 264 व्यक्तियों की मकान गिरने से 26 व्यक्तियों की बिजली गिरने से अथवा करेन्ट से 38 व्यक्तियों की डूबने से तथा एक व्यक्ति की भूस्खलन से मृत्यु हुई है।

38 व्यक्तियों की डूबने से मृत्यु हुई है। तो इस तरह से यह नुकसान हुआ है उसके लिए काफी प्रयास किया गया है कि वहां पर राहत कार्य किये जायें और उसके लिए पैसा भी भेजा गया है। अलीगढ़ में 17 लाख भेजा गया है। मथुरा में 51 लाख 50 हजार भेजा गया है, आगरा में 26 लाख 20 हजार, मैनपुरी में 59 लाख 20 हजार, गाजीपुर में 3 लाख 47 हजार, बलिया में 24 लाख 3 हजार, गोरखपुर में 93 लाख 20 हजार, आजमगढ़ में 13 लाख 20 हजार, फैजाबाद में 22 लाख 70 हजार, गोंडा में 88 लाख 20 हजार, बहराइच में 50 लाख 65 हजार। तो इस तरह से जो बाढ़ से ज्यादा प्रभावित जिले थे वहां पर यह भेजा गया है और कोशिश की गयी है कि वहां पर राहत तुरन्त पहुंचे।

[श्री बैजनाथ कुरील--]

मान्यवर, यह सही बात है कि बाढ़ एकदम से आई एकदम से आने पर सभी तरफ लोग दौड़ पड़े। इस पर माननीय सदस्यों को कुछ शिकायत हुई कि देर तक राहत या नांव नहीं पहुंची। मैं उससे इंकार नहीं करता, हजारों गांव में बाढ़ आ गयी, लोगों ने पूरी कोशिश की, उसमें कोई ढिलाई, लापरवाही नहीं की गयी लेकिन समस्या इतनी बड़ी थी कि दिक्कत हो गयी। मैं इंकार नहीं कर सकता। तो इस तरह से हुआ है। राहत का काम हो रहा है और आज तक साढ़े दस करोड़ रुपया भेजा जा चुका है और 20 लाख रुपया प्रधान मंत्री जी ने प्रधान मंत्री कोष से भेजा है, वह भी आवंटित कर दिया गया है और 10 करोड़ रुपया केन्द्र से आया है और 10 करोड़ रुपया हमारे प्रदेश शासन ने भी इसमें शामिल किया है। राहत का काम हो रहा है। केन्द्र से कृषि मंत्री जी आये थे, 14 अगस्त को दौरा किया, उसके बाद एक टेक्निकल टीम भी आयी थी जायजा लेने के लिए कि किस प्रकार का नुकसान हुआ है।

श्री जसवन्त सिंह विष्ट--

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि जो धनराशि दी गयी है जिनको वितरण करना है उनको कितना प्रतिशत दे रखा है ?

(व्यवधान)

श्री बैज नाथ कुरील--

उनसे फिर आग्रह किया गया है कि वे अपनी टेक्निकल टीम दोबारा भेजें ताकि पूरा जायजा मिल सके और जो हमने मांग की है सभी डिपार्टमेन्ट से 17 करोड़ की, की है क्योंकि जो नुकसान हो गया वह अब अन्दाज लगेगा कि कितने मकान गिर गये, कितने बांध टूट गये, कितनी सड़कें टूट गयीं। अभी माननीय सदस्यों ने कहा था कि, बहराइच में मकानों की क्षतिपूर्ति के लिए जो अनुदान दिया गया है, वह कम है। केवल अभी उसकी लिस्ट आदि बनेगी और पैसे की कमी नहीं होने पायेगी। दूसरी बात कही गयी कि अपर लिमिट की जाये तो माननीय मुख्य मंत्री जी ने स्वयं एनाउंस किया है कि जो घर पूरे गिर गये हैं, जिनको सहायता की आवश्यकता है, उससे वंचित नहीं रहेंगे।

विद्यार्थियों की बात आयी है। मैंने पहले दिन कहा है कि उनकी फीस माफ हो गयी और तहसीलदार खुद लिस्ट जिला निरीक्षण अधिकारी के पास भेज देंगे और उनको कोई सर्टीफिकेट भी नहीं देना पड़ेगा।

दूसरे आपने निर्देशित किया था कि सूखे के लिए भी कुछ कहूं तो यद्यपि प्रस्ताव में सूखे की बात नहीं है लेकिन जो राहत कार्य हो रहा है, जो सूखे से भी प्रभावित गांव हैं, जिले हैं वहां पर भी राहत कार्य किया जा रहा है और कोई भुखमरी का शिकार नहीं होने दिया जायेगा।

श्री जसवन्त सिंह विष्ट--

मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि जिनको यह पैसा बांटने का कार्य दिया जाता है उनको कितने प्रतिशत धन मिलता है ?

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय विष्ट जी, आप बिना आज्ञा के बोल रहे हैं। माननीय राहत कार्य मंत्री, आप सूखे के विषय में जरा और विस्तृत कह दें क्योंकि बहुत से लोग इससे सम्बन्धित हैं और बहुत जगहों पर सूखा पड़ा था इसलिए आप उसकी तरफ भी ध्यान आकृष्ट करा दें।

श्री बैजनाथ कुरील--

मान्यवर, यह शिकायत आई कि राहत का पैसा बांटते हैं तो यदि 50 रु0 दिया गया तो उसके आगे एक सिफर बढ़ा देते हैं जिससे 500 रु0 हो गया इसलिए अभी ऐसे आदेश भेजे गये हैं कि उसे अंकों में भी लिखेंगे और शब्दों में भी लिखेंगे ताकि किसी प्रकार की गड़बड़ी न होने पाये । वसूली वगैरह के बारे में मैंने पहले ही बता दिया था कि जो सूखे से प्रभावित जिले हैं, क्षेत्र हैं उनमें सहकारिता के जो देय हैं उनके लिए भी आदेश गये हैं कि वे स्थगित कर दिये जायं । जहां तक लगान की बात है उसे भी रेवेन्यू मैनुअल के तहत माफ करते हैं । जहां 10 आने से 12 आने तक की हानि होती है वहां पर 10 आने की माफी होती है । एक माननीय सदस्य ने कहा कि अभी स्थगित हो जायेगा और उसके बाद फिर तुरन्त वसूल होगा तो वह अभी तुरन्त तो नहीं वसूल होगा, जहां हानि हुई है और जहां से इस प्रकार की सूचना आयेगी वहां तो माफ ही होगा । जहां पर 10 आने 12 आने के हिसाब से नुकसान होता है वहां तो माफ ही होता है ।

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय राहत कार्य मंत्री, आप इसको भी सुनिश्चित कर लें कि पात्रता क्या है और जो पात्र हैं, सुनिश्चित रूप से उन तक सहायता पहुंच रही है या नहीं ।

श्री बैजनाथ कुरील--

मान्यवर, इसके लिए प्रयास किया जा रहा है कि जो पात्र व्यक्ति हैं और जिनको सहायता की जरूरत है उनको अब तक सहायता मिली या नहीं । मान्यवर, मैं आपके सामने यह बात रखना चाहता हूं कि बहुत से बड़े लोग ऐसे हैं जो राहत के नाम पर राहत कार्य का पैसा हाथ बढ़ाकर ले लेते हैं और जिनको आवश्यकता होती है उनको नहीं मिल पाता है, ऐसा मुझे देखने में आया और इससे मुझे बहुत कष्ट हुआ । लोगों ने जबरदस्ती अपने नाम लिखवाये और जो वास्तव में पात्र व्यक्ति थे वह छूट गये और जब इसकी जांच हुई तो पता चला कि वाकई जो मुखमरी के कगार पर थे वे पैसा नहीं पा सके और जिनके पास 20-30 बीघे जमीन थी उन लोगों को पैसा मिल गया इसीलिए इस बार हमने अभी पैसे पर हाथ नहीं लगाया ।

मान्यवर, आपके माध्यम से, माननीय सदन के माध्यम से, सदन के माननीय सदस्य के माध्यम से मैं उन लोगों तक यह बात पहुंचाना चाहता हूं कि यह पैसा जो पात्र व्यक्ति हैं उन्हीं को मिले और दूसरे लोग इसमें लपकने और इसको हड़पने की कोशिश न करें और बीच में किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी न होने पाये । इसके लिए एक राजस्व परिषद् की टीम भी भेज दी गई है, वह अपना जायजा अलग से ले रही है कि राहत का कार्य ठीक से हो रहा है या नहीं तो मान्यवर, इस तरह से हम सुनिश्चित करेंगे कि जो पात्र व्यक्ति हैं उन्हीं को सहायता मिले और दूसरे व्यक्तियों को न मिलने पाये ।

श्री राजेन्द्र सिंह--

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय राजस्व मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि आपका जो निर्देश देयों की वसूली के बारे में गया है कि जहां 50 प्रतिशत या उससे अधिक नुकसान हुआ हो वहां वसूली स्थगित कर दी जाय ।

[श्री राजेन्द्र सिंह--]

लेकिन ऐसा भी हुआ है, मैं दो जनपदों के बारे में जानता हूं कि जहां पहली तेज बारिश में ही जल भराव के कारण बहुत से खेतों की बोवाई नहीं हो सकी थी। जब बोवाई ही नहीं हुई तो 50 प्रतिशत नुकसान का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता, वहां तो 100 प्रतिशत नुकसान है। तो आप स्पष्ट आदेश देने की कृपा करें कि जहां-जहां पहली बारिश में जल भराव की वजह से खेतों की बोवाई नहीं हो सकी है, उनके देयों की वसूली भी स्थगित कर दी जाय।

श्री बैजनाथ कुरील--

मैं तो नुकसान की बात कर रहा था। अगर खेत में बीज पड़ा ही नहीं बारिश या सूखे के कारण तो वह भी नुकसान ही माना जायेगा।

श्री राजेन्द्र सिंह--

ऐसा है राजस्व मंत्री जी, जब मैं अलीगढ़ जनपद में गया था तो वहां के एस0 डी0 एम0 से मेरी बातचीत हुई थी। उन्होंने कहा कि इस तरह का कोई आदेश हमारे पास नहीं आया है। हो सकता है कि वह समझने में गलती कर रहा हो, इसलिए आपकी तरफ से इस सम्बन्ध में स्पष्ट आदेश चले जाना चाहिए। आप ठीक समझते हैं लेकिन आपका अधिकारी ठीक नहीं समझता है तो आपको चाहिए कि उसके पास अपना ऐसा आदेश पुनः भेज दें।

श्री बैजनाथ कुरील--

इसको सुनिश्चित कर लिया जायेगा और दोबारा आदेश भेज दिया जायेगा।

श्री भीखालाल--

उपाध्यक्ष जी, माननीय नेता विरोधी दल ने जो प्रश्न उठाया है वह बहुत महत्वपूर्ण है। रेवेन्यू मैनुअल में जिस आधार पर छूट है उसी आधार पर ही लेखपाल खेत की फसल को देख कर कि इसमें कितना नुकसान हुआ, मूल्यांकन करता है कि 10 आने या 12 आने नुकसान हुआ है। रेवेन्यू मैनुअल में कहा गया है कि खेत पर जाकर फसल को देख कर ही नुकसान का मूल्यांकन होना चाहिये। इसके लिये आपका उनको स्पेसिफिक आदेश होना चाहिये वरना एस0 डी0 ओ0 या लेखपाल उसका पालन नहीं कर सकते।

श्री हेम चन्द्र निमेष--

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने सूखे के बारे में नहीं बतलाया। प्रदेश का बहुत बड़ा भाग सूखे से पीड़ित है।

श्री बैजनाथ कुरील--

अगर सूखे या पानी भराव के कारण खेत नहीं बोये गये तो उनको भी नुकसान माना जायेगा और उसके लिए आदेश चले गये हैं।

विधान सभा सदस्य, श्री राधेश्याम पटेल की पिटाई से सम्बन्धित इलाहाबाद की घटना पर वक्तव्य

(समय सायं 5 बजकर 20 मिनट)

श्री उपाध्यक्ष--

इसके पहले कि मैं मद 19 लूं, माननीय मुख्य मंत्री जी ने कल, इलाहाबाद में हुई घटना के सम्बन्ध में वहां से सूचना मंगाकर सदन को देने को कहा

था, मैं उम्मीद करता हूं कि शान्ति और व्यवस्था पर बहस के पहले वे अपनी सूचना देंगे ।

गृह राज्य मंत्री (श्री राजेन्द्र त्रिपाठी)—

मान्यवर, कल आदरणीय सदन के सामने माननीय सदस्य राधेश्याम पटेल के घायल होने के सम्बन्ध में चर्चा हुई थी और इस माननीय सदन के सम्मान को ध्यान में रखते हुए अपराध अनुसंधान शाखा के डी0 आई0 जी0 रैंक के एक अधिकारी को तत्काल जांच के लिए वहां भेजा गया और यहां से उनको स्पष्ट निर्देश किया गया कि वे अपनी अन्तरिम जांच रिपोर्ट आज 12 बजे के पूर्व तक, जो भी कर चुके, वे दे दें ।

(व्यवधान)

मान्यवर, आपके पीठ से ही निर्देश हुआ है और माननीय मुख्य मंत्री जी ने सदन और दूसरे माननीय सदस्यों के सम्मान का ध्यान में रखते हुये अपराध अनुसंधान शाखा के एक डी0 आई0 जी0 रैंक के अधिकारी और एक टीम को इस घटना का विस्तृत जानकारी लाने के लिए भेजा था ।

श्री उपाध्यक्ष—

इस सम्बन्ध में जो जानकारी आई हो वह मुख्य मंत्री जी बतला दें ।

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी—

मैं वही जानकारी दे रहा हूं । अन्तरिम रिपोर्ट अब तक जांच की आ जानी चाहिये थी, जो जानकारी अब तक आई है वह मैं आपके समक्ष और इस माननीय सदन के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं । जांच के पश्चात् जानकारी में यह आया है कि साढ़े 8 बजे 19-9-81 को माननीय राधेश्याम पटेल ने एक लिखित रिपोर्ट नैनी थाने में दर्ज कराई थी । जिसमें उन्होंने ये जो धारायें थीं 147, 148, 323, 379 इनके अन्तर्गत दर्ज कराई....

(व्यवधान)

मेरे पास एफ0 आई0 आर0 की कापी उपलब्ध है अगर आप कहते हैं तो...

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

व्यवस्था का प्रश्न है...

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय संसदीय कार्य मंत्री, अपने लोगों को संयमित करें।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)—

मुझे खेद है । अब ऐसा नहीं होगा ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

आपको स्मरण होगा जिस संदर्भ पर अपराध अनुसंधान शाखा के अधिकारी भेजे गये थे उनको यह सुनिश्चित करना था कि अपराध मिनिमाइज तो नहीं किया गया इस पर हमें उत्तर चाहिये । 223, 325 में कनवर्ट क्यों नहीं किया गया जब मेडिकल रिपोर्ट आपके सामने आ गई ?

श्री उपाध्यक्ष—

यह प्रश्न तब आयेगा जब उनका पूरा बयान सामने आ जायेगा । अभी तक उन्होंने दो लाइन पढ़ी हैं । आवश्यक होगा तो प्रश्न उठा सकते हैं ।

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी—

मान्यवर, माननीय सदस्य व्यग्र हो गये । शायद उनका बिन्दु इस जांच में न आये । जांच तो अन्तरिम हुई है । बिन्दु नहीं आया होगा तो वह आ जायगा । सुन तो लें । मान्यवर, एफ0 आई0 आर0 जो उन्होंने अपनी ओर से दर्ज कराई है उसके मुताबिक जो भी चीजें उन्होंने लिखी हैं उसमें कहीं इस शब्द का प्रयोग नहीं किया कि उनका कोई अंग टूट गया है । चोट लगी उन्होंने लिखा है और चोट लगने पर सामान्य तौर पर जो धारा दर्ज होती है वह 323 की होती है । उसके बाद कल 21 तारीख...

(व्यवधान)

आप सुन तो लें...

(व्यवधान)

कल 21 तारीख को जब डाक्टरी रिपोर्ट पहुंची इलाहाबाद मेडिकल कालेज से तो उसको एक्सरे रिपोर्ट के आधार पर 325 में परिवर्तित कर लिया गया ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय मंत्री जो बात न करके अपना बयान पढ़ें तो ज्यादा अच्छा है ।

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी—

मान्यवर, प्राथमिक जांच से विदित हुआ है कि माननीय सदस्य श्री राधे श्याम पटेल ने 19 सितम्बर 1981 को रात्रि में साढ़े आठ बजे नैनी में लिखित रिपोर्ट दर्ज कराई, जो धारा 147, 148 323, 379 भारतीय दन्ड विधान के अन्तर्गत पंजीकृत हुई । दूसरी रिपोर्ट बन्दी रक्षक श्री मिथिलेश कुमार द्वारा रात्रि में सवा दस बजे दर्ज कराई गई जो धारा 147, 148, 323, 353, 332, 379 भारतीय दन्ड विधान के अन्तर्गत पंजीकृत हुआ । स्थानीय पुलिस द्वारा विवेचना प्रारम्भ कर दी गई और 21-9-81 के अपराह्न में पहली एफ0 आई0 आर0 में धारा 323 धारा 325 में परिवर्तित कर दी गई ।

अपराध अनुसंधान विभाग द्वारा, उपलब्ध अल्प समय में सर्वश्री हरीश चन्द्र, मोहन लाल, राम नरेश, बरकत उल्लाह से पूछताछ की गई । जानकारी में आया है कि सत्याग्रहियों में से 17 व्यक्तियों का उपचार हुआ । उनमें से

दो सज्जन मोती लाल नेहरू अस्पताल में भर्ती हैं और माननीय विधायक श्री पटेल बलरामपुर अस्पताल में भर्ती हैं । शेष व्यक्ति प्रारम्भिक उपचार के बाद चले गये थे । दूसरे पक्ष की ओर से श्री मिथिलेश कुमार, बन्दी रक्षक से, जिले के कुछ कर्मचारियों और स्थानीय पुलिस से पूछ ताछ की गई । विदित हुआ कि घटना 7 बजे शाम को जेल से यमुना के पुल की तरफ जाने के रास्ते पर हुई थी और उसमें माननीय विधायक श्री पटेल और उनके कुछ साथी घायल हुए । विभिन्न पक्षों का पूर्ण समर्थन अभी तक किये गये पूछ तांछ से नहीं मिला है और आंशिक रूप से ही यह तथ्य विदित हुई हैं । अपराध अनुसंधान विभाग द्वारा बातचीत चल रही है । विस्तृत रिपोर्ट के आने पर कार्यवाही की जायगी ।

*श्री राजेन्द्र सिंह--

श्रीमन्, कल की घटना के सम्बन्ध में आपको भी याद होगा, आप भी मौजूद थे, मुख्य मन्त्री जी ने कहा था, अध्यक्ष जी के कक्ष में बातचीत हुई थी । गृह मन्त्री जी बैठे हुये हैं वे मौजूद थे, गृह राज्य मन्त्री उपस्थित नहीं थे । दो प्रश्नों पर रिपोर्ट देने के बारे में कहा गया था । एक तो यह था कि अपराध को क्यों मिनिमाइज किया गया और दूसरा यह था कि दूसरे अन्य कौन-कौन व्यक्ति इसमें दोषी हैं उनके बारे में आइडेन्टिफिकेशन के बारे में पूछा गया था । जो वक्तव्य इस समय माननीय राज्य मन्त्री ने दिया उसमें उन दोनों बातों का कोई पालन नहीं किया है और यह नहीं कहा है कि ऐसा क्यों किया गया ।

श्रीमन्, 19 तारीख को यह घटना घटी । 21 तारीख को सदन में हंगामा मचा कि धारा परिवर्तित कर दी गई । यह 21 तारीख को कहा गया । यदि इससे पहले कहा गया होता तब भी हम मान सकते थे कि उन्होंने अपने आप कर लिया । यह तो वहां की डायरी से पता चल जायेगा । अगर मन्त्री जी के पास उस दिन की डायरी हो, तो वह बता दें । वे उसे बता दें तो मुझे संतोष हो जायेगा । पुलिस ने केस को मिनिमाइज किया है । कल कोई ऐक्शन नहीं लिया गया । अगर ऐक्शन लिया गया होता तो कल जो घटना सदन में घटी, वह न घटित होती । अगर सत्ता पक्ष ने निष्पक्षता और ईमानदारी से कार्य किया होता तो यह घटना न घटित होती ।

श्रीमन्, साफ जाहिर है कि सत्ता पक्ष ने उन व्यक्तियों को जो अपराधी प्रवृति के हैं जिन्होंने विधायक के साथ इस तरह का व्यवहार किया है, उनको मदद पोटा है, अपराध को मिनिमाइज किया है, स्पष्टतया उनका पक्ष ये ले रहे हैं । मान्यवर, आप उनसे यह कहें कि उसके सम्बन्ध में स्थिति से अवगत करायें । तब तक हम चाहते हैं कि सदन को स्थगित आप करायें । कल जब पूरी स्थिति सदन के सामने आ जायेगी तब आगे की कार्यवाही शुरू की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष--

इसके साथ ही साथ ला एन्ड आर्डर के बारे में भी बोल लें ।

श्री राजेन्द्र सिंह--

कोई फायदा नहीं है उसके बारे में बोलने पर । आज यहां पर ला एन्ड आर्डर बिलकुल रह नहीं गया है । जिस व्यक्ति को कल पूरे सदन के विधायकों

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री राजेन्द्र सिंह--]

ने देखा, पीठासीन अधिकारी ने देखा कि उसकी क्या हालत है और फिर उसके सम्बन्ध म इस तरह के वक्तव्य गृह मन्त्री देते हैं तो उस प्रदेश की ला एन्ड आर्डर की क्या स्थिति होगी, इसका अन्दाज सहज ही लगाया जा सकता है। ला एन्ड आर्डर हम किसके लिए चाहते हैं। विधायक जैसे व्यक्ति के साथ जो कि जनता को रिप्रिजेन्ट करता है उसके साथ ऐसा अभद्र व्यवहार किया जाय तो आम जनता की ला एन्ड आर्डर की क्या स्थिति होगी। मैं इस सरकार की घोर निन्दा करता हूं। यह सरकार ला एन्ड आर्डर मेंटेन करने के लिए बिलकुल अक्षम है। मैं यही कहना चाहता हूं।

(व्यवधान)

(लोकदल जिन्दाबाद के नारे लगाने पर)

(घोर व्यवधान श्री दलगंजन सिंह, श्री रुद्र प्रताप सिंह आदि बीच में आकर नारे लगाने लगे)

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी--

मान्यवर, मुद्दई सुस्त गवाह चुस्त, जो प्रभावित व्यक्ति है उसने कहीं नहीं कहा है कि मेरा पैर या हाथ टूटा है।

(व्यवधान)

श्री दलगंजन सिंह--

मान्यवर, इस तरह नहीं चलेगा।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष --

आप लोग पहले अपने स्थान पर विराजें आप लोग पहले अपने नेता का कहना मानें।

(व्यवधान)

श्री दलगंजन सिंह--

हमें निकलवा दें ताकि जो घटना कल हुई न होने पाये।

श्री उपाध्यक्ष --

माननीय गृह राज्य मन्त्री आप क्या कह रहे थे, कहें।

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी--

मैं निवेदन कर रहा था आपके माध्यम से कि माननीय नेता विरोधी दल जिस तरह से माननीय नेता सदन जिम्मेदार हैं सदन के प्रति उसी तरह से माननीय नेता विरोधी दल भी प्रजातांत्रिक मान्यताओं के बराबर रक्षक हैं मैं

(व्यवधान)

कह रहा था कि दो बिन्दुओं को उन्होंने उठाया था एक बिन्दु यह था कि अपराध को मिनिमाइज किया गया। मेरा निवेदन आपके माध्यम से है कि अगर

आप आज्ञा दें तो मैं एफ0 आई0 आर0 पढ़ दूं उससे आप ही स्वयं निर्णय निकाल लेंगे कि अपराध मिनिमाइज हुआ या नहीं। माननीय सदन में सम्मानित सदस्य बहुत ही जिम्मेदार और वरिष्ठ हैं, प्रजातन्त्र के प्रति जागरूक हैं वह जो रिपोर्ट लिखाये हैं उसमें कहीं शिकायत नहीं की उन्होंने जो रिपोर्ट लिखाई

(व्यवधान)

है उसमें लिखा है चोट आई है। तो चोट लिखने में जो धारा दर्ज की जाती है वह दर्ज की गई।

(व्यवधान)

श्री प्रभाकर नाथ द्विवेदी--

इस तरह से यह यहां अव्यवस्था फैला रहे हैं। इसी तरह नैनी जेल में अव्यवस्था फैलाई होगी, अब यहां हाऊस के अन्दर अव्यवस्था फैला रहे हैं।

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी--

मैं आपके माध्यम से अपना संरक्षण भी चाहता हूं। मैं जब अपनी बात कह रहा हूं तो वह बीच में बाधा उपस्थित कर रहे हैं और मेरे उस तारतम्य को रोक देते हैं कृपया मेरी बात को सुनने का साहस रखें, हिम्मत रखें जो सच्चाई होगी वह उनके सामने आ जायेगी।

जो सच्चाई सामने आई है, उसको आप सुन लें...

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं इस पर...

(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी--

नकल एफ0 आई0 आर0 नं0 264 मु0 अ0 सं0 390, धारा 147/148/323/379 भा0 द0 वि0, थाना नैनी, इलाहाबाद।

तारीख घटना--19-9-81, समय 19.00 पी0 एम0

तारीख सूचना--19-9-81, समय 20.30 पी0 एम0

घटना स्थल--हनुमान मन्दिर के आगे, मिर्जापुर रोड व फासला 3 कि0 मी0

नाम वादी--श्री राधेश्याम पटेल, विधायक पुत्र श्री जरबन्धन पटेल, साकिन नूरपुर, थाना सोरांव।

नाम मुल्जिम--जेल के दो सिपाही तथा एक सिपाही और नाम पता अज्ञात।

नाम विवेचक--एस0 एस0 आई0 श्री आर0 एन0 राय, थाना नैनी, इलाहाबाद।

--: नकल तहरीर हिन्दी वादी :--

सेवा में, थानाध्यक्ष, नैनी, इलाहाबाद आज दिनांक 19-9-81 को समय करीब 7 बजे शाम जब जेल से छूटने के बाद हनुमान मंदिर के आगे पहुंचे तब सभी

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी--

सत्याग्रही साथ में दो जेल के सिपाही जो सत्याग्रहियों को बताया ट्रेन द्वारा पहुंचाने उनके घरों के लिये उनके साथ ही किये गये थे, ने बुलाकर कहा कि अन्य दिनों में जो भी सत्याग्रही जेल से छूटे हैं, वे सब यहां से पैदल गये हैं। तुम लोग भी चले जाओ जिस पर सत्याग्रहियों ने कहा कि हम भूखे-प्यासे पैदल नहीं जा सकते आप दोनों जन किसी सवारी का इन्तजाम हम लोगों के लिये कर दीजिए अथवा हम लोगों को पैसा देकर रसीद ले लीजिये। इस पर एक जेल का सिपाही हम लोगों को गाली-गुप्ता देने लगा और कहा कि फौरन जेल पुलिस बुलाओ। हम लोगों ने कहा कि क्यों मामला तूल करते हो। चलो हम लोग बाहर पैदल ही चलेंगे और यह कहकर सारे सत्याग्रही शहर की तरफ चलने लगे। थोड़ी देर आगे चले ही थे कि जेल की पुलिस एक ट्रक भरकर हम लोगों के पास आये और रोक कर उस पर से सभी सिपाही उतरकर गाली देते हुये एक बारगी हम लोगों पर टूट पड़े और लाठी डंडा व बन्दूक के कुन्दे से सत्याग्रहियों को मारने लगे और मार-मार कर हम लोगों को गिरा दिया। मेरी एक घड़ी, दो सौ रुपया, बस का पास, विधायक लेटर पैड व अन्य साथियों के रुपये, घड़ी आदि छीन लिये। हमारे अलावा दर्जनों सत्याग्रहियों को मार-मार कर चोटें पहुंचायी गयी हैं। मेरे साथ जंगबहादुर सिंह एडवोकेट, रामविलास मौर्य, राम सिंह यादव, हुबलाल यादव, राम सूरत यादव, हीरामणि, श्याम बहादुर यादव मुझे लेकर आये हैं। इनको भी बहुत चोटें हैं। मेरे बायें हाथ में चोटें आयीं हैं और बायें पैर में चोट आयी है व शरीर पर बहुत सी चोटें हैं। मेरे बहुत से साथी गायब हैं जिसका पता नहीं है। मालूम नहीं जेल के पुलिस उन्हें क्या कर डाले। उनमें बहुत से साथी चोट से जमीन पर पड़े थे। मेरी रिपोर्ट दर्ज करके उचित कार्यवाही की जाय व मेरे साथियों का पता लगाया जाय। इस घटना को बहुत से सत्याग्रहियों ने देखा है। लेखक जंगबहादुर सिंह, एडवोकेट, द0 राधेश्याम पटेल 19-9-81, राधेश्याम पटेल, विधायक पुत्र श्री जरबन्धन पटेल, साकिन नूरपुर, थाना सोरांव, जिला इलाहाबाद। लेखक एम0 आई0 आर0 चतुर्भुज मिश्रा, एच0 एम0, दिनांक 19-9-81।'

मान्यवर, इस स्थिति में जो धाराएं उन्होंने दर्ज की हैं वह ठीक हैं।

श्री मुख्तार अनीस--

जो मेडिकल रिपोर्ट है वह भी पढ़कर आप सुना दें।

श्री मसरूर जाफरी--

उन्होंने यह नहीं लिखा है कि जिस्म की हड्डी टूट गई है, क्योंकि यह तो मेडिकल होने से साबित होगा।

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी--

जो मेडिकल रिपोर्ट आई उससे पूरी जानकारी नहीं मिल पाई थी। एक्सरे हुआ तो उसमें पाया गया कि माननीय विधायक के शरीर में दो जगह फ्रैक्चर्स हैं और इसकी वजह से ही उन्होंने उसको 325 में परिवर्तित कर दिया था न कि यहां हंगामा होने की वजह से परिवर्तित कर दिया था।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मैं बड़ी सदाशयता से चाहता था कि चर्चा यहां पर बड़े शान्तिपूर्ण वातावरण में हो और इसके लिए आवश्यक है कि यहां पर उत्तेजना पैदा करने वाली अनर्गल बातें कही जाएं मान्यवर, मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं।

(व्यवधान)

श्रीमन्, देखिए फिर यह शुरू कर दिया। मान्यवर, मुद्दा केवल इतना है। हम सब जिस बात से उद्वेलित हैं वह यह है कि माननीय विधायक ने जो एफ0 आई0 आर0 लिखायी वह पहले दफा 323 में लिखी गयी और इसलिए यह दफा लगायी गयी कि उसके साथ मेडिकल रिपोर्ट नहीं थी। माननीय मंत्री जी का कहना अपनी जगह पर सही हो सकता है कि जब मेडिकल रिपोर्ट आ गयी तो दफा 325 में परिवर्तित हो गयी। दूसरी ओर जब जेल के वार्डर्स की ओर से रिपोर्ट लिखाई गई तो उसमें उनके मेडिकल एक्जामिनेशन की आवश्यकता नहीं थी, उसमें यों ही दफा 325 लिखी गयी तो यह ड्यूअल स्टैन्डर्ड क्यों किया गया? तो जान बूझकर प्रतिपक्ष के लोगों की रिपोर्ट को मिनिमाइज करने की कोशिश की गयी। यह बात एस्टैब्लिश हो गयी कि हमारे ऊपर जो अत्याचार किया गया उसको तो मिनिमाइज किया गया और जो जेल कर्मचारियों की रिपोर्ट लिखी गयी उसमें बिना मेडिकल रिपोर्ट के ही 325 दर्ज कर दी गयी है।

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी—

ऐसा मालूम होता है कि माननीय सदस्य भ्रमवश कुछ कह रहे हैं। जो जेल वार्डर्स की रिपोर्ट है उसमें भी दफा 325 नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष—

आप उनकी एफ0 आई0 आर0 पढ़ दीजिए।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, आप उनसे एफ0 आई0 आर0 की रिपोर्ट मांग लीजिए। मुझे संदेह है माननीय मंत्री जी पर। आप कृपया उस रिपोर्ट को अपने पास मंगा कर देख लीजिए?

श्री उपाध्यक्ष—

जो बयान यहां दिया जाता है वह सदन की सम्पत्ति हो जाती है। पहले उन्हें बोलने तो दीजिए। आप पढ़ दीजिए।

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी—

मान्यवर, जो दूसरी रिपोर्ट लिखी गयी है उसमें धारा 147/148, 323, 353 और 329 के अन्तर्गत दर्ज की गयी है। यदि आप इस रिपोर्ट को देखना चाहें तो आपको रिपोर्ट भी दिखा दूं।

(व्यवधान)

श्री रियासत हुसैन—

माननीय मंत्री जी ने जो रिपोर्ट अभी पढ़कर सुनायी उससे स्पष्ट है कि विधायक ने यह कहा है कि उनकी घड़ी, आइडेन्टीटी कार्ड और पैड आदि छीन लिया गया। तो मैं जानना चाहता हूं कि दफा 395 क्यों नहीं लिखी गयी? दफा 379 ही क्यों लिखी गयी?

(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी—

माननीय सदस्य एक वरिष्ठ सदस्य हैं और वकील भी हैं। वे दोनों एफ0 आई0 आर0 को सुन लें।

श्री रियासत हुसैन—

माननीय विधायक ने जो रिपोर्ट लिखायी है, जिसको आपने अभी पढ़कर सुनाया था, मान्यवर, आपने भी सुना होगा, उसमें उन्होंने कहा है कि मेरी घड़ी, मेरा रुपया, मेरा आइडेन्टिटी कार्ड, मेरा पैड आदि छीन लिए गये। तो छीनने में डकैती हो जाती है। उन्होंने यह नहीं लिखा है कि मेरी चीजें गिर गयीं। तो मैं जानना चाहता हूं कि दफा 395 न लिखकर क्यों दफा 392 दर्ज किया गया है ?

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

अगर इस प्रकार से होगा तो कोई हल नहीं निकलेगा। आप कृपया शान्त रहें।

(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी—

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि जो दफा माननीय विधायक की शिकायत पर लगायी है, यही दफा जेल के कर्मियों द्वारा लिखायी गयी रिपोर्ट पर भी लगायी गयी है। उन्होंने भी यही रिपोर्ट लगायी है कि उनका रुपया जो वे टिकट आदि खरीदने के लिए लिए जा रहे थे छीन लिया, तो छीनने का केस उन्होंने भी बताया है और उस पर भी दफा 379 ही लगायी गयी है।

(व्यवधान)

श्री रियासत हुसैन—

हम एक विधायक की रिपोर्ट का जिक्र कर रहे हैं.

श्री उपाध्यक्ष—

आप बिना मेरी अनुमति के बोल रहे हैं।

श्री रियासत हुसैन—

माननीय विधायक ने एक रिपोर्ट लिखायी है वह एक बात है और जेल के लोगों ने जो लिखाई है वह दूसरी चीज है। माननीय विधायक ने स्पष्ट यह कहा है कि फोर्सिबली उनकी घड़ी, रुपये, पास, पैड आदि छीन लिया। तो दफा 395 क्यों नहीं लगायी गयी ?

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी—

जो सी० आई० डी० जांच कर रही है, वह इस पर भी जांच कर लेगी।

श्री दलगंजन सिंह—

दफा 379 तब लगायी जाती है जब कि फोर्स का इस्तेमाल न किया गया हो। माननीय मंत्री जी ने तो खुद बताया कि उनके पास बन्दूकें थीं, लाठियां थीं, कुल्हाड़ी आदि थी। और यह भी बताया कि 5 से अधिक लोग थे। तो जब अस्त्र शस्त्र से लैस 5 से अधिक लोग थे तो दफा 395 तो स्पष्ट लगाना ही चाहिये थी। जेल का स्टाफ जो था वह एक 'अनलाफुल असेम्बली' थी। उसके

(व्यवधान)

लिए तो जो भी ऐक्ट होगा वह लागू होगा। मगर यह जुर्म 395 के अन्तर्गत रजिस्टर होना चाहिये था।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

कृपया शान्त रहें ।

डा0 विनोद कुमार तिवारी—

उधर भी वकील लोग बैठे हैं । मैं पूछता हूं कि यह दफा जिसकी कि वे बात कर रहे हैं वह क्या इन्डियन पेनल कोड की है या माननीय रियासत हुसैन साहब की है ? उसका वास्ता इन्डियन पेनल कोड से तो है नहीं ?

(व्यवधान)

मुख्य मन्त्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कल माननीय राजेन्द्र सिंह जी तथा माननीय गुप्ता जी ने और माननीय रियासत हुसेन साहब ने तथा विरोध पक्ष के अन्य माननीय सदस्यों ने जो कुछ कहा था उसको सुनकर मैंने स्पष्ट रूप से यह घोषणा की थी कि सब चीजों की जांच सी0 आई0 डी0 को सौंप दी गयी है । एक बात यह खास तौर से उठायी गयी थी कि दफा 323 की जगह दफा 325 क्यों नहीं लगायी गयी । उसके बारे में अभी बता दिया गया । अब और जो बिन्दु आ रहे हैं उसकी भी जानकारी करा ली जायेगी, अभी जांच तो जारी है ।

श्री राजेन्द्र सिंह—

मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि माननीय मुख्य मन्त्री जी ने अभी भी आश्वासन नहीं दिया है । कल जब आपके यहां बात हुई थी तो यह कहा गया था कि डी0 आई0 जी0 रैंक के आदमी को हेलीकाप्टर से भेज कर यह पता लगाया जायेगा कि कौन-कौन लोग जेल के स्टाफ के थे, जिनको कि पहचाना नहीं जा सका था । उनके नाम अभी तक मालूम नहीं हुये । मुझे

(व्यवधान)

निवेदन इतना करना है कि जो परिस्थितियां कल थीं, वही परिस्थितियां आज भी हैं । माननीय गृह मन्त्री जी ने जिन परिस्थितियों का कल हवाला दिया, वही परिस्थिति आज भी है । सरकार का जो पक्ष कल था, वही सरकार आज भी कह रही है । यह भ्रम क्यों किया उन्होंने कि इनका डी0 आई0 जी0 गया, इतना समय लेने के बाद कल 12 बजे इनके संज्ञान में यह बात आ गयी और इन्होंने कहा था कि हम सूचना मंगा कर देंगे । शासन का इतना पैसा जनता का इतना पैसा दुरुपयोग किया गया और सूचना उतनी ही है, जो कल थी, वही आज भी है ।

श्री उपाध्यक्ष—

यह सूचना तो आई0 कि 323 बदल कर 325 हो गयी ।

श्री राजेन्द्र सिंह—

प्रश्न श्रीमन, कल भी यह था कि जब एक विधायक चोट लगने के बाद वहां गया, श्रीमन, एक पुलिस का सिपाही गया उनका मेडिकल कराने के लिए पुलिस के सिपाही को ही पता चला होगा तब उसने बताया होगा तब उसे बदला

श्री राजेन्द्र सिंह--

गया होगा। मुझे तो ऐसा लगता है यहां पर हंगामा मचने के बाद बदल दिया गया।

(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी--

मान्यवर, माननीय नेता विरोधी दल का अत्यन्त सम्मान करते हुए यह मुझे विवश होकर कहना पड़ता है कि यह वर्तमान शासन हर काम नेकनीयती से कर रहा है। यह दूसरा शासन था जो यहां पर पहले बैठ कर ड्रामा करता था। हेलीकाप्टर कल ही उपलब्ध कराने का प्रयास किया गया, संयोगवश उसमें कुछ मेकेनिकल डिफेक्ट था, जिसके कारण बाया रोड वह वहां गये। आज सुबह 10 बजे हेलीकाप्टर उनको उपलब्ध कराया गया ताकि 12 बजे से पहले जैसा आपका आदेश था, आ सकें और अपनी प्रिलिमिनरी रिपोर्ट प्रस्तुत कर सकें।

माननीय नेता विरोधी दल ने दो बिन्दु उठाया कि क्या कोई कार्यवाही माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा की गयी। जैसा वह देखा गया, उसके अनुसार अभी तक बहुत कुछ तथ्य प्रकाश में नहीं आये। जो तथ्य आगे आयेंगे, उससे माननीय नेता विरोधी दल को अवगत करायेंगे। दूसरा बिन्दु ये कहते हैं कि उन्होंने 325 में कब बदला, जैसी प्रक्रिया है, 19 तारीख की शाम की घटना, 20 तारीख को रिपोर्ट और 21 को सूचना उपलब्ध हो सकी। माननीय नेता विरोधी दल ने जो समय की बात कही, उसकी हम इनक्वायरी जरूर करा लेंगे कि किस क्षण वह लिखी गयी और किस क्षण को उसको 325 में परिवर्तित किया गया।

मान्यवर, इन्हीं शब्दों के साथ में आप से निवेदन करना चाहता हूं कि बार-बार मैं माननीय सदस्य के सम्मान की रक्षा के लिए ध्यान रखता हूं। जो वर्तमान शासन है उनके गौरव की रक्षा करने के लिए हर तरह से कटिबद्ध हैं। लेकिन कृपया इस सदन की रक्षा के लिए आप लोग भी योगदान दें। यही मेरा निवेदन है।

श्री विद्यासागर नौटियाल--

मैं दो तीन बातों का स्पष्टीकरण करना चाहता हूं। एक सदन का सदस्य गिरफ्तार किया गया, जब वह रिहा हुये, रिहा होने के बाद जेल के गेट से रेलवे स्टेशन तक, क्या हमारी सरकार उम्मीद करती है कि विरोधी दल के विधायक पैदल मार्च करें और माननीय विधायक के लिये कोई वाहन उपलब्ध न कराया जाय? कानून इसकी इजाजत नहीं देता। दूसरी चीज दूसरी स्पष्टीकरण

(व्यवधान) (मेजों को पीटा गया)

वह कौन सी ताकत जेल सुपरिन्टेन्डेन्ट को यह अधिकार देती है कि वह अपने जेल के कर्मचारियों को जेल चहरदीवारी के बाहर पुलिस के इलाके में पैदल जा रहे सत्याग्रहियों पर लाठी चार्ज कराये। वह कौन सी अधिकार था कि जेल कर्मचारी सिपाही ट्रक में भर कर बाहर आये और सत्याग्रहियों पर लाठी चार्ज किया उनको मारा पीटा। तीसरी बात एक हेलीकाप्टर और एक डी0 आई0 जी0 .....

श्री उपाध्यक्ष--

अब प्रोफेसर साहब बोलेंगे।

श्री विद्यासागर नौटियाल--

वहां भेजा गया लेकिन एक छोटा सा अधिकारी, बलरामपुर अस्पताल में माननीय विधायक से पूछने के लिए नहीं भेजा गया, जिलाधिकारी से पूछ लिया गया और सबसे पूछा गया लेकिन उनसे कुछ नहीं पूछा गया ।

श्री उपाध्यक्ष--

आप कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं ?

श्री विद्यासागर नौटियाल--

उनके पास कोई नहीं गया ।

खाद्य तथा रसद मंत्री (श्री वासुदेव सिंह)--

मैं एक विनम्र निवेदन श्रीमन, के समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूं कि यह विधान सभा सारे उत्तर प्रदेश की जन आकांक्षाओं, उनकी अभिलाषाओं को व्यक्त करती है और इस विधान सभा में हम मामूली आदमी के लिए कानून बनाते हैं । मैं यह निवेदन करूंगा कि अगर यह बहस चले कि एक मुहर्रिर 323 दर्ज किया और 325 और हम एक मामले पर विखण्डित हों, एक राय न हो तो मैं कहता हूं कि कोई जुर्म पुलिस नहीं करेगी. . . .

(मेजों को पीटा गया और घोर व्यवधान रहा)

उसके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की जायेगी । दूसरी चीज में निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय नेता विरोधी दल यह आवश्यक समझते हैं तो एक कानून का प्रारूप ले आयें कि जेल से निकलने वाले माननीय विधायक की गरिमा के अनुरूप कोई सवारी का प्रबन्ध होना चाहिये । अन्यथा जो जेल के कानून हैं जितना पैसा एक कैदी को दिया जाता उतना दिया जायेगा । कल माननीय मुख्य मंत्री अपने सहज एवं सौजन्य के कारण जहां तक जाना चाहिये था उसके बहुत आगे चले गये । मैं यह कहना चाहता हूं . . . . .

(व्यवधान)

मैं तो कहता हूं कि किसी विभाग के आदमी में और किसी अधिकारी में कोई अन्तर नहीं है । मैं सारे प्रदेश को कानून के एक शीशे में देखना चाहता हूं ।

(व्यवधान)

एक सदस्य--

गुण्डा गर्दी नहीं चलेगी ।

(व्यवधान)

श्री वासुदेव सिंह--

मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जब आपको नियमों के बारे में नहीं मालूम है. . . .

(व्यवधान तथा मेजों की थपथपाहट ।)

श्री उपाध्यक्ष—

आप लोग विराजें ।

श्री दलगंजन सिंह—

इनकी बात हम नहीं सुनेगें ।

श्री नन्द किशोर सिंह—

इनको ऐसा नहीं कहना चाहिये ।

श्री उपाध्यक्ष—

इनको मैंने बुलाया है । जब मैं आपको बुलाऊंगा तब आप बोलेगें ।

(व्यवधान)

(समय सायंकाल 6 बजे)

श्री श्याम लाल वाजपेयी—

मान्यवर, इनको भी मौका मिलेगा । बार-बार बहस करना ठीक नहीं है ।

श्री उपाध्यक्ष—

मैंने केवल वासुदेव सिंह जी को बुलाया था बाकी लोगों को नहीं ।

श्री दलगंजन सिंह—

व्यवस्था का प्रश्न है ।

(व्यवधान)

श्री वासुदेव सिंह—

मैं निवेदन कर रहा था । एक किस्सा है । एक लड़का था उसने अपने बाप से कहा पिता जी अफीम खाऊंगा । बाप ने कहा बेटा पहले अफीम बोलना तो सीख लो । तो मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि कल यह जो प्रकरण हुआ इस पर जितना कुछ किया जा सकता था वह किया गया । इस देश में, हम समाजवाद लाने के लिये कृत संकल्प हैं और गरीब से गरीब और अमीर से अमीर के लिये एक कानून है । यह न्याय का तकाजा है । (व्यवधान) मैं आपसे कहूंगा कि अगर इस तरह से रोकेगें तो कोई कार्यवाही नहीं होगी । विधायक की गरिमा को विखंडित करेगें तो यह तरीका अच्छा नहीं है । बात सुनने का धीरज नहीं है ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

अब मैं मद संख्या 19 शुरु करता हूं जिसमें इस सदन के सामने प्रदेश में कानून और व्यवस्था में उत्तरोत्तर गिरावट के बारे में प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है ।

श्री राजेन्द्र सिंह—

उपाध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने पहले निवेदन किया यह गूंगी बहरी अपराधियों की प्रवृत्ति की सरकार है ।

श्री उपाध्यक्ष--

आप प्रस्ताव प्रस्तुत कर रहे हैं ।

श्री राजेन्द्र सिंह--

मान्यवर, जो मैं कह रहा हूं उसको आप प्रस्ताव समझ लें या कुछ समझ लें । मैं प्रस्ताव से पहले ही कुछ बोलना चाहता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष--

मैंने प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिये कहा था ।

श्री राजेन्द्र सिंह--

आपने प्रस्तुत कर दिया, तभी मैं बोल रहा हूं । श्रीमन्, जैसा कि कल से यहां पर एक विधायक के बारे में चर्चा चल रही है और अभी हमारे पुराने समाजवादी सहकारिता मंत्री ने बहुत-लम्बा चौड़ा भाषण दिया था, परन्तु .....

श्री उपाध्यक्ष--

आप वह प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं ?

श्री राजेन्द्र सिंह--

नहीं मैं वह प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं कर रहा हूं, केवल दो बातें सदन में आपके समक्ष रखनी हैं, उसके बाद मैं इस सदन का अपने दल के साथ त्याग कर रहा हूं । ऐसी गूंगी और बहरी सरकार, अपराधों की प्रवृत्ति वाली सरकार के समक्ष कुछ भी कहना बेकार है । आपने साधारण व्यक्ति की सुरक्षा की बात कही । मैं तो कहता हूं कि कल आपने देखा कि एक विधायक की क्या हालत थी, उस पर काफी बातें आपके सामने रखी गयी आपके जेल अधिकारियों और कर्मचारियों की बातें रखी गयीं, उस पर कुछ नहीं हो सका, तो साधारण व्यक्ति की सुरक्षा आप क्या करेंगे और दूसरा मुख्य प्रश्न विचाराधीन यह था आपके समक्ष कि काफी संख्या में जेल में, जेल वार्डेन और जेल अधिकारी कैसे घुस आए, किसने ऐसे आदेश दिये थे, उसके प्रति कार्यवाही की जाए और तीसरा प्रश्न यह था कि उस जेल सुपरिन्टेन्डेन्ट का स्थानान्तरण किया जाए, वह भी नहीं हो सका और जो सबसे मुख्य बात है वह यह कि इस सम्बन्ध में आज जो रिपोर्ट आयी है, वह बिल्कुल मौन है, मैंने कल भी इस बात को उठाया था और आज भी कह रहा हूं कि आप पक्षपात पूर्ण रवैये से काम ले रहे हैं ।

(व्यवधान)

एक सदस्य--

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री उपाध्यक्ष--

इस पर कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठाया जा सकता है ।

श्री राजेन्द्र सिंह--

फिर मैं कहना चाहूंगा कि शासन अपने अधिकारियों और कर्मचारियों का बचाव करना चाहती है और एक विधायक के मान-अपमान का कोई ख्याल नहीं

[श्री राजेन्द्र सिंह--]

है ऐसी सरकार के आगे जहां पर कानून और व्यवस्था नाम की कोई चीज देखने में नहीं आती और जहां का पूरा शासन तंत्र ब्यूरोक्रेसी के कब्जे में है और पूरी तरह से अपंग हो चुका है, इन शब्दों के साथ में अपने दल के साथ सदन का त्याग करता हूं ।

(श्री राजेन्द्र सिंह अपने दल सहित सदन त्याग कर चले गये)

श्री श्याम लाल बाजपेयी--

बधाई हो, बधाई ।

उत्तर प्रदेश में कानून और व्यवस्था में उत्तरोत्तर गिरावट के महत्वपूर्ण प्रश्न पर विचार करने का प्रस्ताव

(समय सायंकाल 6 बजकर 10 मिनट)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, चर्चा प्रारम्भ इस बात पर है ।

श्री उपाध्यक्ष--

चर्चा का प्रारम्भ नहीं है, बल्कि आपको प्रस्ताव पेश करना है ।

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, आपकी आज्ञा से मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन उत्तर प्रदेश में कानून और व्यवस्था में उत्तरोत्तर गिरावट के महत्वपूर्ण प्रश्न पर विचार करता है ।

मान्यवर, आज यह बात किसी से छिपी नहीं है कि सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश का जन-जीवन अत्यंत असुरक्षित है । जगह-जगह पर डकैतियां, चोरी, राहजनी और हत्याओं की घटनाएं दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही हैं । लेकिन यहां मान्यवर, यह बात भी कही जा सकती है कि हमेशा हर राज्य में ऐसी वारदातें हुई हैं । लेकिन आज विशेष परिस्थिति यह है कि जिस ढंग से अपराध हो रहे हैं और सबसे चिंताजनक बात यह है कि जिनके ऊपर अपराध को रोकने की जिम्मेदारी है और जिनके हाथों में हमारी सुरक्षा सौंपी गयी है, वह रक्षक ही आज स्वयं भक्षक बन रहे हैं । यह बात मुख्य रूप से देखने की है ।

श्री मुईद अहमद--

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है कि लोकदल वाले.....

श्री उपाध्यक्ष--

आप व्यवस्था का प्रश्न इस समय नहीं उठा सकते हैं ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

माननीय सदस्य को भगवान बुद्धि दे कि व्यवस्था का प्रश्न क्या होता है ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--]

तो मान्यवर, शान्ति और व्यवस्था की जिम्मेदारी जिनके ऊपर है, इस समय वही अपराधी बन रहे हैं। जनतंत्रीय व्यवस्था में जिस शासन पर इस बात की जिम्मेदारी होती है कि उन कर्मचारियों को पुलिस कर्मियों को नियंत्रण में रखे, वह भी अपने स्थान पर विफल हो रही है। अपराध किस दर से बढ़ रहे हैं। आज पुलिस कितनी निरंकुश हो रही है, वह डाकुओं पर नियंत्रण करने में विफल रही है।

बेहमई काण्ड की बात कही गयी कि फूलन देवी को पकड़ा जायगा। लेकिन माननीय मुख्य मन्त्री जी चुनाव लड़ने गये और उसके बाद प्रक्रिया ढीली हो गयी। वहां पर माननीय मुख्य मन्त्री जी का कुछ गठबन्धन हुआ किसी जाति वालों से और मामला ठंडा हो गया। अण्डूखेड़ा ग्राम में पुलिस कर्मियों ने खुद जाकर मुखबरी कर दी। ऐसे लोगों के खिलाफ कोई सख्त कार्यवाही नहीं हो रही है। पुलिस स्वयं अपराध वृत्ति में चली गयी है।

(इस समय 6 बजकर 12 मिनट पर अधिष्ठाता, श्री खान गुफरान जाहिदी पीठासीन हुए।)

बागपत में अभी कुछ दिन पहले एक 11 वर्ष का बच्चा कक्षा 6 का विद्यार्थी था, उसको पुलिस ने पकड़ लिया गिरहकटी के अपराध में और शिकायत कर दी। स्कूल के अध्यापक चिल्लाते रहे कि यह गरीब लड़का है, बस अड्डे पर पानी पिलाकर अपने माता-पिता का सहारा बना हुआ है, परन्तु पुलिस वालों ने नहीं सुना और उसे इतना मारा कि वह मर गया। मरी हुई हालत में उसे ले जाकर उसके घर छोड़ आए।

कानपुर की घटना है सतीश चन्द्र त्रिपाठी की। एक आदमी स्टेशन की तरफ जा रहा था, पुलिस वाले किसी की तलाश में खड़े थे। पुलिस वालों ने उस व्यक्ति को पकड़ लिया और मार डाला तथा गंगा में कपड़े बदलकर प्रवाहित कर दिया। वह व्यक्ति चिल्लाता रहा कि मैं "आज" नामक दैनिक पत्र में काम करता था, लेकिन पुलिस वालों ने उसकी नहीं सुनी। इलाहाबाद के पास एक घटना घटी, एक छात्रसंघ की अध्यक्षा थीं रत्न, प्रभा, वहां पर दुर्घटना हो गयी और 6 लड़कियों का पता नहीं चला।

कानपुर जिले में सिकन्दरा थाने में कुछ हरिजनों पर अत्याचार किया। वहां पर एक पत्रकार पहुंच गया और उसने शिकायत की कि आप क्या कर रहे हैं। उस पत्रकार को मारा गया और पानी की जगह पेशाब पीने को दिया गया।

मोदीनगर में मजदूर नेता सार्वजनिक सभा को सम्बोधित करने के लिये खड़े हुए, उन्हें गोली से मार दिया गया।

मुरादाबाद के बारे में इतनी चर्चा हुई, लेकिन मुरादाबाद अभी शान्त नहीं हुआ। जन्माष्टमी के अवसर पर वहां पर दंगा हुआ, जिसमें 8 लोग घायल हो गये। यह सब क्या है ?

प्रश्न प्रहर में एक मामला आया था कि सरकार रोज घोषणा करती है कि इनकाउन्टर कर रहे हैं, अपराधशील व्यक्तियों को मार रहे हैं। लेकिन मेरा

[श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--]

कहना यह है कि इसमें जानबूझकर ऐसे लोगों को मारा जा रहा है, जिनके कोई अपराध नहीं होंगे। मैं 2-3 उदाहरण रखना चाहता हूं। आज एक सवाल आया है जिसमें उन्होंने स्वीकार किया है कि एक व्यक्ति जेल में बन्द था 10 तारीख को। जेल में बन्द रहते हुए उस पर एक मुकदमा कायम कर दिया। जब जांच हुई तो पता चला कि वह तो जेल में बन्द है। जांच की रिपोर्ट पर मान्यवर, वह न्यायालय से छूटा। जिला फैजाबाद में उसकी एफ0 आई0 आर0 लाज हुई दिखला दी। उस पुलिस कर्मचारी के खिलाफ क्या कार्यवाही हुई? उस सब-इंस्पेक्टर के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गयी, श्रीमन्। कोई कार्यवाही नहीं हुई तो इससे साफ है कि आपके शासन में पुलिस कर्मी के खिलाफ कार्यवाही नहीं होती है।

झांसी में 5 इनकाउन्टर्स एक महीने में किये गये। इस मामले को मान्यवर, तीन सामाजिक संस्थाओं ने अपना शिष्ट मन्डल भेजा। यह लोग मान्यवर, वहां पर जांच करने गए। पुलिस की रिपोर्ट लिखी इस रिपोर्ट में मान्यवर, साफ कहा है कि 5 में से एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं था जिसके खिलाफ कभी भी कोई मुकदमा पुलिस में दायर हुआ हो। सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार जानबूझ कर इनको संरक्षण देती है। माननीय गृह मंत्री का बयान पढ़ा जो समाचार-पत्रों में आया। जब नये गृह मंत्री हुए तो इन्होंने एक बयान दिया पुलिस प्रशासन को हिदायत देते हुए कि पुलिस प्रशासन में हस्तक्षेप बरदाश्त नहीं किया जायेगा। मैं पूछना चाहता हूं कि पुलिस प्रशासन में हस्तक्षेप कौन कर रहा है? इसका मतलब यह है कि माननीय गृह मंत्री जी को इस बात की जानकारी है कि पुलिस प्रशासन में हस्तक्षेप हो रहा है, इसको वो अपने बयान द्वारा मानते हैं।

एक मंत्री जी हैं, वह मंत्रिमंडल के सदस्य भी हैं। एक रात की घटना समाचार-पत्रों में प्रकाशित हुई कि मंत्री जी साइकिल पर दौरा करके शान्ति-व्यवस्था का निरीक्षण करने गये थे। दूसरे दिन एक लम्बा-चौड़ा लेख प्रकाशित हुआ कि मंत्री जी हजरतगंज थाने में इसलिये भाग कर गये थे कि उनका कोई रिश्तेदार पकड़ लिया गया था, कहीं सिपाही ने उसे पकड़ लिया था और थाने में बन्द कर दिया था। मंत्री जी को जब पता चला कि वह बन्द हो गया है तो वह भागे-भागे गये। किसी पी0 ए0 सी0 वाले की साइकिल लेकर हजरतगंज थाने पहुंचे और वहां उपस्थित हो कर, मेरी जानकारी यह है कि वहां दरोगा जी के कमरे में, जहां वह लेटा हुआ था, घुस गये, बेचारा लुंगी पहने लेटा हुआ था, उसके प्राइवेट कमरे में घुस गये। जब तक वह उठे-उठे, क्योंकि वह सो रहा था, वह डी0 एम0 के दरवाजे तक पहुंचे। मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या यह राजनैतिक हस्तक्षेप नहीं है। जिलाधिकारी के यहां पीछे-पीछे दरोगा भी गया, मुलजिम को बरी किया गया। क्या यह राजनैतिक हस्तक्षेप नहीं है?

माननीय गृह मंत्री जी घोषणा करते हैं कि उनके पास अपराधियों को राजनैतिक संरक्षण देने की सूची तैयार है। मैं कहता हूं कि अगर उनके पास सूची तैयार है तो अगर हिम्मत हो तो उसे उजागर कर दें, लेकिन वे ऐसा नहीं कर सकते। जिस दिन वे ऐसा करेंगे, जिस दिन वे अपनी सूची उजागर करेंगे, उन्हें मंत्री पद से हाथ धोना पड़ेगा, उस दिन उन्हें मंत्रिमंडल से त्याग-पत्र देना होगा। जिस दिन उन्होंने तमाम अपराध प्रवृत्तियों को संरक्षण देने वालों की लिस्ट को उजागर किया तो।

माननीय मंत्री जी को मालूम है कि अभी प्रतापगढ़ में एक जीप में चार डाकू पकड़े गये। वह जीप मंत्रि-मंडल के एक सदस्य की थी। अगर मालूम है तो कौन लोग हैं, जो अपराधियों को संरक्षण प्रदान करते हैं ? मान्यवर, मैंने एक घोषणा सुनी कि जिला जालौन में उत्तर प्रदेश के मुख्य मन्त्री और मध्य प्रदेश के मुख्य मन्त्री का एक सम्मेलन हुआ था।

श्रम मंत्री (श्री जगदीश चन्द्र दीक्षित)--

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है कि जिस बात को माननीय सदस्य जानते नहीं हैं उसके यथार्थ को जाने बगैर--

(शोर)

मैंने एक व्यवस्था का प्रश्न किया कि किसी सदस्य को गलत बयान करने का क्या अधिकार है ?

श्री अधिष्ठाता--

मन्त्री जी, आप बैठें। अगर आपको कुछ कहना है तो उनके कहने के बाद ही आप कहें।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मैं कह रहा था कि मेरी शंका की पुष्टि होती है। अब मान्यवर, सरकार का इन्वाल्वमेन्ट देखिये। मंत्री जी शान्ति व्यवस्था देखने के लिए गये साइकिल से, लेकिन जब दूसरे दिन सारे अखबारों में खबर छपी, तो उस दरोगा को सस्पेन्ड कर दिया गया कि क्यों उसने पत्रकारों को यह बात बता दी। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या उसकी यही खराबी थी कि उसने दूसरे दिन इसका उद्घाटन कर दिया। अगर कोई दूसरी खराबी थी तो उसको दण्डित करते।

माननीय गृह मंत्री जी ने कहा कि उनके पास राजनीतिक संरक्षण, जो अपराधियों को देते हैं, सूची तैयार है। मैं जानना चाहता हूं कि उन्हें बधाई देता हूं कि अगर राजनीतिक जो संरक्षण प्रदान करते हैं उनके नाम को उजागर कर दें। उनके पक्ष के लोग सत्ता पक्ष के ऊंचे-ऊंचे पदों पर आरूढ़ व्यक्ति अगर अपराधशील व्यक्तियों को संरक्षण नहीं देते हैं, तो प्रकाशित कर दें। जालौन में माननीय मुख्य मंत्री, उत्तर प्रदेश और मुख्य मंत्री, मध्य प्रदेश, दोनों मंत्रियों का एक सम्मेलन हुआ। हमने समाचार पत्रों में पढ़ा कि उन्होंने कहा कि अध्यादेश जारी किया जायेगा इस बात का कि जो लोग डकैतों का संरक्षण देते हैं, मदद पहुंचाते हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही करने के लिए। दण्ड प्रक्रिया संहिता में यद्यपि सारी व्यवस्था है लेकिन फिर भी प्रभावी कदम उठाने के लिए यह जारी करेंगे और उसी दिन मैंने शंका प्रकट कर दी थी। अखबारों में छपा है कि उत्तर प्रदेश सरकार इस स्थिति में नहीं है कि वह अध्यादेश जारी कर दे।

आपने आर्डिनेंस पारित कर दिया, टैक्सेशन का, सेवा न्यायाधिकरण में जो ट्रांस्फर का अधिकार था वह छीन लिया, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार ने आर्डिनेंस जारी कर दिया। मैं जानना चाहता हूं कि वह कौन सी वजह है

[श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--]

कि आपने अध्यादेश जारी नहीं किया। आज तक अध्यादेश जारी नहीं किया गया। विधान सभा में विधेयक पेश करते ? विधेयक हो सकता था। लेकिन उस विधेयक का पता नहीं है, कोई जानकारी नहीं है। आज हम लोग जा रहे हैं।

मैं साफ कहना चाहता हूं कि शान्ति व्यवस्था उत्तर प्रदेश की दिन प्रतिदिन गिर रही है और वह तब तक ठीक नहीं होगी जब तक कि जो ऊंचे पदों पर बैठे हुए लोग आपराधिक व्यक्तियों का संरक्षण देना बन्द नहीं करते। मैं सीतापुर से आया हूं मान्यवर। वहां एक होटल में दो पुलिस के सिपाही पहुंचे, खाना खाया शराब पी और जब पैसा मांगा गया तो मार पीट होने लगी। मैंने वहां पूछा तो बताया गया कि वहां शराब पी जाती है। तो होटल पहले भी था तो पहले आपने कार्यवाही क्यों नहीं की, जब मार पीट की बात आपके पास आयी, जानकारी आ गयी तभी आपने कार्यवाही क्यों नहीं की ? और यही नहीं मान्यवर, कांग्रेस पार्टी के जो यूथ सेक्रेट्री हैं, उसके प्रेसीडेन्ट हैं, सुरेश गुप्त, मारे गये। वहां जो सड़क पर के लोग बीच-बचाव करने गये थे, मारे गये। जब मैंने पता लगाया कि ये दोनों सिपाही वहां कैसे पहुंचे तो मान्यवर, एक सिपाही की ड्यूटी लगी थी दशहरे मेले में और एक की आंख के अस्पताल में। लेकिन दोनों अपनी ड्युटी पर जाने के बजाय होटल में खाना खाने आ गये थे। आज तक उनके खिलाफ क्या कार्यवाही हुई ? जनता के लोग मारे गये लेकिन उन पुलिस वालों के खिलाफ आज तक कोई कार्यवाही नहीं की गयी, क्यों ? इस तरह से हमारे ही आदमी नहीं, आपके भी आदमी मारे जा रहे हैं और आप पुलिस वालों को बचाना चाहते हैं। इसलिए आज तक उसमें....

श्री अधिष्ठात --

राजेन्द्र जी, समय का ध्यान रखें। 20 मिनट आपके होने जा रहे हैं।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

दो मिनट में मान्यवर, समाप्त कर रहा हूं। मान्यवर, आज पुलिस की स्थिति क्या है ? छोटे-छोटे लोग मारे जा रहे हैं, आज विधान सभा की बैठक समाप्त हो रही है, कई जगहों पर गोलियां चली हैं, कोटद्वार, इलाहाबाद, रामपुर अलीगढ़ आदि में गोलियां चलीं। जब मुख्य मन्त्री जी से कहा तो उन्होंने कहा कि वह विभाग अपने पास ले लिया, बिजली विभाग अपने पास ले लिया लेकिन मान्यवर, जब विभाग का वितरण देखा तो गृह विभाग दो हिस्सों में बंटा हुआ है सतर्कता आपके पास है, अपराध अनुसंधान शाखा आपके पास है, गोपन आपके पास है और इसमें से नागरिक सुरक्षा को अलग कर देने से उसे आप दो भागों में नहीं बांट सकते। उत्तर प्रदेश की शान्ति और व्यवस्था में आपकी क्या रूप रेखा बन सकती है ?

मुख्य मन्त्री जी तो साहित्य प्रेमी हैं, एक साहित्यक पत्रिका 'कादम्बरी' में एक लेख प्रकाशित हुआ था उसमें लिखा था कि गाड़ी में बैठे एक यात्री ने रूमाल निकाल ली तो उससे लोगों ने पूछा कि क्या बात है तो कहने लगा कि लगता है हम बंगाल में आ गये क्योंकि मछली की बदबू आ रही है तब तक दूसरे ने कहा कि नहीं लगता है कि तामिलनाडु में आ गए क्योंकि इडली डोसा बिक रहा है तब तक तीसरे ने कहा कि नहीं हम उत्तर प्रदेश में आ गये तो लोगों ने पूछा कि कैसे, तो उसने कहा कि हमारी घड़ी छीन ली किसी ने तो यह प्रतिभा है

शान्ति और व्यवस्था की । इस लिए मैं चाहूंगा कि जो लोग अपराधशील व्यक्तियों को संरक्षण देते हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्यवाही कीजिए। अपनी पार्टी को सही कीजिए और शान्ति और व्यवस्था पर कड़ी नजर रखिए, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं ।

श्री जगदीश चन्द्र दीक्षित--

श्रीमान अधिष्ठाता महोदय, बड़ी बहादुरी से चर्चा की गई लेकिन जो मुझे कहना है सभी लोग यह स्वीकार करेंगे कि रेडियो और टेलीविजन के कर्मचारी पत्रकारों के वर्ग में आते हैं, उनका एक संगठन है, वर्षों से उसके एक मन्त्री हैं, उन मन्त्री महोदय को जब जनता पार्टी की सरकार आई जिसे भारतीय जनता पार्टी आप कहते हैं जिसे तब जनसंघ कहा करते थे उसके तत्कालीन विधायकों के लिखने पर तत्कालीन मन्त्री श्री अडवानी द्वारा वह व्यक्ति सस्पेन्ड हुआ और ढाई वर्ष बेरोजगार रहने के बाद जब श्रीमती इन्दिरा गांधी की सरकार आई तो श्री बसन्त साठे की कलम से उसको रिइन्स्टेड किया गया और उसके लड़के की यह बात कर रहे हैं । वह श्रीवास्तव था जिसका वह लड़का है जिसकी यह बात कर रहे हैं । ढाई वर्ष के समय जो व्यक्ति बेरोजगार रहा और जिसको घसीटा गया जिसके बच्चे की यह बात कर रहे हैं तो जिसने हमारा साथ दिया तो हम उसका साथ अवश्य देंगे, यद्यपि मैंने उसके लिए कुछ नहीं किया था ।

श्री मुख्तार अनीस--

श्रीमन्, जो प्रस्तावक होते हैं उनको पहले बोलने दिया जाता है । इस तरह से बीच में यदि सब लोग बोलेंगे और माननीय मन्त्री जी सफाई देना चाहेंगे तो हम लोगों का समय कट जायेगा और हम लोग बोल नहीं पायेंगे ।

श्री अधिष्ठाता--

प्रस्तावक एक होता है । आप बैठ जायें ।

श्री प्रमोद कुमार--

मान्यवर, राजेन्द्र कुमार गुप्त जी ने जो व्यवस्था यहां पर दिया, उससे स्पष्ट है कि उन्होंने सरकार पर कीचड़ उछालने की कोशिश की है लेकिन वह उछाल नहीं सके और न ही कोई इल्जाम लगा सके। यह प्रस्ताव उस दल की तरफ से आ रहा है जिस दल को जमशेदपुर इन्क्वायरी कमीशन ने कठघरे में ला कर खड़ा कर दिया है कि जिसके लिए वह सबसे बड़ा दोषी है । अलीगढ़ और

(इस समय 6 बज कर 30 मिनट पर श्री उपाध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए ।)

जमशेदपुर की दूरी कोई बहुत ज्यादा नहीं है । इन्क्वायरी कमीशन की रिपोर्ट आ चुकी है । इसी दल के विधायक जो बिहार विधान सभा के सदस्य हैं, उनके हाथ साम्प्रदायिकता के खून से रंगे हुए हैं ।

मान्यवर, अगर एक यही बात होती तो मुझे कोई आपत्ति नहीं थी । आपके ही दल के एक माननीय विधायक जो किसी समय मन्त्री थे, उनके बारे में कलकत्ता के एक समाचार पत्र ने निकाला है बसिलसिले बजारत लखनऊ और मैं आपको चुनौती देता हूं कि अगर मेरी बात गलत साबित हो जाय तो मैं विधान सभा की सदस्यता से त्यागपत्र दे दूंगा । वजारत तो चली गई लेकिन चोरी डकैती क्या कुछ कम है ? (व्यवधान) सारी जिम्मेदारी इनके ऊपर है, हमारी क्या ? वजारत तो खत्म हो गयी, चुनाव वह हार चुके हैं और अब अगर उस क्षेत्र में कहीं पर

[श्रीप्रमोद कमार--]

राहजनी, चोरी या डकैती होती है तो मैं माननीय गृह मन्त्री जी से कहूंगा कि वे वहां के थानेदार को सचेत कर दें कि अगर ऐसी बात वहां की जनता के साथ हो रही है तो उससे वहां की जनता को राहत मिलनी चाहिए। सरकार ने क्या किया है इस सिलसिले में, जरा उसपर भी नजर डालें। अगर वे अपने दल की तरफ से कोई असत्य बात कहते हैं तो हमें भी अपने दल की तरफ से उसकी सफाई देने का हक है।

एक समाचार पत्र है जो इनके दल का भोंपू है, वह तो वही कहेगा जो वे चाहेंगे लेकिन बहुत के समाचार पत्र ऐसे हैं जिन्होंने इस बात को स्वीकार किया है कि अपराध दर में पहले से काफी कमी आयी है और सरकार उनका सख्ती से मुकाबला कर रही है। राजेन्द्र जी दिन में तो फूलन देवी फूलन देवी कहते थकते नहीं हैं।

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री--

[× × ×]

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय अग्निहोत्री जी, आप बिना आदेश के बोल रहे हैं, कृपया बैठ जायं।

श्री प्रमोद कुमार--

इस प्रदेश की जो शान्ति व्यवस्था बिगड़ रही है वह आपके दल के करतूतों की वजह से बिगड़ रही है। मान्यवर, कहा गया है कि "चोर चोरी से जाय, हेराफेरी से न जाय।" जब शासन में था इनका दल इस प्रदेश की शान्ति व व्यवस्था को चौपट कर चुका है। इस प्रदेश की मौजूदा सरकार ने उस तरफ एक कदम उठाया है। जनता ने इनको सजा दी और शासन की कुर्सी से इनको हटाया लेकिन इनकी हेराफेरी अभी भी नहीं जा रही है क्योंकि इनका तो अपराध पक्ष से चोली दामन जैसा साथ है। आज भी कहीं तो छात्र आन्दोलन के नाम पर, कहीं मजदूर आन्दोलन के नाम पर उनको भड़का कर ये प्रदेश की शान्ति व व्यवस्था को भंग करना चाहते हैं।

प्रदेश की शान्ति व व्यवस्था के बनाये रखने की जितनी जिम्मेदारी सत्ता पक्ष में बैठे हुए विधायकों की है उतनी ही जिम्मेदारी विरोध पक्ष में बैठे हुए विधायकों की भी है। यदि वे अपनी इस जिम्मेदारी को महसूस नहीं करते हैं और प्रदेश की शान्ति व व्यवस्था को भंग करना ही चाहते हैं तो शासन को इस पर गम्भीरता से विचार करना चाहिए।

जिस इलाहाबाद की बात कही जाती है, यहां से एक माननीय सदस्य एक दिन पहले ही वहां गये थे और उन्होंने अपनी थैली का मुख इसलिए खोल दिया कि इलाहाबाद में उप चुनाव होने की बात थी और इस तरह से वे चाहते थे कि वहां की शान्ति व्यवस्था बिगड़ जाय जिसका लाभ वे उठा सकें। ऐसे नटवर लालों से सरकार को बचाने का प्रयास करना चाहिये क्योंकि इलाहाबाद की शान्ति व्यवस्था को बिगाड़ने का प्रयास किया गया है।

नोट--[× × ×] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

सरकार की ओर से प्रयास किया गया है जरा उस पर भी नजर डालिए। एडिशनल आई० जी० बनाये गये हैं विशेष मुद्दों को लेकर के, तीन उद्देश्यों को लेकर बनाये गये हैं। एक तो इसलिए बनाये गये हैं कि डाकुओं को नियन्त्रित करने के लिए, उनसे हम प्रभावी ढंग से मुकाबला कर सकें। एक अलग क्षेत्र बनाया गया है, क्षेत्र बांट दिये गये हैं। एक शिकायत आई थी इधर से पिछली बार कि हमारे पास जो शस्त्रास्त्र हैं, जो हम ने पुलिस को दिये हैं वह कुछ हल्के पड़ते हैं। आज सरकार ने यह कदम उठा लिया है कि अब पुलिस फोर्स को आधुनिक शस्त्र दिये जा रहे हैं। मेरी समझ में नहीं आता कि वह उधर कौन सा विधायक था, किस दल का था, जिसकी जेब से फूलन देवी की चिट्ठी निकली थी...।

एक सदस्य—

कौन सा विधायक था, बताइये ?

श्री प्रमोद कुमार—

मान्यवर, आपको मौका मिलेगा आप बता दीजिएगा।

श्री मुख्तार अनीस—

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है। यह सही है कि आपने दूसरों को भी बोलने का अवसर दिया है। सम्पूर्ण विरोध पक्ष ने इस प्रस्ताव को रखा है। इनके समय को निश्चित कर दीजिए ताकि हम लोगों को भी अपनी बात कहने का मौका मिल सके।

श्री उपाध्यक्ष—

इस प्रस्ताव के महत्व को देखते हुये निश्चित रूप से समय हर आदमी के लिए निश्चित कर दिया जायगा और अब बहस में भाग लेने वाले प्रत्येक सदस्य के लिए पांच मिनट का समय निश्चित किया जाता है। माननीय दलों के नेता उससे ऊपर हैं।

श्री प्रमोद कुमार—

बात इनकाउन्टर की चलती है। आज जब इनकाउन्टर की बात चलती है तो अंगुली उठ जाती है। पुलिस के जवानों ने जो इनकाउन्टर किये हैं उसमें उन्होंने अपना खून दिया है, बलिदान किया है, वह इस बात का स्पष्ट साक्ष्य है कि जीता-जागता इनकाउन्टर हुआ है। आज तक गलत इनकाउन्टर नहीं किया है। इनकाउन्टर का मतलब साफ यह है कि पीठ दिखा कर न भागें, मुठभेड़ करके मुकाबला करें। इनकाउन्टर उधर से भी होते थे। वे इनकाउन्टर नहीं हुआ करते थे। जनता पार्टी का एक नेता दूसरे नेता से मौके पर तुरन्त इनकाउन्टर कर देता था जिससे जनता पार्टी गई और कोई बड़ी बात नहीं है।

मान्यवर, यह मैं कह सकता हूं कि कुछ डाकू दल इधर सक्रिय थे अब हम यह कह सकते हैं कि अगर उन्हें लिक्वीडेट नहीं किया है, उनको समाप्त करने में सफल नहीं हुये हैं परन्तु मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि उनकी गतिविधियों को हमने निष्क्रिय कर दिया है और ज्यादातर डाकू यहां से पलायन कर दिये हैं, निष्क्रिय हो गये हैं। जिन क्षेत्रों में डाकू पल रहे हैं, मैं चुनौती

[श्री प्रमोद कुमार—]

देता हूं उन लोगों का पर्दाफाश होगा जो लोग डाकुओं को संरक्षण दिये हैं, कानून की सामने तो आने दीजिए ।

श्री भीखा लाल—

उपाध्यक्ष जी, मुझे आप कितना समय देंगे ?

श्री उपाध्यक्ष—

15 मिनट बोल लीजिए ।

श्री भीखा लाल—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं जब महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर अपनी बात कहूं इससे पहले माननीय राजेन्द्र त्रिपाठी जी ने अभी जो बात कही है उसी को दोहराना चाहता हूं कि सत्य को सुनने का साहस करें हम भी, आप भी । आप शासक हैं शासन चलाते हैं . . .

मुख्य मन्त्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह)—

हम तो सत्य सुनने की प्रतीक्षा ही करते रह जाते हैं ।

श्री भीखा लाल—

कटु, सत्य सुनना पड़ेगा, धैर्य से सुनिये, न आप उत्तेजित हों और न हमें उत्तेजित करें । अभी एक बात इससे पूर्व वक्ता ने कही है कि उत्तर प्रदेश में शांति व्यवस्था की स्थिति सुधर रही है । आंकड़े इसको सिद्ध करते हैं । मैं उनको चुनौती नहीं देता हूं कि वह गलत हैं या सही हैं । मैं उस चक्कर में नहीं पड़ना चाहता । लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि आप चाहे इधर बैठे हों या उधर बैठे हों क्या आप दैनिक जीवन में यह महसूस नहीं करते कि शांति व्यवस्था जो होनी चाहिए वह आज है अथवा नहीं है । आज साधारण आदमी क्या बात करता है । आज प्रदेश में पुलिस और गुन्डों का राज है । आज पुलिस शासन ने दस्युओं के उन्मूलन और उनको पकड़ने के नाम पर उन्हें इतनी ढील दे दी है कि वे आज कन्ट्रोल से बाहर हो गये हैं । इसी वजह से आये दिन चर्चायें आती हैं कि किस किस्म का काम पुलिस के लोग करते हैं । कोई राजनीतिक पार्टी या कोई राजनीतिक व्यक्ति, विधान सभा का भूतपूर्व सदस्य या आज का यहां का सदस्य पुलिस के खिलाफ आवाज उठावे तो वह उठा नहीं सकता है ।

मान्यवर, आपको मालूम होगा कि गोरखपुर में दो व्यक्तियों को, जो कि सगे भाई थे, गुन्डों के कहने पर फर्जी इनकाउन्टर दिखाकर मार दिया गया । हमारी पार्टी ने इसके खिलाफ एक जलूस निकाला और उसका नेतृत्व श्री लक्ष्मी नारायण पान्डेय, भूतपूर्व सदस्य विधान सभा कर रहे थे । पुलिस ने जुलूस पर लाठी चार्ज किया और उनके सिर पर प्रहार किया । जेल में लोगों को बन्द किया गया । मैं अभी दो-तीन दिन पहले गृह मन्त्री जी से मिला था । अलीगढ़ में टप्पल थाने में कम्युनिस्ट पार्टी के लोग पुलिस के खिलाफ एक मीटिंग करने वाले थे, मीटिंग का पर्चा बांटते समय हमारे कार्यकर्ता श्री कंछी लाल शर्मा को मारा पीटा गया । हवालात में बन्द करके क्या-क्या दुर्दशा लोगों की की गई, कहने में शर्म आती है । कोई राजनीतिक पार्टी या राजनीतिक कार्यकर्ता पुलिस के खिलाफ जबान नहीं खोल सकता है । इतनी ढील इस सरकार ने दे दी है ।

आज प्रदेश में डाकुओं के बारे में अखबारों में, पत्रिकाओं में समाचार पढ़ने को मिलते हैं। बड़े-बड़े डाकुओं को राजनीतिक लोगों का संरक्षण प्राप्त है, विधायकों का संरक्षण प्राप्त है, मन्त्रियों का संरक्षण प्राप्त है चाहे वे भूतपूर्व हों या वर्तमान में हो। मैंने इस सम्बन्ध में गृह मन्त्री चौधरी नौनिहाल सिंह का बयान पढ़ा। मालूम हुआ कि उन्होंने ऐसे उन राजनैतिक व्यक्तियों की सूची बनवा ली है जो डकैतों या गुन्डों को संरक्षण देते हैं। मैं उनसे मांग करूंगा कि वे उसे पढ़ दें। अगर नहीं पढ़ना चाहते हैं तो यह बता दें कि उस सूची में कितने विधायक हैं, कितने भूतपूर्व विधायक हैं, कितने मन्त्री हैं, उनके नाम पढ़ दें। असमंजस में क्यों पड़ गये हैं ?

शासक दल को, कांग्रेस पार्टी को शासन स्तर पर ही नहीं बल्कि संगठन स्तर पर भी सोचना पड़ेगा कि शान्ति और व्यवस्था में ये खराबियां कैसे पैदा हुई हैं। आज क्या वही कांग्रेस है जो सन् 1947 में थी, जो सन् 1951 में थी, जो 1969 में थी जब कि इसका विभाजन हुआ था अथवा यह वही कांग्रेस है, जो सन् 1975 में इमरजेन्सी के पहले थी। इसमें काफी तब्दीली आ गई है। इसका वर्ग चरित्र नहीं बदला है। यह सामन्तों और पूंजीपतियों का समर्थन करने वाली पार्टी पहले भी थी और आज भी है। इसका स्वरूप, इसकी बनावट और इसका कम्पोजीशन बदल गया है। सन् 1975 में जब इमरजेन्सी लगी तो उस समय कुछ असामाजिक तत्व, कुछ अराजकतत्व डी0 आई0 आर0, मीसा और नजरबन्दी के भय से कांग्रेस में शामिल हो गये और आपने उनको युवा शक्ति के नाम पर भरती कर लिया। इनमें कुछ अच्छे लोग भी थे जो पीछे रह गये और उन अराजक तत्वों को, उन असामाजिक तत्वों को संसद और विधान सभा जैसा माननीय सदनों में पहुंचने के लिए प्रोत्साहन मिला। आज उसी का नतीजा है कि आज इस कांग्रेस संगठन में ऐसे व्यक्तियों की ज्यादा कद्र है जिसके पास 10, 20 और 50 गुन्डे हैं, उसी की ज्यादा कद्र है जिनका डकैतों से सम्पर्क है, उसी की ज्यादा कद्र है जो कानून को तोड़ सकता है, उसी की ज्यादा कद्र है जो 10, 5 मुसटन्डों को लेकर दूसरे के मकान पर कब्जा कर सकता है, उसी की ज्यादा कद्र है जो सड़क के नियम तोड़े और चौराहे पर खड़े सिपाही के रोकने पर उसकी वर्दी फाड़ कर तमाचे मार सकता है। मान्यवर, मुझे एक लतीफा याद आ गया आपकी इजाजत हो तो सुना दूं।

श्री उपाध्यक्ष--

मुझे आपका लतीफा बहुत पसन्द आता है।

श्री भीखा लाल—

एक बाजार में एक चिड़िया बेचने वाला बैठा था उसके पिंजरे में कबूतर भी थे, तोता भी थे, मैना भी थे उसमें कुछ उल्लू भी थे

(व्यवधान)

यह विश्लेषण करना आपका काम है। एक पिंजरें में उल्लू बन्द थे। कुछ बड़े उल्लू थे, कुछ छोटे चूजे भी थे, कुछ पट्ठे भी थे। जब वहां एक ग्राहक आया तो उसने बड़ उल्लू के दाम पूछे कि इसके दाम कितने हैं, तो दुकानदार ने कहा कि 10 रु0 हैं और फिर छोटे उल्लू के दाम पूछे कि इसके दाम क्या हैं तो उसने कहा कि 20 रु0 हैं। तो ग्राहक ने कहा कि बड़े के दाम 10 रु0 और

[श्री भीखा लाल--]

छोटे कि दाम 20 रु0 यह कैसे । इस पर दुकानदार ने कहा कि बड़े उल्लू में तो सिर्फ एक ही सिफत है कि यह उल्लू है लेकिन छोटे उल्लू में विशेष योग्यता है कि यह उल्लू के साथ-साथ उल्लू का ....यानी चूजा भी है ।

श्री उपाध्यक्ष--

लगता है वह उल्लू का काफी कदरदान था ।

श्री भीखा लाल--

आज की कांग्रेस में उसी की कद्र है जिसमें कुछ विशेष योग्यतायें हों । इसी वजह से जो विशेष योग्यतायें रखते हैं उनकी ही कद्र है । मान्यवर, हमारी महानगरियों में लखनऊ, कानपुर, गोरखपुर, इलाहाबाद आदि में कत्ल और डकैतियों का औसत ज्यादा है और सबसे वरिष्ठ मन्त्री उन्हीं शहरों में हैं । तो क्या बात है कि वह रुक नहीं रहे हैं ? उसका कारण है कि इन शहरों में बड़े-बड़े नामी डकैत, कातिल, असामाजिक तत्व मंत्रियों की झोलियों में पड़े हैं जब वह स्टेशन में पहुंचते हैं तो ऐसे लोग ही उनको रिसीव करने जाते हैं और माला पहनाते हैं, उनके साथ उनकी कार में बैठते हैं और मंत्री उसके घर में दावत खाते हैं ।

पुलिस के लोग जो ईमानदार हैं वह कहते हैं कि ऐसे लोग जिनको हमने किसी समय में सख्ती करके जिला छुड़ा दिया था आज मालूम होता है कि उनकी डर से हमें जिला छोड़ना पड़ेगा । अगर सख्ती नहीं करते हैं तो अपराध बढ़ेंगे और हमारा रिकार्ड खराब होगा और अगर सख्ती करते हैं तो मन्त्री जी के कोप भाजन होते हैं तो नौकरी खतरे में पड़ती है । तो अच्छा है कि जिला छोड़ कर चले जायें । मुख्य मंत्री जी इन्हीं मंत्रियों को दूसरा जिला संभालने के लिए दे रहे हैं और मन्डल का इन्चार्ज बना रहे हैं । तो वहां भी वह गुंडों को संरक्षण देकर गुटबाजी पैदा करेंगे । जब वह अपने जिले का प्रशासन ठीक करने में सफल नहीं हुए तो दूसरे जिले में कैसे सफल होंगे ।

मान्यवर, फूलन देवी का जिक्र आया जिसने ऐसे जघन्य अपराध किये हैं। उसको सरकार नहीं पकड़ पा रही है । जब से उसने जघन्य अपराध किया तब से हमारे नौजवान पुलिस राज्य मन्त्री श्री राजेन्द्र त्रिपाठी का ध्यान उसकी तरफ ज्यादा आकर्षित हो गया और उसके बाद हमारे पत्रकारों ने उस पर एक विशेषण और जोड़ दिया "दस्यु सुन्दरी फूलन देवी" तो तब से हमारे त्रिपाठी जी का ध्यान और ज्यादा आकर्षित हो गया, उनको रातदिन चैन नहीं पड़ रही है, नींद नहीं आ रही है और उन्होंने आदेश दे दिया कि उसको जिंदा पकड़ कर हमारे सामने पेश करो । लेकिन आज तक नहीं पकड़ पाये ।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह---

मान्यवर, इस उम्र में यह जजबात हैं ।

श्री भीखालाल--

मैं एक और गम्भीर बात कहने जा रहा हूं । मैं माननीय राजेन्द्र त्रिपाठी जी से कहना चाहता हूं आपकी पुलिस उसे नहीं पकड़ पायेगी क्योंकि उसे बहुत उच्च स्तरीय संरक्षण प्राप्त है, वह आप भी जानते हैं । माननीय गुप्ता जी ने तिदवारी के इलेक्शन का जिक्र किया । तिदवारी एलेक्शन में मुख्य मंत्री जी चुनाव

लड़े, वहां पर लगभग 20 हजार मल्लाहों के वोट हैं, मल्लाहों के वोट लेने के लिए फूलन देवी का इस्तेमाल किया गया। त्रिपाठी जी उसको पकड़ने की बात करते हैं, जनता को गुमराह करने के लिए पकड़ने की बात कही जाती है। उसको उच्चस्तरीय संरक्षण प्राप्त है इसलिए पकड़ी नहीं गई और वह सुरक्षित है। आज तक पुलिस उसको जिन्दा या मुर्दा पकड़ नहीं सकी है।

निरीह आदमियों को गोली का शिकार बनाया जा रहा है, रोज निरपराध आदमियों की हत्यायें हो रही हैं। मन्त्री जी बयान देते हैं कि 6 घंटे में एक एनकाउन्टर होता है। अभी तक इसमें प्रयास मुख्य मंत्री और त्रिपाठी जी का शामिल था, लेकिन अब इसमें एक भले और नेक आदमी चौधरी साहब भी सम्मिलित हो गये हैं, गुंडों-बदमाशों से निपटने के लिए। यदि उनका भी प्रयास तेज रह गया तो एनकाउन्टर 6 घंटे में नहीं तीन घंटे में एक होने लगेगा और 90 परसेंट निरपराध व्यक्ति मारे जायेंगे और अपराधी नहीं मारे जायेंगे, क्योंकि वह तो किसी न किसी मंत्री की जेब में पड़े हैं....

श्री उपाध्यक्ष--

मालूम पड़ता है कि इनका अभी फूलन देवी से एनकाउन्टर नहीं हुआ है।

(हंसी)

श्री भीखालाल--

आज प्रदेश की यह स्थिति है कि शान्ति और व्यवस्था की अति बिगड़ी हुई स्थिति से पिलकर निरीह जनता कराह रही है। राजनीतिक वातावरण दूषित हो गया है, राजनीतिक व्यक्तियों को लोग घृणा की दृष्टि से देखते हैं। इसलिए देखते हैं कि वह समझते हैं कि प्रदेश की शान्ति और व्यवस्था की स्थिति बिगाड़ने के लिये यही जिम्मेदार हैं। गृह मन्त्री जी का बयान उनके इस विश्वास को और भी बल प्रदान करता है जब वह कहते हैं कि हमने सूची तैयार करा ली है। तो मेरा निवेदन है कि कृपा करके वह उसे प्रकाशित करा दें और हमको उनके नाम मालूम हो जायें तथा देश व प्रदेश की जनता को सही-सही मालूम हो जाये कि कौन व्यक्ति हैं जो राजनैतिक व्यक्तियों के आवरण में डकैती करते हैं या डकैतों को पनाह देते हैं, उनकी सहायता करते हैं। तथा जो हमारा राजनैतिक जीवन दूषित हो रहा है वह दूषित होने से बचे और हमारे राजनीतिक जीवन और सामाजिक जीवन की शानदार परम्पराओं पर धब्बे न लगें। इन्हीं शब्दों के साथ में इस प्रस्ताव का समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। मैंने समय का ख्याल रखते हुए लाल बत्ती होने से पहले अपनी बात समाप्त कर दी।

(श्री प्रवीन कुमार शर्मा का नाम पुकारे जाने पर)

श्रीमती महरानी दोहरे--

आपने इस विषय पर किसी महिला सदस्य को बोलने का अवसर नहीं दिया है, बड़ी कृपा होगी, मुझे अब अवसर दे दें।

श्री उपाध्यक्ष--

शर्मा जी आप खड़े हो गये हैं, लेकिन मेरा निवेदन मान जायें क्योंकि फूलन देवी का जिक्र हुआ था, इसलिए इनको समय दे रहा हूं। आप बैठ जायें।

श्रीमती महारानी दोहरे--

सम्मानित उपाध्यक्ष जी, आपने जो इस समय काफी लम्बे समय से चल रही चर्चा के विचारों को सुनते हुए, मुझे महिला होने के नाते, समय देकर इस सदन में आई हुई महिलाओं की गरिमा को बढ़ाया, उसके लिए मैं आपकी अत्यन्त आभारी हूं।

मैं बड़ी देर से सदन में बैठी चर्चा सुन रही थी, लेकिन मैं चाहती थी कि सदन में खामोश रहूं, लेकिन कुछ तथ्य ऐसे बीच में आये, जिन्होंने मुझे मेरे हृदय और मेरे विचार को शान्त नहीं रहने दिया। उन्होंने मुझे मजबूर किया और मुझे आवश्यकता हुई कि मैं अपने विचार आपके माध्यम से इस पक्ष और उस विपक्ष के बीच में रख दूं। मैं बताना चाहती हूं अभी हमारे एक सम्मानित, बुजुर्ग और सीनियर सदस्य ने यह बात कही कि यह वह कांग्रेस नहीं है जो पहले थी। तो मैं उन्हें बताना चाहती हूं कि कांग्रेस जो पहले थी वही आज है, क्योंकि संस्था कभी बदलती नहीं है। रास्ता एक होता है, एक रहता है और रास्ते से पगडन्डी निकलती है, उन पर व्यक्ति चला करते हैं, उनके विचारों में परिवर्तन आता है। इसी प्रकार कांग्रेस संस्था हिन्दुस्तान की वह राजनीतिक संस्था है जो हमेशा से, मजबूती के साथ एक रास्ते पर चली है। और यह भी कि इस हिन्दुस्तान की गरीब, शोषित व पीड़ित जनता और महिलाओं को सुरक्षा की जब आवश्यकता हुई है तो कांग्रेस की इनसे पगडंडियां निकली हैं और उन पर सच्चाई के साथ देश को रास्ता दिखाने के लिए इस कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने अपनी भावनाओं और विचारों में परिवर्तन किया है। वैसे अगर देखा जाये तो सच्चे विचारक वही होते हैं.....

(व्यवधान)

इसलिए मैं कहना चाहती हूं कि जब इस देश को और प्रदेश की गरीब जनता को राहत की पुकार हुई है हमारी पार्टी ने विचारों में परिवर्तन किया है। देश की जनता जानती है कि श्रीमती इंदिरा गांधी में आखिर वह कौन सी काबलियत है कि 11 वर्षों तक शासन में रहने के बाद, कुछ दिन शासन में न रहकर भी, इतने भारी बहुमत से पुनः चुनकर आयी और प्रधान मन्त्री बनीं।

मान्यवर, महिला सदस्य होने के नाते मैं बड़े दुख के साथ कहना चाहती हूं कि जो प्रश्न महिलाओं से सम्बन्धित सदन में उठाये जाते हैं चाहे वे बलात्कार के सम्बन्ध में हों या दूसरे प्रकार के प्रश्न हों अगर आप उन्हें चाहें इस सदन में या दूसरे सदन में चिन्ता के साथ उठाना चाहते हैं उनकी मान मर्यादा के प्रश्न उठाना चाहते हैं तो अच्छा है लेकिन बाद में हंसी और मजाक उड़ाई जाती है। मैं तो इतना निवेदन करना चाहती हूं कि यह हिन्दुस्तान की महिलाओं की इज्जत का सवाल है, वह किसी जाति या धर्म का प्रश्न नहीं है। सारी महिलायें इस देश की बहुयें और बेटियां हैं। अगर सदन में बलात्कार की बातें उठाई जाती हैं तो पहले शर्म आनी चाहिये, उसके बाद में सरकार की चर्चा करनी चाहिये।

बार-बार सदन में फूलन देवी का प्रश्न उठाया जाता है। मान्यवर, यह मामूली बात नहीं है, यह बड़े खेद की बात है कि उत्तर प्रदेश की एक मामूली महिला डकैत बनी इनको चिन्ता करनी चाहिये कि वह महिला डकैत कैसे बनी, वे कौन से कारण थे। बड़े दुःख की बात है जब यह कहा जाता है कि माननीय मुख्य मंत्री जी उसके ऊपर हाथ रखे हुये हैं। आपके माध्यम से मैं यह प्रश्न करना चाहती हूं कि माननीय सदस्य कैसे कहते हैं कि फूलन देवी ने माननीय मुख्य मंत्री का चुनाव लड़वाया था। फूलन देवी अभी तक तो आपके अन्डर में सुरक्षित है, आप उसको संरक्षण दिये हुये हैं। जब मैं सड़कों से निकलती हूं पगडंडियों से गुजरती हूं तो महिलाओं को देखकर फूलन देवी के नाम से पुकारते हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूं कि जब आपकी और हमारी बेटियों और महिलाओं को फूलन देवी के नाम से पुकारा जायेगा, समाज के अन्दर जो महिलाओं को सम्मान मिलना चाहिए, वह नहीं मिलेगा तो किस ओर आपकी शांति व्यवस्था जायेगी ?

यह देश जिसको श्रीमती इंदिरा गांधी बनाना चाहती हैं जिसमें बड़े चिन्तन और मनन के साथ हमारे कांग्रेसी नेताओं ने, डाक्टर अम्बेदकर ने संविधान बनाया है, इसमें महिलाओं को समान अधिकार दिये गये हैं अगर आपके विचार उनके प्रति ऐसे ही रहें, तो किसी दिन आपके और हमारे घर में यह चिन्तन का विषय हो जायेगा। अब मैं एक शेर कह कर अपनी बात समाप्त करती हूं--

"कातिल ने मुकर जाने का अच्छा बहाना निकाला है,
हम ही से पूछते हैं कि किसने तुम्हें मारा है।"

(समय सायंकाल 7 बजे)

*श्री रियासत हुसैन--

मान्यवर, महारानी दोहरे इस प्रदेश की हर महिला को बहू और बेटी समझती है,

(व्यवधान)

मैं तो हर एक को मां समझता हूं। मान्यवर, शान्ति और व्यवस्था के नाम पर जिन सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों ने अपना बलिदान किया है, तथा शान्ति और व्यवस्था के नाम पर जिन बेगुनाह लोगों को गोली से मार दिया गया है और उन सब के प्रति मैं पहले अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता हूं और यह स्पष्ट कहना चाहता हूं, माननीय मुख्य मंत्री जी, माननीय राधेश्याम पटेल जी का तो केवल हाथ और पैर ही टूटा है, आज की खबर है, हो सकता है गलत हो, करीब 2.30 बजे रायल होटल में आपके ही विधायक श्री कमला प्रसाद सिंह को गोली से मारने के लिए दो आदमी आये और जिनमें से एक पकड़ा भी गया है ....।

गृह मंत्री (चौधरी नौनिहाल सिंह)--

एक पकड़ा गया है और वह शासन के लोगों ने ही पकड़वाया है।

(व्यवधान)

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री रियासत हुसैन--

मैं भी यही कह रहा हूं । आज शान्ति और व्यवस्था की स्थिति बहुत बिगड़ चुकी है । यह कितने शर्म की बात है कि लखनऊ में असेम्बली के चलते हुये रायल होटल में किसी विधायक को मारने के लिए दो आदमी आ जाये ।

शान्ति और व्यवस्था के बारे में माननीय भोखालाल जी ने भी एक बात कही कि उसकी हालत बहुत खराब है । एक बात वह भी कही कि चौधरी साहब के हाथ में जब से यह विभाग आया है उन्होंने शुरू से ही इस बात का एलान कर दिया है कि मैं शान्ति व्यवस्था कायम रखने के लिए राजनैतिक दल वालों का कोई दबाव नहीं मानूंगा । मैं उनको इसके लिए मुबारकबाद देता हूं कि उन्होंने ऐसा एलान किया । अगर वे मजबूती के साथ अपनी इस बात पर कायम रहते हैं तो मुझे विश्वास है कि इस प्रदेश की 50 प्रतिशत शान्ति व्यवस्था अच्छी हो जायेगी । माननीय राजेन्द्र त्रिपाठी जी के ऊपर कुछ दुख प्रकट करता हूं । 14 फरवरी वाला जो कांड हुआ, जैसा माननीय भोखालाल जी ने कहा, माननीय मुख्य मंत्री ने स्वयं स्वीकार किया है कि शान्ति व्यवस्था खराब है । मालूम हुआ है कि माननीय राज्य गृह मंत्री जी को डिग्रेड करके अब केवल होम गार्ड दे दिया गया है । इससे यह स्वयं उन्होंने मान लिया कि वे काम नहीं कर सके ।

(व्यवधान)

मान्यवर, हमारे प्रदेश में एक विभाग है इन्फार्मेशन विभाग । उसका काम केवल इतना है कि वह हर सूचना सरकार के संज्ञान में लाता है । अभी-अभी अखबारों के अन्दर शान्ति व्यवस्था के बारे में जो खबर छपी उसका खन्डन इन्फार्मेशन विभाग से नहीं हुआ इसलिए हम मजबूर यह मानने के लिए ....

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय रियासत साहब, आपका मतलब इन्टेलीजेन्स से है कि इनफार्मेशन से है ।

श्री रियासत हुसैन--

इनफार्मेशन से है । मैं इन्फारमेशन डिपार्टमेन्ट की बात कर रहा हूं । जिसके जिम्मे यह काम है कि जो भी बात छपे, का कटिंग करके इनके सामने रखे । चूंकि उनका कन्ट्राडिक्शन नहीं छपता लिहाजा हम यह मानकर चलते हैं कि वह खबरें सब सत्य होती हैं । अब वह खबरें क्या हैं मैं 2-4 खबरों की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं ।

सूचना राज्य मंत्री (श्री काशी नाथ मिश्र)--

(एक अखबार की कटिंग दिखाते हुए) यह कन्ट्राडिक्शन छपा है माननीय उपाध्यक्ष जी, कटिंग हमारे पास है ।

श्री रियासत हुसैन--

'प्रिसिलो हैन्ड्स एड्स डकैट्स । टू सिक्रेट इन्क्वायरीज कन्डक्टेड इन्टू दि ऐन्टीसीडेन्ट्स आफ ए यू० पी० मिनिस्टर हेलिंग फ्राम वन आफ दि डकैट-अफेक्टेड एरियाज, फार इन्सटैन्स, हैव रिसल्टेड इन अनअर्दिंग ऐम्पुल प्रूफ

इम्प्लोकेकिंग हिज ब्रदर ऐण्ड नेफ्यू इन हेवियस क्राइम्स। दि कास आल्सो हैव इविडेन्स इण्डिकेटिंग दैट दि मिनिस्टर हैज बीन प्रोटेक्टिंग दीज पीपुल। हू आर इन कान्टैक्ट विद ए मेजर डकैट गैंग।

दि पुलिस आल्सो हैव इविडेन्स लिंकिंग ए मिनिस्टर आफ कैबिनेट्स रैंक विद सम आफ दि अ उटलाज आपरेटिंग इन दि राविन्स।'

मैं इसका तरजुमा कर दे रहा हूं। 'खुफिया एजेन्सी से यह मालूम हुआ कि यू0 पी0 के मिनिस्टर साहब हैं जो यू0 पी0 के डकैती एरिया से हैं उनके भाई और भतीजे का ताल्लुक भारी जराइम करने वालों से है। पुलिस ने यह भी बताया कि वह मदद कर रहे हैं जो मेजर डकैत का गैंग है और जो कैबिनेट रैंक के मिनिस्टर हैं जो कि उनकी मदद में हैं।' यह 25-3-81 की खबर है। श्रीमन्, अभी जब आपका इलेक्शन चल रहा था तो 307 की रिपोर्ट हुई कि आपके यहां के एक कन्डीडेट थे राम हित केवट उनके ऊपर मर्डर हेतु अटैक किया गया। श्रीमन्, 9 आदमियों को गनडाउन कर दिया गया। जो बड़ा मशहूर हुआ कि 9 आदमी पुलिस के मारे गये पब्लिक के भी मारे गये।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह--

इनको समय ने ही कन्ट्राडिक्ट कर दिया।

श्री रियासत हुसैन--

समय न आप जानते हैं न हम जानते हैं। वह किस-किस को कन्ट्राडिक्ट करेगा। श्रीमन्, 15-8-81 के अखबार में खबर छपी की डकैतों ने 3 लाख की प्रापर्टी लूटी।

"डकैट लूट प्रापर्टी वर्थ रुपीज थ्री लैक्स पोलिसमेन इन दि क्लोज बाई पोलिस आउटपोस्ट आफ सेरायघाट, इट इज रिपोर्टेड, वेयर ड्रेस्ड इन धोतीज ऐण्ड पायजामाज ऐण्ड रैन अवे फ्राम देयर टु सेव देयर लाइव्ज। हार्डली टू किलोमीटर्स फ्राम सेरायघाट, डिड नाट मूव फ्रादेमयर कैम्प्स आल्दो दि गैंग्स्टर्स कन्टीन्यूड फायरिंग इन्डिस्क्रिमिनेटली।"

जो सिपाही वहां पैजामे और धोती में थे वहां से भाग गये। 4 घंटे तक डाकुओं ने फायरिंग की जो पी0 ए0 सी0 के लोग थे एक दो किलोमीटर पर थे वह वहां से मूव नहीं किए डाकुओं का मुकाबला करने के लिए।

श्रीमन्, यह जो डाकुओं का मसला है इसको खत्म करके बलात्कार को लेता हूं। बलात्कार जो बड़े पैमाने पर हुये उसमें भी जो यह खबर छपी। 5-5-81 की कौमी आवाज में निकला बहमई के बाद एटा में 20 आदमियों का कत्ले आम। इसमें हरिजनों का कत्लेआम किया गया इसकी इम्पार्टेंस इसलिए हो जाती है। मैं नहीं कहना चाहता कि किसी मिनिस्टर के लड़के ने बलात्कार किया वह तो प्राइम मिनिस्टर इन्दिरा गांधी ने आपसे कहा होगा। मेरा कहना मुनासिब नहीं है। 20-7-81 में निकला एक औरत को आबरू रेजी करने के बाद गंगा में डाल दिया।

मान्यवर, आज अफसोस है कि डाकुओं ने जस्टिस और जजों को धौस देना शुरू कर दिया कि अगर हमारे आदमी को आप नहीं छोड़ेंगे तो आप का वही हश्र होगा जो साधारण लोगों का होता है। मैंने माननीय मुख्य मंत्री जी, शुरू में

[श्री रियासत हुसैन--]

कहा था आप एक भले आदमी हैं, एक शरीफ आदमी हैं और यह बात आज फिर मैं कहना चाहता हूं लेकिन आप जितने भले और शरीफ हैं उतने ही यहां के अधिकारी और कर्मचारी भ्रष्ट हैं, नालायक हैं। आप इस भ्रष्ट मशीनरी का मुकाबला कर सकेंगे, हमको मालूम होता है आप फेल हो गये उन्होंने आपको हरा दिया, आप हार गये।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह--

आपके रहते हुए।

श्री रियासत हुसैन--

आप सबूत सुनिये। कैसे फेल हो गये। मैं सदन से पूछना चाहता हूं और श्रीमन्, आपसे पूछना चाहता हूं। 13 अगस्त को जो मुरादाबाद में गोली चली।

(अध्यक्ष)

क्या काशीनाथ जी, आप यकीन करेंगे ईदगाह में 3 आदमी मारे गये? श्रीमन्, आप यकीन करेंगे या सदन के अन्दर कोई यकीन करेगा कि मुरादाबाद में 3 आदमी मारे गये। मैंने सवाल किया था 24-2-81 को उसका जबाब मिला है उसको सुनिये। 13 अगस्त, 1980 को मुरादाबाद में ईदगाह में मारे जाने वाले लोगों का पोस्टमार्टम नियमानुसार कराया गया। जिसमें 3 व्यक्ति मरे हुये पाये गये।

श्री काशी नाथ मिश्र--

मुरादाबाद की चर्चा पर सारी बातें कह चुके हैं।

श्री रियासत हुसैन--

आपकी याददाश्त कमजोर है। यह जवाब आपकी भ्रष्ट मशीनरी ने दिया है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं क्या आपको यकीन है? यह सारी दुनिया में, सारे प्रदेश में आपको जलील करने का जवाब आपकी भ्रष्ट मशीनरी ने दिया है। आपकी रेडियो ने समाचार दिया 1-5 पर 17 आदमी मारे गये, 7-20 पर 70 आदमी मारे गये 3 को 105 मारे गये। मैं आपसे स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं प्रधान मंत्री के 5 खत आपके पास आये मुरादाबाद के सम्बन्ध में। 20 जनवरी को पहला खत आया, 18 मार्च को दूसरा आया। तीसरा पत्र 9 अप्रैल, चौथा 3 जून तथा 5 वां 10 जुलाई को आया। इन सब में यह लिखा था कि आपकी पालिसी के मुताबिक जितनी मस्जिद तोड़ी गयी हैं उनको सरकार अपने खर्चे पर मरम्मत करायेगी। 11 मस्जिदों की मरम्मत करा दी गयी लेकिन दो मस्जिदों की आज तक मरम्मत नहीं हो सकी। प्राइम मिनिस्टर ने यह लिखा है कि उनकी मरम्मत कराने की तुरन्त कार्यवाही की जाय लेकिन आप अभी तक उनकी मरम्मत नहीं करा सके। आपके अधिकारियों ने सही तस्वीर आपको नहीं दी तो इसकी जिम्मेदारी उन्हीं पर है।

टांडा के अन्दर 5 तारीख को गोली चली। मैं दो बार गया हूं। थानेदार ने दो दरवाजे अन्दर घुस कर रिवाल्वर से गोली मारी है।

श्री सतीश अजमानी--

यह बिलकुल गलत है ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय रियासत साहब, आपका समय समाप्त हो गया ।

श्री रियासत हुसैन--

पुलिस वालों ने मोहम्मद शफीक को मारा । थानेदार को अपने हटा दिया, दो को सस्पेन्ड कर दिया और टांडा को पब्लिक के खिलाफ 302 का केस दर्ज कर दिया जाय । 10 तारीख को मुलजिम डकैती में पकड़े गये थे । राजेन्द्र त्रिपाठी जो, यह वही थानेदार है जिसके बारे में बार-बार कहा गया कि तबदला आर्डर हो गया । दो महीने वह थाने में रहा और कोई उसे हटा नहीं सका और तरक्की देकर बछरावां एस0 ओ0 बना कर भेजा गया । यही इस प्रदेश का ला एन्ड आर्डर है ।

चौधरी साहब को गृह मंत्री बनाया है । आदमी ईमानदार हैं लेकिन काम करने के लिये सियासी क्लचेज जो हैं वे उनसे दूर रहना चाहिये । सब जानते हैं, मंत्रि परिषद भी जानती है कि कोई भी सख्ती से कार्यवाही नहीं कर सकता । एक के पीछे 10 आदमी खड़े हो जाते हैं । हां की संख्या याद आ जाती है । इस चीज से आज दो पा ली तो फिर ला एण्ड आर्डर पर काबू पा लिया जायगा वर्ना यह बिगड़ती चली जायगी । मैं नहीं चाहता कि इस प्रदेश की ला एण्ड आर्डर की हालत बद से बदतर हो । इसका हल यही है कि आप पोलिटिकल इंटरफियरेन्स निकाल कर फेंक देंगे ।

चौधरी नौनिहाल सिंह--

मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप हमारी कुछ सहायता कर दें । श्री रियासत हुसैन--विरोध पक्ष आपकी सहायता करेगा इस प्रदेश में ला-एण्ड-आर्डर मेनटेन करने में । उधार की गारंटी मैं नहीं ले सकता । उधर की गारंटी मुख्य मंत्री जी दें ।

*डाक्टर बृज किशोर मिश्र--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ला एण्ड आर्डर के सम्बन्ध में जो आपने बोलने का मौका दिया उसके लिये मैं आपका आभारी हूं । मान्यवर, ला एण्ड आर्डर के सम्बन्ध में जबसे यहां चर्चा शुरू हुयी तब से मैं सुनना चाह रहा था कि हमारे सम्मानित साथी जो उधर बैठे हैं वह निश्चित रूप से कोई सुन्दर व्यवस्था देंगे । लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि उस पक्ष के सम्मानित सदस्य मेरी समझ में उसमें कुछ पढ़े लिखे कुछ विद्वान किस्म के लोग हैं, लेकिन व्यवस्था के नाम पर, ला एण्ड आर्डर के नाम पर मैं तरस कर रह गया उन्होंने ला एण्ड आर्डर के सम्बन्ध में कोई व्यवस्था की बात नहीं की ।

मान्यवर, अभी हमारे सम्मानित बुजुर्ग रियासत हुसैन जी बोल रहे थे । कम से कम निश्चित रूप में मैं उनसे यह अपेक्षा करता था कि वह बड़ पुराने

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[डाक्टर बृज किशोर मिश्र--]

सदस्य हैं कोई न कोई बात जरूर बतायेंगे ला एण्ड आर्डर पर जिससे हमको कुछ सीखने का मौका मिलेगा । लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि उन्होंने कोई नया चीज सामने नहीं रखा । अखबारों के काफी टुकड़ों को एकत्रित करके उनको सदन के पटल पर उन्होंने रखने की कोशिश की ।

देश और प्रदेश का दुर्भाग्य यह है कि हमको एक ऐसा इतिहास मिला है एक ऐसी रौंदी हुयी व्यवस्था हमारे हाथों में सौंपी गयी है जिसने उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि सम्पूर्ण भारतवर्ष का ला एण्ड आर्डर डिस्ट्राय कर दिया गया था, नेस्तनाबूद कर दिया गया था । तो जो हमको व्यवस्था दी गयी, इतिहास दिया गया है जिस ला एण्ड आर्डर को हमको दिया गया है उसमें हम सुधार ला रहे हैं । हमारे साथ मुरादाबाद की तरफ इंगित कर रहे थे । मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि अगर यह धृष्टता न हो तो यह सत्य है कि नारानणपुर गांव में हजारों मुसलमानों के घर में घुसकर बलात्कार किया गया है । यह जनता हुकूमत में हुआ है । उस वक्त का अलीगढ़ का इतिहास आप देख लीजिये । उस समय किसकी हुकूमत थी ।

अभी एक हरिजन कांड की तरफ इशारा किया गया, मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं रियासत हुसैन जी से कहना चाहता हूं, राजेन्द्र गुप्त जी से कहना चाहता हूं कि क्या आप बेलछी कांड को भूल गये ? उस समय आपकी हुकूमत आपका शासन कहां था । आज आपको सब बातें याद आ रही हैं जब आप विरोध पक्ष में बैठे हैं । इस समय आपको ला एण्ड आर्डर का ख्याल आ रहा है । मान्यवर, इतिहास को आपने बिगाड़ दिया, छबि को धूमिल कर दिया अब उसको बनाने में वक्त लगेगा । हम बना रहे हैं निश्चित रूप से बनायेंगे ।

मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में, इस सदन के नेता माननीय विश्वनाथ प्रताप सिंह ईमानदारी की मूर्ति हैं, निष्ठा और कर्मठता के उपासक हैं । जब उनकी कैबिनेट के लोग बैठे हुये हैं तो आपको विश्वास करना चाहिये कि यहां निश्चित रूप से न्याय होगा और ला एण्ड आर्डर मेंटेन होगा । यहां भ्रष्टाचार जन्म नहीं ले सकता है और यहां भ्रष्टाचार पुनः कभी पनप नहीं सकता ।

मान्यवर, एक बात की तरफ माननीय सदस्यों का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा कि कल जो चर्चा एक इलाहाबाद के विधायक के साथ हुयी घटना के बारे में चल रही थी, वह घटना निश्चित रूप से मैं कहता हूं कि, नहीं होनी चाहिए थी और सब भी एक विधायक के नाते यही चाहते थे कि उस पर सरकार की ओर से कुछ व्यवस्था हो, लेकिन....

श्री जसवन्त सिंह विष्ट --

माननीय सदस्य को जब थानेदार ने पीटा था, तब उस समय आपका यह ला एण्ड आर्डर कहां गया था ।

डाक्टर बृज किशोर मिश्र--

मान्यवर, हम लोग भी यही चाहते थे कि वह विधायक है और निश्चित रूप से अपोजीशन का है, लेकिन इससे हमारा कोई मतलब नहीं, वह विधायक है, घटना उसके साथ हुयी तो हमारे साथ भी हुयी, उसके साथ पूरा न्याय होना चाहिए, परन्तु दुर्भाग्य की बात यह है कि कुछ ऐसे पुराने और सम्मानित सदस्य जो मंत्री भी रहे चुके हैं, सरकार के कुछ कहने के पहले ही कुछ एसा माहौल

सदन का बना दिया, जो आज ला एण्ड आर्डर की बात करते हैं, वह ही सदन में गुण्डई पर उतर आए। जब कि माननीय मुख्य मंत्री जी कह रहे थे कि निश्चित रूप से मैं उन दोषी अधिकारियों को दण्डित करूंगा, तो आप लोगों को उनके इस कथन पर विश्वास करना चाहिए था, इसी के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूं।

*श्री मुख्तार अनीस--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश की शांति और व्यवस्था की जो आज स्थिति है, वह बहुत ही दिन पर दिन चिन्ताजनक होती चली जा रही है। दिनदहाड़े चोरी-डकैती और अराजकता की स्थिति गम्भीर होती चला जा रही है। मान्यवर, जहां से हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी और माननीय गृह मंत्री जी आते हैं, इलाहाबाद से। पहले मैं अपनी बात को वहीं से शुरू करता हूं कि 1 अगस्त से 15 सितम्बर के बीच में इलाहाबाद जिले के अन्दर शहर में 45 लोगों की हत्याएं हुयी हैं और यह हत्याएं चाहे पुलिस द्वारा, बम से या गोली से हुई हैं। मान्यवर, इलाहाबाद शहर के अन्दर एक सब-इंस्पेक्टर स्वर्गीय श्री हबीब सिद्दीकी को बम से मार कर हत्या कर दी गयी और इलाहाबाद के शहर के के० वी० इन्दर कालेज के छात्र स्वर्गीय सर्वश्री अजीज अहमद, विजय कुमार, देवेन्द्र साहू तथा नर्मदा प्रसाद की हत्याएं हुयीं और 13 तारीख को बम विस्फोट हुआ जिसमें कई लोग घायल हुए। इसी के साथ-साथ पूरे इलाहाबाद शहर में अराजकता की स्थिति है और आज उस जिले की यह स्थिति जहां के गृह मन्त्री व मुख्य मन्त्री रहने वाले हैं, क्यों है। इसलिए है कि वहां के अर्थात् इलाहाबाद शहर कांग्रेस पार्टी को लोगों ने राज्य सरकार की शांति और व्यवस्था पर निन्दा की है, जिसकी वजह से आज वहां की स्थिति अत्यन्त सोचनीय हो गई है।

मान्यवर, 24 जुलाई को इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र संघ का उद्घाटन होना था। उन्होंने श्री बहुगुणा को बुलाया था। युवा कांग्रेस के विधायक वहां गये और उन्होंने बम्ब काण्ड करने की कोशिश की। हमारी पार्टी के एक सदस्य श्री भगवती प्रसाद श्रीवास्तव को गिरफ्तार किया गया। इलाहाबाद जिले के जो राज्य मन्त्री हैं, यह वहां पर डकैतों को गुन्डों को चोरों को संरक्षण देते हैं।

डा० ब्रज किशोर मिश्र --

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है। संसदीय प्रणाली बनी हुई है। किसी भी व्यक्ति को इंगित करके किसी व्यक्ति को यह कहने का अधिकार नहीं है कि अमुक व्यक्ति चोर और डकैत है। यह काम मुख्तार अनीस साहब स्वयं कर रहे हैं।

श्री त्रिवेनी--

यह बहुगुणा की थैली बोल रही है और कोई नहीं बोल रहा है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री मुख्तार अनीस—

बांदा की कांग्रेस कमेटी ने श्री राजेन्द्र त्रिपाठी के बारे में ऐसा श्रीमती इन्दिरा गांधी को लिखा है। बनारस शहर के अन्दर जुए के अड्डे चल रहे हैं, उन्हें रोकने के लिए कोई प्रयास नहीं हो रहा है। भूतपूर्व मन्त्री श्री प्रभु नारायण सिंह के लड़के ने तथा अन्य लोगों ने जुए के अड्डे हटाने के लिये कहा। पहली तारीख को पुलिस के षड़यन्त्र से गोली मारी गई।

एटा जिले के अन्दर मैनपुरी के अन्दर और उससे मिले हुए पड़ोसी जिलों के अन्दर पुलिस के लोगों ने बिना पता लगाये हुए कि कौन लोग डकैत हैं, एक तरफ से गोली चलानी शुरू कर दिया। जिस तरह से गोली चलायी गयी है, वह शर्म की बात है। 150 लोग गोली से मारे गये। एक तरफा हुआ है और यादव बिरादरी के साथ हुआ है। मैनपुरी के अन्दर एक ग्रामीण को पकड़ लेते हैं और उससे कहते हैं कि तुम्हारे यहां डाकू आकर छिपे थे। इस प्रकार यहां की शान्ति व्यवस्था बहुत बड़ा सवाल बन गई है। यह सवाल, जैसा कि माननीय गृह मन्त्री जी ने कहा कि पुलिस के लोगों को राजनैतिक संरक्षण नहीं मिलता है, पुलिस के लोग निष्पक्ष होकर कार्य करें। आज आपकी पुलिस निष्पक्ष नहीं है। आपके थाने लूट के अड्डे बन गये हैं। थाने नीलाम होते हैं, नीलाम करते हैं एस0 पी0, आप पता लगाइये। एस0 पी0 का सेलेक्शन राजनीतिक होता है और वह तब होता है जब आई0 जी0 प्रसन्न हो जाता है। इस प्रकार से थाना नीलाम हो रहा है, चौकियां नीलाम हो रही हैं।

उत्तर प्रदेश के अन्दर इस सरकार ने पिछले दिनों जो कुछ किया है, उसके बारे में कुछ बातें आपके सामने रखना चाहता हूं। गढ़वाल के चुनाव के अन्दर क्या हुआ। इन्होंने उत्तर प्रदेश के बाहर की पुलिस और पी0 ए0 सी0 को बुलाया। मैं आपको दिखाता हूं "अमृत प्रभात" 19-6-81 का है।

इसके अन्दर साफ-साफ रिपोर्ट आयी है कि उस निर्वाचन क्षेत्र के अन्दर हरियाणा की पुलिस बुलायी गयी, पंजाब की पुलिस बुलायी गयी और उन लोगों ने वहां की शान्ति और व्यवस्था को खतरे में डाला है। इन लोगों ने गांवों में जा कर गांव के अन्दर बलात्कार किये हैं और गांव के लोगों को तंग किया है। आप उत्तर प्रदेश में बाहर की पुलिस किस लिये बुलाते हैं, शान्ति और व्यवस्था को ठीक करने के लिए। लेकिन मान्यवर, उत्तर प्रदेश के अन्दर बाहर की पुलिस बुलायी गयी किस पैमाने पर। गढ़वाल क्षेत्र के अन्दर तीन कम्पनियां थीं केन्द्रीय रिजर्व पुलिस की, दस कम्पनियां आयीं हरियाणा सशस्त्र पुलिस की, चार कम्पनियां आयीं पंजाब पुलिस की, चार कम्पनियां थीं हिमांचल प्रदेश की पुलिस की, 6,000 होम गार्डस थे तथा 6,000 भारत सरकार के विकास दल के लोग थे जो भर्ती किये गये। क्या आज आप पहाड़ पर चढ़ाई करने जा रहे थे, जो इतने लोगों की जरूरत पड़ गयी ?

पौड़ी गढ़वाल के कलेक्टर ने साफ-साफ कहा कि मैंने कभी भी इतनी पुलिस नहीं बुलाई। होम सेक्रेटरी ने कहा कि हमारी तो जानकारी में ही नहीं कि वहां इतनी पी0 ए0 सी0 गई है। आज आसाम में आग लगी हुई है। सम्पूर्ण क्षेत्र में असन्तोष भड़क रहा है। आज वहां पी0 ए0 सी0 और पुलिस भेज करके वहां की शान्ति व्यवस्था को भंग कर रहे हैं।

आज गाजियाबाद में देख लीजिये कि मान्यवर, आज वहां क्या हो रहा है शान्ति और व्यवस्था के नाम पर। आज सार्वजनिक सभायें आप नहीं होने दे रहे हैं। गढ़वाल के अन्दर 6-6 महीने के लिये धारा 144 लगी हुई है। आज वहां पर जो यूनियनें हैं, जो बड़े-बड़े मिल मालिक हैं उनके पैसे पर चलती हैं लेकिन जो यूनियन गरीब लोगों की हैं आज उनकी स्थिति क्या है? आप के मन्त्री लोगों के पुत्र बलात्कार कर रहे हैं। मैं माननीय कृषि मन्त्री पर साफ-साफ आरोप लगाता हूं कि उनके लड़के को बलात्कार के आरोप में पकड़ा गया। यदि यहां अरब जैसा कानून होता तो मन्त्री जी के पुत्र को बलात्कार के आरोप में मार-मार करके मार डाला गया होता।

यहां पर क्या स्थिति है मान्यवर, मेरठ के डी0 आई0 जी0 की सूचना आई। उन्होंने कहा है कि मेरठ के अन्दर 20 ऐसी फैक्ट्रियां हैं, जो कि बिजली की चोरी कर रही हैं। उसमें साफ-साफ विद्या भूषण जी का नाम लिया गया है। लेकिन उनको क्यों नहीं पकड़वा सकते, उनको क्यों नहीं गिरफ्तार कराते? आज जो प्रदेश की शान्ति और व्यवस्था है इसकी जिम्मेदारी सरकार के लोगों पर है। यह जो सारे मन्त्री हैं, जो मन्त्रि मण्डल के मन्त्री हैं वह उन लोगों को संरक्षण देते हैं, जो अपराध करते हैं, पुलिस वालों को मिलाते हैं, उसके बारे में मान्यवर, आप जांच कराइये कि ये जो सारे मन्त्री हैं इनकी जांच होनी चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष —

अब आपका समय समाप्त हो गया है।

श्री चेतराम गंगवार—

अब जिगर थाम के बैठो, मेरी बारी आयी। माननीय उपाध्यक्ष जी, मान्यवर, यह विरोधी पक्ष के नेताओं द्वारा लाया गया प्रस्ताव अपने चार सालों, तीन सालों के काले कारनामों पर पर्दा डालने का प्रयास है। मान्यवर, सारा देश और प्रदेश ही नहीं विदेश के लोग भी इस बात को मानते हैं। मान्यवर, मैं सासाराम और बेलछी की बात नहीं करता। आप इस बात को जानते हैं कि इनके शासन काल में....

(व्यवधान)

मैं तो जिन्दा हूं, कौशक जी मर गये। मान्यवर, मुरादाबाद में सम्भल में, मजदूरों के हिमायती बनते हैं, कानपुर में स्वदेशी काटन मिल में, पन्त नगर में, बनारस में इलाहाबाद का जो जिक्र किया है माननीय सदस्य ने, उसमें नककटैया मेला कोई होता है उसमें दुमंजिले और तिमंजिले पर जा कर के, खेतों में ट्रैक्टरों को चला कर किस तरीके से इन्होंने मजदूरों, अकलियतों को मारा। इनके प्रशासन ने मारा इस तरफ बैठ कर जहां माननीय विश्वनाथ प्रताप सिंह जी बैठते हैं, रामनरेश जी और बनारसी दास बैठे थे, ये कहां थे, अब नहीं हैं. माननीय मोहन सिंह जी आज नहीं हैं, मैं कह रहा था कि माननीय नेता, कम्युनिस्ट दल एक प्रस्ताव लाये थे, उसे स्वीकार होना चाहिए था। जहां तक मेरा विचार है, मान्यवर, श्री मोहन सिंह जी जब नरायनपुर घटना देखने गये थे, उसका ब्योरा उन्होंने दिया, उस कार्यवाही को निकालें तो माननीय श्री मुख्तार अनीस साहब बाहर चले जायेंगे, उसे सुनना नहीं पसन्द करेंगे। चूंकि समय कम है, मैं दूसरी बात पर आता हूं....

(व्यवधान)

[श्री चेतराम गंगवार--]

मान्यवर, 1967 में चौधरी चरण सिंह जी यहां बैठे थे, राज बली सिंह यादव, विधायक इस सदन में थे, आप जानते हैं, प्रत्यक्षदर्शी हैं। रोज एक घण्टा यहां सदन से चर्चा होती थी, डी0 एस0 पी0 ने मारा, दरोगा जी ने मारा, चौधरी चरण सिंह ने एस0 पी0 बनाया और ट्रांस्फर कर दिया। मौलाना शफीक साहब बरेली से आते थे, बड़े नेक आदमी थे, खुदा उन्हें जन्नत नसीब करे, डी0 सी0 जौहरी, डिप्टी सी0एम0ओ0 बरेली ने बुरी तरह से मारा और चौधरी चरण सिंह ने क्या आदेश फर्माया कि उसको सी0 एम0 ओ0 बना दिया रामपुर का। और शफीक अहमद साहब साढ़े चार महीने तक बलरामपुर अस्पताल में भरती रहे और स्वर्ग सिधार गये। उसके बाद लोक दल का गठन कर लिया। बी0 एल0डी0 समाप्त हो गया। मेरी बात करते हैं, बताया कि मैं मर गया था, मैं तो जिन्दा हूं मगर ये मर गये, इनकी सरकार मर गयी। माननीय कौशक जी तथा आपके अध्यक्ष, मुलायम सिंह जी और आपके हरीश चन्द्र श्रीवास्तव सभी मर गये।

श्री उपाध्यक्ष--

आपसे क्या मतलब है ?

(हंसी)

श्री चेतराम गंगवार--

शरम आनी चाहिए, विपक्ष को मान्यवर, मेरे साथ जो इन्सीडेन्ट हुआ, तो अस्पताल में तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री कौशिक जी ने कहा कि इनका रिवाल्वर, इनकी बन्दूक और सारे असलहे जब्त कर लेने चाहिए और इनकी सदस्यता को निलम्बित कर देना चाहिए। आज जो श्री पटेल जी की घटना हुई, इनके दुःख में सारा सत्ता पक्ष दुखी है और मैं माननीय मुख्य मंत्री जी की तारीफ करूंगा कि ऐसा ऐतिहासिक निर्णय इस सदन में दिया गया कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने वह जो वार्डन था उसको चीफ वार्डन नहीं बनाया बल्कि दोनों को फ्लोर पर निलम्बित कर दिया। आपको बधाई देना चाहिए।

(सदन से बिजली चली गयी)

(बिजली आने पर)

श्री चेतराम गंगवार--

मान्यवर, मैं यह कह रहा था कि--

श्री उपाध्यक्ष--

सबसे प्रसन्नता की बात तो यह थी कि अंधेरे में आवाज काफी तेज सुनाई देने लगी थी।

श्री चेतराम गंगवार--

मैं यह कह रहा था कि मुख्य मंत्री जी ने कोई ऐसा निर्णय नहीं दिया कि पटेल जी की सदस्यता को समाप्त कर दिया जाय। मैं आपसे यह पूंछता हूं कि जब हम तीन बार जेल गए थे तो आपने कितनी बार जीप और मोटर दी। हम लोगों को 6-6- मील दूर ले जाकर जंगल में छोड़ा और आज आप शान्ति और व्यवस्था की बात करते हैं।

श्री मुख्तार अनीस—

मेरा एक व्यवस्था का सवाल है। आप इस माननीय सदन की पिछली कार्यवाही को निकाल लीजिए और उसमें आप यह पायेंगे कि उस वक्त भी इन्होंने यही कहा था, जो आज कह रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रसन्नता की बात है कि आप उस वक्त भी सुन रहे थे और आज भी सुन रहे हैं।

श्री चेतराम गंगवार—

मान्यवर, सब लोग जानते हैं कि मैं, श्री मंजूर अहमद, श्री रामेश्वर नाथ चौबे, डा0 उस्मानी कितनी बार जेल गए और हम लोगों को 20–20 और और 22–22 दिन तक अस्पताल में रहना पड़ा और आपने कतई सुनवाई नहीं की।

अब मैं तीसरी बात पर आता हूं, आप कहते हैं कि शान्ति और व्यवस्था में कमी आ रही है लेकिन मैं कहता हूं कि आप आंकड़े देख लीजिए, आंकड़े बोलते हैं, आज पहले के जमाने से कम कत्ल, डकैती, राहजनी और नकबजनी हो रही है। मैं मुरादाबाद की स्थिति के बारे में माननीय नेता से कहना चाहूंगा कि वह स्वयं गौर करें कि मुरादाबाद में 13 अगस्त, 1980 को क्या हालत थी और आज 13 सितम्बर, 1981 को क्या हालत है? तब भी यह बात कही जाती है कि शान्ति और व्यवस्था की हालत अच्छी नहीं है। मैं कहता हूं उस वक्त आप कहां थे जब सुरेश राम पर चार्ज लगाया जा रहा था।

मान्यवर, चूंकि मेरा समय समाप्त हो रहा है इसलिए मैं थोड़े से शब्दों के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं। मान्यवर, आज यह मुरतकीम, फूलन देवी और महाबीरा आदि डकैतों की बात करते हैं लेकिन इनको पाला किसने? अपने 3 वर्ष के शासन काल में आप लोगों ने ही इनको पाला। मुलायम सिंह यादव ने पाला, चौधरी चरण सिंह ने पाला। अन्त में एक शेर के साथ में अपनी बात समाप्त करता हूं :—

खून नहीं हर छिपाने से छिपता है कहीं भी,
क्यों मेरी बाज पर बैठे हो दामन छिपाये।

माननीय मुख्य मंत्री जी ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय लिया है मंडलीय मंत्रियों की स्थापना करके। अगर कोई कलक्टर, डी0 आई0 जी0 या एस0 पी0 जनता की कोई बात नहीं सुनता तो हमारे मंत्रिगण डिवीजनल हेडक्वार्टर में रहा करेंगे और आप देखेंगे कि आपके जमाने से इस प्रदेश की शान्ति व व्यवस्था बेहतर होगी। मान्यवर, आपने मुझे बोलने के लिये समय दिया, इसके लिये आपको बहुत–बहुत धन्यवाद।

*श्री ऊदल—

मान्यवर, शान्ति और व्यवस्था एक बहुत ही अहम मसला है। इस पर बहुत ही शान्तिपूर्ण तरीके से विचार करने की आवश्यकता है। शान्ति और व्यवस्था

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री ऊदल—]

का जो प्रश्न है उसका हमारे प्रदेश के विकास और जनजीवन का भी ताल्लुक है इसलिए मैं सभी माननीय सदस्यों से कहूंगा कि वे गम्भीरता से इस पर विचार करें। इसके दो हिस्से हैं, एक तो शान्ति व्यवस्था का मामला है और दूसरा हिस्सा अपराधों से सम्बन्धित है। डकैती हो रही है, राहजनी हो रही है, लूट हो रही है और सिर्फ इतना ही नहीं हो रहा है, बल्कि ट्रेनें लूटी जा रही हैं, बसें लूटी जा रही हैं। देखने की बात यह है कि इन अपराधों के विकास में बढ़ोतरी हुई है या इसमें कमी आयी है। सरकार की तरफ से झूठी रिपोर्ट व गलत आंकड़े आज दिये जा रहे हैं। ये आंकड़े बोल रहे हैं कि डकैती में कमी हुई है लेकिन मैं इसे मानने के लिये तैयार नहीं हूं।

दूसरा प्रश्न यह है कि शान्ति और व्यवस्था के नाम पर आए दिन इनकाउंटर हो रहा है। हमारे प्रदेश के लिये यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बन गया है कि क्या पुलिस को यह अधिकार दिया जायेगा या नहीं दिया जायेगा कि पुलिस विधि के मुताबिक काम करे या नहीं करे और जिसको वह चाहेगी घर से पकड़ कर इनकाउंटर दिखला देगी। उदाहरण के लिये मैं अपने ही क्षेत्र बड़ागांव थाने का जिक्र करना चाहता हूं। वहां के 4 निरपराध व्यक्तियों को जिनके बारे में अपराध जगत में कोई अपराध दर्ज नहीं रहा, उनको पुलिस पकड़ कर ले आयी और उन 4 नौ जवान लड़कों को गोली से उड़ा दिया कहा गया कि वे बाहर के डकैत थे। इतना ही नहीं, 45 घंटे तक वे इन लाशों को लावारिस करार देते रहे और जब मैं डी0 एम0 के पास 45 घण्टे के बाद पहुंचा तो अपने सामने उनकी शिनाख्त करायी थी। इसका कोई जवाब आपके पास है ?

इसी 28 जून को आजमगढ़ के जगूपुर गांव महमदाबाद में 6 व्यक्तियों को गोली से उड़ा दिया गया है। सरकार इस प्रश्न पर गम्भीरता से विचार नहीं कर रही है। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से मिलना चाहता था, मैं आई0 जी0 से मिलना चाहता था। मैं मुख्य सचिव से मिला, गृह सचिव से मिला लेकिन जिन दो थानेदारों पर इनकाउन्टर का चार्ज है वे ट्रांसफर हो जाने के बावजूद फर्जी सर्टीफिकेट लेकर आज भी सब की मौजूदगी में बनारस में घूम रहे हैं। गाजीपुर में पचासों इनकाउन्टर हुए हैं और न मालूम कितने लोग मारे गये हैं।

आज प्रदेश में बड़े पैमाने पर पुलिस के लोग वाहवाही के लिये इनाम हासिल करने के लिये फर्जी इनकाउन्टर दिखला कर, निरपराध व्यक्तियों को पुलिस—डाकू मुठभेड़ में दिखला कर उन्हें मौत के घाट उतार रहे हैं। बड़े दुख की बात है कि शासन की तरफ से उसके इशारे पर यह सब हो रहा है। हमारे सूबे में 80—81 के अन्दर करीब एक हजार व्यक्ति फर्जी इनकाउंटर में मारे गये हैं। मैं चार्ज करना चाहता हूं। श्रीमन्, जिस पुलिस को हम ने शांति और व्यवस्था का कार्य दिया है वही पुलिस अगर अपराधिक हो जाय बलात्कार में फंसे, डकैती में फंसे चोरी में फंसे और श्रीमन्, लोगों को मारे, हाथ पैर तोड़े, फर्जी डाकू पुलिस मुठभेड़ दिखला कर के इनकाउन्टर दिखाये तो आज शासन को सोचना पड़ेगा, हम सबको सोचना पड़ेगा।

पुलिस की जो मौजूदा ट्रेनिंग, शांति और व्यवस्था कायम करने के सिलसिले में है उस को बदलना पड़ेगा उसको बदलने की जरूरत है। पुलिस को घिसी पिटी ट्रेनिंग के आधार पर पुलिस आज बिल्कुल बदल चुकी है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि सरकार को विचार करना चाहिए। पुलिस की ट्रेनिंग आज के युग के

मुताबिक, लोकतंत्र के मुताबिक, विकास के मुताबिक करने की जरूरत है। सरकार सोचे और विचार करे।

मैं कहना चाहता हूं काशी नाथ जी से "बातल बुद्धि विवशमतवाले, वे न बोले वचन संभाले" सत्ता के मद में बातल यह शासन हो गया है। अच्छी बात सुनने को तैयार नहीं हैं, अपनी आलोचना सुनने को तैयार नहीं है, शांति और व्यवस्था ठीक करने के लिए तैयार नहीं है। श्रीमन् अच्छी शांति व्यवस्था रहेगी तो विकास का काम अच्छा होगा, जन-जीवन सुरक्षित होगा, योजनायें ठीक ढंग से चलेंगी। अगर शांति व्यवस्था ठीक नहीं रहेगी तो सब जगह गड़बड़ होगी। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि शासन गंभीरतापूर्वक सोचे। मैं जानना चाहता हूं कि कितने इनकाउन्टर हुये हैं फर्जी। शासन का यह मत आज नहीं पुराना है। मैजिस्टिरियल जांच के लिए आदेश हो जाते हैं। एक तरफ पुलिस, लोगों को तबाह, आतंकित करती है, किसी की गवाही नहीं देने देती। इसलिए जांच पद्धति में परिवर्तन होना चाहिए। मैं शासन से क्या जान सकता हूं कि बहुत सी जांच सी0 आई0 डी0 के सुपुर्द की गयी। सी0 आई0 डी0 ने पुलिस वालों को दोषी पाया और आज तक शासन ने कोई कार्यवाही नहीं की। मैं चार्ज करता हूं। फूलपुर थाने के बारे में सी0 आई0 डी0 की जांच कराने के लिए मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से रोकर मिला था और मुख्य मंत्री जी ने सी0 आई0 डी0 को जांच के आदेश दिये। मैं सी0 आई0 डी0 के अतिरिक्त महा निदेशक से मिला। उन्होंने कहा शासन द्वारा आदेश दिये थे कि प्रारम्भिक जांच कर दीजिए मैंने प्रारम्भिक जांच कर दी है मैं जानना चाहता हूं कि प्रारम्भिक जांच के मायने क्या होते हैं। सी0 आई0 डी0 ने जांच कर फर्जी इनकाउन्टर के मामले में सरकार को रिपोर्ट दी है उस पर सरकार ने क्या काम किया। बड़ागांव थाने में थानेदार ने चार व्यक्तियों को निरपराध मारा। एस0 एस0 पी0 के लिए इनाम घोषित किया गया था, एस0 एस0 पी0 को वाह-वाही दी गयी थी (शोर) एस0 एस0 पी0 के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई? थानेदार निलम्बित क्यों नहीं किया गया? मैं जानना चाहता हूं।

इन शब्दों के साथ मैं चाहता हूं कि शांति और व्यवस्था की हालत ठीक की जाय, हालत बहुत खराब है (व्यवधान)

(समय रात्रि 8 बजे)—

*श्री मुईद अहमद—

मान्यवर, सदन में शांति व्यवस्था पर चर्चा हो रही है। कल जो शांति व्यवस्था हमने यहां पर देखा, और जो इसके अड़ोस-पड़ोस में कमरे थे, माननीय मंत्रियों के कमरों में जो माईक लगे थे और जब हम बाहर निकले और लोगों ने उसको सुना तो मालुम हुआ कि किस तरह से घटना का बखान कर रहे थे। आज शांति व्यवस्था पर चर्चा करने वाले लोग किस तरह से ऐसा प्रस्ताव ला रहे हैं। कल जब माननीय पटेल जी स्टेचर पर आये तो सत्ता पक्ष के सारे विधायक क्षुब्ध हो गये और गम्भीर मुद्रा में हो गये और विरोध पक्ष का प्रत्येक विधायक हंस और मुस्करा रहा था और यह कह रहा था कि हमको आज मौका मिल गया है अराजकता को फैलाने का।

मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि विरोध पक्ष के लोग उत्तर प्रदेश में इस तरह से रंजिश प्रदर्शित करके शांति व्यवस्था में व्यवधान उत्पन्न कर रहे हैं। इस तरह से यदि विरोध पक्ष के लोग खिल्ली उड़ाते रहेंगे और यह चाहेंगे

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री मुईद अहमद--]

कि इसी तरह से होता रहे और मुल्जिम की तरफदारी करते रहें, मजा लेते रहें तो यह बड़े शर्म की बात है ।

मान्यवर, मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं । माननीय मुलायम सिंह यादव लोक दल के वर्तमान अध्यक्ष हैं। उस समय वे मंत्री थे । जब वे अपने जिले इटावा में अपने लोक दल का समर्थन कर रहे थे और मंच में एक मीटिंग में बैठे हुये थे तो जो उस मीटिंग को सुनने वाले लोग थे उनमें से खड़े होकर एक महिला ने कहा कि यह वही डकैत है जिसने मेरे जेवरों को लूटा है, मेरे घर डकैती डाली है, आज वे उस दल का नेतृत्व कर रहे हैं । ऐसा उस महिला ने कहा एक तरफ तो यह चर्चा कर रहे हैं । दूसरी तरफ यह देखने को मिला, लोगों ने अखबार पढ़ा होगा उसमें यह आया कि एक मंत्री का बेटा बलात्कार के केस में लिप्त है किन्तु पकड़ा नहीं जा रहा है । उस अखबार के आधार पर जिले के एस0 एस0 पी0 को चिठ्ठी लिखी गई । हमारी कांग्रेस पार्टी का ध्येय है कि अत्याचार को मिटाया जाय । अगर किसी ने यह हरकत की है तो उसको गिरफ्तार कर लिया जायेगा । इस सम्बन्ध में एक शेर पढ़ना चाहता हूं ।

माजी का वरक उलटो तारीखे वफा देखो ।

हम अहले मुहब्बत रिदार मिसाली हैं ।

मान्यवर, मुजफ्फरनगर में किराना क्षेत्र है वहां से बाबू हुकम सिंह जी हैं जो आज सदन की कार्यवाही से निष्कासित हैं । जब वे पिछली बार सत्ता में थे तो उनको मालूम है कि उस क्षेत्र में आये दिन लड़कियों को उठा ले जाते थे, मार्केट भी लूट ली जाती थी । आज वहां पर एक मुर्गी चोरी नहीं हो रही है आप चाहें तो आंकड़े मंगा लें । आप देखें कि 77 से 79 तक देश के अन्दर कितने जरायम हुये हैं और अब क्या स्थिति है ।

कल यहां पर जो कुछ हुआ, वह किसी से छिपा नहीं । जब सदन के विरोध पक्ष के नेता सदन में इस तरह का प्रदर्शन कर रहे थे और जिस छवि का वे प्रदर्शन कर रहे थे । अखबारों के माध्यम से आज पूरे प्रदेश और देश में उसकी जानकारी हुई है । हम लोगों का सड़क पर जाना मुश्किल हो गया है । यहां मेज पर लेट गये और सरकारी फाइलें फाड़ दी । कार्य मंत्रणा समिति में तय किया कि अब इस तरह का नहीं होगा और फिर सदन में वही किया जाता है । जो बात तय हो जाती है उस पर खामोशी से चर्चा नहीं करते हैं ।

मान्यवर, एक बात और कहना चाहता हूं कि जब से लोकदल का प्रदर्शन पूरे उत्तर प्रदेश में चल रहा था और लोकदल के कार्यकर्त्ता जेलों में भरे गये, आंकड़े मंगा कर आप देख लें यह सत्य है इन तीन चार दिनों में चोरी और डकैती की घटनायें कम हुई हैं । पहले ये अपने बगल में झांकें, अपनी जेब टटोलें और तब जाकर विरोध करें । इन शब्दों के साथ में अपनी बात समाप्त करता हूं ।

*श्री सत्यपाल सिंह--

माननीय उपाध्यक्ष जी, आपने मुझे इस चर्चा में बोलने का अवसर दिया मैं उसके लिए आपका आभारी हूं । मैं कोई भी बात आलोचना की दृष्टि से न रख कर

*वक्ता ने भाषण का पुनर्नीक्षण नहीं किया ।

वर्तमान शासन की निगाहों में कुछ बातें अवश्य रखना चाहूंगा जो निष्पक्ष होंगी। यह सही है कि अपराध दुनियां के हर देश में बढ़ रहे हैं, हिन्दुस्तान में बढ़ रहे हैं, हमारे प्रदेश में बढ़ रहे हैं। लेकिन शासन नहीं मुकर सकता है कि इस समय प्रदेश में डकैतियों का जितना प्रकोप बढ़ा है उतना कभी नहीं बढ़ा।

मान्यवर, पोथी और छविराम गिरोह की बात आपने अखबारों में पढ़ी होगी कि उसके इलाके में इस सरकार का शासन नहीं चलता है वहां पर छविराम की सरकार कही जाती है, वह पंचायत करता है। पोथी जो छविराम का सबसे बड़ा साथी है तहसील जलालाबाद, थाना कलां बेहटी का निवासी है। पोथी बेहटी के अन्दर छविराम को लेकर पूरे गिरोह के साथ आता है और 10 आदमियों का कत्लेआम करता है। जब कत्लेआम हुआ था उससे पहले वहां के पुलिस अधीक्षक से कहा था कि आपने बेहटी गांव से पी0 ए0 सी0 क्यों हटा ली है। अब: वहां कत्ल अवश्य हो जायेगा। वहां पर पोथी का भाई बादशाह सिंह मारा गया था। मैंने इसकी सूचना पुलिस अधीक्षक को दी थी लेकिन उनके कानों में जूं नहीं रेंगी। तो वह सारे गिरोह को लेकर आया और 10 आदमियों का कत्लेआम कर दिया। यह पुलिस अधीक्षक की लापरवाही से हुआ। अगर पी0 ए0 सी0 न हटाई गई होती तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 10 आदमी नहीं मारे जाते।

मैं कहना चाहता हूं कि कानपुर में फूलन देवी ने 21 आदमियों को मारा था तो हमारे वर्तमान मुख्य मंत्री जी ने उन सारे लोगों के परिवार वालों को 10-10 हजार रुपये दिये लेकिन शाहजहांपुर में बेहटी में मृत परिवार के लोगों को कोई अनुदान नहीं दिया। इस प्रकार सौतेला व्यवहार यह सरकार कर रही है। मैं कहना चाहता हूं कि नथुवा नगला कलां में समय पर पुलिस पहुंच गई होती तो इतना बड़ा काण्ड नहीं होता और पुलिस जन हताहत नहीं होते। यह सारी घटनायें आपकी अदूरदर्शिता से और पुलिस विभाग की गद्दारी की वजह से हो रही हैं।

आपकी पुलिस आज दो गुटों में बंटी है। कुछ लोगों का सामान्य रूप से किसी पार्टी से सम्बन्ध नहीं है लेकिन अधिकांश लोग इन्दिरा गांधी की पार्टी के समर्थक हैं और कुछ लोकदल के समर्थक हैं। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि बागपत काण्ड के हीरो जो दरोगा गौड़ थे, वह आजकल शाहजहांपुर में विद्यमान हैं और वहीं पर मुजफ्फरनगर से आये हुए दूसरे थानाध्यक्ष श्री एस0 एस0 लौर भी मौजूद हैं। यह दोनों ही एक दूसरे के उल्टे हैं, दोनों में बड़ा अन्तर है। यदि एक उत्तर है तो दूसरा दक्षिण है। यदि एक गौड़ इन्दिरा गांधी का समर्थक है तो दूसरा लौर श्री चरण सिंह की माला जपता है। इस लौर की वहां से आने पर सबसे पहले नियुक्ति ददरौल में हुई, लेकिन सत्ता के बल पर ददरौल के कांग्रेसी विधायक ने उसे वहां से तीन महीने में ही हटवा दिया। फिर वह निगोही क्षेत्र में आया, वहां भी एक कांग्रेसी विधायक थे, जिसने उसे वहां से 2 महीने 16 दिन में हटवा दिया। अब वह वहां से हटकर मेरे क्षेत्र में आ गया है। एस0 एस0 पी0 ने अपने सर की बला टालने के लिए उसे मेरे क्षेत्र में जो एक गैर कांग्रेसी का क्षेत्र है, यहां भेज दिया है और वह मेरे यहां जमकर बैठ गया है। यह बहुत बेढ़ब और दबंग पुलिस अधिकारी है। अपनी मनमानी करता है, किसी विधायक, एम0 पी0 को कुछ समझता नहीं है। यही नहीं खुलेआम सारे कांग्रेस के एम0 पी0 ज0 और एम0 एल0 ए0 के लिए खुलकर गालियां देता है। इसके लिए

[श्री सत्यपाल सिंह--]

आप मेरा कहना न मानें, लेकिन अपने दल के कांग्रेस के एम0 एल0 एज0 की ही बात मान लें और आप उन्हीं से पूछ लें । आपकी पार्टी के सारे लोगों ने उसके विरुद्ध तमाम शिकायतें की हैं, लेकिन उसके खिलाफ कोई कार्यवाही न करके केवल मेरे यहां उसे रख दिया गया है । वह विधायकों और एम0 पी0 को कुछ नहीं समझता है, उनकी खुलेआम आलोचना करता है और कहता है कि यह तो तीसरा-चौथा पास एम0 एल0 ए0 लोग क्या जानते हैं ।

बदरौल और निगोही वाले दोनों एम0 एल0 एज0 तीसरा-चौथा पास थे, उनको कुछ नहीं समझता था, खूब आलोचना करता था । मेरी यह इस बात के लिए आलोचना कर नहीं सकता है, क्योंकि वह एम0 ए0 एल0 एल0 बी0 है तो मैं एम0 ए0, एल0 एल0 एम0 हूं । वह चरण सिंह का भक्त है, उनका खुलकर समर्थन और काम करता है । मैंने चरण सिंह की पार्टी छोड़ दी, इसलिए वह मुझसे नाराज होकर मेरी और मेरे परिवार की इज्जत और जान लेने पर उतारू है । आप भले मेरी बात न मानें, अपने दल के लोगों से ही रिपोर्ट ले लें । गृह मंत्री जी इसी बात पर खुश हैं कि वह टिकटी-उठाऊ मंत्री हैं । उन्हें टिकटी उठाऊ मंत्री की संज्ञा दे दी गई है । मैंने उदाहरण दिया है...

(व्यवधान)

शाहजहांपुर में सेहरामऊ दक्षिण के दरोगा श्री मिश्रा ने 15 आदमियों की दाहिनी टांगें तोड़ दी हैं, इस पर उनके खिलाफ शिकायत हुई, लेकिन उनका कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि उनको संरक्षण प्राप्त है । आज हमारे विधायक लटूरी सिंह का मामला सदन में आया था । लटूरी सिंह के विरुद्ध जी0 एल0 शर्मा, एस0 पी0, फर्रुखाबाद और के0 डी0 शर्मा, एडिशनल आई0 जी0 का बनाया हुआ षड्यंत्र काम कर रहा है । उनका शैडो हटा लिया गया है, उनके घर से गार्ड हटा लिया गया है और मुझे पूरी आशंका है कि वर्तमान शासन की उनका कत्ल कराने की योजना है । मुझे अफसोस है कि यह शासन फिर भी आंख बन्द करके बैठा हुआ है । यह जो आपका काला कारनामा है उससे लगे दाग को आप धो नहीं सकते हैं । उनकी रक्षा करनी है तो आपको सारी बातों को देखना होगा।

श्री रामस्वरूप वर्मा--

माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं आपका अनुग्रहीत हूं कि आपने इस विषय पर मुझे बोलने का अवसर दिया । बहस इस प्रस्ताव पर है...

(व्यवधान)

उत्तर प्रदेश में कानून और व्यवस्था की स्थिति में उत्तरोत्तर गिरावट आई है । अब मान्यवर, इस सिलसिले में 2-3 महत्वपूर्ण बातें कह दूं क्योंकि माननीय सदस्य उधर के इधर वालों पर और इधर के उधर वालों पर आरोप लगा देते हैं कि राज्य की कानून व्यवस्था इनके कारण खराब है । मेरी समस्या यह है कि न मैं इधर वालों का जब राज्य था उस समय इनके साथ था और न जब उधर वालों का राज है तब उनके साथ हूं ।

मुझे संस्कृत की कहावत याद आती है कि "असन्तुष्टा द्विजा नष्टः, संतुष्टः च महीपतिः" । असन्तुष्ट होने वाला द्विज स्वयं नष्ट होता है और सन्तुष्ट होने वाला राजा नष्ट होता है । अगर प्रशासन इतना अच्छा है तो फिर सत्ता पक्ष के माननीय सदस्यों से पूछना चाहता हूं कि कानून व्यवस्था में निरन्तर गिरावट क्यों

आई है । अगर ये इस बात पर दृढ़ हैं तो मैं 2–3 उदाहरण पेश करना चाहता हूं । इसी आदरणीय सदन में वर्ष 1957 में 425 एम0 एल0 एज0 थे तो उनमें से कितने एम0 एल0 एज0 को शैडो मिले हुए थे और अब कितने एम0 एल0 एज0 को शैडो मिले हुए हैं । यह उतरोत्तर गिरावट नहीं है, तो किस बात का सबूत है ? मेरी प्रार्थना है कि जब माननीय मुख्य मंत्री और गृह मंत्री उत्तर दें तो बता दें कि विधायकों की रक्षा के लिए वर्ष 1957 में कितने शैडो थे और अब कितने हैं ।

मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि पहले कितनी पुलिस विधान सभा की रक्षा के लिए रहती थी और अब कितनी रहती है ? तीसरा सवाल यह है कि यहां पर पुलिस का कैम्प कभी नहीं लगा । बराबर वर्ष 1969 तक यह स्थिति रही कि यहां पर कभी भी पी0 ए0 सी0 का कैम्प नहीं लगा अब आप देखिये बारुल शफा में पी0 ए0 सी0 का कैम्प लगा हुआ है । पहले इतनी पुलिस की कभी जरूरत नहीं होती थी ।

चौथा सवाल मेरा यह है कि पहले मिनिस्टर्स के यहां सादी वर्दी में पुलिस के गार्ड रहते थे अब सबके यहां बन्दूक धारी और रायफलधारी पुलिस रहती है । तो मैं जानना चाहता हूं कि यह गिरावट का सबूत है या सजावट का ? आप इसकी जानकारी करा लें कि सारे मिनिस्टरों के यहां पर कितनी पुलिस रहती है । अगर आपको भय नहीं है तो आपने अपनी सुरक्षा के लिये कितनी पुलिस फोर्स को रखा है । सुरक्षा तो स्वयं जनता करती है, यह सवाल ज्वलंत है । मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह निरंतर गिरावट का सबूत नहीं है । इस पर आप बैठ कर विचार कर लें । यदि शांति व्यवस्था में कोई गड़बड़ हो तो आप इस सदन में विचार करें विरोध पक्ष के लोगों के सुझाव लें कि कैसे सुधार हो और अगर आप कानून व्यवस्था में गिरावट नहीं मानते हैं तो मेरी उपरोक्त चारों बातों से आपको स्थिति मालूम हो जायेगी ।

मैं यह भी बता देना चाहता हूं कि बसों में पहले पुलिस की आवश्यकता नहीं होती थी, रेलों में पुलिस की आवश्यकता नहीं होती थी क्योंकि लूटने की इतनी घटनायें नहीं हुआ करती थीं । अब जितनी डकैतियां बसों और रेलों में होती हैं, पहले किसी भी शासन में नहीं हुयी । क्या यह इसका प्रमाण नहीं है कि कानून और व्यवस्था में निरन्तर गिरावट हुई है ? यदि नहीं तो यह किस बात का सबूत है ? मैंने जो प्वाइंट्स सदन में रखे हैं, मेरी प्रार्थना है कि मंत्री जी उनका उत्तर दे दें ।

ये जुर्म क्यों बढ़ रहे हैं, इसका एक बहुत बड़ा कारण यह है कि जो लोग जुर्म करने वाले हैं, अत्याचार करने वाले हैं, रिश्वत लेने वाले हैं, उनका संरक्षण सरकारी पक्ष के विधायकगण करते हैं या मिनिस्टर लोग करते हैं । मैं एक उदाहरण अपने क्षेत्र का देना चाहता हूं । मेरा क्षेत्र डाकुओं से त्रस्त है । वहां पर बहुत बड़ा पुलिस अधीक्षक लगाया गया आई0 जी0 भी बदले गये, मगर एक भी मशहूर डकैत न पकड़ा गया और न मारा गया । 2 हजार पी0 ए0 सी0 वाले एक बार बैठा दिये गये, उनका जाल बिछा दिया गया लेकिन पहली जनवरी, 1980 से आज तक एक भी डकैत नहीं पकड़ा जा सका । पी0 ए0 सी0 बराबर पड़े हैं ।

[श्री राम स्वरूप वर्मा--]

यह जो बेहमई कांड हुआ था वह मेरे ही यहां हुआ था। उस जघन्य कांड के बाद से भी आज तक कोई डकैत नहीं पकड़ा जा सका। यह निरन्तर गिरावट का सबूत नहीं है तो और क्या है। इस कांड के बाद एक दरोगा भेजे गये। वे डकैतों भी डकैतों से मिलकर करवाते थे और रुपया भी पैदा करते थ। वह खुद भी लूटते थे और डकैत भी लूटते थे। एक भी डकैत उनके समय में नहीं पकड़ा जा सका। इसके खिलाफ शोषित समाज दल के लोगों का एक प्रदर्शन भी हुआ था, और उन लोगों ने 4 जुर्म भी स्पष्ट उसके खिलाफ बताये थे, पर उसका ट्रान्सफर नहीं हो सका।

ऋषीपाल सिंह नाम के एक दरोगा थे, उनको करन सिंह नाम के एक आदमी ने यह खबर दी कि फलां जगह पर एक डाकू है और उसके पास से एक राइफल, 80 कारतूस और 40-42 हजार रुपया बरामद भी करवाया, मगर वह रायफल बताने वाले के पास रखवा कर उसको फांस दिया गया और डकैत को छोड़ दिया और रुपया खुद हजम कर गये। एक और घटना है। एक आदमी सफर से आ रहा था, उस थाने के दरोगा ने 5 हजार रुपया उसका लूट लिया। एक और घटना बता रहा हूं। वहां पहलवान किस्म के एक सिपाही ने एक डकैत को पकड़ा। उस पर 500 रुपये का इनाम भी घोषित किया गया था। जब सिपाही उसको पकड़ कर थाने ले जा रहा था तो उसने छोड़ने के लिये सिपाही को दस हजार रुपए का लालच दिया किन्तु सिपाही ने उसे नहीं छोड़ा और दरोगा को सौंप दिया गया तो उस बदमाश ने उसी दरोगा को रुपये दिये और उक्त दरोगा ने उस डकैत को छोड़ दिया। इन्हीं ऋषीपाल दरोगा के बारे में कई बार शिकायतें भी लिखकर माननीय मुख्य मंत्री जी के पास भेजी जा चुकी हैं। एक बार उसका ट्रांस्फर हुआ पर वह फिर रुक गया। अभी आकर एक दो माह पूर्व उसका ट्रान्सफर हुआ है (व्यवधान)।

एक बात और आपसे निवेदन करना चाहता हूं एक डी0 आई0 जी0 ने, जो प्रशासनिक अधिकारी थे, 1948 में यह रिपोर्ट दी थी कि जो जुर्म बढ़ रहे हैं उसका कारण यह है कि बहुत से गुन्डे अपने को कांग्रेसी कहने लग गये हैं। यह उस रिपोर्ट में है आप मान्यवर, उसे मंगा कर देख सकते हैं। एक बड़े आफिसर ने यह लिखा है अपनी रिपोर्ट में। इन शब्दों के साथ में इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

*श्री श्याम लाल बाजपेयी--

मैं उपाध्यक्ष महोदय, एक बात निवेदन करना चाहता हूं। इस समय तक काफी चर्चा शान्ति और व्यवस्था पर हो चुकी है, सत्ता पक्ष से भी और विपक्ष की ओर से भी। मेरा निवेदन है कि अब काफी समय हो चुका है, हम थक गये हैं, अब माननीय गृह मंत्री जी का उत्तर सुन लिया जाये। तुलसी दास जी की एक चौपाई मुझे याद आ रही है।

'सुनौ तात यह अजब कहानी, समझत बनै न जात बखानी'

तो मान्यवर, इनकी कोई बात समझ में नहीं आ रही है। अब इसे समाप्त करें। साढ़े 8 तो बज चुके हैं।

कानून व्यवस्था चकाचक है, मान्यवर, माननीय गृह मंत्री जी से उत्तर ले लीजिए, आप भी विश्राम कीजिए, कहां हाय-हाय में पड़े हो। अब मान्यवर, बहुत हो गया।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री त्रिवेनी--

मैं माननीय वाजपेयी की राय का समर्थन करता हूं ।

(श्रीमती कुदसिया बेगम का नाम पुकारे जाने पर)

श्री जसवन्त सिंह विष्ट--

मान्यवर, मुझे बोलने के लिये आज्ञा है ?

श्री उपाध्यक्ष--

आपको कैसे आज्ञा दूं, एक महिला खड़ी हैं, उनको बोल लेने दीजिए, बाद में देखूंगा ।

(व्यवधान)

श्री जसवन्त सिंह विष्ट--

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं, आपने मुझे समय दिया । मान्यवर, जब से हमने होश सम्भाला..

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय जसवन्त सिंह जी, आप बैठिये, मैंने एक महिला को बुला लिया है ।

*श्रीमती कुदसिया बेगम--

जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, मैं मश्कूर हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया । मेरा इरादा बोलने का नहीं था और न बोलूंगी ।

श्री उपाध्यक्ष--

क्या आप बोल नहीं रही हैं ?

(हंसी)

श्रीमती कुदसिया बेगम--

मुझे सिर्फ एक शेर याद आ गया जो कि मैं पढ़ना चाहती हूं ।

'थी खबर गर्म कि गालिब के उड़ेंगे टुकड़े,
देखने हम भी गये थे कि तमाशा न हुआ।'

जनाबेवाला, बहुत उम्मीद थी इधर से उधर से कुछ खूबसूरती के साथ तकरीरें पेश होंगी और बहुत कुछ आंकड़े दिये जायेंगे, लेकिन उधर से केवल यही तकरीरें आईं कि कांग्रेस हुकूमत में आई और उसने कुछ नहीं किया । इसके अलावा मैंने उधर के माननीय सदस्यों की कोई भी तकरीरें नहीं सुनी । जनाबेवाला, इसलिए मुझे सिर्फ शेर पढ़ना था । गुप्ता जी इस चीज को जानते हैं, जो कि उनकी सरकार थी, जो कि डेढ़ साल हुआ, यहां से रवाना हुई है । उनके जमाने में जितने कम्युनल रायट्स और अपराध हुए हैं, वह हमको भी मालूम है और उनको भी मालूम है । वह कोई ऐसे आंकड़े नहीं दे सकते थे कि जिसको वह बताते । मैं तो सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूं कि कल का जो विरोधी दलों का मुजाहरा था, उसको देखकर हम सबको यह अंदाजा होता है कि पहले वह अपने को दुरुस्त

*वक्ता ने भाषण का पर्यवेक्षण नहीं किया ।

[श्रीमती कुदसिया बेगम]

कर लें, क्योंकि ला एन्ड आर्डर अपने घर से ही शुरू होता है। ला एन्ड आर्डर यहां अगर नहीं ठीक होगा, तो वह बाहर क्या ला एन्ड आर्डर मेन्टेन करेंगे। कल यहां पर लोगों ने देखा कि हमारे विरोधी दल के लोगों का क्या हाल है और किस तरह से वह जम्हूरियत को चलाना चाहते हैं।

*श्री अकबाल हुसैन--

मान्यवर, इस प्रस्ताव के समर्थन में मैं खड़ा हुआ हूं कि कानून व्यवस्था दिनोंदिन गिर रही है। मैं इस निश्चित मत का हूं कि इस सरकार में जो कानून व्यवस्था होनी चाहिए वह नहीं है और इसमें कोई संदेह नहीं है कि कानून व्यवस्था गिर रही है। मान्यवर, हमारी तरफ के माननीय सदस्यों ने जो डाकुओं और डकैतियों और आये दिन जो कत्ल होते हैं, से इस सदन को अवगत कराया। मैं आपके माध्यम से और इस सदन के माध्यम से पूरे प्रदेश को यह सूचना देना चाहता हूं कि अब तक के राजनैतिक जीवन में या जो हमारा 38 साल का जीवन था, मान्यवर, अब तक हमने कभी किसी के खिलाफ 1980 तक रिपोर्ट नहीं लिखायी थी। यह अपना सौभाग्य समझूं या दुर्भाग्य कि आपके राज्य में हमको दो एफ0 आई0 आर0 लिखानी पड़ी। गुप्ता जी ने तो एक लतीफा सुनाया घड़ी छीनने का। 8 जून, 1981 को कर्नलगंज स्टेशन पर मैंने एन0 ई0 आर0 में गोंडा में ज0 आर0 पी0 में एफ0 आई0 आर0 लिखाया लेकिन आज तक कोई कार्यवाही नहीं की गई।

सहकारिता विभाग के अन्दर पचपेड़वा थाने में एफ0 आई0 आर0 दर्ज कराई गई, जो मुलजिम पकड़ा गया उसको दरोगा ने थाने से छोड़ दिया।

आपका पुलिस विभाग कानून और व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिये कोई कार्यवाही नहीं कर रहा है। पचपेड़वा थाने के अन्दर असगर नमा नामक एक स्मगलर रहता है, जिसको कांग्रेस (आई) के एक माननीय सदस्य का संरक्षण प्राप्त है। अन्य माननीय सदस्यों ने तो उनका नाम नहीं लिया लेकिन मैं साहस के साथ उनका नाम लेता हूं वह कांग्रेस (आई0) के एक सांसद हैं श्री चन्द्रभान मुनि त्रिपाठी। इनका संरक्षण उसको प्राप्त है।

श्री उपाध्यक्ष--

जो माननीय सदस्य यहां मौजूद नहीं है उनका नाम नहीं ले सकते हैं।

श्री अकबाल हुसैन--

वह इस सदन के सदस्य नहीं है, सांसद हैं।

श्री उपाध्यक्ष--

वह यहां नहीं हैं।

श्री अकबाल हुसैन--

एक घटना घटी 3 अगस्त, 1980 को बरगदवासेफ के एक दल के कुछ लोगों ने दूसरे दल के लोगों का घर जला दिया और ट्रैक्टर तक उसमें जल गये। थाने में मुलजिम पकड़कर लाये गये, कार पकड़ी गई थी, उस कार को थाने से घसिटवा कर त्रिपाठी ने अपने एक मित्र के यहां पहुंचवा दिया। उस दरोगा

*वक्ता में भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

के आने से वहां के लोगों को राहत मिली थी लेकिन उसने उनके आदमियों को संरक्षण नहीं दिया इसलिए उस दरोगा, माननीय मुख्य मन्त्री जी सुन लें, राज्य गृह मंत्री जी सुन लें, का स्थानान्तरण कर दिया गया। बिहार से चोरी की गई कार उस स्मगलर को वह दिलाना चाहते थे। माननीय मुख्य मंत्री जी, आपने कहा था कि हम ऐसे राजनीतिक लोगों को भी संरक्षण नहीं देंगे।

हमारे जनपद गोंडा में शान्ति व्यवस्था दिनों दिन गिरती जा रही है। मैं माननीय मुख्य मन्त्री जी से आशा करता हूं कि जनपद गोंडा में शान्ति व्यवस्था को ठीक करने के लिए कड़े कदम उठायेंगे। मान्यवर, मेरे क्षेत्र में भनगापुर गांव में वजीरगंज थाने में 8 हरिजन मारे गये, किन्तु हरिजन उत्पीड़न को रोकने के लिए कोई कार्यवाही नहीं की गई। मान्यवर, श्री रघुराज ने कहा कि मेरे जान का खतरा है। इस तरह से गोंडा में चौक में गोलियां और बम छूटते रहते हैं। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि गोंडा में शान्ति व्यवस्था सुधारने के लिए आवश्यक कदम उठाये जायं।

*श्री विद्यासागर नौटियाल--

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने इस विषय पर मुझे बोलने का मौका दिया। हमारे पर्वतों में कुछ साल पहले ऐसा शान्त जीवन था जिसके बारे में कहावत प्रसिद्ध थी लेकिन समाज में बढ़ने वाले अपराध पुलिस के द्वारा नहीं बढ़ते, समाज के अन्दर बढ़ने वाली विषमता के कारण अपराध बढ़ते हैं। पहाड़ों में आज हजारों मजदूर काम करते हैं। बड़ी-बड़ी इजारेदार कम्पनियां काम करती हैं और इस तरह से पूरे देश में बंधुवा मजदूरों के द्वारा काम करवाया जाता है। राज्य सम्पत्ति की चोरी होती है लेकिन उसके बारे में कोई नजर नहीं डालता कोई जे0 ई0 किसी ठेकेदार को ठीक तरह से पेमेंट नहीं करता तो वह ठेकेदार उस जे0 ई0 के यहां 12 बजे छुरा ले कर चला जाता है और मजबूर हो कर उसे पेमेंट करना पड़ता है और सरकारी टेंडर होते हैं तो वहां भी वह ठेकेदार छुरा ले कर बैठ जाता है और फिर किसी दूसरे की हिम्मत नहीं होती कि कोई दूसरा टेंडर डाल सके। रोडवेज, रेल, सरकारी कारखानों में सब जगह राज्य सम्पत्ति की चोरी होती है। इस चोरी को जो लोग बढ़ावा देते हैं, उनके खिलाफ हम कोई कदम नहीं उठाते।

बड़ी-बड़ी फैक्ट्रीज में पावर का दुरुपयोग करते हुए लोग पकड़े गये लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्यवाही कभी नहीं की गई। इस तरह हमारे प्रदेश में बड़े-बड़े चोर हैं जो कि बिजली की चोरी करते हैं और अगर कोई कर्मचारी उनको पकड़ने जाता है तो उसको छूरा दिखाया जाता है, पिस्तौल दिखाया जाता है। हमारे मुहर्रिर अगर उसको रोकना चाहते हैं तो वे उसको मारने की धमकी देते हैं वर्ना 10 रुपये का नोट देकर कहते हैं कि हमें चले जाने दो। जो जंगल के अन्दर रहने वाला वन रक्षक है जब वह मारा जाता है तो पुलिस के समान उसको सम्मान मिलना चाहिये और उसकी विधवा, बाल बच्चों को सुविधायें दी जायं। हमारा समाज वैसे भले आदमियों से रीता नहीं हुआ है लेकिन उनकी आवाज इस तरह से दबा दी गई है कि उनकी हिम्मत नहीं होती है कि उसे उठा सकें। हमारे इस समाज में पूंजीवादी व्यवस्था के कारण जहां लाखों आदमी मेहनत करते हैं वहां एक आदमी उस मेहनत की चोरी करता है और इस सरकार के बस की बात नहीं है है कि उसे रोक सके।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री त्रिवेनी—

आपकी सरकार थी तब उसके बस की थी .

श्री विद्यासागर नौटियाल—

त्रिवेनी जी को खूबी है कि वह जीवित आदमी को मरहूम कहते हैं । वह मेरी बात समझ नहीं सकते । आप अपने कर्मचारियों तथा अधिकारियों को कस दें पुलिस के कर्मचारी भी उसमें हों । ऐसा नहीं कि केवल पुलिस वालों को कस दें और इवजीक्यूटिव इंजीनियर से कहें कि तुम जो चाहे करो । मान्यवर, जो छोटे कर्मचारी हैं जो आपकी संपत्ति की रक्षा करते हैं अगर आप उनको सहारा दे दें, उनको गारंटी दे दें कि अगर राज्य की संपत्ति की रक्षा करने में अगर आपको कोई हानि होती है तो सरकार की जिम्मेदारी होगी वह आपको पारिश्रमिक देगी और आपको सम्मान देगी तो मैं समझता हूं कि राज्य के अंदर स्थिति सुधर सकती है । मैं आपको पुनः धन्यवाद देता हूं जो आपने मुझे बोलने के लिए अवसर दिया ।

(गृह मंत्री को पुकारे जाने पर)

श्री जसवंत सिंह बिष्ट—

मान्यवर, मैं प्रार्थना करता हूं कि पहले मुझे बोल लेने दें क्योंकि मैं पुलिस के अत्याचारों का भुक्तभोगी हूं । जितने सदस्य बैठे हैं शायद ही किसी को पुलिस ने मारा है या दूसरे अभियोग लगाये हैं लेकिन मैं दावे के साथ इस बात को कह सकता हूं कि जबसे मुल्क आजाद हुआ है तब से लेकर अब तक पुलिस की ओर से कई प्रकार की यातनायें मुझको दी गयीं और झूठे आरोप लगाये गये और पकड़ा गया तथा पीटा गया । मैं मुख्य मन्त्री की तारीफ कर रहा हूं, कोई निंदा नहीं कर रहा हूं । मैं कहना चाहता हूं आज कानून और व्यवस्था अमीर लोगों के लिए है पुलिस का फायदा उनको मिल रहा है लेकिन जो गरीब आदमी हैं वह परेशान हैं । मैं भी भुक्तभोगी हूं ।

श्री उपाध्यक्ष—

आप बैठ जाइये ।

श्री जसवंत सिंह बिष्ट—

मैं कहना चाहता हूं कि जगह-जगह पर पुलिस वाले जुआ करवाते हैं और गलत काम करवाते हैं, डकैतों से मिले रहते हैं और सारे कुकर्म पुलिस वाले करते हैं । हमारे माननीय सदस्यों को बुरा लगता है, तो ऐसा लगता है कि उनको कुछ उनसे मिलता होगा ।

श्री उपाध्यक्ष—

बिष्ट जी, आप बैठिये ।

श्री जसवन्त सिंह विष्ट--

[× × ×]

श्री उपाध्यक्ष--

विष्ट जी जो बोल रहे हैं वह लिखा नहीं जायगा ।

श्री जसवन्त सिंह विष्ट--

[× × ×]

श्री उपाध्यक्ष--

आप बिना आज्ञा के बोल रहे हैं यह लिखा नहीं जायगा ।

श्री जसवन्त सिंह विष्ट--

[× × ×]

*गृह राज्य मंत्री (श्री राजेन्द्र त्रिपाठी)--

मान्यवर, माननीय सदस्य, विरोध पक्ष ने एक चर्चा का प्रस्ताव रखा । हमने यह उम्मीद लगा रखी थी कि उनकी ओर से कुछ सुझाव ऐसे आयेंगे जिनका उपयोग कर के हम लोग शांति व्यवस्था की स्थिति जो विगत वर्षों से अच्छी है, उसको और अच्छी करेंगे । लेकिन केवल एक ही बात आज याद आयी कि वाराणसी के ऊदल साहब को रामायण की चौपाई का ध्यान आया । मैं इसके लिये उनका अभिनंदन करता हूं ।

मैं शांति व्यवस्था के सिलसिले में यह कहना चाहता हूं कि जाकी रही भावना जैसी हरि मूरत देखीं तिन तैसी । मान्यवर, मैं क्या करूं यह लोग जो चश्मा लगाकर बैठे हैं वह जिस रंग का है उनको हर चीज उसी रंग की दिखायी पड़ती है । यह कहा गया है कि पीलिया के मरीज को हर चीज पीली दिखायी पड़ती है । मैं नहीं जानता कि माननीय सदस्य उस रोग से ग्रसित हैं या नहीं लेकिन लक्षण इसी प्रकार के मिलते हैं । मैं चाहता हूं कि उनका सुचारु रूप से इलाज हो सके । मैं इसलिये एक बात कहना चाहता हूं कि शांति और व्यवस्था की बात करते-करते हमारे वरिष्ठ सदस्यों ने भी कुछ बातें इधर-उधर की कहीं और खासतौर से जब रियासत साहब कोई बात कहते हैं, तो उनकी अपनी एक अदा है वह अदा उनकी ऐसी है कि कहीं पर निगाहें और कहीं पर निशाना और मान्यवर, इन्होंने जो भी बातें कहीं, उनमें कोई तथ्य तो नजर आये नहीं । इस लिए मान्यवर, आपकी आज्ञा से इस आदरणीय सदन के सम्मानित सदस्यों को उनकी गरिमा का ख्याल कराना चाहता हूं ।

एक हमारे वरिष्ठ सदस्य हैं, श्री राम स्वरूप वर्मा जी, जिन्होंने 52, 57, 67 और 69 की बात बतायी कि उस समय क्या होता था और क्या नहीं होता था, तो मैं उनसे यह पूछना चाहूंगा कि क्या 52 में वह भी होता था जो कल हुआ है । दूसरे मान्यवर, आज शेरो-शायरी का भी कुछ माहौल रहा । मान्यवर, मुझे भी आपके संरक्षण में रहने का अवसर मिला है, इसलिए मुझे भी इससे कुछ दिलचस्पी हो गयी है और एक सम्मानित और वरिष्ठ सदस्य, श्री भाखा लाल

नोट--(×××) यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री राजेन्द्र त्रिपाठी--।

जी हैं, उन्होंने भी एक कहानी सुनाई छोटे उल्लू और बड़े उल्लू की, तो मुझे ऐसा लगा चिड़िया उड़ने लगी है, कुछ उड़ गयी हैं और कुछ रह गयी हैं। अब इसका अंदाजा तो उन्हीं को होगा कि वह छोटे उल्लू हैं या बड़े।

दूसरी एक बात और कहना चाहूंगा कि एक बात पर प्रश्न उठा था कि शांति व्यवस्था अच्छी हो या खराब, उसकी आंकड़े माने या न मानें हमें और आपको उसका अहसास होना चाहिए और यह बिन्दु ऐसा है जिस पर सभी माननीय सदस्यों को विचार करना चाहिए। आप यहां पर तो शांति और व्यवस्था की बात तो करें और शांति व्यवस्था की बात करते-करते हम खुद अपने दायित्व को भूल जाते हैं, इस बात का अहसास आज नहीं रह गया है, इसको पहले उजागर करें। इसके लिए आपको सोचना पड़ेगा कि चाहे गलती इस पक्ष की हो या उस पक्ष की,-गलती गलती ही रहेगी। कालिमा की कभी सफेदी में नहीं बदला जा सकता है। (मेजों की थपथपाहट तथा शोर) तो श्रीमन्, मैं यह कह रहा था कि जो बात अभी हमने कही कि इस बात का सभी लोगों को अहसास कैसे हो, इस ओर मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि यदि हममें से हर आदमी पहले अपने को देखें और यह महसूस करे कि हम क्या हैं, तभी हर सम्भव हर प्रयत्न में सफलता मिलेगी। अगर कोई पुलिस वाला बोल दे तो उसकी हजामत बन जायगी अगर नहीं बोलता है तो शान्ति व्यवस्था बिगड़ जाती है।

एक बात इन्होंने कही डकैतों के संरक्षण की-एक बिल एक आर्डीनेन्स। आर्डीनेन्स का दर्द आपको आ गया, आपको है, यह जानकर मुझे खुशी है। आर्डीनेन्स का स्वागत करने के लिये तैयार हैं, यह जानकर प्रसन्नता है लेकिन आर्डीनेन्स में छोटी-छोटी बातें हैं, उसका एक छोटा सा सेक्शन 216 की कार्यवाही मैनपुरी और एटा की तरफ होने लगे तो आपको दर्द होने लगेगा। आर्डीनेन्स बहुत जल्द केन्द्र सरकार से आयेगा, उसमें कुछ व्यवस्थाओं की अनुमति मांगी गयी थी। अगले सदन में आप उसे कानून के रूप में पास करेंगे।

यहां पर एक माननीय सदस्य भीखालाल जी ने कांग्रेस पार्टी के इतिहास की ओर हमारा ध्यान दिलाया। प्रसन्नता हुई एक बुजुर्ग सदस्य से यह बात सुनकर कि किसी आदमी को कांग्रेस के गौरव का ध्यान है, देश की परम्पराओं का भी ध्यान है और देश की परम्परा से जुड़ी हुई संस्था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का भी ख्याल है। क्या कहें परिस्थितियां अपने आप बदल रही हैं। डांगे साहब की बात आप चाहे न मानें कम्युनिस्ट पार्टी का जो स्वरूप रहा है, उसमें गिरावट आ रही है...।

श्री भीखालाल--

कम्युनिस्ट पार्टी को यह अधिकार प्राप्त है कि वह डांगे जैसे आदमी को निकाल सके, आपको अधिकार प्राप्त नहीं है।

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी--

मान्यवर, मुझे मालूम था कि श्री भीखालाल जी यही कहेंगे। एक पुराने बुजुर्ग को निकालकर नयी परम्परायें आप चला रहे हैं, तो फिर कांग्रेस पार्टी की ही अगर नीतियां और परम्परायें बदल रही हैं तो कौन सी बात है।

एक बात और कहना चाहता हूं एक सवाल उठा था-कुछ बुजुर्ग सदस्यों ने फुल्लन में अपनी रुचि प्रकट की थी। उनकी रुचि की दाद देता हूं और उनकी

रुचि के अनुसार ही निरन्तर यह प्रयास किया कि कानून का जो स्वरूप है, उसमें किसी को मारा न जाय उसको जीवित पकड़कर कानून के हवाले किया जाय। लेकिन इनकी बात दूसरी है, फूलन नहीं पकड़ी गयी तो राजनीतिक संरक्षण दिखलायी पड़ने लगा। अगर आपको इतनी जानकारी रहती है तो उस जानकारी से लाभान्वित करें, हम उसे पकड़ लेंगे।

श्री भीखालाल--

तिन्दवारी चले जाइए।

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी--

मान्यवर, तिन्दवारी आज इनको खटक रहा है। जब 1977 में यह कांग्रेस के साथ थे और अब कांग्रेस (आई0) का साथ छोड़ कर चले गये हैं दूसरी तरफ और अब विरोधी पक्ष में हैं तो देखना पड़ेगा कि जो 80 में था, वह तब था या नहीं। हमें दुख है कि अभूतपूर्व इतिहास कायम हुआ, वहां के लोगों में जागरूकता आयी। पराजय को स्वेच्छा से दबा दिया और आज यह बात सामने आयी। एक बड़ी राजनैतिक पार्टी के नेता, श्री चरण सिंह वहां आये, केवल तीन लोग उनके स्वागत के लिये आये मान्यवर,। इस बात के लिये भी कहना चाहता हूं मान्यवर, कि एक माननीय सदस्य को अफसोस होता कि उन्होंने आरोप प्रकट किया था जाति, धर्म और मजहब पर। वहां की प्रबुद्ध जनता के सामने सब बात आ गयी। एक तरफ से चैलेन्ज था माननीय मुख्य मंत्री की तरफ से समाचार--पत्रों के माध्यम से यह बात सामने आयी कि चलिये चुनाव की प्रक्रिया शुरू करके इस लड़ाई को लड़ें जिसमें साधन का कोई महत्व न हो। वह मोटर के ऊपर से उतर नहीं रहे थे, साइकिल से तो चलना या बात करना दूर है। हमारे माननीय सदस्य को यह जानकारी होनी चाहिए कि माननीय राजेन्द्र अग्निहोत्री एक पार्टी के इंचार्ज थे। पार्टी वालों ने उनको निकाल दिया है।

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री--

जो कांग्रेस (आई0) ने प्रस्ताव पास करके भेजा है, उसको भी सुना दीजिये जो श्रीमती इन्दिरा गांधी ने प्रस्ताव भेजा है।

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी--

मान्यवर, इन्दिरा गांधी इस पूरे देश की जनता की अगुआ हैं, नेता हैं, हमारी सहायक हैं, हमको उनका नेतृत्व प्राप्त है। उनके नेतृत्व में आपको तकलीफ हो रही है तो माननीय अटल बिहारी से बात कर लीजिये, शायद वो आपकी तकलीफ दूर कर दें।

मान्यवर, मैं इस बात को इसलिये कहना चाहता हूं कि एक बात यहां पर कही गयी है किसी जाति विशेष के ऊपर....

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री--

मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं कि 15 महीने के काल के अन्दर मंत्रियों के जो चित्र माला पहनाते हुए समाचार--पत्रों में प्रकाशित हुए हैं। उसमें जो चित्र आये हैं उनको प्रकाश में क्या वे लायेंगे या सी0 आई0 डी0 को देंगे ? मेरा गृह मंत्री से निवेदन है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जिन व्यक्तियों के चित्र

[श्री राजेन्द्र अनिहोत्री--]

प्रकाशित हुए हैं आज भी पुलिस उन्हें डकैती और हत्याओं में गिरफ्तार करने के लिये ढूढ़ रही। है क्या माननीय गृह मंत्री जी हमें आश्वासन देंगे कि इसकी कोई जांच करायेंगे ?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री लोकपति)--

आपके पास क्या यह तथ्य मौजूद हैं कि जो माला पहनाते हुए चित्र प्रकाशित हुए हैं वह सब मुलजिम हैं ? अगर श्रीमन्, यह तथ्य इनके पास मौजूद हैं, तो यह भी एक मुलजिम हैं ।

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री--

मैं उससे दूर हूं। आप हिम्मत के साथ प्रकाशित कराइये, हम जांच कराने के लिये तैयार हैं।

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय मंत्री जी, आप अपना भाषण जारी रखें ।

(समय रात्रि 9 बजे)

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी--

माननीय राजेन्द्र अग्निहोत्री जी को जो कष्ट है उसे माननीय लोकपति जी नहीं समझ पा रहे हैं । उनको कष्ट यह नहीं है कि कौन अपराधी है कौन नहीं बल्कि उनको कष्ट यह है कि जब माननीय राजेन्द्र अग्निहोत्री जी अपने उम्मीदवार का प्रचार कर रहे थे बड़ा जलसा करते थे लेकिन कोई आता नहीं था और दूसरी तरफ लोग कांग्रेसियों को माला पहनाते रहे थे।

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय मंत्री जी, आप 2-3 मिनट से ज्यादा समय न लें। अभी गुप्ता जी को जवाब भी देना है।

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी--

माननीय सदन के सामने, माननीय सदस्यों से एक निवेदन करना चाहता हूं कि कभी किसी जाति विशेष को पूरा का पूरा कलंकित कर देना उचित नहीं है। तिदवारी के मल्लाहों ने, हर जाति के लोगों ने कांग्रेस के उम्मीदवार का स्वागत किया ।

माननीय रियासत साहब की तरफ जब मैं देखता हूं तो मुरादाबाद और जो कुछ बातों की ओर उन्होंने इशारा किया है, याद आती है। मैं माननीय सदन को प्रसन्नतापूर्वक सूचित कर रहा हूं कि जब माननीय सदन पिछली बार यहां से अपना कार्य समाप्त किया था और उसके बाद दोबारा यहां पर मिला तो उसके बीच में कुछ त्योहार भी आये और एक त्योहार ईद का भी आया था, जन्माष्टमी का भी आया था, उसके पहले भी कुछ आये थे । आप जैसे लोगों को बड़ी शंका थी कि कुछ होगा लेकिन श्रीमन्, माननीय सदस्यों को आदरपूर्वक सूचित कर रहा हूं कि शासन और वहां के सभी कर्मचारियों ने, हिन्दू और मुसलमान जनता, सभी लोगों के सहयोग से पूरा का पूरा त्योहार अभूतपूर्व उत्साह के साथ बीता है और माननीय विधायक, रियासत हुसैन साहब संयोग से वहां मौजूद होते जिस दिन मुख्य

मंत्री को ईद मिलन के दिन बुलाया गया था और उस दिन मुरादाबाद को देख लेते····

श्री रियासत हुसैन--

मान्यवर, चूंकि मेरा नाम आया है, इसलिए मैं आपकी आज्ञा से एक मिनट लूंगा और दो बातों का हवाला दिया, मुख्य मंत्री जी बैठे हैं, उस मस्जिद के अन्दर कितने आदमी थे जिसके अन्दर आप गये थे और चारों तरफ बार्डर सिक्योरिटी फोर्स के कितने आदमी और किस लिए बैठे थे ? क्या आपको कहने में कोई शर्म नहीं आ रही है कि बच्चों पर जो जन्माष्टमी के अवसर पर बम फेंका गया था और उसमें बच्चे जख्मी हो गये थे ? आपको ऐसा कहने में कुछ लज्जा करनी चाहिए थी । तीसरी चीज, मैं स्पष्ट रूप से आपके माध्यम से और आपसे जानना चाहता हूं कि उन प्रधान मंत्री के 5 खतों का क्या हुआ उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी--

माननीय सदस्यों ने शिक्षा दी थी कि बड़े धैर्य से सुना जाय लेकिन धैर्य वे खो रहे हैं। मैं नहीं जानता कि रियासत साहब का कौन सा गणित है, मैं स्वयं संयोग से उस ईद मिलन के अवसर पर उपस्थित था। शहर भर के लोगों ने माननीय मुख्य मंत्री जी का जो अभूतपूर्व स्वागत किया, वहां की गलियां, वहां के मुसलमान भाइयों ने निकल-निकल कर मालायें पहनायीं, गले मिले । रियासत साहब दिखायी नहीं पड़े अगर वह ईद पर आते वहां तो वह कुछ न कहते····

श्री रियासत हुसैन--

जिस तरह से ईद का त्योहार हुआ है उससे अगर आप खुश हैं, तो मैं कुछ नहीं कहना चाहता ।

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी--

जो आज मुरादाबाद में हिन्दू और मुसलमान कर रहे हैं, खुश हैं, इसमें आपको नाराजगी हो तो हो, मुझे नहीं है । माननीय सदस्य ने 5 पत्रों का जो जिक्र किया है, जो उन्होंने प्रधान मंत्री को लिखे हैं, वे सभी पत्र····

श्री रियासत हुसैन--

प्रधान मंत्री जी ने आपको लिखे हैं उसकी कापी मुझे भेजी है ।

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी--

सदन में इस बात के लिए स्पष्ट रूप से आप कह सकते हैं कि माननीय प्रधान मंत्री जी को आपने पत्र नहीं लिखे ?

श्री रियासत हुसैन--

मैंने माननीय प्रधान मंत्री को पत्र लिखा और माननीय प्रधान मंत्री ने आपको पत्र लिखा जिसमें उन्होंने यह लिखा कि तुरन्त इसके ऊपर कार्यवाही की जाय तो मैं सिर्फ यह जानना चाहता हूं आपसे कि क्या कार्यवाही की गई ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह--

माननीय रियासत हुसैन साहब हम इसके तरतीब ज्यादा इस मसले पर क्यों जायं । आपने हमको कागजात दिये हैं और सबूत भी दिया है तो उन सब चीजों को देखने के बाद ही न्याय किया जायेगा ।

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी--

माननीय रियासत साहब न्याय से प्रसन्न हो जायं यह मेरा सौभाग्य होगा और इस सदन का सौभाग्य होगा । मैं इसलिए निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय रियासत साहब ने प्रधान मंत्री को पत्र लिखा था और उस पत्र की प्रतिलिपि शासन को आई थी ।

मान्यवर, एक बात और उठी है यहां पर कि आर्थिक अपराध जिस पर इनका ख्याल जब दूसरे दल के लोग थे, नहीं था । कुछ माननीय सदस्यों ने आर्थिक अपराध की ओर इशारा किया है । मैं बड़े हर्ष के साथ सदन को यह सूचना देना चाहता हूं कि साढ़े तीन करोड़ रु0 का अवैध व्यापार में लगे हुए सामान को वर्तमान शासन ने पकड़ा है जो जनता पार्टी के शासन का आठ गुना है, क्योंकि उस समय तो आर्थिक अपराधियों को पकड़ने की कोई व्यवस्था ही नहीं थी । उस समय आर्थिक अपराध को फैशन मान लिया गया था । मान्यवर, एक बात और आई एन्टी डकैती अभियान के खोखलापन के लिए माननीय सदस्यों ने कहा ।

श्री उपाध्यक्ष--

अभी आप कितना समय और लेंगे ?

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी--

15 मिनट और मान्यवर ।

मान्यवर, एन्टी डकैती अभियान के खोखलेपन का जिक्र किया गया उस सम्बन्ध में श्रीमन्, एक बात आपसे कहना चाहता हूं ....

श्री भीखालाल--

आप बहुत धीरे-धीरे चल रहे हैं ।

श्री उपाध्यक्ष--

आप दोनों धीरे-धीरे चल रहे हैं लेकिन समय बहुत तेजी से चल रहा है ।

श्री बलवीर सिंह (रामपुर)--

आप ठोस कदम इस सन्दर्भ में क्या उठाने जा रहे हैं ? वह बतायें ?

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी--

मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूं कि इनकाउन्टर्स का सवाल माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्ता ने उठाया था और फर्जी इनकाउन्टर्स की बात कही थी इस सम्बन्ध में यह निवेदन करना चाहता हूं कि उन इनकाउन्टर्स में पुलिस के लोग भी मारे गए जिनकी संख्या 69 है, वह सब क्या फर्जी इनकाउन्टर्स में मारे गए हैं ।

और उनमें जो लोग मारे गए, उनमें एक गजटेड अफसर, 3 इंसपेक्टर, 11 सब इंसपेक्टर और 6 कांस्टेबिल मारे गए। इसी तरह से इन इनकाउन्टर्स में 312 लोग घायल हुए डकैतों से भिड़ते हुए। इस पर भी अगर आप यह समझते हैं कि फर्जी इनकान्टर की कोशिश की गयी है तो विरोध पक्ष के लिए मैं अपने मुख से क्या कहूं, आप कानून और व्यवस्था पर चाहे और कहीं चोट नहीं कर पा रहे हों लेकिन इस तरह से डकैतों को किसी न किसी रूप में संरक्षण दे रहे हैं। इससे उन को बल मिलेगा। अगर कहीं फर्जी इनकाउन्टर की बात शासन के सामने आयी है तो शासन की तरफ से दो जगह 302 का मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए गए हैं और अगर कहीं भी फर्जी इनकाउन्टर की बात मालूम होगी तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जायेगी।

अपराधों की जो वर्तमान स्थिति है, 5 वर्ष से आंकड़े अगर देखें जायं, तो 77, 78 और 79 तक हर अपराध में कमी हुई है। डकैती में 23·2 परसेन्ट की कमी आयी है। इसी तरह से राबरी में भी कमी आयी है...

(व्यवधान)

श्री रियाजत हुसैन--

मैं तो यह मानने को तैयार हूं लेकिन प्रदेश की जनता इसको माने तब तो।

(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी--

मैं अपनी बात न कहकर गम्भीरता वाले पहलू के ऊपर कुछ कहना चाहता हूं। 'पायनियर' अखबार को माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्त जी जरूर पढ़ते होंगे। उसमें 12-9-81 को एक रिपोर्ट छपी है--रेप इन यू० एस० ए० इज इवरी सिक्स मिनट। उसके साथ ही साथ एक और आर्टिकल है जिसमें लिखा है और दुनिया के सारे देश में हो रहे अपराधों को मिलाकर जोड़ा गया है तथा उसमें दिखलाया गया है कि दुनिया के दूसरे मुल्कों के अनुपात में हिन्दुस्थान के अन्दर जो अपराध स्थिति है वह नियंत्रण में है और यह की कानून व्यवस्था अच्छी है। माननीय सदस्य की नजर में यह नहीं दिखलायी पड़ता है क्योंकि अगर मैं इस तरह की कोई बात कहूं तो शायद उनको अच्छा न लगे लेकिन वे इस चीज को काक दृष्टि से देखते हैं जिसे केवल एक ही चीज दिखलायी देती है। अगर वे उसे हंस दृष्टि से देखते तो कहीं ज्यादा उपयोगिता होती।

श्री उपाध्यक्ष--

आपने काफी क्षीर नीर का विवेक कर दिया।

(हंसी)

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी--

मैं अभी 5 मिनट में खत्म करता हूं। अभी एक माननीय थे जो चले गए हैं। अपनी बात को भूलकर उन्होंने कुछ जिक्र करते-करते इलाहाबाद का जिक्र

[श्री राजेन्द्र त्रिपाठी—]

कर दिया और उनकी स्थिति यह रही कि जहां उन्होंने इलाहाबाद का जिक्र किया वहां शायद उनका मतलब यह कहने का था कि शायद मेरा भी सम्बन्ध वहां के कुछ अपराध प्रवृत्ति वालों से है। मैं अपने माननीय सदस्यों को हमेशा अपने बारे में जानकारी देता रहा हूं और आज भी दे रहा हूं कि ऐसे अपराध प्रवृत्ति वालों से मेरा आज तक कभी सम्बन्ध नहीं रहा है, न है और न भविष्य में होने की आशा है। यदि कोई ऐसे माननीय सदस्य सदन के सदस्य होकर आ जायें तो उनसे सम्बन्ध रखना मेरी मजबूरी है।

इसके साथ ही गढ़वाल का सवाल उठाया गया। गढ़वाल में शान्ति और व्यवस्था की स्थिति कैसी बन गयी थी कि कुछ लोग वहां की शान्ति व्यवस्था व्यवधान उत्पन्न करने के लिए कटिबद्ध थे और हैं। इसी सदन के एक माननीय सदस्य बिहारी लाल को पीटा गया। हमारे एक कैन्डिडेट नेगी जी की धर्मपत्नी को पीटा गया।

श्री विद्या सागर नौटियाल—

डाक्टर शिवानन्द नौटियाल को पीटा गया।

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी—

एक तकलीफ है। वहां इसके द्वारा पुनः उन कार्यों को दोहराया नहीं जा सका कि वे वहां के गांधीवादी कांग्रेसियों को त्रस्त और परेशान कर सकें।

इसके साथ ही एक बात और कहना चाहता हूं। एक माननीय सदस्य ने कहा कि कन्धा लगाते हैं। मुझे बड़ा अफसोस हुआ माननीय सदस्य की इस बात पर। अगर पुलिस का कोई कर्मी अपने कर्त्तव्य को पूरा करते हुए अपने प्राणों की आहुति देता है तो क्या शासन की ओर से इस बात को भी अनुचित माना जायगा कि उसके सम्मान प्रकट करने के लिए उसके दुःख में शरीक हुआ जाय। यह वर्तमान शासन तो उन कर्मचारियों के प्रति कृतज्ञता प्रकट करता है, उनको शाबासी देता है जो अच्छा काम करते हैं, कर्त्तव्यपरायण हैं। साथ ही साथ अगर कोई कर्मचारी कायदे और कानून का उल्लंघन करेगा तो दन्ड भी दिया जायेगा। यह निश्चय है।

एक बात और कहना चाहता हूं। बिजली की चोरी के बारे में एक माननीय सदस्य ने कहा, बहुत अच्छा काम किया। माननीय मुख्य मंत्री जी यहां उपस्थित हैं। इसके लिए आपको मुख्य मंत्री जी को बधाई देनी चाहिए थी क्योंकि बिजली की जो गड़बड़ियां थी उनको ठीक करने के लिए यहां से डी0 आई0 जी0 को साथ लेकर स्वयं माननीय मुख्य मंत्री जी वहां गए थे और उसके बाद बड़े-बड़े पूंजीपति पकड़े गये थे।

आखिर में यह कहना चाहता हूं कि बहुत सी बातें माननीय सदस्यों ने कही, इन लोगों ने कही इन को भ्रम हो गया है, गलत उद्धरण दे दिया, कहीं कुछ न कुछ बात हो गई इसलिये उस तरफ इशारा कर देता हूं, इसी बात से मान लें।

श्री उपाध्यक्ष—

कितना कहना चाहेंगे। पूरी रात भर बैठना हो तो कहें।

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी—

इसलिए कहना चाहता हूं कि एक बात उन्होंने स्वीकार की थी। 1981, 1980, 1979, 1978, 1977 पांच वर्षों के आंकड़ों की तुलनात्मक विवेचना से इस बात की एकदम पुष्टि होती है कि वर्तमान कानून व्यवस्था की स्थिति पहले के वर्षों से ज्यादा अच्छी है। इसमें आपको चिन्ता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं इस बात को इसलिये भी कहना चाहता हूं कि एक माननीय सदस्य ने एक बात बागपत, मोदीनगर और इनकाउन्टर आदि के बारे में कही है। उनका भ्रम हो गया है। गलत सूचना के आधार पर बातों को उठा रहे हैं। शासन ने जो भी उचित कार्यवाही हो सकती थी उसको किया।

इन शब्दों के साथ मान्यवर, मैं एक बार आखिर में एक शब्द कहना चाहता हूं और वह यह बात है कि 'सेन्स आफ सिक्यूरिटी' शांति का एहसास। तो माननीय रियासत हुसैन साहब की इस बात को मान लेना चाहिये कि माननीय मुख्य मंत्री जी की सत्यनिष्ठा की प्रशंसा करते हैं। इस बात को आप स्वीकार करेंगे कि उत्तर प्रदेश का शासन विश्वनाथ प्रताप सिंह जी की कर्त्तव्यपरायणता, ईमानदारी के नेतृत्व में चलाया जायेगा।

आखिर में आपकी तरफ खड़े होकर एक शेर पढ़ने चाहता हूं। मान्यवर, इन लोगों ने जब अपने विचार प्रकट करने शुरू किए थे तो कोशिश की थी कि इनको कुछ न कुछ मिलेगा, कोई बात मिलेगी, कोई जानकारी मिलेगी लेकिन मिला कुछ भी नहीं। आपने भी यह शेर कहा है।

"बहुत शोर सुनते थे पहलू में दिल का,
जो काटा तो कतरा ए-खूं न निकला।"

श्री मोखा लाल—

"बहुत शोर सुनते थे कम्पू के मिल का,
देखा तो चिमनी से आता धुंआ था।"

(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक निवेदन कर दूं।

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी—

मान्यवर, यह मेरा कर्त्तव्य रह गया, मैं माननीय सदस्य से प्रार्थना करता हूं कि इस प्रकार का जो प्रस्ताव आज उन्होंने शान्ति व्यवस्था पर चर्चा का रखा है, उसे वे वापस ले लें।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमने बहुत सी बातें अपने पक्ष में रखी थी कि आज क्या स्थिति है।

श्री खान गुफरान जाहिदी--

माननीय मुख्य मंत्री जी से एक स्पष्टीकरण चाहता हूं ....

श्री उपाध्यक्ष--

मैं माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्त जी को बुला चुका हूं ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, हमारे माननीय गृह मंत्री जी सदन के एक वरिष्ठ सदस्य हैं । इस सदन की एक वरिष्ठ सदस्य बेगम साहिबा ने एक शेर सुनाया था--

थी खबर गरम कि गालिब के उड़ेंगे पुर्जे,
देखने हम भी चले थे पर तमाशा न हुआ ।

उनकी खिदमत में मैं भी एक शेर पढ़ देना चाहता हूं--

मैंने चाहा था कि अन्दाजे जफा से घुटूं,
वह सितमगर मेरे मरने पर भी राजी न हुआ ।

मान्यवर, मुझे बड़ा अफसोस इस बात का है कि आज हम यहां पर प्रदेश की शांति व्यवस्था पर चर्चा कर रहे हैं और हम यह चाहते थे हमारे नव नियुक्त गृह मंत्री जी कुछ नई योजनायें लायेंगे, नया दृष्टिकोण रखेंगे, वे एक वरिष्ठ सदस्य हैं अच्छी सूझबूझ के आदमी हैं, वे जवाब देते । आधा गृह विभाग मुख्य मंत्री जी के पास हैं, उनको जवाब देना चाहिए था । हमारे जो राज्य मंत्री हैं उन्होंने जवाब दिया । जब हमने कार्य के वितरण का पता लगाया तो मालूम हुआ कि उनको कोई काम ही नहीं मिला है । मैं उनको विदूषक की संज्ञा दूं, तो मैं समझता हूं कि कोई यह असंसदीय शब्द नहीं होगा ।

श्री त्रिवेनी--

आपको क्या परेशानी है ?

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

इससे इस बात का अहसास होता है कि आप विषय की गम्भीरता को नहीं समझ रहे हैं । लोगों ने कितने मुद्दे उठाए थे उनका कोई कैटेगोरिकल जवाब नहीं दिया गया । इस ओर से यह आरोप लगाया गया था कि चुनाव में फूलन देवी से सांठ-गांठ की गई थी, उसका कोई उत्तर नहीं मिला । हमने यह भी मांग की थी कि अगर साहस है और माननीय मंत्री जी के पास हैं तो जिन अपराधी व्यक्तियों की आपने सूची बनाई है, उसका प्रकाशन किया जाय । उसके बारे में जवाब नहीं दिया गया । मैंने अध्यादेश की बात उठाई थी । माननीय राज्य मंत्री जी ने उसके सम्बन्ध में एक टेक्निकल बात कह कर टाल दिया कि केन्द्र से स्पष्टीकरण नहीं मिला है । मध्य प्रदेश को मिल गया, उत्तर प्रदेश को नहीं मिला । मुरादाबाद की चर्चा की गई, माननीय रियासत भाई ने मुद्दे उठाए थे । मैं बताना चाहता हूं कि अभी जन्माष्टमी के दिन 6 दुधमुंहे बच्चे और एक महिला को मार दिया गया....

(व्यवधान)

श्री त्रिवेनी--

मुरादाबाद का कौन हीरो है, आप ही तो हैं ? आपकी पार्टी तो है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

माननीय वर्मा जी ने आरोप लगाया था कि विधायकों और मंत्रियों को जो शंडो दिया जाता है आज उनकी क्या संख्या है । इससे पता चल जाता है कि प्रदेश में शांति व्यवस्था किस तरह से चल रही है और समाजवाद को कितना खतरा है । लेकिन उन महत्वपूर्ण मुद्दों का कोई उत्तर नहीं मिला । एक ही बात चारों तरफ से कही जाती है कि जनता पार्टी और लोकदल की सरकार के समय यह गड़बड़ी हुई वह गड़बड़ी हुई । तो जनता और लोकदल सरकारों की असफलताओं को लेकर आप अपने पापों को कब तक छिपाते रहेंगे ? पिछले चुनाव में प्रदेश की शांति व्यवस्था की जिम्मेदारी आपको दी है ।

मुझे एक गांव की घटना की याद आ गई । एक गांव में एक पंडित जी थे जो शाकाहारी थे एक सज्जन उनकी थाली ले गये और उस पर उन्होंने मांस खा दिया । इस पर पंडित जी बहुत नाराज हो गये और गाली देकर कहने लगे कि मैं तुम्हारी थाली में मैला खा लूंगा ।

श्री त्रिवेनी--

वह पंडित जी आर0 एस0 एस0 के थे ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मैं बधाई देना चाहता हूं माननीय जगदीश चन्द्र दीक्षित जी को, वह मेरे जिले के हैं। मैं उनका आभारी हूं उन्होंने सत्ता पक्ष की एक बात कह कर बात उजागर कर दी । वही बात मैं कहना चाहता था कानून और व्यवस्था में सरकार की ओर से डबुल स्टैंडर्ड अपनाया जा रहा है, अपनों के साथ कुछ और, गैरों के साथ कुछ और यह उन्होंने स्वीकार कर लिया । वह थाने इसलिए गए कि एक व्यक्ति जो उनके मित्र का लड़का था वह एक केस में फंस गया । तो आपके मित्र का लड़का फंस जायेगा तो मंत्री जी साइकिल में जायेंगे । यही आरोप हमारा है ।

माननीय मिश्र जी बोल रहे थे और मैं गौर से उनकी बात सुन रहा था । मैं समझता था कि वह उस बात को दोहरायेंगे जो वह जलपान गृह में कह रहे थे जो दरोगा मुझको गाली देता हो उसका तुम ट्रांसफर रुकवा रहे हो । तारीफ की बात होती वह उस दरोगा का नाम बताते कि कौन उनको प्रताड़ित कर रहा था उसमें हम उनकी मदद करते । लेकिन वह कौन सा मोह है जो वह अपनी बात नहीं कह पाये ।

माननीय राजेन्द्र त्रिपाठी जब बोल रहे थे तो मुझे उन पर दया आ रही थी ।

डा0 बृज किशोर मिश्र--

चूंकि मेरा नाम आया है मैं एक शब्द कहना चाहता हूं। हमारे माननीय सदस्य, मैं समझता हूं कि पढ़े-लिखे विद्वान आदमी हैं । मैंने सदन में इसी परिपेक्ष में कहा था कि हमारे मंत्री निश्चित रूप से कर्मठ हैं । अगर कोई चाहे दरोगा हो या कप्तान हो यदि गलत काम करता है तो उसे निश्चित रूप से सजा मिलेगी ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मुझे उन पर दया आ रही थी जब वह नये-नये मंत्री हुए तो बांदा दौरे पर गए। वहां जब उनकी अगवानी हुई तो उसमें कांग्रेस कार्यकर्त्ता पीछे रह गये थे और एक अपराधशील व्यक्ति जो किसी केस में वांटेड थे जो जेल से छूट कर आए थे वह उनकी कार पर बैठकर अगवानी करने लगे। इस पर उनकी पार्टी के जो अच्छे लोग थे उन्हें बुरा लगा और उन्होंने इस बात को श्रीमती गांधी को लिख भी दिया था उसका परिणाम हुआ कि उन बेचारों से काम छीन लिया गया और केवल होमगार्ड का काम दे दिया गया। आज इस बहस का जवाब देकर वह अपनी बात बतना चाहते हैं शायद इससे उनको कुछ अधिकार मिल जाय। अगर आप चाहते हैं, सही हृदय से चाहते हैं कि प्रदेश में शांति व्यवस्था रहे तो आप अपने जो वरिष्ठ लोग हैं, उनके इशारों को ठीक कीजिए।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह--

माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्त जी को स्पष्ट कर दूं कि गृह विभाग छीना नहीं गया है इस तरह का प्रोजेक्शन वह न करें। एक सामूहिक जिम्मेदारी है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मैं परसों उनके कार्यालय गया था एक काम लेकर। जैसे शिक्षा में तीन-चार मंत्री हैं। सबके पास अलग-अलग काम हैं। तो पता लगा कि उनके पास होमगार्ड केवल है और कुछ नहीं है।

श्री त्रिवेनी--

आपके पास कोई ठोस आंकड़े नहीं हैं यही बात करनी है तो सदन का समय बरबाद न करें।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मैं आखिरी बात कहकर खतम करता हूं क्या माननीय मुख्य मंत्री जी को इस बात की जानकारी नहीं है कि कानपुर में एक मंत्री जी के भतीजे की डकैती में तलाश हो रही है? क्या उनकी जानकारी में यह तथ्य नहीं आया कि कानपुर में किसी कुख्यात अपराधी का पासपोर्ट बनवा दिया गया? क्या उनकी जानकारी नहीं है कि अलीगढ़ दंगे के लिए जो जिम्मेदार व्यक्ति था, उसकी उनके दल के किसी वरिष्ठ सदस्य ने सिफारिश की, हिफाजत की?

(व्यवधान)

मैं अपनी बात समाप्त करते हुए प्रदेश के हित में और शांति व्यवस्था के हित में आपके सामने एक बात की प्रार्थना करना चाहता हूं कि आप ऊपर उठें और मुख्य मंत्री जी ने ध्येय बना लिया है, आप उनके प्रभाव से ऊपर उठें और जो लोग अपराधियों को संरक्षण दे रहे हैं, उनकी सूची प्रकाशित करें। इसके साथ में इस निराशा को लेकर बैठ रहा हूं कि किसी महत्वपूर्ण मुद्दे का जवाब शासन की ओर से नहीं दिया गया है, जो इधर से उठाए गए हैं।

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी--

मान्यवर, मैं जो पहले कह रहा था, तो उस समय सम्मानित सदस्य सुनना नहीं चाह रहे थे और जब उनकी बात रह गई तो उन्होंने कहा कि उसका कोई

उत्तर नहीं दया गया । मैंने स्पष्ट रूप से कहा है कि सम्मानित सदस्यों के जो उपयोगी सुझाव हैं उन पर शासन जरूर विचार करेगा और उससे लाभान्वित होने का प्रयास करेगा । लेकिन साथ ही साथ जो बातें माननीय राजेन्द्र गुप्त जी ने अपने दल की शैली में, भेष बदलकर, कुछ छिपकर गणभेष में कहीं, जो उनके दल की बात करने की शैली है, उस पर उनका ध्यान दिलाना चाहता हूं । बात यह है कि आज की शांति व्यवस्था के तो कई इम्तहान हो चुके हैं । वह इम्तहान चाहे किसान आन्दोलन चलाकर शान्ति व्यवस्था को बिगाड़ने के रूप में हों या उत्तर प्रदेश के समस्त विद्यालयों में पुनः इम्तहान करने की बात पर स्थिति बिगाड़ने की बात हो । इसके अलावा रामस्वरूप वर्मा जी ने दो बातें उठाई, जिसके लिए उन्होंने कहा कि इसका उत्तर नहीं दिया गया । उसके बारे में मैं निवेदन कर रहा था, उसका सन्दर्भ दे रहा था पूरे दुनिया की जो अपराध की प्रवृत्ति है, और स्थिति है, उसमें बढ़ावा हुआ है और इस वृद्धि के अनुपात में हिन्दुस्तान और उत्तर प्रदेश में कमी है और उससे आपको सन्तुष्ट रहना चाहिए । 57, 62, 67 व 69 के बारे में वर्मा जी ने जो बात कही थी, तो वह देखें कि 67 और 69 में यहां कौन था । इससे वह निष्कर्ष निकाल सकते हैं । इसके साथ मैं माननीय सदस्य से प्रार्थना करूंगा कि वह अपने प्रस्ताव को वापस ले लें ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मैं अपने प्रस्ताव को वापस नहीं लेता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि यह सदन उत्तर प्रदेश में कानून और व्यवस्था में उत्तरोत्तर गिरावट के महत्वपूर्ण प्रश्न पर विचार करता है ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

अनुपूरक कार्यसूची की मद संख्या 19 (क) व (ख) पर चर्चा कराये जाने का विरोध

(समय रात्रि 9 बजकर 34 मिनट)

श्री उपाध्यक्ष--

कार्यसूची का जो अनुपूरक एजेंडा आपके सामने आया था, उसके तहत अब 19(क) को लेता हूं, माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्त ।

श्री भीखा लाल--

चूंकि यह एजेंडा जो 19-क व 19-ख आया है यह अनियमित तरीके से से जुड़ा है, जुड़ाया गया है, मैंने इसका विरोध किया था । इसलिए मैं इस चर्चा में भाग नहीं लेना चाहता हूं और मैं अपनी पार्टी के साथ इस सदन का त्याग करता हूं ।

(श्री भीखा लाल अपने दल के सदस्यों सहित सदन त्याग कर चले गए ।)

श्री रियासत हुसैन--

जो एजेन्डा आज सुबह कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में तय हुआ था उससे हम लोगों ने इस्तीफा दे दिया था। चूंकि उस आधार पर वोटिंग हुआ था इसलिये उसके विरोध में मैं और मेरी जनता पार्टी के सदस्य सदन का बायकाट करते हैं।

(श्री रियासत हुसैन अपने दल सहित सदन त्याग कर चले गये।)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

जो माननीय नेता, जनता पार्टी ने विचार व्यक्त किये हैं उनसे अपने को सम्बद्ध करते हुए मैं और मेरी पार्टी भी इसके विरोध में सदन का बहिष्कार करती है।

(श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त अपने दल सहित सदन त्याग कर चले गये।)

श्री अकबाल हुसैन--

मान्यवर, मैं भी अपनी पार्टी के सदस्यों के साथ सदन का त्याग करता हूं।

(श्री अकबाल हुसैन कांग्रेस पार्टी (अर्स) के सदस्यों सहित सदन त्याग कर चले गये।)

कतिपय सदस्यों की गिरफ्तारी तथा रिहाई के सम्बन्ध में सूचनाएं (क्रम गत)

(समय रात्रि 9 बजकर 36 मिनट)

श्री उपाध्यक्ष--

अब मैं सदन को कुछ गिरफ्तारियों के सम्बन्ध में एक सूचना देना चाहता हूं जो इस प्रकार है :--

(1) जिला मैजिस्ट्रेट, मेरठ ने निर्धारित प्रपत्र, दिनांक 19 सितम्बर, 1981 जो इस सचिवालय में 22 सितम्बर, 1981 को प्राप्त हुआ है, में यह सूचित किया है कि श्री धर्मवीर सिंह, सदस्य, विधान सभा, (मेरठ) 17 सितम्बर, 1981, को जेल भेजे गये थे, दोष सिद्धि के कारण दोषारोप के लिए 19 सितम्बर, 1981 को न्यायालय में प्रस्तुत हुए। उन्हें भारतीय दंड विधान की धारा 188 के अन्तर्गत जेल में रहने की अवधि की सजा दी गयी। वे 19 सितम्बर, 1981 को रिहा कर दिये गये।

(2) जिला मैजिस्ट्रेट, फर्रुखाबाद ने अपने वायरलेस संदेश दिनांक 14 सितम्बर, 1981, जो इस सचिवालय में 22 सितम्बर, 1981 को प्राप्त हुआ में यह सूचित किया है कि श्री अनवार अहमद खां, सदस्य, विधान सभा (फर्रुखाबाद) 14 सितम्बर, 1981 को दन्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 151/107/116 के अन्तर्गत गिरफ्तार किये गये और 14-9-81 को विचाराधीन बन्दी के रूप में सिटी मैजिस्ट्रेट फर्रुखाबाद द्वारा न्यायालय की अभिरक्षा में लिये गये। वे 26 सितम्बर, 1981 तक के लिये कारागार अभिरक्षा में रिमांड पर लिये गये।

इसी सम्बन्ध में जिला मैजिस्ट्रेट फर्रुखाबाद ने अपने वायरलेस संदेश दिनांक 19 सितम्बर, 1981, जो इस सचिवालय में 22 सितम्बर, 1981 को प्राप्त हुआ, में यह सूचित किया है कि श्री राधे श्याम वर्मा और श्री अनवार अहमद खां, सदस्यगण, विधान सभा 17 सितम्बर, 1981 को रिहा कर दिये गये ।

(3) अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, नैनी ने अपने वायरलेस संदेश दिनांक 20 सितम्बर, 1981, जो इस सचिवालय में 22 सितम्बर, 1981 को प्राप्त हुआ, में सूचित किया है कि श्री जमुना प्रसाद रावत, सदस्य, विधान सभा (बाराबंकी) 15 सितम्बर, 1981 को बाराबंकी जेल से केन्द्रीय कारागार, नैनी स्थानांतरित किये गये और पुनः अग्रतर रिमांड पर 20 सितम्बर, 1981 को बाराबंकी जेल वापस भेजे गये ।

(4) जिला मैजिस्ट्रेट/पुलिस अधीक्षक जालौन ने अपने वायरलेस संदेश 20 सितम्बर, 1981 जो इस सचिवालय में 22 सितम्बर, 1981 को प्राप्त हुआ, में यह सूचित किया है कि कुंवर दलगंजन सिंह और श्री शंकर सिंह, सदस्यगण, विधान सभा 19 सितम्बर, 1981 को 11.35 बजे रात्रि को जिला कारागार उरई से रिहा कर दिये गये ।

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनायें

श्री उपाध्यक्ष—

नियम 51 के अन्तर्गत 4 सूचनायें प्राप्त हुई । एक श्री बलबीर सिंह की दूसरी श्री जसवंत सिंह विष्ट की तीसरी श्री भीखालाल व श्री विद्यासागर नौटियाल की और चौथी श्री राम कृष्ण उपाध्याय की है । इन चारों सूचनाओं को अस्वीकृत कर दिया गया है ।

दिनांक 21 सितम्बर, 1981 को निलम्बित कतिपय सदस्यों के निलम्बन का असमाप्त भाग निरस्त किये जाने का प्रस्ताव

(समय रात्रि 9 बजकर 38 मिनट)

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)—

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि विधान सभा के निम्नलिखित सदस्यों के निलम्बन, जो सदन के दिनांक 21 सितम्बर, 1981 के निश्चयानुसार हुआ था, का असमाप्त भाग निरस्त किया जाय :—

(1) श्री यदुनाथ सिंह,

(2) श्री सरदार सिंह,

(3) श्री मोहन सिंह,

(4) श्री विजय सिंह राना,

(5) श्री छत्तर सिंह,

[श्री अम्मार रिजवी]

(6) श्री राम स्वरूप निम,

(7) श्री खंडल बशर,

(8) श्री गोपी नाथ वर्मा,

(9) श्री हुकम सिंह,

(10) श्री चन्दन सिंह,

(11) श्री बदन सिंह,

(12) श्री हरिवंश सहाय,

(13) श्री मोती लाल देहलवी,

(14) श्री भगवान दीन कुशवाहा,

(15) श्री धनी राम वर्मा,

(16) श्री फिरंगी प्रसाद विशारद,

(17) श्री शंकर सिंह,

(18) श्री किरन पाल सिंह,

(19) श्री कुबेर भंडारी ।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि जो प्रस्ताव अभी माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने प्रस्तुत किया है उसे सदन स्वीकार करता है ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

सदन के अनिश्चित काल के स्थगन का प्रस्ताव

(समय रात्रि 9 बजकर 39 मिनट)

श्री अम्मार रिजवी--

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन अनिश्चित काल के लिये स्थगित किया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि यह सदन अनिश्चित काल के लिये स्थगित किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष--

अब हम अनिश्चित काल के लिये उठते हैं ।

(इसके बाद सदन 9 बजकर 40 मिनट पर अनिश्चित काल के लिये स्थगित हो गया ।)

लखनऊ :
22 सितम्बर, 1981

सत्य प्रिय सिंह,
सचिव,
विधान सभा, उत्तर प्रदेश ।

नत्थी "क"

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 61 का उत्तर पीछे पृष्ठ 109 8पर)

सहायता प्राप्त व्यक्तियों की सूची

1—श्री कुन्नर पुत्र निरंजन

2— ,, सीता राम पुत्र निरंजन

3— ,, बुल्लू पुत्र निरंजन

4— ,, देवराज पुत्र निरंजन

5— ,, छव्वन पुत्र निरंजन

6— ,, मुन्नर पुत्र निरंजन

7— ,, रघुनाथ पुत्र इन्द्रजीत

8— ,, राम राज पुत्र कौलेश्वर

9— ,, बल्ली पुत्र कौलेश्वर

10— ,, श्याम लाल पुत्र कौलेश्वर

11— ,, बरसाती पुत्र शिवदास

12— ,, शिवराज पुत्र मुनेश्वर

13— ,, छन्नू पुत्र कौलेश्वर

14— ,, राजेन्द्र पुत्र चानिका

15— ,, लखन पुत्र बेनी

16— ,, विश्वनाथ पुत्र इन्द्रजीत

17— ,, बाबू नन्दन पुत्र दुबरी

18— ,, श्याम राज पुत्र कौलेश्वर

19.— ,, सुखदेव पुत्र दुखरन

20— ,, विश्वनाथ पुत्र जगरूप

21— ,, नक्खड़ू पुत्र बुधू

22— ,, बैजनाथ उर्फ भूसे पुत्र जयश्री

23— ,, नन्दू पुत्र हरिनाथ

24— ,, मट्टन पुत्र बोडर

25— ,, बृजू पुत्र दुखरन

26—श्रीमती मंगरी पत्नी लालता

उत्तर प्रदेश विधान सभा

27—श्री सीरी पुत्र हरगेन

28— ,, देवकी पुत्र किशुन

29— ,, शिवदास पुत्र घमण्डी

30— ,, भग्गन पुत्र जग्गल

31— ,, सग्गन पुत्र जग्गल

32— ,, मुसम्मात मोहनादेई बेवा खरपत

33— ,, छोटई पुत्र मुन्नी लाल

34— ,, चन्द्रमा पुत्र मोर्ता

35— ,, रामलाल पुत्र झुलई

36— ,, भुल्लन पुत्र लालमन

37— ,, भगेलू पुत्र महंगी

38— ,, रामदेव पुत्र लुरखुर

39— ,, सुखानन्दन पुत्र दुखी

40— ,, किशोर पुत्र भज्जन

41— ,, हीरालाल पुत्र मुनेश्वर

42— ,, शिवचन पुत्र रामअधार

43— ,, खुन्नू पुत्र घमण्डी

44— ,, शारदा पुत्र भज्जन

45— ,, विजय बहादुर पुत्र राम कुमार

विधान सभा सचिवालय

(देखिये अतारांकित पृ0 सं0 95 का उत्तर पीछे पृष्ठ 997 पर)

दिनांक 1-4-1980 से 31-3-1981 तक की तिथि तक जिला गोंडा में लाइनहाजिर किए गए पुलिस के सिपाहियों की सूची :--

1	2	3
1--कां0 380 सी0 पी0	ईश्वरलाल	पुलिस अभिरक्षा में अभियुक्त की मृत्यु हो जाने के कारण ।
2--कां0 98 सी0 पी0	पारसनाथ मिश्र	तदेव
3--कां0 234 सी0 पी0	कालिका सिंह	अवकाश से अनुपस्थित होने के फलस्वरूप ।
4--कां0 209 सी0 पी0	दीनानाथ तिवारी	पुलिस अभिरक्षा में अभियुक्त की मृत्यु होने के फलस्वरूप ।
5--कां0 389 सी0 पी0	रामउजागिर शुक्ला	तदेव
6--कां0 638 सी0 पी0	श्यामकरन सिंह	तदेव
7--कां0 सी0 पी0	दीपनरायन सिंह	उत्पीड़न की शिकायत प्राप्त होने के कारण ।
8--कां0 66 सी0 पी0	श्यामवीर सिंह	तदेव
9--कां0 168 सी0 पी0	लालजीत सिंह	कर्त्तव्य पालन में शिथिलता ।
10--कां0 619 सी0 पी0	रामकृष्ण पाठक	हत्या होने के बावजूद भी बीटइन्फार्मेशन न दर्ज कराने के कारण दुबारा हत्या होने के फलस्वरूप ।
11--कां0 सी0 पी0	शिवकुमार तिवारी	तदेव
12--कां0 770 सी0 पी0	श्रीराम मिश्र	तदेव

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1	2	3
13—कां0 357 सी0 पी0	हरिप्रसाद उपाध्याय	अभियोग सं0 26/81, धारा 302 भा0 द0 वि0 बाइज्जतबरी होने के कारण ।
14—कां0 622 सी0 पी0	पारसनाथ सिंह	शराब पीकर अनुशासनहीनता करने के फलस्वरूप ।
15—कां0 274 सी0 पी0	ब्रह्मदेव तिवारी	तद्देव
16—कां0 147 सी0 पी0	रामशबद यादव	धारा 161/218, भा0 द0 वि0 पंजीकृत होने के फलस्वरूप ।
17—कां0 186 सी0 पी0	कृष्णकौल तिवारी	तद्देव
18—कां0 412 सी0 पी0	गयादीन	तदेव
19—कां0 340 सी0 पी0	राजकरन यादव	तदेव
20—कां0 458 सी0 पी0	कन्हैया लाल मिश्र	थाना उत्तरौला से स्थानान्तरण किए जाने हेतु प्रार्थना-पत्र दिया था उस समय चूंकि शासनादेश से केवल लाइन ही स्थानान्तरण हो सकता था अतः कर दिया गया ।
21—कां0 728 सी0 पी0	कैलाशनाथ दूबे	पैसे के लालच में दूसरे व्यक्ति के मकान पर एक व्यक्ति के कब्जा दिलाने के सम्बन्ध में ।
22—कां0 375 सी0 पी0	महादेव सविता	शिकायतों के कारण प्रशासनिक आधार पर ।
23—कां0 267 सी0 पी0	राजाराम यादव	तदेव

उत्तर प्रदेश विधान सभा

दिनांक 1-4-1980 से 31-3-1981 तक की तिथि तक मुअत्तल किये गये जनपद पुलिस गोन्डा के सिपाहियों एवं उनके विरुद्ध आरोपों की सूची ।

1	2	3
1--कां0 58 सी0 पी0	बिमलप्रकाश शुक्ला	दिनांक 13-7-80 को शराब के नशे में सुकई हरिजन को मसकनवा बजार में मारना-पीटना ।
2--कां0 415 सी0 पी0	दयाराम	दिनांक 11/12-8-80 की रात्रि में पुलिस अधीक्षक द्वारा चेक करने पर सन्तरी डियुटी से अनुपस्थित होने के फलस्वरूप ।
3--कां0 172 सी0 पी0	आशाराम शुक्ला	बिना किसी अवकाश एवं अनुमति के अनुपस्थित रहने तथा कोई पता न होने पर 3-8-80 को निलम्बित किये गये ।
4--कां0 217 सी0 पी0	जगरूप सिंह	अभियोग अंक 224, धारा 295, भा0 द0 वि0 थाना तुलसीपुर में दिनांक 13-10-80 को घटित घटना में घोर लापरवाही एवं अनियमितता के कारण निलम्बित किये गये ।
5--कां0 732 सी0 पी0	जगनरायन पाठक	तदैव
6--कां0 695 सी0 पी0	महानायक पान्डे	हल्के में सर्वणों द्वारा दो हरिजनों की हत्या में अपने कर्त्तव्य पालन में घोर प्रमाद एवं उदासीनता के फलस्वरूप 1-11-80 को निलम्बित किये गये ।
7--कां0 686 सी0 पी0	सीताराम दूबे	तदैव

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1	2	3
8—कां0 529 सी0 पी0	राजकिशोर सिंह	सरपंच को लाठी से मारने व दुर्व्यहार करने के फलस्वरूप 1-12-80 को निलम्बित किये गये ।
9—कां0 683 सी0 पी0	पदमदेव मणि	आदेश की अवहेलना करके बिना किसी अवकाश अथवा अनुमति के लापता रहे ।
10—कां0 434 सी0 पी0	श्रीराम	अभियोग अंक 950/80, धारा 3/4 जुआ अधिनियम के अभियुक्त हैं, दिनांक 29-1-81 को निलम्बित किये गये ।
11—कां0 506 सी0 पी0	दशरथ लाल	अभियोग अंक 950/80 धारा 3/4 जुआ अधिनियम के अभियुक्त, दिनांक 29-1-81 को निलम्बित किया गया ।
12—कां0 580 सी0 पी0	जंगबहादुर सिंह	थाना बाबाबगंज मालखाने के मोटर साईकिल का प्रयोग करना तथा दुर्घटनाग्रस्त होने के फलस्वरूप 23-2-81 को निलम्बित किये गये ।
13—कां0 151 ए0 पी0	बलकरनगिरी	अभियोग अंक 150/81, धारा 363/366 भा0 द0 वि0, थाना कोतवालीनगर में अभियुक्त होने के फलस्वरूप 7-3-81 को निलम्बित किया गया ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ग'

(देखिये अतारांकित प्र0 सं0--105 का उत्तर पीछे पृष्ठ 1112 पर।)

1 जून, 1980 से 31 मार्च, 1981 तक जनपद गाजियाबाद में डकैती राहजनी, चोरी व हत्याओं का विवरण

अपराध	जिनकी रिपोर्ट की गई	जिनमें जांच की गई	जिनमें जांच नहीं की गई	चालान किये गये मामले	जिनमें जांच अभी जारी है	गिरफ्तार किये गये व्यक्तियों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7
राहजनी	115	115	..	32	9	52
डकैती	46	46	..	29	10	164
चोरी	1597	15[illegible]2	55	349	73	366
कत्ल	93	93	..	57	10	149

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ब'

(देखिये अतारांकित प्र0 सं0 135 का उत्तर पीछे पृष्ठ 1123 पर।)

1979-80 में स्वीकृत भवन मरम्मत अनुदान से वर्ष 1980-81 में हुई विद्यालय मरम्मत विवरण :--

विद्यालय का नाम	विकास क्षेत्र का नाम	धनराशि
प्राइमरी पाठशाला, मलिकपुर विचौली	दहगवा	1,197.92
प्रा0 पा0, रसूलपुर	जगत	303.65
प्रा0 पा0, तलगांव	जगत	636.50
प्रा0 पा0, भगवतीपुर	विनावर	784.00
प्रा0 पा0, लतीफपुर दी0 डी0	जुलाबई	1,014.85
जू0 हा0, स्कूल, दातागंज	दातागंज	3,667.24
प्रा0 पा0, अभियांव	ध्याऊं	303.20
प्रा0 पा0, सदोठर	काटर चौक	547.00
प्रा0 पा0, धरेम	झुकसा	2,902.13
प्रा0 पा0, सरहवरौलिया	बिसौली	1,061.75
प्रा0 पा0, इस्लामनगर	इस्लामनगर	515.00
प्रा0 पा0, सुन्दरनगर	इस्लामनगर	502.25
प्रा0 पा0, कन्था खोखापुर	उझानी	779.90
क0 जू0, हा0 स्कूल ववगला	कुन्नौर	1,268.70
प्रा0 पा0, कैल	गुन्नौर	903.20
प्रा0 पा0, शेखपुर	उझानी	564.00
प्रा0 पा0, आसफपुर	आसफपुर	1,000.00
जू0 हा0, स्कूल बिल्सो	बिसौली	980.00
क0 प्रा0, पा0 बिनावर	बिनावर	1,271.84
प्रा0 पा0, मरोरो	ध्याऊं	803.50
क0 जू0, हा0 स्कूल, सैदपुर	बजीरगंज	831.25
प्रा0 पा0, सैदपुर	बजीरगंज	1,925.00
प्रा0 पा0, खितौरा	सहसवान	276.00
प्रा0 पा0, खंडुआ	सहसवान	504.00
जू0 हा0, स्कूल, रिबुनाई	सहसवान	200.00
प्रा0 पा0, मैकलगंज	नक्से बदायूं	1,995.00
	कुल योग ..	26,137.88

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ड'

(देखिये अतारांकित प्र0 सं0--140 का उत्तर पीछे पृष्ठ 1124 पर ।)

सड़कों की सूची

1--महावीर-छपरा से कुस्मौल से बांसगांव मार्ग,

2--बनसप्ति से जंगल बेलवार से रायगंज मार्ग,

3--(ए) रुस्तमपुर से मिर्जापुर मार्ग,

(बी) मलौनी बांध को पक्का करना,

4--जैतपुर से वरडाड़ मार्ग,

5--पाण्डेपार-सोहगौरा मार्ग,

6--डांगीपार-सूवाबाजार मार्ग,

7--जैतपुर से पिपरौली बाजार से वोकटा मार्ग,

8--रुस्तमपुर-कजाकपुर मार्ग ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'च'

(देखिये अतारांकित प्र0 सं0—153 का उत्तर पीछे पृष्ठ 1129 पर।)

1—श्री आर0 बी0 माथुर, महाप्रबन्धक।

2—श्री बी0 आर0 गुप्ता, तदेव

3—श्री सत्य देव, तदेव

4—श्री बी0 पी0 शर्मा, परियोजना प्रबन्धक।

5—श्री जे0 पी0 बंसल, तदेव

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'छ'

(देखिये पीछे पृष्ठ 1181 पर ।

प्रश्न	उत्तर
6--क्या खाद्य पूर्ति मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद गोण्डा के छपिया विकास खंड के ग्रामीण अंचलों में उपभोक्ताओं को कितने महीनों से मिट्टी का तेल उपलब्ध नहीं हो रहा है । क्या मंत्री इसकी जांच करवाकर सम्बन्धित लाइसेन्सियों के प्रति प्रभावी कार्यवाही करने का कष्ट करेंगे ।	6--छपिया विकास खंड के ग्रामीण अंचलों में उपभोक्ताओं को मिट्टी का तेल बराबर उपलब्ध कराया जा रहा है । प्रश्न के दूसरे भाग के उत्तर का सवाल नहीं उठता । बासुदेव सिंह, खाद्य मंत्री ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

पी0 एस0 यू0 पी0--55 वि0 सभा--25-9-82--835 (पी0 डी0) ।